

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 709]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 17, 2015/कार्तिक 26, 1937

No. 709]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 17, 2015/KARTIKA 26, 1937

उद्योग तथा वाणिज्य मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2015

सा.का.नि. 879(अ).—व्यापार चिह्न नियम 2002 का प्रतिस्थापन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप केन्द्रीय सरकार, व्यापार चिह्न अधिनियम 1999(1999 का 47)की धारा 157 की उप-धारा(1) और उप-धारा(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त अधिनियम की उप-धारा(1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर उस तारीख से, जिसको इन अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा;

आक्षेप या सुझाव यदि कोई हो, अवर सचिव भारत सरकार, उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, नई दिल्ली-110011 को ई-मेल द्वारा sahni.palka@nic.in पर भेज सकेंगे;

ऐसे किन्हीं आक्षेपों और सुझावों पर, जो ऐसी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त नियमों की बाबत किसी व्यक्ति से प्राप्त हो सकेंगे, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

प्रारूप नियम**भाग 1****अध्याय-1**

(1) **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:** इन नियमों का संक्षिप्त नाम व्यापार चिह्न नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(2) **परिभाषाएं:** (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) "अधिनियम" से व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 (1999 का 47) अभिप्रेत है;

(ख) "अभिकर्ता" से अधिनियम की धारा 145 के अधीन कार्य करने के लिए प्राधिकृत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ग) "किसी व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन" के अन्तर्गत माल या सेवाओं के लिए वह व्यापार चिह्न है जो उसमें अन्तर्विष्ट है;

(घ) "व्यापार चिह्न रजिस्ट्री का समुचित कार्यालय" से नियम 4 में यथाविनिर्दिष्ट व्यापार चिह्न रजिस्ट्री का सुसंगत कार्यालय अभिप्रेत है;

(ङ.) "अधिप्रमाणित" से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में यथापरि भाषित "अंकीय हस्ताक्षर" के माध्यम से किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड का अधिप्रमाण अभिप्रेत है;

(च) "वर्ग फीस" से किसी व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आवेदन फाइल करने के लिए विहित फीस अभिप्रेत है;

(छ) "कन्वेंशन देश" से धारा 154 की उप-धारा(1) के अधीन उस रूप में घोषित कोई देश या देशों का समूह या देशों का संघ या देशों के अंदर सरकारी संगठन अभिप्रेत है;

(ज) "कन्वेंशन आवेदन" से धारा 154 के आधार पर बनाए गए किसी व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आवेदन अभिप्रेत है;

(झ) "विभाजनीय आवेदन" से अभिप्रेत है जो किसी व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए धारा 18(2) के अधीन किए गए आवेदन के विभाजन के लिए कोई अनुरोध अंतर्विष्ट करने वाला आवेदन है;

(ञ) "विभाजनीय फीस" से प्रथम अनुसूची की **प्रविष्टि संख्या 62 के सामने** विहित फीस अभिप्रेत है;

(ट) "प्ररूप" से द्वितीय या तृतीय अनुसूची में दिया गया प्ररूप अभिप्रेत है;

(ठ) "ग्राफीय समाकृति" से कागजपत्र के रूप में प्रदर्शित अथवा प्रदर्शन योग्य माल या सेवाओं के लिए किसी व्यापार चिह्न की समाकृति अभिप्रेत है और इसमें डिजिटाइज्ड स्वरूप में किया गया प्रदर्शन भी शामिल है;

(ड) "जर्नल" से महानियंत्रक, एकस्व अभिकल्प और व्यापार चिह्न के शासकीय वेबसाइट पर उपलब्ध व्यापार चिह्न जर्नल अभिप्रेत है;

(ढ) "अधिसूचित तारीख" से यह तारीख अभिप्रेत है जिसको ये नियम प्रवृत्त होते हैं;

(ण) "पुरानी विधि" से अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व विद्यमान व्यापार और पण्य वस्तु चिह्न अधिनियम, 1958 और उसके अधीन बनाए गए नियम अभिप्रेत है;

(त) "विरोध" से यथास्थिति किसी व्यापार चिह्न या सामुहिक चिह्न या प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई विरोध है;

(थ) "भारत में कारबार का मुख्य स्थान" से नियम 3 में यथा विनिर्दिष्ट भारत में कारबार का सुसंगत स्थान अभिप्रेत है;

- (द) "प्रकाशित करना" से व्यापार चिह्न जर्नल में प्रकाशित करना अथवा महानियंत्रक, एकस्व अभिकल्प और व्यापार चिह्न के शासकीय वेबसाइट पर उपलब्ध करना अभिप्रेत है;
- (घ) "रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न अभिकर्ता" से यह व्यापार चिह्न अभिकर्ता अभिप्रेत है जिसका नाम नियम 148 के अधीन रखे गए व्यापार चिह्न अभिकर्ता के रजिस्टर में वास्तव में प्रविष्टि है;
- (न) "नवीकरण" से यथास्थिति किसी व्यापार चिह्न या किसी प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न या समूहिक चिह्न के रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत है;
- (प) "अनुसूची" से इन नियमों की अनुसूची अभिप्रेत है;
- (फ) "धारा" से अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है;
- (ब) "विनिर्देश" से उस माल या सेवाओं का अभिधान अभिप्रेत है जिनके संबंध में व्यापार चिह्न या व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता का रजिस्ट्रीकरण किया जाता है या किए जाने की प्रस्थापना की जाती है;
- (भ) उस सभी अन्य शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में या माल का भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999(1999 का 48), प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 (1957 का 14) में परिभाषित है, वे ही अर्थ होंगे जो कि उन अधिनियमों में क्रमशः उनके हैं।

(2) इन नियमों में, अन्यथा उपदर्शित के सिवाय, किसी धारा के प्रति निर्देश अधिनियम में उस धारा के प्रति निर्देश है, किसी नियम के प्रति निर्देश उन नियमों में उस नियम के प्रति निर्देश है, किसी अनुसूची के प्रति निर्देश इन नियमों की उस अनुसूची के प्रति निर्देश है और किसी प्ररूप के प्रति निर्देश यथास्थिति, इन नियमों की द्वितीय या तृतीय अनुसूची में वर्णित उस प्ररूप के प्रति निर्देश है।

3. **भारत में कारबार का मुख्य स्थान-** भारत में कारबार के मुख्य स्थान से निम्नलिखित अभिप्रेत है-

- (i) जहां कोई व्यक्ति व्यापार चिह्न से संबद्ध माल या सेवाओं का कारबार करता है वहां-
- (क) यदि कारबार भारत में केवल एक ही स्थान में किया जाता है, तो वह स्थान,
- (ख) यदि कारबार भारत में एक से अधिक स्थानों पर किया जाता है तो वह स्थान, जिसका वह व्यक्ति भारत में कारबार के मुख्य स्थान के रूप में उल्लेख करें;
- (ii) जहां कोई व्यक्ति किसी व्यापार चिह्न से संबद्ध माल या सेवाओं का कारबार नहीं करता है, वहां
- (क) यदि वह भारत में कोई अन्य कारबार केवल एक स्थान में कर रहा है, तो वह स्थान,
- (ख) यदि वह भारत में कोई अन्य कारबार एक से अधिक स्थानों में कर रहा है, तो वह स्थान, जिसका वह भारत में कारबार के मुख्य स्थान के रूप में उल्लेख करें; और
- (iii) जहां कोई व्यक्ति भारत में कोई कारबार नहीं करता है किन्तु उसका भारत में निवास स्थान है, वहां भारत में ऐसा निवास स्थान।

4. **व्यापार चिह्न रजिस्ट्री का समुचित कार्यालय-** धारा 18 के अधीन व्यापार चिह्न रजिस्ट्रीकरण के लिए या धारा 21 के अधीन विरोध की सूचना देने या धारा 47 के अधीन किसी व्यापार चिह्न को हटाने के लिए या धारा 57 के अधीन किसी व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने या उसमें परिवर्तन करने के लिए या अधिनियम या नियमों के अधीन किन्हीं अन्य कार्यवाहियों के लिए आवेदन करने के प्रयोजनों के लिए "व्यापार चिह्न रजिस्ट्री का समुचित कार्यालय"-

(क) अधिसूचित तारीख को व्यापार चिह्न रजिस्टर में किसी व्यापार चिह्न के संबंध में रजिस्ट्री का वह कार्यालय होगा जिसकी राज्य क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर-

- (i) ऐसी तारीख को रजिस्टर में यथाप्रविष्ट व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी का भारत में कारबार का मुख्य स्थान स्थित है,

- (ii) जहां रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी के भारत में कारबार के मुख्य स्थान के बारे में रजिस्टर में कोई प्रविष्टि नहीं है, वहां ऐसी तारीख को रजिस्टर में यथाप्रविष्टि भारत में तामील के लिए पते में उल्लिखित स्थान स्थित है;
- (iii) संयुक्त रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारियों के मामले में उस स्वत्वधारी का भारत में कारबार का मुख्य स्थान स्थित है जिसका नाम ऐसी तारीख को भारत में ऐसे कारबार का स्थान रखने वाले के रूप में रजिस्टर में सबसे पहले प्रविष्टि किया जाता है;
- (iv) जहां संयुक्त रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारियों में से किसी को भी भारत में मुख्य स्थान रखने वाले के रूप में रजिस्टर में नहीं दिखाया जाता है, वहां ऐसी तारीख को रजिस्टर में यथाप्रविष्टि संयुक्त स्वत्वधारियों के भारत में तामील के लिए पते में उल्लिखित स्थान स्थित है;
- (v) यदि व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी का या संयुक्त रजिस्ट्रीकरण की दशा में व्यापार चिह्न के संयुक्त स्वत्वधारियों में से किसी का भारत में कारबार का कोई मुख्य स्थान रजिस्टर में प्रविष्टि नहीं है और रजिस्टर में भारत में तामील के लिए कोई पता नहीं दिया गया है, तो व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के कार्यालय का वह स्थान जहां व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया था, स्थित है; और

(ख) उस व्यापार चिह्न के संबंध में, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण कोई आवेदन अधिसूचित तारीख को लंबित है या अधिसूचित तारीख को या उसके पश्चात् किया गया है व्यापार चिह्न रजिस्ट्री का वह कार्यालय जिसकी राज्यक्षेत्रीय सीमाओं के भीतर-

- (i) आवेदक के आवेदन में प्रकट किए गए रूप में आवेदक का भारत में कारबार का मुख्य स्थान या संयुक्त आवेदकों की दशा में, उस आवेदक का भारत में कारबार का मुख्य स्थान स्थित है जिसका नाम कारबार का ऐसा स्थान रखने वाले के रूप में आवेदन में सबसे पहले उल्लिखित है;
- (ii) जहां यथास्थिति, न तो आवेदक का और न संयुक्त आवेदकों में से किसी का भारत में कारबार का मुख्य स्थान है वहां आवेदन में, यथा विनिर्दिष्ट भारत में तामील के लिए पते में उल्लिखित स्थान स्थित है;

5. कारबार के मुख्य स्थान में या तामील के लिए पते में परिवर्तन के कारण समुचित कार्यालय की अधिकारिता में परिवर्तन न होना-किसी ऐसे परिवर्तन से जो-

- (1) अधिसूचित तारीख को रजिस्टर में किसी व्यापार चिह्न के संबंध में किसी रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी के या संयुक्त रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारियों में से किसी के भारत में कारबार के मुख्य स्थान में या भारत में तामील के लिए पते में, उस तारीख के पश्चातवर्ती किया गया है या प्रभावी किया गया है, या
- (2) किसी व्यापार चिह्न के संबंध में, जिसके रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आवेदन अधिसूचित तारीख को लंबित है या उस तारीख को अथवा उसके पश्चात् किया गया है रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदक के या रजिस्ट्रीकरण के लिए संयुक्त आवेदकों में से किसी के भारत में कारबार के मुख्य स्थान में या भारत में तामील के लिए पते में, यथास्थिति, उस तारीख को या ऐसा आवेदन फाइल करने की तारीख को किया गया या प्रभावी किया गया है, व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय की अधिकारिता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

6. रजिस्टर में समुचित कार्यालय की प्रविष्टि- अधिसूचित तारीख को या उसके पश्चात् रजिस्टर में किए गए प्रत्येक व्यापार चिह्न के संबंध में रजिस्ट्रार रजिस्टर में व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय की प्रविष्टि कराएगा और रजिस्ट्रार इस प्रकार की गई प्रविष्टि में किसी भी समय कोई गलती ठीक कर सकेगा।

7. लंबित आवेदन और कार्यवाहियों का व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के समुचित कार्यालयों को हस्तांतरित करना- व्यापार चिह्न के संबंध में अधिसूचित तारीख को रजिस्ट्रार के समक्ष लंबित प्रत्येक आवेदन और कार्यवाही की बाबत यह समझा जाएगा कि वह व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय को हस्तांतरित करा दी गई है।

8. दस्तावेजों को छोड़ना, आदि- अधिसूचित तारीख को व्यापार चिह्न रजिस्ट्रार में किसी व्यापार चिह्न के संबंध में, जिसके रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आवेदन लंबित है, अधिनियम या नियमों द्वारा प्राधिकृत या अपेक्षित सभी आवेदन रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय में किए जाएंगे, सूचनाओं की तामील वहां की जाएगी, विवरण या अन्य दस्तावेज वहां दिए या भेजे जाएंगे, या फीस का संदाय वहां किया जाएगा।

परन्तु रजिस्ट्रार जर्नल में अधिसूचना जारी कर व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के अतिरिक्त कोई प्ररूप या दस्तावेज व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के किसी अन्य कार्यालय में दाखिल करने की अनुमति दे।

9. **सूचनाओं आदि का जारी किया जाना-** अधिनियम या नियमों के अधीन किसी आवेदन, विषय या कार्यवाही से संबंधित सूचना या संसूचना अध्यक्ष या रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जारी की जा सकेगी।

10. **फीस- (1)** अधिनियम और नियमों के अधीन आवेदनों, विरोधों, रजिस्ट्रीकरण, नवीकरण, त्वरित परीक्षा या रिपोर्टों या किन्हीं अन्य विषयों के संबंध में संदत्त जाने वाली फीसों, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् निर्दिष्ट फीस कहा गया है, वे होंगी जो कि प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) जहां किसी विषय के संबंध में नियमों के अधीन फीस संदत्त जानी अपेक्षित है, वहां उससे संबंधित प्ररूप या आवेदन या प्रार्थना या याचिका के साथ विहित फीस होगी।

(3) फीस नकद दी जा सकेगी या व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रार को संबोधित मनीआर्डर से या अनुसूचित बैंक द्वारा बैंक ड्राफ्ट द्वारा या उक्त बैंक पर बैंकर्सचैक द्वारा उस स्थान पर, जहां व्यापार चिह्न रजिस्ट्री का समुचित कार्यालय अवस्थित है, भेजी जा सकेगी और यदि वह डाक द्वारा भेजी जाती है तो उस समय संदत्त की गई समझी जाएगी जब मनीआर्डर या उचित रूप से संबोधित बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्सचैक कार्यालय में प्राप्त होगा।

(4) बैंक ड्राफ्ट और बैंकर्सचैक रेखांकित होंगे और व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय में रजिस्ट्रार को संदेय होंगे और इन्हें उस स्थान के अनुसूचित बैंक पर लिखा जाएगा जहां कि व्यापार चिह्न रजिस्ट्री का समुचित कार्यालय अवस्थित है।

(5) जहां किसी दस्तावेज के फाइल करने के संबंध में कोई फीस संदेय है और जहां दस्तावेज बिना फीस के या अपर्याप्त फीस के साथ फाइल किया जाता है, वहां यह समझा जाएगा कि ऐसा दस्तावेज इन नियमों के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के प्रयोजनों के लिए फाइल नहीं किया गया है।

(6) रजिस्ट्रार जनता को जर्नल में अथवा शासकीय वेबसाइट पर साधारण सूचना देने के पश्चात् ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों और अनुदेशों के अधीन रहते हुए, जो इस निमित्त विनिर्दिष्ट किए जाएं, इलैक्ट्रानिक फीस अन्तरण सुविधाएं उपलब्ध करा सकेगा।

11. **प्ररूप-** (1) द्वितीय और तृतीय अनुसूचियों में दिए प्ररूपों का उपयोग उन सभी मामलों में किया जाएगा जिनमें वे लागू होते हैं और अन्य मामलों में लागू करने के लिए उन्हें रजिस्ट्रार के निर्देशों के अनुसार उपांतरित किया जा सकेगा।

(2) कोई प्ररूप जब व्यापार चिह्न रजिस्ट्री में फाइल किया जाएगा तब उसके साथ विहित फीस होगी।

(3) अनुसूची में दिए गए किसी प्ररूप के उपयोग के लिए इस नियम के अधीन किसी अपेक्षा को उस प्ररूप की प्रतिकृति के उपयोग द्वारा पूरा किया जाता है जिसमें वह सूचना अंतर्विष्ट हो जो दिए गए प्ररूप द्वारा अपेक्षित हो और ऐसे प्ररूप के उपयोग के लिए किसी निदेश का अनुपालन करती हो।

(4) रजिस्ट्रार जनता को जर्नल में अथवा शासकीय वेबसाइट पर जनता को सूचना देने के पश्चात् ऐसे प्ररूपों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा जो इलैक्ट्रानिक तरीके से प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित हों। उसके पश्चात् ऐसे प्ररूपों को ऐसी रीति में पूरा किया जाएगा जो कंप्यूटर में अर्न्तवस्तु के निवेश को स्वतः ही जैसे संप्रतीक अभिज्ञान या क्रमवीक्षण द्वारा अनुज्ञात करने के लिए विनिर्दिष्ट किया जा सके।

12. **दस्तावेज का आकार आदि—(1)** किन्हीं अन्य ऐसे निदेशों के जो रजिस्ट्रार द्वारा दिए जाएं, अधीन रहते हुए, व्यापार चिह्नों को छोड़कर वे सभी आवेदन, नोटिसें, विवरण या अन्य दस्तावेज, जो व्यापार चिह्न रजिस्ट्री को या वहां या रजिस्ट्रार के पास या उसको किए जाने, तामील किए जाने, छोड़े जाने या भेजे जाने या संदत्त किए जाने के लिए अधिनियम या नियमों द्वारा प्राधिकृत या अपेक्षित है, A-4 या वैश्विक आकार के मजबूत कागज पर केवल एक ओर गहरी अमिट स्याही में सुपाठ्य अक्षरों में अंग्रेजी और हिन्दी में टाइप किए या कम्प्यूटर प्रिंट आउट किए जाएंगे और कागज में बाई ओर कम से कम चार सेंटीमीटर का हाशिया होगा।

(2) यदि रजिस्ट्रार किसी समय अपेक्षा करता है तो दस्तावेजों की दूसरी प्रतियां, जिनके अन्तर्गत व्यापार चिह्नों की प्रतियां भी है, व्यापार चिह्न रजिस्ट्री में फाइल की जाएंगी।

(3) रजिस्ट्रार जर्नल में जनता को सूचित करने के पश्चात् सभी आवेदनों, सूचनाओं, विवरणों या अन्य दस्तावेजों और प्ररूपों के, जो नियमों के अधीन इलैक्ट्रानिक रीति से समरूप बनाए जाने के लिए अपेक्षित हैं, आकार में परिवर्तन कर सकेगा।

(4) रजिस्ट्रार, जर्नल में जनता को सूचना दिए जाने के पश्चात् आवेदनों, सूचनाओं, विवरणों और अन्य दस्तावेजों को इलैक्ट्रानिक रीति द्वारा ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों और अनुदेशों के अधीन रहते हुए, जो वह जर्नल में विनिर्दिष्ट करे, फाइल करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

13. **दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना—(1)** किसी ऐसे दस्तावेज पर जो भागीदारी फर्म द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने के लिए तात्पर्यित है, भागीदारों में से कम से कम एक भागीदार द्वारा यह कथन करते हुए हस्ताक्षर किए जाएंगे कि वह फर्म की ओर से हस्ताक्षर कर रहा है और ऐसे दस्तावेज पर जो निगम निकाय द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने के लिए तात्पर्यित है, किसी निगम निकाय के निदेशक द्वारा या सचिव द्वारा या अन्य मुख्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे वह हैसियत, जिसमें कोई व्यक्ति भागीदारी या निगमित निकाय की ओर से किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करता है, उसके हस्ताक्षर के नीचे उल्लिखित की जाएगी।

(2) किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षरों के साथ हिन्दी में या हस्ताक्षर अंग्रेजी में हैं, तो बड़े अक्षरों में हस्ताक्षरकर्ता का नाम होगा।

(3) दस्तावेज ऑनलाइन फाइल करने की स्थिति में "हस्ताक्षरित" कहने में डिजिटल हस्ताक्षर सम्मिलित है।

14. **दस्तावेजों की तामील—(1)** रूपण चिपके हुए सभी आवेदन, सूचनाएं, विवरण, कागजपत्र या अन्य दस्तावेज, जो व्यापार चिह्न रजिस्ट्री को या वहां या रजिस्ट्रार या किसी अन्य व्यक्ति के पास या उसको किए जाने, तामील किए जाने, छोड़ जाने या भेजे जाने के लिए अधिनियम या नियमों द्वारा प्राधिकृत या अपेक्षित हैं, हाथ से दिए या डाक से ऐसे पत्र द्वारा भेजे जा सकेंगे जिसके लिए डाक महसूल दे दिया गया है अथवा रजिस्ट्रार द्वारा निर्दिष्ट तरीके से इलैक्ट्रानिक रूप में दाखिल किए जा सकेंगे।

(2) इस प्रकार भेजा गया कोई आवेदन या कोई दस्तावेज उस समय किया गया तामील किया गया व छोड़ दिया गया या भेज दिया गया समझा जाएगा जब वह पत्र जिसमें वह आवेदन या दस्तावेज है, डाक से साधारण अनुक्रम में परिदत्त कर दिया जाता।

(3) ऐसा भेजा जाना साबित करना पर्याप्त होगा कि पत्र पर उचित रूप से पता लिख कर उसे डाक में डाल दिया गया था।

(4) व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के पास कोई आवेदन फाइल करने के पश्चात् कोई व्यक्ति उससे संबंधित पत्राचार करते समय निम्नलिखित विशिष्टियां देगा, अर्थात्:-

(क) आवेदन की संख्या या संख्याएं, यदि कोई हो;

(ख) फाइल करने की तारीख और स्थान;

(ग) यथास्थिति, समुचित वर्ग या कोई वर्ग, जिसके या जिनके संबंध में आवेदन किया गया हो।

(घ) संसूचना के लिए पता; और

(ङ) संबंधित अभिकर्ता का कोड, यदि कोई हो, और संबंधित स्वत्वधारी का कोड, यदि आबंटित किया गया हो।

(5) रजिस्ट्रार जर्नल में अथवा शासकीय वेबसाइट पर साधारण जनता को सूचित करने के पश्चात् इस उद्देश्य के लिए प्रदत्त गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन, सूचना, कथन या अन्य दस्तावेज, अथवा उन दस्तावेजों जिनके लिए किसी फीस का संदाय अपेक्षित नहीं है, इस उद्देश्य के लिए प्राधिकृत ई-मेल के माध्यम से स्वीकार कर सकेगा।

15. **आवेदकों और अन्य व्यक्तियों के पतों की विशिष्टियां—(1)** आवेदकों और अन्य व्यक्तियों के पूरे नाम और पते दिए जाएंगे और उसके साथ उनकी राष्ट्रीयता, अजीविका और ऐसी अन्य विशिष्टियां होंगी जो उनकी पहचान के लिए आवश्यक है।

(2) किसी फर्म की दशा में, उसके प्रत्येक भागीदार के पूरे नाम और राष्ट्रीयता का कथन किया जाएगा।

(3) कन्वेंशन देश में किसी आवेदन की दशा में और भारत में कारबार का कोई मुख्य स्थान न रखने वाले व्यक्तियों की दशा में, उनके अपने देश में उनके पते भारत में तामील के लिए उनके पते के अतिरिक्त दिए जाएंगे।

(4) किसी निगम निकाय या फर्म की दशा में, यथास्थिति, निगमन देश या रजिस्ट्रीकरण की प्रकृति दी जाएगी।

16. किसी आवेदन में भारत में कारबार के मुख्य स्थान का कथन- (1) व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन में आवेदक के भारत में कारबार के मुख्य स्थान का, यदि कोई हो, या संयुक्त आवेदकों की दशा में, संयुक्त आवेदकों में से ऐसे आवेदकों के, जिनका भारत में कारबार का मुख्य स्थान है, ऐसे कारबार के मुख्य स्थान का उल्लेख किया जाएगा।

2) नियम 17, 18, और 20 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में किसी आवेदक को, संयुक्त आवेदकों की दशा में संयुक्त आवेदक को आवेदन में उसके द्वारा दिए गए उसके भारत में कारबार के मुख्य स्थान के पते पर कोई लिखित संसूचना संबोधित की जाती है तो वह उचित रूप से संबोधित की गई समझी जाएगी।

17. तामील के लिए पता- (1) भारत में तामील के लिए पता-

(क) व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक ऐसे आवेदक द्वारा दिया जाएगा, जिसका भारत में कारबार का कोई मुख्य स्थान नहीं है;

(ख) किसी व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए संयुक्त आवेदकों की दशा में, यदि उनमें से किसी का भी भारत में कारबार का मुख्य स्थान नहीं है, दिया जाएगा;

(ग) व्यापार चिह्न के ऐसे स्वत्वधारी, जिसका रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने की तारीख को भारत में अपना कारबार का मुख्य स्थान था किन्तु पश्चातवर्ती उसका ऐसा स्थान नहीं रहा है, दिया जाएगा,

(घ) प्रत्येक आवेदक द्वारा फाइल अधिनियम या नियमों के अधीन किसी कार्यवाही में और विरोध की सूचना फाइल करने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा, जिसका भारत में कारबार का मुख्य स्थान नहीं है, दिया जाएगा, और

(ङ) प्रत्येक व्यक्ति द्वारा, जिसको नियम 101 के अधीन मध्यक्षेप करने की इजाजत दी गई थी।

(2) यदि किसी व्यक्ति को भारत में तामील के लिए उसके द्वारा दिए गए पते पर पूर्वोक्त रूप से लिखित संसूचना संबोधित की जाती है तो वह उचित रूप से संबोधित की गई समझी जाएगी।

(3) जब तक कि उपनियम (1) में अपेक्षित रूप में भारत में तामील के लिए कोई पता नहीं दिया जाता है तब तक रजिस्ट्रार अधिनियम या नियमों के द्वारा अपेक्षित रूप में कोई सूचना भेजने के लिए बाध्य नहीं होगा और कार्यवाहियों में कोई पश्चातवर्ती आदेश या विनिश्चय इस आधार पर प्रश्रुत नहीं किया जाएगा कि सूचना की तामील में कोई कमी थी उसको तामील नहीं की गई थी।

18. आवेदन और विरोध संबंधी कार्यवाहियों में तामील के लिए पता- व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आवेदक या विरोध की सूचना फाइल करने वाला कोई विरोधकर्ता इस बात के होते हुए भी कि उसका भारत में कारबार का मुख्य स्थान है, रजिस्ट्रार से यदि वह ऐसा चाहे तो, विनिर्दिष्ट रूप से लिखित में अनुरोध कर सकेगा और भारत में ऐसा पता दे सकेगा जिस पर ही आवेदन या विरोध संबंधी कार्यवाहियों के संबंध में संसूचनाएं भेजी जा सकेंगी। आवेदक या विरोधकर्ता का ऐसा पता, जब तक कि बाद में रद्द नहीं कर दिया जाता है, तब तक, यथास्थिति, आवेदक या विरोधी को वास्तविक पता समझा जाएगा और आवेदन अथवा विरोध की सूचना से संबंधित सभी संसूचनाओं और दस्तावेजों को तामील, यथास्थिति, आवेदक या विरोध के ऐसे पते पर उन्हें परिदत्त करके या डाक द्वारा भेजकर की जा सकेगी।

19. रजिस्ट्रार द्वारा दस्तावेज संप्रेषण- (1) आवेदन या विरोध मामले या रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न से संबंधित सभी संवाद और दस्तावेज रजिस्ट्रार द्वारा संबद्ध पक्ष के पते पर पहुँचाया या डाक द्वारा भेजा जाएगा अथवा ई-मेल द्वारा प्रेषित किया जाएगा।

(2) इस प्रकार प्रेषित कोई संवाद या दस्तावेज उस पत्र के डाक की साधारण प्रक्रिया द्वारा प्रदान किए जाने अथवा ई-मेल द्वारा भेजे जाने के समय प्रदान किया गया माना जाएगा।

(3) इसे प्रदान किया हुआ प्रमाणित करने के लिए, यह प्रमाणित करना पर्याप्त होगा कि पत्र पर उपयुक्त पता लिखकर उसे डाक में दिया गया है या संबद्ध पत्र द्वारा प्रदत्त ई-मेल आईडी पर ई-मेल संप्रेषण किया गया है।

20. अधिकरण—(1) धारा 145 के प्रयोजनों के लिए किसी अभिकर्ता का प्राधिकार प्ररूप व्या. चि.-एम में निष्पादित किया जाएगा।

(2) ऐसे प्राधिकार की दशा में कार्यवाही या मामले से संबंधित किसी दस्तावेज की अभिकर्ता पर तामील, उसे इस प्रकार प्राधिकृत करने वाले व्यक्ति पर तामील समझी जाएगी; कार्यवाही या मामले की बाबत ऐसे व्यक्ति को की जाने के लिए निर्दिष्ट सभी संसूचनाएं, ऐसे अभिकर्ता को संबोधित की जाएंगी, और रजिस्ट्रार के समक्ष उससे संबंधित सभी हाजिरियां ऐसे अभिकर्ता द्वारा या उसकी मार्फत की जा सकेंगी।

(3) किसी विशिष्ट मामले में रजिस्ट्रार किसी आवेदक, विरोधकर्ता, स्वत्वधारी, रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता या अन्य व्यक्ति के व्यक्तिगत हस्ताक्षर या उसकी उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा।

(4) अभिकर्ता द्वारा कार्यवाही से अथवा किसी अन्य कार्य से जिसके लिए वह प्राधिकृत हो प्रतिहरण के मामले में, ऐसे आवेदन या विरोध के संदर्भ में जहाँ भारत में व्यवसाय का कोई मूल स्थान उल्लिखित न हो, आवेदक या विरोधकर्ता वैसे प्रतिहरण की तारीख से दो माह की अवधि के भीतर भारत में सेवार्थ पता प्रदान करेगा। यदि वह उस अवधि के भीतर भारत में सेवार्थ पता प्रदान करने में असफल रहता है तो यह माना जाएगा कि उसने आवेदन या विरोध, यथास्थिति, का परित्याग कर दिया है।

(5) उस आवेदन या विरोध के संदर्भ में, जहाँ भारत में व्यवसाय का मूल स्थान उल्लिखित ना हो, आवेदक या विरोधकर्ता द्वारा प्राधिकार के प्रतिसंहरण के मामले में, आवेदक या विरोधकर्ता, जैसा भी संदर्भ हो, उस प्रतिसंहरण से दो महीने की अवधि के भीतर भारत में सेवार्थ पता उपलब्ध कराएगा। यदि वह उस अवधि के भीतर भारत में सेवार्थ पता प्रदान करने में असफल रहता है तो यह माना जाएगा कि उसने आवेदन या विरोध, यथास्थिति, का परित्याग कर दिया है।

21. माल और सेवाओं का वर्गीकरण—(1) व्यापार चिह्नों के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए माल और सेवाएं उस रीति में वर्गीकृत की जाएगी जो विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन (वायपो) द्वारा प्रकाशित "माल और सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण (एनआईसीई वर्गीकरण)" की वर्तमान संस्करण में विनिर्दिष्ट है।

(2) रजिस्ट्रार, यथासाध्य, माल और सेवाओं के वर्गीकरण की वर्णक्रम अनुक्रमणिका में भारतीय मूल के माल या सेवाओं की पहचान करेगा और उन्हें सम्मिलित करेगा।

22. सुभिन्नता के बारे में रजिस्ट्रार द्वारा प्रारंभिक सलाह—(1) धारा 133 की उप-धारा (1) के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा प्रारंभिक सलाह के लिए कोई आवेदन माल या सेवाओं के संबंध में **नियम 21 के उप नियम (2)** के तहत रजिस्ट्रार द्वारा यथा प्रकाशित और प्रथम अनुसूची की **प्रविष्टि संख्या 45** में यथा निर्दिष्ट फीस के साथ प्ररूप **ब्या. चि.-एम** में किया जाएगा और उसके साथ व्यापार चिह्न के तीन व्यपदेशन होंगे।

23. कोई व्यक्ति रजिस्ट्रार से प्ररूप- (1) ब्या. चि.-सी में तलाशी करवाने के लिए और प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 (1957 का 14) की धारा 45 की उप-धारा (1) के अधीन इस प्रभाव का प्रमाणपत्र जारी करने के लिए निवेदन कर सकेगा कि ऐसी कलात्मक कृति के जिसे प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 (1957 का 14) के अधीन प्रतिलिप्यधिकार के रूप में रजिस्ट्रीकृत कराने के लिए चाहा गया है, तदरूप या इतना समरूप जिससे धोखा हो जाए, कोई व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 (1999 का 47) के अधीन व्यापार चिह्न के रूप में आवेदक से भिन्न किसी व्यक्ति के नाम में रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया है या कि आवेदक से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा पुनः रजिस्ट्रीकरण के लिए उस अधिनियम के अधीन कोई आवेदन नहीं किया गया है। प्रमाणपत्र सामान्यतः निवेदन की तारीख से कार्यकरण के तीस दिन के भीतर जारी किए जाएंगे;

परन्तु तथापि, रजिस्ट्रार आवेदक से अपेक्षाओं के विवरण के लिए मांग कर सकेगा और यदि अपेक्षाओं का उस विवरण के ऐसे मांगे जाने की तारीख से दो मास के भीतर अनुपालना नहीं किया जाता है तो प्ररूप **ब्या. चि.-सी** पर उस निवेदन के बारे में यह माना जा सकेगा कि उसका परित्याग कर दिया गया है।

(2) रजिस्ट्रार ऊपर वर्णित उपनियम (3) के अधीन जारी किए गए प्रमाणपत्र को सूचना देने और उन आधारों का कथन करने के पश्चात् जिन पर रजिस्ट्रार प्रमाणपत्र को रद्द करने की प्रस्थापना करता है और सुनवाई के लिए युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्, रद्द कर सकेगा।

(3) उपनियम (3) के परन्तुक या उपनियम (4) के अधीन रहते हुए, रजिस्ट्रार ऐसी तलाशी के लिए सामान्य फीस की पांच गुणी फीस के संदाय पर प्ररूप **ब्या. चि.-सी** में प्राप्त निवेदन पर प्रतिलिप्यधिकार अधिकार, 1957 (1957 का 14) की धारा 45 की उप-धारा (1) के अधीन त्वरित प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(4) यथास्थिति, प्ररूप **व्या. चि.-सी** में उस निवेदन का परित्याग करने से पूर्व मांगी गई अपेक्षाओं के विवरण की अनुपालना के लिए रजिस्ट्रार उस मामले में सुनवाई के अवसर की प्रस्थापना करेगा।

अध्याय 2

व्यापार चिह्नों के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया

24. आवेदन का प्ररूप और हस्ताक्षर करना- (1) व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रार को किए गए आवेदन पर आवेदक या उसके अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और **व्या.चि.-ए** पर द्वितीयक रूप में दाखिल किया जाएगा; साथ ही आवेदन इस प्रयोजन के लिए प्रदत्त गेटवे के माध्यम से **व्या.चि.-ए** पर ऑनलाइन भी दाखिल किया जा सकता है।

(2) माल या सेवाओं के लिए किसी व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन में-

(क) व्यापार चिह्न को, यदि आवश्यक हो तो, पर्याप्त सक्षमता के साथ शब्दों में वर्णित करके स्पष्ट किया जाएगा ताकि आवेदक का अधिकार अवधारित किया जा सके;

(ख) व्यापार चिह्न का ग्राफीय नमूनों में चित्रण करने में समर्थ होगा;

(ग) इसे तीन विमाओं वाले व्यापार चिह्नों के रूप में समझा जाएगा, यदि आवेदन में इस आशय का विवरण अंतर्विष्ट है;

(घ) इसे रंग समंजन वाला व्यापार चिह्न समझा जाएगा, यदि आवेदन में इस आशय का विवरण अंतर्विष्ट है;

(3) धारा 22 के परंतुक के अधीन आवेदन को विभाजित करने के लिए प्ररूप **व्या.चि.-एम** में संशोधन किया जाएगा।

(4) यदि वह शृंखला व्यापार चिह्न नहीं है तो कितने भी वर्ग या वर्गों के माल या सेवाओं के लिए केवल एक व्यापार चिह्न की बाबत एक ही आवेदन किया जाएगा।

(5) किसी वर्ग में सम्मिलित सभी माल या सेवाओं या किसी वर्ग में माल या सेवाओं के किसी वृहत् किस्म की बाबत रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की दशा में रजिस्ट्रार उस आवेदन को स्वीकार करने से मना कर सकेगा अब तक कि उसका यह समाधान नहीं हो जाता है कि यह विनिर्देश उस चिह्न के उपयोग को न्यायसंगत ठहराता है जो आवेदक ने दिया है, या उसे वह देना चाहता है और यह तब जब वह रजिस्ट्रीकृत कर दिया जाता है;

बशर्ते कि व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करते समय आवेदन में लिखित माल और

सेवाओं के नाम, जहाँ तक संभव हो नियम 21 के उपनियम (2) के तहत रजिस्ट्रार द्वारा प्रकाशित माल और सेवाओं के वर्गीकरण के अनुरूप हो।

(6) जहाँ आवेदक एक से अधिक वर्गों के लिए एकल आवेदन फाइल करता है, और रजिस्ट्रार अवधारित करता है कि आवेदित माल या सेवा उन वर्ग या वर्गों के अतिरिक्त वर्ग या वर्गों के अंतर्गत आते हैं, वहाँ वह उस आवेदक को पहले से आवेदित वर्ग या वर्गों के माल या सेवाओं के विनिर्देश तक निबंधित कर सकेगा।

25. कन्वेंशन ठहराव के अधीन आवेदन—(1) जहाँ धारा 154 के अधीन किसी कन्वेंशन देश में सम्यक रूप से फाइल किए गए किसी व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी आवेदन के कारण पूर्विकता के अधिकार का दावा किया जाता है वहाँ रजिस्ट्री या व्यापार चिह्न कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र के लिए और उस आवेदन में चिह्न, देश या देशों में व्यापार चिह्न रजिस्ट्रीकरण के आवेदन के साथ फाइल किया जाएगा और आवेदन के फाइल करने की तारीख या तारीखों की विशिष्टियाँ और ऐसी अन्य विशिष्टियाँ, जो रजिस्ट्रार द्वारा अपेक्षित हों, सम्मिलित होंगी।

(2) जब तक कि रजिस्ट्रीकरण के लिए उस आवेदन को फाइल करने के समय ऐसा प्रमाण पत्र फाइल नहीं किया गया है आवेदन के अंतर्गत आने वाले उस आवेदन के फाइल करने की तारीख, देश, चिह्न की समाकृति और माल और सेवाओं को रजिस्ट्रार के समाधान के लिए प्रमाणित करते हुए या सत्यापित करते हुए ऐसे आवेदन के फाइल करने के दो मास के भीतर वह फाइल किया जाएगा।

(3) आवेदन में कन्वेंशन आवेदन के फाइल करने की तारीख, उस कन्वेंशन देश का नाम, जहाँ यह फाइल किया गया, क्रम सं., यदि कोई हो, और ऐसा कोई विवरण जिसमें यह उपदर्शित किया गया हो कि पूर्विकता का दावा किया गया है, सम्मिलित होंगे:

परन्तु जहाँ आवेदक ने उसी व्यापार चिह्न की बाबत धारा 154 के अधीन एक से अधिक पूर्विका दावे फाइल किए हैं, वहाँ रजिस्ट्रार, कन्वेंशन देश में किए गए पूर्वतर आवेदन की तारीख को, पूर्विका की तारीख के रूप में लेगा:

परन्तु यह और कि ऐसी पूर्विका तारीख कन्वेंशन आवेदन के तहत नहीं आने वाले मालों या सेवाओं के लिए अनुज्ञा नहीं होगी जो पहले निर्दिष्ट किए गए हैं,

परन्तु यह कि नियम 24 (1) के तहत दाखिल व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के आवेदन में उल्लिखित सभी मालों या सेवाओं के संदर्भ में केवल एकल पूर्विका का दावा किया जाय।

(4) जहाँ धारा 18 की उप-धारा (2) के अधीन माल या सेवाओं के एक या अधिक वर्गों के लिए कन्वेंशन देश से कोई एकल आवेदन फाइल किया जाता है वहाँ आवेदक सभी ऐसे वर्गों में आवेदन के फाइल करने की तारीख के लिए रजिस्ट्रार के समाधान के लिए पर्याप्त आधार सिद्ध करेगा।

26. आवेदन में उपयोगकर्ता का कथन- (1) जब तक कि व्यापार चिह्न का उपयोग करने की प्रस्थापना न की गई हो, व्यापार चिह्न को रजिस्ट्रीकृत करने के लिए आवेदन में उस कालावधि का, जिसके दौरान में और उस व्यक्ति का जिसने आवेदन में उल्लिखित माल या सेवाओं के संबंध में इसका उपयोग किया है, विवरण अंतर्विष्ट होगा।

(2) आवेदन की तारीख के पूर्व व्यापार चिह्न के उपयोग का दावा करने की स्थिति में आवेदक ऐसे उपयोग के समर्थन में सहायक दस्तावेज के साथ एक शपथ पत्र दाखिल करेगा।

27. चिह्न की समाकृति- (1) व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन में और जहाँ कि आवेदन की अतिरिक्त प्रतियां अपेक्षित हैं, वहाँ अन्य प्रतियों में चिह्न की समाकृति उस स्थान (8 सें.मी x 8 सें.मी.) से अधिक दी जाएगी जो कि आवेदन में उस प्रयोजन के लिए नियम है,

(2) जहाँ आवेदन में इस प्रभाव का एक कथन अंतर्विष्ट है कि आवेदक चिह्न के एक सुभिन्न विशेषता के रूप में रंगों के समन्वय का दावा करने का इच्छुक है, उस आवेदन के साथ चिह्न का रंग संयोजन प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) जहाँ आवेदन में इस प्रभाव का एक कथन शामिल है कि व्यापार चिह्न एक त्रिआयामी चिह्न है, उस चिह्न की प्रस्तुति में दो आयामी ग्राफिक या फोटोग्राफिक प्रस्तुति निम्न रूप में सम्मिलित होगी, अर्थात:-

(i) प्रदत्त प्रस्तुति में व्यापार चिह्न के तीन विभिन्न दृश्य शामिल होंगे;

(ii) जहाँ हालाँकि रजिस्ट्रार यह समझता है कि आवेदक द्वारा प्रदत्त चिह्न की प्रस्तुति में त्रिआयामी चिह्न के विवरण पूरी तरह प्रदर्शित नहीं किए गए हैं, वह आवेदक को दो महीने के भीतर उस चिह्न के पाँच पृथक दृश्य प्रस्तुत करने और उस चिह्न को शब्दों में वर्णित करने को कहेगा;

(iii) जहाँ रजिस्ट्रार यह समझता है कि उपबंध (ii) में इंगित चिह्न के विभिन्न दृश्य और/या वर्णन अब भी त्रिआयामी चिह्न के विवरणों का पर्याप्त प्रदर्शन नहीं कर रहा है, वह आवेदक को उस व्यापार चिह्न का नमूना उपलब्ध कराने को कहेगा।

(4) (i) जहाँ व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रार हेतु आवेदन में वस्तुओं के आकार या उसकी पैकिंग शामिल हो, प्रदत्त प्रस्तुति में उस चिह्न के पाँच पृथक दृश्य प्रस्तुत और उसका शाब्दिक विवरण शामिल होगा

(ii) यदि रजिस्ट्रार यह समझता है कि उपबंध (i) के चिह्न के विभिन्न दृश्य और विवरण अब भी वस्तुओं के आकार या उसकी पैकेजिंग के विवरणों का पर्याप्त प्रदर्शन नहीं करता है तो वह आवेदक को उस यथास्थिति वस्तु या पैकेजिंग का नमूना प्रस्तुत करने को कहेगा।

(5) जहाँ व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में व्यापार चिह्न के रूप में ध्वनि शामिल है, उसकी प्रस्तुति MP3 फॉर्मेट में दाखिल की जाएगी जो अधिकतम 30 सेकेण्ड की होगी और वैसे माध्यम में रिकॉर्ड की गई होगी जिसे आसानी और स्पष्टता से सुना जा सके और उसके साथ उसके नोटेशन की ग्राफीय प्रस्तुति भी होगी।

(6) यदि रजिस्ट्रार का चिह्न की किसी प्रस्तुति से समाधान नहीं होता है तो वह किसी भी समय दूसरी प्रस्तुति की अपेक्षा कर सकता है जो उसे समाधान कर सके और कार्यवाही के पहले आवेदन के साथ प्रतिस्थापित हो सके।

28. व्यापार चिह्नों की क्रमानुसार:- (1) जहाँ कि धारा 15 की उप-धारा (3) के अधीन व्यापार चिह्नों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया जाता है, वहाँ श्रृंखलाओं में के प्रत्येक व्यापार चिह्न की समाकृति की प्रतियाँ आवेदन के साथ नियम 27 में उपवर्णित रीति में भेजी जाएंगी। रजिस्ट्रार यदि इस बात से समाधान है कि वे चिह्न एक क्रम का अनुसरण करते हैं तो वह आवेदन पर आगे कार्यवाही करेगा।

(2) व्यापार चिह्न जनरल में आवेदन के प्रकाशन के पूर्व किसी भी समय उपनियम (2) के अधीन आवेदन करने वाला आवेदक उस अवधि के एक या अधिक चिह्नों की बाबत यथास्थिति प्रथम आवेदन या आवेदनों में उस आवेदन के विभाजन का प्ररूप **व्या. चि.-एम** पर निवेदन कर सकेगा और रजिस्ट्रार यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि निवेदित विभाजन धारा 15 की उप-धारा (3) के अनुरूप है उस आवेदन या आवेदनों को तदनुसार **प्रभागीय फीस** के भुगतान के बाद विभाजित करेगा।

29. लिप्यांतर और अनुवाद:- जहाँ किसी व्यापार चिह्न में एक या कई शब्द हिन्दी या अंग्रेजी लिपि से भिन्न लिपि हैं वहाँ आवेदक, आवेदन में प्रत्येक ऐसे शब्द का सटीक लिप्यांतर और अनुवाद अंग्रेजी या हिन्दी में प्रस्तुत करेगा और यह भी बताएगा कि वह शब्द किस भाषा से संबंधित है।

30. जीवित व्यक्तियों या हाल ही में मृतक व्यक्तियों के नाम और समाकृति- जहाँ वह किसी व्यक्ति का नाम या समाकृति व्यापार चिह्न में दी हुई है, वहाँ आवेदक अपने से यह अपेक्षा रजिस्ट्रार द्वारा किये जाने पर यथास्थिति उस अवस्था में, जिसमें कि वह व्यक्ति जीवित है, ऐसे व्यक्ति की उस अवस्था में, जिसमें कि उसकी मृत्यु उस तारीख के पूर्व बीस वर्ष के अन्दर हो गई थी, जिसको कि व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन दिया गया था, उसके वैद्य प्रतिनिधि को इस बात के लिए लिखित सम्मति कि उसके नाम या उसकी समाकृति का ऐसा उपयोग किया जा सकता है, रजिस्ट्रार को देगा और यदि ऐसी सम्मति नहीं दी जाती तो व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पर कोई कार्यवाही करने से रजिस्ट्रार इंकार कर सकेगा।

31. व्यापार चिह्न पर माल या सेवाओं का नाम या वर्णन:- (1) जहाँ किसी माल या सेवाओं का नाम या वर्णन व्यापार चिह्न में दिया हुआ है, वहाँ रजिस्ट्रार ऐसे दिए नाम या वर्णन वाले माल या सेवाओं से भिन्न किसी माल या सेवाओं के संबंध में ऐसे व्यापार चिह्न का रजिस्ट्रीकरण करने से इंकार कर सकेगा।

(2) जहाँ कि किसी माल या सेवाओं का नाम वर्णन व्यापार चिह्न में दिया हुआ है और वह नाम और वर्णन उपयोग में लाये जाने में परिवर्तित होता रहता है, वहाँ रजिस्ट्रार उन माल या सेवाओं और अन्य माल या सेवाओं के लिए चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए अनुज्ञा तब दे सकेगा जब कि आवेदक यह वचन दे कि नाम और वर्णन में परिवर्तन उस परिस्ति में किया जायेगा जिसमें कि वह नामांकित या वर्णित माल या सेवाओं से भिन्न ऐसी माल या सेवाओं पर उपयोग में लाया जाता है जो कि विनिर्देश के अंतर्गत आ जाती है; इस भांति दिया गया वचन आवेदन के उस विज्ञापन में सम्मिलित किया जायेगा जो कि जनरल में धारा 20 के अधीन किया जाता है।

32. कमियाँ- जहाँ नियम 10 के उपनियम (2) के अधीन किसी व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आवेदन अधिनियम या नियमों उपबंधों में से किन्हीं अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है वहाँ रजिस्ट्रार कमियों के उपचार के लिए आवेदक को उनकी सूचना भेजेगा और यदि उस सूचना की तारीख से एक मास के भीतर उसको इस प्रकार अधिसूचित किसी कमी का उपचार करने में असफल रहता है तो आवेदन को परित्यक्त समझा जाएगा।

33. अभिस्वीकृति का आवेदन:- (1) किसी माल या सेवाओं के बारे में व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन की प्राप्ति रजिस्ट्रार द्वारा अभिस्वीकृत की जाएगी। यह अभिस्वीकृति करने की रीति यह होगी कि आवेदक ने अपने आवेदन उस आवेदन की शासकीय संख्या देते हुए द्वितीयक रूप में दाखिल करे।

34. परीक्षण, स्वीकृति का विरोध, सुनवाई. (1) रजिस्ट्रार, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवेदन का परीक्षण कराएगा जहाँ पंजीकृत या पंजीकरण हेतु आवेदित पूर्व के व्यापार चिह्न में खोज भी संचालित की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आवेदित व्यापार चिह्न के समरूप या छद्म रूप से समान कोई चिह्न उसी वस्तु या सेवा या समान वस्तुओं या सेवाओं के संदर्भ में रिकॉर्ड में है या नहीं। आवेदन की स्वीकृति के पूर्व रजिस्ट्रार किसी भी समय पूर्व चिह्न के पुनः खोज सहित उस आवेदन का पुनः परीक्षण करवा सकता है, किन्तु वह ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है।

(2) यदि किसी व्यापार चिह्नों के रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन और आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले किसी साक्ष्य के प्रयोग या सुभिन्नता या किसी अन्य मामले पर विचार करते हुए, रजिस्ट्रार को आवेदन की स्वीकृति में कोई आपत्ति है। या वह उसे धारा 18 की उप-धारा (4) के तहत कुछ शर्तों, संशोधनों, सुधारों या सीमाओं के अधीन उसे स्वीकार करने का प्रस्ताव करता है, जैसा उसे उपयुक्त लगे, रजिस्ट्रार वह लिखित आपत्ति या प्रस्ताव एक परीक्षण रिपोर्ट के रूप में आवेदन को प्रेषित करेगा।

(3) यदि किसी व्यापार चिह्नों के रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन और आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले किसी साक्ष्य के प्रयोग या सुभिन्नता या किसी अन्य मामले पर विचार करते हुए, रजिस्ट्रार आवेदन को रजिस्ट्रीकरण हेतु पूर्णतया स्वीकार करता है, तो वह इस स्वीकृति की सूचना आवेदक को प्रेषित करेगा और धारा 20(1) के तहत उस आवेदन का विज्ञापन स्वीकृत रूप में कराएगा।

(4) यदि, परीक्षण रिपोर्ट की स्वीकृति की तारीख से एक महीने के भीतर आवेदक उस संवाद का प्रत्युत्तर देने या सुनवाई के लिए आवेदन करने में असफल रहता है तो रजिस्ट्रार उस आवेदन को परित्यक्त मान लेगा।

(5) उपर्युक्त समय के भीतर परीक्षण रिपोर्ट का प्रत्युत्तर प्राप्त होने की स्थिति में, उस पर सम्यक विचार किया जाएगा और यदि रजिस्ट्रार पंजीकरण हेतु आवेदन स्वीकार करें तो वह इस स्वीकृति की सूचना आवेदक को देगा और उस आवेदन को धारा 20 (1) के अधीन स्वीकृत रूप में विज्ञापित कराएगा।

(6) यदि परीक्षण रिपोर्ट का प्रत्युत्तर संतोषप्रद ना हो या जहाँ आवेदक ने सुनवाई का अनुरोध किया हो, रजिस्ट्रार आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और नियम 118 के अधीन उसका संचालन करेगा।

(7) आवेदक के सुनवाई की निश्चित तारीख को उपस्थित ना होना और कार्यालय को कोई आपत्ति प्राप्त न होने की स्थिति में, रजिस्ट्रार उस आवेदन को परित्यक्त मान लेगा।

(8) जहाँ आवेदक ने परीक्षण रिपोर्ट का प्रत्युत्तर उपर्युक्त अवधि के भीतर दाखिल किया है या सुनवाई में उपस्थित होकर अपना प्रतिवेदन दिया है, रजिस्ट्रार उपयुक्त आदेश पारित करेगा।

35. आवेदन का त्वरित निपटान- आवेदन की शासकीय संख्या रजिस्ट्रीकरण प्राप्त होने के बाद, आवेदक प्ररूप व्या.चि.-एम पर प्रथम अनुसूची में यथा निर्दिष्ट आवेदन शुल्क के पाँच गुणा का भुगतान कर व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण हेतु किए आवेदन के त्वरित निपटान का अनुरोध कर सकता है। वैसे आवेदन का त्वरित परीक्षण साधारणतया आवेदन दाखिल करने की तारीख से तीन महीने के भीतर किया जाएगा। तत्पश्चात्, निम्नलिखित कार्यवाहियाँ अर्थात् परीक्षण रिपोर्ट के प्रत्युत्तर पर विचार, कारण बताओ सुनवाई की तारीख तय करना, आदि अपेक्षित हो, आवेदन का प्रकाशन और उसका विरोध, यदि कोई हो, से आवेदन का अंतिम निपटान तक का कार्य भी त्वरित किया जाएगा। व्यापार चिह्न आवेदन के त्वरित निपटान की प्रक्रिया का अवधारण रजिस्ट्रार द्वारा किया जाएगा।

36. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन का प्रत्याहरण करने की नोटिस- व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन का प्रत्याहरण धारा 133 की उप-धारा (2) या नियम 24 के उपनियम (2) के अधीन करने की इस प्रयोजन से नोटिस कि आवेदन फाइल करने के अवसर पर दी गई किसी फीस का प्रतिदान करा लिया जाए नियम 34 के उपनियम (2) में वर्णित संसूचना की प्राप्ति की तारीख से एक मास के भीतर लिखित रूप में दी जाएगी।

37. रजिस्ट्रार का विनिश्चय—(1) रजिस्ट्रार में विनिश्चय नियम 34, 35 या नियम 39 के अधीन उसकी लिखित संसूचना आवेदक को दी जाएगी और यदि आवेदक ऐसे विनिश्चय की अपील करने का आशय रखता है, तो वह ऐसी संसूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर प्ररूप व्या. चि.-एम पर रजिस्ट्रार से यह अपेक्षा करने वाला आवेदन कर सकेगा कि रजिस्ट्रार अपने विनिश्चय के आधारों का और उन सामग्री का जिनका उपयोग उसने अपना विनिश्चय करने के लिए किया है, लिखित कथन दे।

(2) उस दशा में जिसमें कि रजिस्ट्रार ऐसी कोई अपेक्षाएं करता है आवेदक को जिनकी बाबत कोई आपत्ति नहीं है, आवेदक उन अपेक्षाओं का अनुवर्तन रजिस्ट्रार द्वारा उपनियम (1) के अधीन लिखित कथन दिए जाने से पूर्व करेगा।

(3) जिस तारीख को लिखित कथन उप-धारा (1) के अधीन आवेदक द्वारा प्राप्त होता है, वह तारीख अपील के प्रयोजन के लिए वह तारीख समझी जाएगी जिसको रजिस्ट्रार ने अपना विनिश्चय किया है।

38. आवेदन में शुद्धि और संशोधन- व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदक, अपने आवेदन में या तत्संबंधी किसी गलती को शुद्ध करने के लिए या अपने आवेदन में कोई संशोधन करने के लिए आवेदन उसके साथ विहित फीस देकर अपने आवेदन के प्रतिग्रहण के या तो पूर्व या पश्चात् किंतु चिह्न के रजिस्ट्रीकरण से पूर्व प्ररूप व्या. चि.-एम में कर सकेगा:

परन्तु ऐसा कोई संशोधन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जो मूल व्यापार चिह्न को सारभूत रूप से परिवर्तन करने या माल या सेवाओं के ऐसे नए विनिर्देश को रखने का प्रभाव रखता हो जो मूल आवेदन में समाविष्ट नहीं किया गया हो।

39. प्रतिग्रहण को रजिस्ट्रार द्वारा प्रत्याहृत कर लेना- (1) यदि रजिस्ट्रार को आवेदन के प्रतिग्रहण के संबंध में कोई आपत्ति आवेदन के प्रतिग्रहण के पश्चात् किंतु व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण से पूर्व इस आधार पर कि वह गलती से प्रतिग्रहीत कर लिया गया है, या उस चिह्न मामले की उन अवस्थाओं में प्रतिग्रहीत नहीं किया जाना चाहिए था, या रजिस्ट्रार यह प्रस्थापना करता है कि वह चिह्न केवल उन शर्तों, मर्यादाओं, विभाजनों के अधीन भी, या उन शर्तों या मर्यादाओं के जिन पर कि आवेदन प्रतिग्रहीत किया गया है अतिरिक्त या उससे भिन्न शर्तों पर रजिस्ट्रीकृत किया जाना चाहिए, तो रजिस्ट्रार ऐसी आपत्ति की लिखित संसूचना आवेदक को देगा।

(2) आवेदक जब तक कि रजिस्ट्रार की अपेक्षाओं का अनुपालन करने की दृष्टि से अपने आवेदन को संशोधन उपनियम (1) में वर्णित संसूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर या सुनवाई के लिए आवेदन नहीं कर देता है, आवेदन के प्रतिग्रहण की बाबत यह समझा जायेगा कि रजिस्ट्रार ने उसे प्रत्याहृत कर लिया है और आवेदन की बाबत ऐसी कार्यवाही की जायेगी मानो कि उसे प्रतिग्रहीत नहीं किया गया हो।

(3) जहां कि रजिस्ट्रार को आवेदक उपनियम (2) में वर्णित कालावधि के भीतर यह सूचित करता है कि मेरी यह वांछा है कि मेरी सुनवाई हो तो आवेदक को रजिस्ट्रार उस तारीख की सूचना देगा जिसको रजिस्ट्रार उसकी सुनवाई करेगा। जब तक कि आवेदक इससे अल्पकाल वाली सूचना के लिए सम्मति न हो जाये, ऐसी सुनवाई की तारीख सूचना की तारीख से कम से कम 15 दिन बाद की रखी जाएगी। आवेदक यह कथन कर सकेगा कि वह अपनी व वैयक्तिक सुनवाई कराना नहीं चाहता और वह वे बातें पेश कर सकेगा जिन्हें कि वह वांछनीय समझता है।

(4) रजिस्ट्रार आवेदक की सुनवाई के पश्चात् या यदि आवेदक ने कोई बातें उसके समक्ष लिखित रूप में पेश की है तो उन पर विचार करने के पश्चात् ऐसे आदेश दे सकेगा जैसे कि वह ठीक समझता है।

आवेदन का विज्ञापन

40. विज्ञापन की रीति—(1) व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन की बाबत धारा 20 की उप-धारा (1) में यह अपेक्षा की जाती है कि उसे विज्ञापित किया जाए या उस धारा की उप-धारा (2) द्वारा उसे पुनः विज्ञापित किया जाए उसे जरनल में विज्ञापित किया जाएगा।

41. आवेदन में शुद्धि या संशोधन करने की अधिसूचना- रजिस्ट्रार इस आवेदन की दशा में जिसे धारा 20 की उप-धारा (2) का खंड (ख) लागू है, उस सूरत में जिसमें कि वह ऐसा विनिश्चय करता है, आवेदन को पुनः विज्ञापित कराने के बजाय आवेदन की संख्या, वह वर्ग जिसमें वह किया गया है, आवेदक का नाम और उसके कारबार का भारत में मुख्य स्थान का पता, यदि कोई हो, या जहां आवेदन का कोई कारबार का भारत में मुख्य स्थान नहीं है वहां भारत में तामील के लिए उसका पता, उस जरनल की संख्या जिसमें यह विज्ञापित किया गया है और आवेदन में की गई शुद्धि या संशोधन उपवर्णित करने वाली अधिसूचना जरनल में दे सकेगा:

परन्तु व्यापार चिह्न के संदर्भ में विज्ञापन में त्रुटि, छोटी वर्तनी भूलों के अतिरिक्त माल के वर्णन, श्रेणी, व्यापार चिह्न के उपयोग का कथन के संदर्भ में या किसी बाबत में जिसे रजिस्ट्रार उपयुक्त समझे, वह पूर्व के विज्ञापन को निरस्त करते हुए उस व्यापार चिह्न का पुनः विज्ञापन करेगा।

42. चिह्न के विज्ञापन की विशिष्टियां देने के लिए रजिस्ट्रार से निवेदन- प्ररूप **ब्या. चि.-एम** में कोई व्यक्ति रजिस्ट्रार से यह निवेदन कर सकेगा कि रजिस्ट्रार उस जरनल की संख्या, तारीख की जानकारी दे जिसमें प्ररूप में विनिर्दिष्ट उस व्यापार चिह्न का विज्ञापन हुआ था जिसका रजिस्ट्रीकरण चाहा गया है और रजिस्ट्रार निवेदन करने वाले व्यक्ति को ऐसी विशिष्टियां देगा।

रजिस्ट्रीकरण का विरोध

43. विरोध की सूचना- (1) व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के विरोध की सूचना धारा 21 की उप-धारा (1) के अधीन जनता को जरनल उपलब्ध कराए जाने की तारीख जो रजिस्ट्रार द्वारा ही प्रमाणित की जाएगी, से तीन मास के अंदर या ऐसी और अवधि के अंदर जो कुल मिलाकर एक मास से अधिक नहीं होगी, प्ररूप **ब्या.चि.-ओ** में तीन प्रतियों में दी जाएगी। इस सूचना के अंतर्गत उन आधारों का कथन

होगा जिन पर विरोधी रजिस्ट्रीकरण पर आपत्ति करता है। यदि रजिस्ट्रीकरण का विरोध इस आधार पर किया जाता है कि प्रश्रास्पद व्यापार चिह्न पहले से ही रजिस्टर में के विद्यमान चिह्नों के सदृश है तो ऐसे व्यापार चिह्नों की रजिस्ट्रीकरण संख्याएं और उन जरनलों की, जिनमें उनका विज्ञापन किया जा चुका है, तारीखें भी दी जाएंगी।

(2) जहां विरोध की सूचना माल और सेवाओं के विभिन्न वर्गों के व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी एकल आवेदन की बाबत फाइल किया गया है, वहां प्रत्येक ऐसे वर्ग की बाबत उस पर फीस दी जाएगी जिसके संबंध में व विरोध फाइल किया जाता है।

(3) जहां कोई विरोध किसी एकल आवेदन की बाबत में केवल किसी विशिष्ट वर्ग या वर्गों के लिए धारा 18 की उप-धारा (2) के अधीन फाइल किया जाता है वहां शेष वर्ग या वर्गों के आवेदन पर रजिस्ट्रीकरण के लिए आगे की कार्यवाही तब तक नहीं होगी जब तक कि आवेदक द्वारा सम्भागीय फीस के साथ आवेदन के विभाजन के लिए कोई निवेदन प्ररूप **व्या.चि.-एम** में नहीं किया जाता है।

(4) जहां किसी व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी एकल आवेदन की बाबत किसी वर्ग या वर्गों में विरोध की सूचना फाइल नहीं की जाती है वहां ऐसे वर्ग या वर्गों की बाबत ऐसा आवेदन धारा 19 और धारा 23 की उप-धारा (1) के अध्याधीन होगा, उस आवेदन पर उस वर्ग या वर्गों में आवेदन के विभाजन के पश्चात् जिसकी बाबत कोई विरोध लंबित नहीं है रजिस्ट्रीकरण के लिए आगे कार्यवाही की जाएगी।

(5) विरोध की सूचना की एक प्रति समुचित कार्यालय द्वारा उसकी प्राप्ति के तीन मास के भीतर आवेदकों को रजिस्ट्रार द्वारा तामील कराई जाएगी:

परन्तु जहाँ आवेदक ने शासकीय वेबसाइट पर उपलब्ध विरोध की सूचना की प्रति के आधार पर प्रति-कथन पहले ही दाखिल कर दिया है, उस आवेदक को विरोध की सूचना की प्रति प्रेषित करने की अपेक्षा नहीं होगी।

44. विरोध की सूचना की अपेक्षाएं-

(1) विरोध की सूचना में निम्नलिखित अंतर्विष्ट होगा:-

(क) उस आवेदन की बाबत जिसके विरुद्ध विरोध दर्ज किया जाता है-

- (i) उस आवेदन की आवेदन संख्या जिसके विरुद्ध विरोध दर्ज किया जाता है;
- (ii) उस व्यापार चिह्न के आवेदन में सूचीबद्ध उन माल या सेवाओं का उपदर्शन जिसके विरुद्ध विरोध दर्ज किया जाता है; और
- (iii) व्यापार चिह्न के आवेदक का नाम।

(ख) उस पूर्वतर चिह्न या पूर्वतर अधिकार की बाबत जिस पर विरोध आधारित है-

- (i) जहां विरोध किसी पूर्वतर चिह्न पर आधारित है वहां उस प्रभाव का वर्णन और पूर्वतर चिह्न की प्रास्थिति का कोई उपदर्शन;
- (ii) जहां उपलब्ध ही पूर्वतर चिह्न की आवेदन संख्या या रजिस्ट्रीकरण संख्या और फाइल करने की तारीख जिसके अंतर्गत पूर्वतर चिह्न की तारीख भी है;
- (iii) जहां विरोध किसी पूर्वतर चिह्न पर आधारित है जिसके बारे में अभिकथन है कि वह धारा 11 की उप-धारा (2) के अर्थान्तर्गत एक सुविख्यात व्यापार चिह्न है, वहां उस आशय का उपदर्शन और उस देश या देशों का उपदर्शन जिसमें पूर्वतर चिह्न को सुविख्यात रूप से मान्यता दी गई है;
- (iv) जहां विरोध किसी ऐसे पूर्वतर व्यापार चिह्न पर आधारित है जिसकी अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के अर्थान्तर्गत एक प्रतिष्ठा है वहां उस आशय का उपदर्शन और यह उपदर्शन कि वह पूर्वतर चिह्न रजिस्ट्रीकृत है या उपयोजित है अथवा नहीं;
- (v) विरोधी के चिह्न की समाकृति और जहां समुचित हो उस चिह्न या पूर्वतर अधिकार का एक अभिवर्णन; और

(vi) जहाँ उन माल या सेवाओं जिनकी बाबत पूर्वतर चिह्न रजिस्ट्रीकृत किया गया है या उपयोजित किया गया है या जिसकी बाबत पूर्वतर चिह्न धारा 11 की उप-धारा (2) के अर्थान्तर्गत सुविख्यात है या उस धारा के अर्थान्तर्गत उसकी एक प्रतिष्ठा है वहाँ वह विरोधी उन सभी माल या सेवाओं को उपदर्शित करते समय जिसके लिए पूर्वतर चिह्न संरक्षित है उन माल या सेवाओं को भी उपदर्शित करेगा जिन पर विरोध आधारित है।

(ग) विरोध करने वाले पक्षकार की बाबत-

(i) जहाँ विरोध पूर्वतर चिह्न के या पूर्वतर अधिकार के स्वत्वधारी द्वारा दर्ज किया जाता है वहाँ उसका नाम और पता तथा यह उपदर्शन कि वह ऐसे चिह्न या अधिकार का स्वत्वधारी है;

(ii) जहाँ विरोध अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता न होने के कारण दर्ज किया जाता है वहाँ अनुज्ञप्तिधारी का नाम और उसका पता तथा ऐसा कोई उपदर्शन कि यह विरोध दर्ज करने के लिए प्राधिकृत किया गया है;

(iii) जहाँ विरोध किसी व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी के उस हक उत्तराधिकारी द्वारा दर्ज किया जाता है जिसका नए स्वत्वधारी के रूप में रजिस्ट्रीकरण भी नहीं किया गया है उस आशय का उपदर्शन विरोध करनेवाले पक्षकार का नाम और पता और उस तारीख का उपदर्शन जिसको नए स्वत्वधारी के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन उस समुचित कार्यालय द्वारा प्राप्त किया गया था या जहाँ वह जानकारी उपलब्ध नहीं है वहाँ उस समुचित कार्यालय को वह आवेदन भेजा गया था; और

(iv) जहाँ विरोध करने वाले पक्षकार का कारबार का भारत में कोई स्थान नहीं है वहाँ विरोधकर्ताओं का नाम और भारत में उसकी तामील करने का पता।

(घ) वे आधार जिन पर विरोध आधारित है:-

(2) विरोध की सूचना को विरोधी या उसके द्वारा प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा अधोभाग पर सत्यापित किया जाएगा।

(3) सत्यापित करने वाला व्यक्ति विरोध की सूचना के संख्यांकित पैराओ के प्रतिनिर्देश से जो वह अपने स्वयं के ज्ञान से और जो यह प्राप्त सूचना के आधार पर और उसे सत्य मान कर सत्यापित करता है, विनिर्दिष्ट रूप से कथन करेगा।

4) सत्यापन, उसे सत्यापित करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और जिस तारीख को वह हस्ताक्षरित किया गया था और जिस स्थान पर वह हस्ताक्षरित किया गया था कथन करेगा।

45. प्रतिकथन- (1) धारा 21 की उप-धारा (2) की अपेक्षानुसार प्रतिकथन रजिस्ट्रार से विरोध की सूचना की प्रति के आवेदक द्वारा प्राप्त होने से दो मास के भीतर प्ररूप व्या.चि.-ओ में तीन प्रतियों में भेजा जाएगा और उसमें यह भी वर्णित होगा कि विरोध की सूचना में अभिकथित वे तथ्य यदि कोई हो, कौन से हैं जिन्हें आवेदक ने स्वीकार कर लिया है रजिस्ट्रार प्रतिकथन की एक प्रति की तामील उसकी प्राप्ति की तारीख से सामान्यतः दो मास के भीतर विरोधी पर कराएगा।

(2) प्रतिकथन को उसी रीति में सत्यापित किया जाएगा यथा उपबन्धित नियम 44 के उपनियम (2), (3) और (4) में वर्णित है।

46. विरोध के समर्थन में साक्ष्य—(1) प्रतिकथन की प्रति की तामील जिस दिन करा दी हो उससे दो महीने के भीतर या उसके पश्चात् कुल मिलाकर एक मास से अनधिक की ऐसी आगे की अवधि के भीतर जो निवेदन पर रजिस्ट्रार अनुज्ञात करे, विरोध या तो रजिस्ट्रार के पास ऐसा साक्ष्य शपथ पत्र द्वारा देगा जैसा कि वह अपने विरोध के समर्थन में देना चाहता है या रजिस्ट्रार को और आवेदक को यह लिखित प्रज्ञापन देगा कि मैं अपने विरोध के समर्थन में साक्ष्य नहीं देना चाहता हूँ, किंतु मेरा यह आशय है कि विरोध की सूचना में कथित तथ्यों का मैं सहारा लूंगा। वह आवेदक को ऐसे किसी साक्ष्य, प्रतिदर्श सहित यदि कोई हो, की प्रतियां देगा जिन्हें उसने रजिस्ट्रार के पास इस उपनियम के अधीन दिया है और ऐसी प्रतियां देने की लिखित में रजिस्ट्रार को संसूचना देगा।

(2) यदि विरोध करने वाला पक्षकार उपनियम (1) के अधीन उसमें वर्णित समय के भीतर कोई कार्यवाही नहीं करता है, तो यह समझ जाएगा कि विरोध करने वाले पक्षकार ने अपने विरोध का परित्याग कर दिया है।

(3) उपनियम (1) में वर्णित एक मास की अवधि के बढ़ाने के लिए आवेदन उसमें वर्णित दो मास की अवधि की समाप्ति से पूर्व विहित फीस के साथ प्ररूप **व्या. चि.-एम** में किया जाएगा।

47. **आवेदन के समर्थन में साक्ष्य—(1)** आवेदक रजिस्ट्रार के पास शपथ पत्र के रूप में ऐसा साक्ष्य विरोध के समर्थन में शपथ पत्रों की प्रतियाँ अपने को मिलने से या अपने को यह प्रज्ञापना मिलने से कि विरोध करने वाला पक्षकार अपने विरोध के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं देना चाहता दो मास के भीतर या उसके पश्चात् कुल मिलाकर एक मास से अनधिक की ऐसी और अवधि के भीतर जो अनुरोध पर रजिस्ट्रार अनुज्ञात करे देगा जैसा कि वह अपने आवेदन के समर्थन में देना चाहता है और उसकी प्रतियाँ वह विरोध करने वाले पक्षकार को देगा या रजिस्ट्रार को और विरोध करने वाले पक्षकार को वह यह प्रज्ञापना देगा कि वह कोई साक्ष्य नहीं देना चाहता, किंतु मेरा यह आशय है कि प्रतिकथन में कथित तथ्यों का और/या प्रश्रुत आवेदन के संबंध में अपने द्वारा पेश कर दिए गए साक्ष्य का सहारा लूंगा। उस अवस्था में जिसमें आवेदक आवेदन के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत करता है या अपने द्वारा पेश किये जा चुके किसी साक्ष्य का सहारा लेता है, वह उसकी प्रतियाँ प्रतिदर्श सहित यदि कोई हो के साथ विरोधी को देगा और इसकी सूचना लिखित रूप में रजिस्ट्रार को देगा।

(2) उपनियम (1) में वर्णित एक मास की अवधि को बढ़ाने के लिए आवेदन उसमें वर्णित दो मास की अवधि की समाप्ति से पूर्व विहित फीस के साथ प्ररूप **व्या. चि.-एम** में किया जाएगा।

48. **विरोध करने वाले पक्षकार द्वारा दिए गए उत्तर में साक्ष्य-** विरोध द्वारा आवेदक के शपथपत्र की प्रतियाँ प्राप्त करने से एक मास के भीतर या ऐसी और अवधि के भीतर जो कुल मिलाकर एक मास से अधिक नहीं होगी और तत्पश्चात् जिसे रजिस्ट्रार प्ररूप **व्या. चि.-एम** में अनुरोध पर अनुज्ञात करे, विरोध करने वाला पक्षकार उत्तर में शपथ पत्र द्वारा रजिस्ट्रार को साक्ष्य देगा और आवेदक को उसकी प्रतियाँ, प्रतिदर्श सहित यदि कोई हो, के साथ परिदत्त करेगा और इसकी सूचना लिखित रूप में रजिस्ट्रार को देगा। वह साक्ष्य पूर्णतया केवल उस मामले तक सीमित होगा जो उत्तर से संबंधित है।

49. **वतिरिक्त साक्ष्य-** किसी की ओर से कोई और साक्ष्य नहीं दी जाएगी, किन्तु रजिस्ट्रार के समक्ष किन्हीं कार्यवाहियों में वह किसी भी समय, यदि उचित समझे, तो वह आवेदक को या विरोध करने वाले पक्षकार को ऐसे निबंधनों और खर्च पर या जिसे वह अन्यथा ठीक समझे कोई साक्ष्य देने की इजाजत दे सकेगा।

50. **दस्तावेजों का अनुवाद-** जहाँ कि हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न भाषा वाली किसी दस्तावेज के प्रति निर्देश विरोध की सूचना में प्रतिकथन में या विरोधी कार्यवाहियों में फाइल किए गए शपथ-पत्र में किया गया है वहाँ हिंदी या अंग्रेजी में उसे अभिप्रमाणित अनुवाद रजिस्ट्रार को उपलब्ध कराएगा और उसकी एक प्रति विरोधी पक्ष को देगा।

51. **सुनवाई और विनिश्चय—(1)** साक्ष्य के पूरा होने पर यदि कोई हो रजिस्ट्रार, इस बात की सूचना पक्षकारों को देगा कि प्रथम बार सुनवाई कब होगी। सामान्यतः ऐसी सूचना साक्ष्य के पूरे हो जाने के तीन मास के भीतर दी जाएगी। सुनवाई की तारीख प्रथम सूचना की तारीख के पश्चात् कम से कम एक मास की होगी।

(2) यदि किसी भी पक्षकार द्वारा स्थगन के लिए पर्याप्त कारण दर्शित नहीं किया जाता है तो रजिस्ट्रार द्वारा तुरन्त कार्यवाई की जा सकेगी।

(3) यदि आवेदक सुनवाई की स्थगित तारीख पर उपस्थित नहीं है तो आवेदन का परित्याग किया जाना समझा जाएगा।

(4) यदि विरोधी सुनवाई की स्थगित तारीख पर उपस्थित नहीं है तो अभियोजन के अभाव में विरोध को रद्द कर दिया जाएगा और आवेदन पर धारा 19 के अध्यक्षीन रजिस्ट्रीकरण की कार्यवाही की जाएगी।

(5) स्थगन की प्रत्येक दशा में रजिस्ट्रार मामले की आगे की सुनवाई के लिए एक तारीख नियत करेगा और स्थगन होने के कारण होने वाले खर्च के लिए ऐसा आदेश या ऐसे उच्चतर खर्च के लिए जो रजिस्ट्रार ठीक समझे करेगा।

(6) यह तथ्य कि किसी पक्षकार का अभिकर्ता या अभिलेख अधिवक्ता किसी दूसरे न्यायालय में व्यस्त है स्थगन के लिए कोई आधार नहीं होगा।

(7) जहाँ किसी विधि व्यवसायी या अभिकर्ता की बीमारी या किसी कारण से मामले को संचालित करने के लिए उसकी अयोग्यता स्थगन के लिए एक आधार के रूप में प्रस्तुत की जाती है वहाँ रजिस्ट्रार स्थगन मंजूर नहीं करेगा जब तक कि यह समाधान नहीं हो जाता है कि यथास्थिति विधि व्यवसायी या अभिकर्ता द्वारा समय में दूसरा अभिकर्ता या विधि व्यवसायी नियुक्त नहीं किया जाता है।

(8) यदि कार्यवाही की किसी पार्टी द्वारा लिखित बहस पेश की जाएगी तो रजिस्ट्रार उसे अभिलेख में लेगा।

(9) रजिस्ट्रार का विनिश्चय लिखित में पक्षकारों को अधिसूचित किया जाएगा।

52. **खर्चों के लिए प्रतिभूति-** खर्चों के लिए जो प्रतिभूति रजिस्ट्रार धारा 21 की उप-धारा (6) के अधीन अपेक्षित रूप में वह इतनी किसी रकम की नियत की जा सकेगी जितनी कि रजिस्ट्रार ठीक समझे और विरोध विषयक कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम में यह रकम रजिस्ट्रार द्वारा बढ़ाई जा सकेगी।

रजिस्ट्रीकरण पूरा न होने की सूचना

53. **सूचना देने के लिए प्रक्रिया-आवेदक** को जो सूचना देने की रजिस्ट्रार से अपेक्षा धारा 23 की उप-धारा (3) द्वारा की गई है वह आवेदक को उसके कारबार के भारत में मुख्य स्थान के पते पर या यदि उसके कारबार का भारत में मुख्य स्थान नहीं है तो आवेदन में कथित भारत में पते पर उसकी तामील के लिए प्ररूप ओ-1 में भेजी जाएगी, किन्तु यदि आवेदक ने आवेदन के प्रयोजन के लिए किसी अभिकर्ता को प्राधिकृत कर दिया हो तो सूचना, अभिकर्ता को भेजी जाएगी। सूचनाएं रजिस्ट्रीकरण पूरा करने के लिए सूचना की तारीख से इक्कीस दिन का समय या एक मास से अनधिक की ऐसा और समय जो रजिस्ट्रार द्वारा प्ररूप व्या.चि.-एम में किए गए अनुरोध पर अनुज्ञात किया जाए, विनिर्दिष्ट होगा।

रजिस्ट्रीकरण

54. **रजिस्टर में प्रविष्टि-** (1) जहाँ जर्नल में विज्ञापित या पुनर्विज्ञापित आवेदन के विरोध की कोई सूचना धारा 21 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर फाइल नहीं की जाती है या जहाँ कोई विरोध फाइल किया जाता है और वह खारिज कर दिया जाता है वहाँ रजिस्ट्रार धारा 23 की उप-धारा (1) या धारा 19 के उपबंधों के अधीन रहते हुए व्यापार चिह्न की रजिस्टर में प्रविष्टि करेगा।

(2) व्यापार चिह्न की जो प्रविष्टि रजिस्टर में है उसमें आवेदन के फाइल करने की तारीख, रजिस्ट्रीकरण की वास्तविक तारीख, वे माल या सेवाएं और वर्ग या वर्गों जिनकी बाबत व्यापार चिह्न रजिस्ट्रीकृत किया गया है और धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित सभी विशिष्टियां, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित विशिष्टियां हैं, सम्मिलित:-

(क) व्यापार चिह्न के स्वत्वधारी के कारबार का भारत में मुख्य स्थान, का यदि कोई हो, पता या संयुक्त स्वामित्व वाले व्यापार चिह्न के ऐसे संयुक्त स्वत्वधारियों के कारबार का भारत में मुख्य स्थान का पता जिनके कारबारका भारत में मुख्य स्थान है।

(ख) जहाँ व्यापार चिह्न के स्वत्वधारी के कारबार का कोई स्थान भारत में नहीं है, वहाँ उसके अपने स्वदेश वाले पते के साथ भारत में तामील के लिए उसका यह पता जो कि रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में प्रविष्ट है।

(ग) संयुक्त स्वामित्व वाले व्यापार चिह्न की अवस्था में, उस दशा में जिसमें कि संयुक्त स्वत्वधारियों में से किसी के भी किसी कारबार का भारत में मुख्य स्थान नहीं है, वहाँ संयुक्त स्वत्वधारियों में से प्रत्येक के अपने स्वदेश वाले पते के साथ भारत में तामील के लिए उनका वह पता, जो कि आवेदन में दिया गया है।

(घ) स्वत्वधारी के या संयुक्त स्वामित्व वाले व्यापार चिह्न की अवस्था में व्यापार चिह्न के संयुक्त स्वत्वधारियों के व्यापार, कारबार, वृद्धि, उपजीविका की विशिष्टियां, या अन्य वर्णन जो कि रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में प्रविष्ट हैं।

(ङ) रजिस्ट्रीकरण के विषय या रजिस्ट्रीकरण द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रभावित करने वाली विशिष्टियाँ, और

(च) कन्वेंशन आवेदन की तारीख (यदि कोई हो) धारा 154 के अधीन, की गई किसी कन्वेंशन देश के आवेदकों की आवेदन के अनुसरण में दी जाएगी।

(छ) जहाँ वह चिह्न सामूहिक या प्रमाणीकरण चिह्न है, वह तथ्य

(ज) जहाँ कोई पूर्वतर व्यापार चिह्न या अन्य पूर्वतर अधिकार के स्वत्वधारी की सहमति से धारा 11 की उप-धारा (4) के अनुसरण में वह चिह्न रजिस्ट्रीकृत किया जाता है वहाँ वह तथ्य और

(झ) उस व्यापार चिह्न से संबंधित चिह्न रजिस्ट्री का समुचित कार्यालय विनिर्दिष्ट होंगी।

(3) रजिस्ट्रार समय-समय पर कम्प्यूटर विशेषज्ञों से विचार विमर्श करते हुए शासकीय रिकॉर्ड इलैक्ट्रानिक रूप में रखने के लिए दिशा निर्देश बनाएगा।

55. **सम्बद्ध चिह्न—(1)** जहाँ कि व्यापार चिह्न किन्हीं अन्य चिह्नों से सम्बद्ध होने के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया है, वहाँ रजिस्ट्रार प्रथम वर्णित चिह्न के संबंध में उन चिह्नों की रजिस्ट्रीकरण संख्याएं रजिस्टर में लिखेगा, जिनके साथ वह सम्बद्ध है और ऐसे चिह्नों में से प्रत्येक के संबंध में रजिस्टर में उसके साथ सम्बद्ध चिह्न होने के नाते प्रथम वर्णित चिह्न की रजिस्ट्रीकरण संख्या भी लिखेगा।

(2) सम्बद्ध व्यापार चिह्नों के रूप में रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्नों में से किसी का सहबद्धता भंग करने के लिए धारा 16 की उप-धारा (5) के अधीन आवेदन प्ररूप **व्या.चि.-पी** में किया जायेगा और आवेदन के आधारों का कथन उसमें किया जाएगा।

56. **रजिस्ट्रीकरण के पूर्व आवेदक की मृत्यु-** आवेदन की तारीख के पश्चात् और व्यापार चिह्न के रजिस्टर में प्रविष्ट किये जाने के पूर्व यदि व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के किसी आवेदक की मृत्यु हो जाती है, तो रजिस्ट्रार अनुरोध किए जाने पर प्ररूप **व्या.चि.-एम** पर आवेदक की मृत्यु की सिद्धि पर और मृत व्यक्ति के हित के सम्प्रदान की सिद्धि पर आवेदन में ऐसे मृतक व्यक्ति के उत्तराधिकारी के नाम को रखेगा और तत्पश्चात् यथासंशोधित आवेदन पर कार्यवाही की जायेगी।

57. **रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र—(1)** व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण का यह प्रमाण-पत्र को रजिस्ट्रार द्वारा धारा 23 की उप-धारा (2) के अधीन दिया जाता है प्ररूप ओ-2 में व्यापार चिह्न शामिल करेगा। उस पर व्यापार चिह्न रजिस्ट्री का सील लगा होगा।

(2) रजिस्ट्रीकरण के जिस प्रमाण-पत्र के प्रति निर्दिष्ट उपनियम (1) में किया गया है उसका उपयोग विधि कार्यवाहियों में या विदेश में रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने के लिए नहीं किया जायेगा। इस उद्देश्य के लिए धारा 137 के तहत जारी प्रमाण पत्र का उपयोग किया जाएगा।

(3) रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति या अतिरिक्त प्रतियां रजिस्ट्रार विहित फीस सहित प्ररूप **व्या.चि.-एम** में अपने से निवेदन रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी द्वारा किये जाने पर दे सकेगा:

परन्तु ऐसी कोई प्रतिलिपि या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रति जारी नहीं किया जाएगा जहाँ रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण और रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न के प्रत्यावर्तन के लिए समय सीमा की समाप्ति के बाद अनुरोध प्राप्त हुआ हो।

अध्याय-3

रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण का प्रत्यावर्तन

58. **रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण—(1)** व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरणके लिए आवेदन प्ररूप **व्या.चि.-आर** में किया जाएगा और यह व्यापार चिह्न के अंतिम रजिस्ट्रीकरण के अवसान से पूर्व छह मास के भीतर किसी समय किया जा सकेगा।

(2) नवीकरण के लिए ऐसा आवेदन उस व्यक्ति द्वारा फाइल किया जा सकेगा जो रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न का स्वत्वधारी या उसका अभिकर्ता है।

(3) यदि वह स्वत्वधारी जो नवीकरण के लिए आवेदन में वर्णित है वही व्यक्ति या उसकी विधिक अस्तित्व का नहीं है जो रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी है, जिसकी रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी से हकदारी मिली है जिसके नाम से वर्तमान स्वामी के नाम अंतिम नवीकरण हुआ था प्रथमतः दर्शित होगा जिसके लिए दस्तावेजों के साथ शपथ पत्र होना चाहिए।

(4) रजिस्ट्रार नवीकरण के लिए आवेदन प्रबंधकारी न्यासी निष्पादकों, प्रशंसकों और उसी तरह के किसी व्यक्ति से स्वीकार कर सकेगा जब न्यायालय आदेश या वर्तमान स्वत्वधारी की ओर से कार्य करने के प्राधिकार की अन्य साक्ष्य द्वारा समर्थित हो।

59. **रजिस्टर से व्यापार चिह्न के हटाने से पूर्व सूचना—(1)** व्यापार चिह्न के अंतिम रजिस्ट्रीकरण के अवसान से एक मास अन्यून से और तीन मास से अनधिक पूर्व वाली तारीख तक यदि विहित फीस के साथ प्ररूप **व्या.चि.-आर** में कोई आवेदन रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए प्राप्त नहीं होता है तो रजिस्ट्रार रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी को और संयुक्त रूप से रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न की अवस्था में संयुक्त रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारियों में से प्रत्येक को और प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता को, यदि कोई हो, होने वाले अवसान की प्ररूप ओ 3 में लिखित अधिसूचना रजिस्टर में प्रविष्ट उनके क्रमशः कारबार के भारत में मुख्य स्थानों के पते से या जहां कि ऐसे रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता का कोई कारबार का भारत में का मुख्य स्थान नहीं है, वहां रजिस्टर में प्रविष्ट भारत के पते पर तामील के लिए देगा।

(2) जहां किसी चिह्न की दशा में जिसका रजिस्ट्रीकरण (रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की तारीख के प्रति निर्देश से) नवीकरण के लिए शोध्य हो जाता है वह चिह्न उस तारीख से पूर्व जिसकी नवीकरण होना नियम है छह मास के भीतर किसी भी समय रजिस्ट्रीकृत

हो जाता है रजिस्ट्रीकरण की वास्तविक तारीख के पश्चात् छह मास के भीतर नवीकरण फीस के संदाय पर नवीकृत किया जा सकेगा और जहां उस अवधि के भीतर नवीकरण फीस का संदाय नहीं किया जाता है वहां रजिस्ट्रार नियम 61 के अधीन रहते हुए उस चिह्न को रजिस्टर से हटा देगा।

(3) जहां ऐसे चिह्न की दशा में जिसका रजिस्ट्रीकरण (रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की तारीख के प्रति निर्देश से) नवीकरण के लिए शोध्य हो जाता है वह चिह्न नवीकरण की तारीख के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत किया जाता है यहां रजिस्ट्रीकरण की वास्तविक तारीख के छह मास के भीतर नवीकरण फीस के संदाय पर रजिस्ट्रीकरण नवीकृत किया जा सकेगा और जहां उस अवधि के भीतर नवीकरण फीस का संदाय नहीं किया जाता है वहां रजिस्ट्रार नियम 66 के अधीन रहते हुए उस चिह्न को रजिस्टर से हटा देगा।

(4) सामूहिक चिह्न या प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण प्ररूप **व्या.चि.-आर** में होगा और उसके साथ वह फीस होगी जो प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।

60. रजिस्टर से व्यापार चिह्न हटाने का विज्ञापन—यदि व्यापार चिह्न के अंतिम रजिस्ट्रीकरण के अवसान पर नवीकरण फीस नहीं दी गई है, तो रजिस्ट्रार रजिस्टर से व्यापार चिह्न को हटा सकेगा और तत्क्षण इस तथ्य को जनरल में विज्ञापित कर सकेगा:

परन्तु रजिस्ट्रार व्यापार चिह्न को रजिस्टर से नहीं हटाएगा यदि अधिभार के संदाय के लिए कोई आवेदन धारा 25 की उप-धारा (3) के परन्तुक के अधीन प्ररूप **व्या.चि.-आर** में व्यापार चिह्न के अंतिम रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति से छह मास के भीतर कर दिया जाता है।

61. प्रत्यावर्तन और रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण—रजिस्टर में व्यापार चिह्न का प्रत्यावर्तन और इसके रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण का आवेदन धारा 25 की उप-धारा (4) के अधीन विहित फीस सहित प्ररूप **व्या.चि.-आर** में व्यापार चिह्न के अंतिम रजिस्ट्रीकरण के अवसान के छह मास के पश्चात् और एक वर्ग के भीतर किया जाएगा। रजिस्ट्रार ऐसे प्रत्यावर्तन और नवीकरण के लिए अनुरोध पर विचार करते समय ऐसे अन्य व्यक्तियों के हितों को ध्यान में रखेगा, जो प्रभावित है।

62. नवीकरण और प्रत्यावर्तन की सूचना और विज्ञापन—रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण या प्रत्यावर्तन और नवीकरण पर, उक्त आशय की एक सूचना रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी को और प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता को भेजी जाएगी और नवीकरण या प्रत्यावर्तन और नवीकरण जनरल में विज्ञापित किया जाएगा।

अध्याय-4

मैड्रिड प्रोटोकाल के अधीन अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण के माध्यम से व्यापार चिह्न के संरक्षण से संबंधित उपबंध

63. परिभाषाएं—(1) इस अध्याय के प्रयोजन के लिए जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

(क) "अनुच्छेद" से मैड्रिड प्रोटोकाल को निर्दिष्ट अनुच्छेद अभिप्रेत है;

(ख) "इलेक्ट्रानिक रूप" का वही अर्थ होगा जो उसका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 उप-धारा (1) के खंड (द) में दिया है;

(2) अधिनियम के अध्याय 4 के अधीन अंतरराष्ट्रीय आवेदन या अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण के संदर्भ में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां किन्तु जो परिभाषित नहीं हैं का वही अर्थ होगा जो क्रमशः उनका मैड्रिड प्रोटोकाल या सामान्य विनियमों में है;

64. भाषा—कोई अंतरराष्ट्रीय आवेदन या उससे संबंधित अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो को कोई संसूचना या अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण के परिणामस्वरूप भारत को संरक्षण के लिए सलाह के माध्यम से विस्तार की अधिसूचना अंग्रेजी में होगी।

65. सूचना या संसूचनाओं आदि का जारी करना और उनके प्रत्युत्तर—धारा 36घ के अधीन अंतरराष्ट्रीय आवेदन और अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण जहां भारत को धारा 36ड के अधीन पदनामित किया गया है दोनों से संबंधित कोई सूचना या संसूचना रजिस्ट्रार द्वारा केवल इलेक्ट्रानिक रूप में जारी की जाएगी और उसका कोई प्रत्युत्तर भी केवल उसी रूप में अभिप्राप्त किया जाएगा।

66. अंतरराष्ट्रीय आवेदन जिनके संबंध में भारत उद्भव देश है—भारत से प्रारंभ होने वाले अंतरराष्ट्रीय आवेदन या सामान्य विनियमों के अनुसार उनसे संबंधित कोई संसूचना अंतरराष्ट्रीय व्यापार चिह्न आवेदन प्रणाली के माध्यम के इलेक्ट्रानिक रूप से फाइल की जाएगी।

67. **अंतरराष्ट्रीय आवेदन, जिनके संबंध में भारत मूल देश है, का सत्यापन और प्रमाणन—**(1) जहां अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो को पारेषण के लिए धारा 36घ के अधीन अंतरराष्ट्रीय आवेदन फाइल किया जाता है वहां रजिस्ट्रार पहली अनुसूची की प्रविष्टि सं. 79 में विनिर्दिष्ट फीस के संदाय के अधीन रहते हुए अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो द्वारा यथा उपलब्ध कराए गए अनुसार प्ररूप डड(2)(इ) में अंतर्वस्तु को प्रमाणित करेगा।

(2) जहां अंतरराष्ट्रीय आवेदन अपेक्षाओं को पूरा करता है, वहां रजिस्ट्रार अंतरराष्ट्रीय आवेदन में उस तारीख को जिसको आवेदन अभिप्राप्त किया गया था उपदर्शित करते हुए उसे प्रमाणित करेगा; और उक्त आवेदन की प्राप्ति की तारीख से दो मास के भीतर अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो को अग्रेषित करेगा।

(3) जहां अंतरराष्ट्रीय आवेदन अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है, वहां रजिस्ट्रार उसे अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो को अग्रेषित करेगा और आवेदक से सूचना द्वारा उसमें यथाविनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करने की अपेक्षा करेगा और उस सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसे अनुपालना को पूरा करने के पश्चात् ही अंतरराष्ट्रीय आवेदन को अग्रेषित करेगा।

68. **प्रहस्तन फीस—**रजिस्ट्रार को अंतरराष्ट्रीय आवेदन को प्रमाणित और अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो को पारेषित करने के लिए, पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट प्रहस्तन फीस संदेय होगी और ऐसी फीस का संदाय आवेदन के साथ इलैक्ट्रानिक रूप से भारतीय रुपए में किया जाएगा।

69. **अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण, जिनके संबंध में भारत को नामनिर्दिष्ट किया गया है, के अभिलेखों को रखने की रीति—**(1) अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो से भारत को नामनिर्दिष्ट करने के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में सलाह की प्राप्ति पर और ऐसे अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण के परिणामस्वरूप संरक्षण विस्तार की अधिसूचना पर रजिस्ट्रार उसकी सभी विशिष्टियों को इलैक्ट्रानिक रूप से "अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण की विशिष्टियों का अभिलेख" नामक अभिलेख में दर्ज करेगा। अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो से जैसे और जब प्राप्त विशिष्टियों में किसी परिवर्तन को उक्त अभिलेख में दर्ज किया जाएगा।

(2) ऐसे अभिलेख में की गई कोई प्रविष्टि जहां तक वह भारत को नामनिर्दिष्ट पक्षकार के रूप में लागू होती है का वही प्रभाव होगा मानो कि वह रजिस्ट्रार द्वारा व्यापार चिह्न के रजिस्टर में दर्ज की गई थी।

70. **धारा 36 ड. के अधीन आवेदन की जांच—**(1) नियम 67छ में निर्दिष्ट सलाह की सधारणतया ऐसी सलाह की प्राप्ति से दो मास के भीतर जांच की जाएगी।

(2) जहां रजिस्ट्रार यह पाता है कि कोई चिह्न जो भारत में नामनिर्दिष्ट अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण की विषयवस्तु है का संरक्षण नहीं किया जा सकता है, तो वह मैट्रिड प्रोटोकाल के अनुच्छेद 5 के अधीन लागू इंकार की अवधि के अवसान से पूर्व अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो को अनंतिम इंकार से अधिसूचित करेगा।

(3) जहां संरक्षण से इंकार करने का कोई आधार नहीं है वहां रजिस्ट्रार अधिनियम की धारा 20 के अधीन अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण से संबंधित विशिष्टियों को, साधारणतया सलाह की प्राप्ति की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर व्यापार चिह्न पत्र में, एक पृथक भाग में विज्ञापित करेगा।

(4) जहां अधिनियम की धारा 21 के अधीन कोई विरोध फाइल किया जाता है वहां रजिस्ट्रार अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो को इस तथ्य को एक अनंतिम इंकार के रूप में प्रोटोकाल और सामान्य विनियमों के अनुसार विरोध के आधार से अधिसूचित करेगा।

(5) अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण का उस पर किसी विरोध की प्राप्ति पर व्यापार चिह्न नियम के नियम 47 से नियम 57 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार प्रसंस्करण किया जाएगा।

(6) जहां उपनियम (1) से उपनियम (5) के अधीन वर्णित प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है और रजिस्ट्रार ने सभी मालों और सेवाओं के लिए जिनके लिए संरक्षण का अनुरोध किया गया है, को चिह्न के संरक्षण से इंकार की पुष्टि करने का विनिश्चय कर लिया है, रजिस्ट्रार अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो को इस प्रभाव का एक विवरण भेजेगा।

(7) जहां अनंतिम इंकार का पूर्णतः या भागतः प्रतिसंहरण कर लिया गया है, रजिस्ट्रार अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो को (क) इस प्रभाव का एक विवरण कि अनंतिम इंकार का प्रतिसंहरण कर लिया गया है और उन सभी मालों और सेवाओं के लिए चिह्न का संरक्षण प्रदान किया गया है जिनके लिए संरक्षण का अनुरोध किया गया था; या (ख) शर्तों या सीमाओं जिनके अधीन माल या सेवाओं की बाबत संरक्षण प्रदान किया गया है, को उपदर्शित करते हुए एक विवरण भेजेगा।

(8) जहां संरक्षण से इंकार करने का कोई आधार नहीं है वहां रजिस्ट्रार अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो को इस प्रभाव से सूचित करेगा कि भारत में चिह्न को संरक्षण प्रदान कर दिया गया है।

(9) जहां भारत में किसी चिह्न के संरक्षण को प्रभावित करने के लिए और विनिश्चय है, रजिस्ट्रार इस प्रभाव का अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो को एक विवरण भेजेगा।

71. **संरक्षण का अविधिमान्यकरण**—किसी अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण के फलस्वरूप किसी संरक्षण का अधिनियम के अधीन भारत में विधिक कार्यवाहियों के फलस्वरूप प्रभाव समाप्त हो गया है, या उसमें परिवर्तन आ गया है, रजिस्ट्रार तदनुसार अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो को अधिसूचित करेगा।

72. **अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रभाव**—जहां उद्गम कार्यालय के अनुरोध पर किसी अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर दिया गया है प्रोटोकाल के अनुच्छेद 9 के उपबंध अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण को जहां तक वह भारत में अभिहित हुआ है पांच गुना लागू होंगे।

73. **सामूहिक और प्रमाणन चिह्न**—जहां कोई अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण भारत को सामूहिक चिह्न या प्रमाणन चिह्न के संबंध में नामनिर्दिष्ट करता है, ऐसे सामूहिक चिह्न या प्रमाणन चिह्न के शासित करने वाले विनियम प्रत्यक्षतः उस अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण के धारक द्वारा रजिस्ट्रार को अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो की सलाह की तारीख से एक मास के भीतर प्रस्तुत किए जाएंगे।

74. **अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण का प्रतिस्थापन**—जहां कोई अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण भारत में धारा 36ड. की उप-धारा (6) के अधीन धृत रजिस्ट्रीकरण को प्रतिस्थापित करता हुआ प्रतीत होता है, तो रजिस्ट्रार अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण के धारक के अनुरोध पर अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण पर ध्यान देगा और धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन अनुरक्षित रजिस्टर में अपेक्षित प्रविष्टि करेगा। तत्पश्चात् रजिस्ट्रार सामान्य विनियमों के नियम 21 के अधीन तदनुसार अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो को अधिसूचित करेगा।

75. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए मैट्रिड प्रोटोकाल, सामान्य विनियम और प्रशासनिक अनुदेश भारत से आरंभ होने वाले अंतरराष्ट्रीय आवेदनों के संबंध में और अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरणों जहां भारत को नामनिर्दिष्ट किया गया है, को लागू होंगे।

अध्याय-5

समनुदेशन और पारेषण

76. **समनुदेशन और पारेषण की प्रविष्टि करने के लिए आवेदन**—जो व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न का हकदार समनुदेशन या पारेषण द्वारा बन जाता उस व्यक्ति के हक को रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न का हक को रजिस्ट्रीकृत करने के लिए आवेदन प्ररूप **व्या.चि.-पी** किया जाता है।

77. **आवेदन के साथ मामला**—(1) नियम 76 के अधीन यथास्थिति अपने हक के लिए रजिस्ट्रीकरण के लिए प्ररूप **व्या.चि.-पी** पर अनुरोध के साथ आवेदन करते समय मूल दस्तावेज, मूल लिखत या प्रलेख, यथास्थिति, सम्यक मुहर लगाते हुए दाखिल किया हो जिसमें व्यापार चिह्न के हक का हस्तांतरण और उस अनुरोध के समर्थन में कथन शामिल हो। यदि रजिस्ट्रार ऐसी अपेक्षा करे, तो वह मामला का कथन प्ररूप **व्या.चि.-पी** में दिए गए शपथ पत्र द्वारा सत्यापित किया जायेगा और आवेदक समनुदेशन या हस्तांतरण दर्ज होने के पहले किसी भी समय इस प्रभाव का शपथ पत्र दे कि व्यापार चिह्न के स्वत्वाधिकार से संबंधित कोई वाध्य किसी न्यायालय या अधिकरण में लंबित नहीं है।

परन्तु रजिस्ट्रार आवेदक को सम्यक सत्यापित लिखत या प्रलेख की प्रति जमा करने की अनुमति दे सकेगा यदि आवेदक यह सत्यापित करे कि मूल प्रलेख का लिखत प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।

(2) साधारणतया रजिस्ट्रार नियम 76 के अधीन किए गए आवेदन का निपटान आवेदन करने की तारीख से तीन मास के भीतर करेगा और इससे आवेदक को संसूचित करेगा।

(3) हक के अंतरण की प्रविष्टि करने के पश्चात् रजिस्ट्रार मूल दस्तावेज, लिखत या विलेख को नियम 76 के अधीन आवेदन करने वाले आवेदक को अभिलिखित करने की संसूचना के साथ वापस कर देगा और अभिलेख के लिए लिखत या विलेख की सम्यकतः प्रमाणित प्रति प्रतिधारित करेगा;

परन्तु नियम 76 के अधीन किए गए अनुरोध के समर्थन में फाइल किए गए किसी शपथ पत्र को वापस नहीं करेगा।

78. **हक का सबूत**—जो कोई व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न के स्वत्वधारी के रूप में रजिस्ट्रीकृत किये जाने के लिए आवेदन करता है रजिस्ट्रार उसे अपने हक का ऐसा सबूत या अतिरिक्त सबूत देने के लिए प्रस्तुत कर सकेगा, जो उसके समाधान के लिए अपेक्षित है।

79. **लिखतों का परिबंधन**—यदि रजिस्ट्रार की यह राय है कि किसी व्यक्ति के हक की सिद्धि में पेश की गई कोई लिखत उचित या पर्याप्त मुद्रांक पर नहीं हैं, तो रजिस्ट्रार उसे परिवर्द्ध कर लेगा और उससे ऐसी रीति में बरतेगा जैसी कि भारतीय स्टैम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) के अध्याय 4 में उपबंधित है।

80. **भारत से बाहर धन के पारेषण के संबंध में समनुदेशन**—यदि भारत से बाहर धन के पारेषण का विनियमन करने वाली कोई विधि प्रवृत्त है तो जो व्यक्ति व्यापार चिह्न के लिए हकदार ऐसे पारेषण करने वाले समनुदेशन द्वारा हो जाता है उसके हक का रजिस्ट्रीकरण रजिस्ट्रार ऐसा पारेषण करने के लिए उस प्राधिकारी की अनुज्ञा जो ऐसी विधि में उल्लिखित है, पेश किये जाने पर करने के सिवाय न करेगा।

81. **व्यापार चिह्न का जो समनुदेशन उस कारबार के गुडविल बिना किया जाता है उसका विज्ञापन करने के बारे में रजिस्ट्रार के निदेश के लिए आवेदन**—(1) धारा 42 के अधीन निदेशों के लिए आवेदन प्ररूप **व्या.चि.-पी** में किया जायेगा और उसमें वह तारीख दी जायेगी जिसको समनुदेशन किया गया था। आवेदन में उस अवस्था में, जिसमें कि यह रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न है, रजिस्ट्रीकरण की विशिष्टियाँ दी जायेंगी और उस अवस्था में जिसमें कि वह अंतरजिस्ट्रीकृत चिह्न के, जो कि उसके साथ समनुदिष्टि किया गया है, उपयोग सहित उसकी विशिष्टियाँ दी जायेंगी। रजिस्ट्रार कोई साक्ष्य या और जानकारी मांग सकेगा और यदि विभिन्न बातों के संबंध में उसका समाधान हो जाता है, तो वह समनुदेशन का विज्ञापन करने विषयक लिखित में निदेश देगा।

(2) जब तक कि रजिस्ट्रार का अनुमोदन धारा 41 के अधीन अभिप्राप्त नहीं कर लिया जाता है और रजिस्ट्रार के अनुमोदन विषयक अधिसूचना को प्रकट करने वाला निर्देश आवेदन में नहीं दे दिया जाता, रजिस्ट्रार ऐसे आवेदन पर विचार करने से इंकार उस मामले में कर सकेगा जिसके संबंध में वह धारा लागू है।

(3) उस कालावधि बढ़ाने के लिए, जिसके अंदर यह आवेदन जो उपनियम (1) में वर्णित है, अनुरोध किया जायेगा यह अनुरोध प्ररूप **व्या.चि.-पी** में किया जाएगा।

82. **गुडविल के बिना समनुदेशन के प्रविष्टि करने के लिए आवेदन**—किन्हीं माल या सेवाओं के संबंध में व्यापार चिह्न के समनुदेशन संबंधी आवेदन जो नियम 76 के अधीन किया जाता है उसमें यह कथत होगा कि-

(क) क्या उस व्यापार चिह्न का उपयोग उन माल या सेवाओं में होने वाले किसी कारबार में किया जा चुका था या किया गया था, और

(ख) क्या समनुदेशन उस कारबार की गुडविल के संबंध में अन्यथा किया गया है,

और यदि दोनों परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, तो समनुदेशन का विज्ञापन करने के लिए जो निर्देश नियम 81 के अधीन आवेदन करने पर प्राप्त किये गये हैं, उनकी एक प्रति और विज्ञापन की प्रतियों सहित सबूत या अन्यथा जैसी कि अपेक्षा रजिस्ट्रार करे, आवेदक व्यापार चिह्न रजिस्ट्री में यह बात संदर्शित करने के लिए पेश कर देगा कि रजिस्ट्रार के निदेशों की पूर्ति की जा चुकी है और यदि रजिस्ट्रार का समाधान इस बात में नहीं होता है कि निदेशों की पूर्ति हो गई है, तो वह आवेदन के संबंध में कार्यवाही नहीं करेगा।

83. **पृथक रजिस्ट्रीकरण**—जहाँ कि नियम 76 के अधीन आवेदन के अनुसारेण में और रजिस्ट्रीकरण के माल या सेवाओं के विभाजन और पृथक्करण या स्थानों अथवा बाजारों के विभाजन और पृथक्करण के फलस्वरूप विभिन्न व्यक्ति व्यापार चिह्न के तत्पश्चात् स्वत्वधारियों के रूप में एक ही रजिस्ट्रीकरण संख्या के अधीन पृथकतः रजिस्ट्रीकृत हो जाते हैं, तो उन विभिन्न व्यक्तियों के नामों में परिणामतः हुए पृथक रजिस्ट्रीकरणों में से प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण की बाबत इस अधिनियमके सभी प्रयोजनों के लिए यह समझा जायेगा कि वह पृथक रजिस्ट्रीकरण है।

84. **कुछ समनुदेशनों और पारेषणों के लिए रजिस्ट्रार का प्रमाण-पत्र या अनुमोदन**—कोई व्यक्ति जो धारा 40 की उप-धारा (2) के अधीन रजिस्ट्रार का प्रमाण-पत्र या धारा 41 के अधीन उसके अनुमोदन की अधिसूचना प्राप्त करना चाहता है, वह अपने आवेदन के साथ मामले का कथन, जिसमें वे परिस्थितियाँ उपवर्णित हैं, प्ररूप **व्या. चि.-पी** में दो प्रतियों में और समनुदेशन या पारेषण को प्रभावित करने वाली कोई लिखत या प्रस्थापित लिखत भी रजिस्ट्रार को भेजेगा। रजिस्ट्रार कोई साक्ष्य या और जानकारी, जिसे वह आवश्यक समझता है, मांग सकेगा और मामले का कथन उस दशा में जिसमें कि उसमें सभी सुसंगत परिस्थितियों को सम्मिलित करने की अपेक्षा की गई है, संशोधित किया जायेगा और यदि यह अपेक्षा की जाये, तो उसे शपथपत्र द्वारा सत्यापित करेगा। रजिस्ट्रार आवेदक को उस दशा में, जिसमें कि उससे ऐसी अपेक्षा की गई है और किसी अन्य व्यक्ति की, जिसकी बाबत रजिस्ट्रार का यह विचार है कि वह अन्तरण में, हित रखता है, सुनने के पश्चात् मामले पर विचार करेगा और यथास्थिति उसका प्रमाण-पत्र या उस मामले के अनुमोदन या अननुमोदन की लिखत में अधिसूचना आवेदक को देगा और ऐसे अन्य व्यक्ति को भी इतिला तदनुसार देगा। जहाँ कि मामले का कथन संशोधित किया जाता है, वहाँ उसके अंतिम

रूप वाली तीन प्रतियाँ व्यापार चिह्न रजिस्ट्री में पेश कर दी जाएगी। रजिस्ट्रार मामले के कथन के अंतिम रूप वाली एक प्रति प्रमाणपत्र या अधिसूचना में अपनी मुद्रा लगाकर जोड़ देगा।

85. समनुदेशन की विशिष्टियों का रजिस्टर में प्रविष्ट करना—जहाँ रजिस्ट्रार इस अधिनियम के अधीन किसी व्यापार चिह्न के समनुदेशन को अनुज्ञात कर चुका है वहाँ रजिस्टर में समनुदेशन को निम्नलिखित विशिष्टियों की प्रविष्टि की जायेगी, अर्थात्:-

- (i) समनुदेशितों का नाम और पता;
- (ii) समनुदेशन की तारीख;
- (iii) जहाँ समनुदेशन उस चिह्न में किसी अधिकार की बाबत है वहाँ समनुदेशित अधिकार का वर्णन;
- (iv) वह आधार जिसके अधीन समनुदेशन किया गया है; और
- (v) वह तारीख जिसको रजिस्टर में प्रविष्टि की जाती है।

86. धारा 46 के अधीन किसी कंपनी के लिए समनुदेशन का रजिस्ट्रीकरण—धारा 46 की उप-धारा (4) के प्रयोजनों के लिए वह कालावधि जिसमें किसी कंपनी को नियम 76 के अधीन किए गए आवेदन पर किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न के पश्चातवर्ती स्वत्वधारी के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जा सकेगा, व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के जनरल में विज्ञापन की तारीख से छह मास होगी या छह मास के अन्तर्गत इतनी और कालावधि होगी जितनी कि रजिस्ट्रार उस कालावधि के पूर्व या दौरान जितनी कालावधि तक कि यह वृद्धि समनुज्ञात की जा सकती है, किसी समय यथास्थिति हक के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदक द्वारा या रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी द्वारा किए गए प्ररूप **व्या. चि.-पी** में आवेदन पर अनुज्ञात करें।

अध्याय-6

रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता

87. रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन—(1) रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के रूप में धारा 49 के अधीन किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण करने के लिए जो आवेदन रजिस्ट्रार को किया जाता है वह उस व्यक्ति और व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी द्वारा संयुक्ततः प्ररूप **व्या. चि.-यू** में किया जायेगा और उसके साथ निम्नलिखित होगा:-

- (क) रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी और प्रस्थापित रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता में व्यापार चिह्न के अनुज्ञात उपयोग की बाबत हुआ लिखित करार या उसकी सम्यक रूपेण अधिप्रमाणित प्रति;
- (ख) रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी और प्रस्थापित रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के बीच व्यापार चिह्न के अनुज्ञात उपयोग की बाबत हुए खंड (क) में निर्दिष्ट करार में उल्लिखित दस्तावेज और पत्राचार, यदि कोई हो, या उसकी सम्यक रूपेण अधिप्रमाणित प्रति;

(2) रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या उसके निमित्त कार्य करने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रार के समाधानप्रद रूप में, आवेदन के साथ एक ऐसा शपथ पत्र फाइल किया जाएगा जो आवेदन के साथ लगे दस्तावेजों की वास्तविकता को अधिप्रमाणित करता हो और उसमें निम्नलिखित अंतर्विष्ट होगा,-

- (क) धारा 49 की उप-धारा (1) के खंड (ख) द्वारा अपेक्षित विशिष्टियाँ और कथन;
- (ख) रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी और प्रस्थापित रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता में, यदि कोई संबंध है तो उसका यथावत स्वरूप, उदाहरणार्थ यह बात कि क्या उनका संबंध प्रधान और समनुपंगी कंपनी वाला संबंध है या क्या उनके कारबारों के बीच सामान्य नियंत्रण है;
- (ग) इस बाबत व्यौरों सहित कि जो व्यापार चिह्न आवेदन का विषय है क्या उसका उपयोग आवेदन की तारीख से पहले अपने व्यापार के अनुक्रम में उसने किया है और यदि किया है तो ऐसे उपयोग के परिणाम और अस्तित्वाधिके व्यौरों सहित उन माल या सेवाओं विषयक कथन जिनका कारबार रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी करता है।

(3) रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी और प्रस्थापित उपयोक्ता ऐसे अन्य दस्तावेजों भी पेश और फाइल करेंगे और ऐसा अपर साक्ष्य और जानकारी भी देंगे जैसे कि रजिस्ट्रार उस निमित्त अपेक्षित करे।

(4) जब तक कि कोई आवेदन उपनियम (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट करार की तारीख से छह मास के भीतर फाइल नहीं किया जाए, वह ग्रहण नहीं किया जाएगा।

(5) उपनियम (1) की किसी अंतर्विष्ट के होते हुए भी, जहां रजिस्ट्रकृत उपयोक्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए एक से अधिक आवेदन उसी करार के अंतर्गत आने वाले व्यापार चिह्नों की बाबत उसी रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी और उसी प्रस्थापित रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता द्वारा की जाती है वहां उपनियम (1) में वर्णित दस्तावेज किसी एक आवेदन के साथ फाइल किए जा सकेंगे और अन्य आवेदन या आवेदनों में दिए गए ऐसे दस्तावेजों के प्रति निर्देश किया जाएगा।

88. करार में कथित की जानी वाली विशिष्टियां—नियम 87 के उपनियम (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट करार में—

(क) धारा 49 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (i) से लेकर उपखंड (iv) तक विशिष्टियां होंगी;

(ख) उन स्वामित्व और अन्य पारिश्रमिक संबंधी निबंधनों, का प्रकरण जो कि प्रस्थापित रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता द्वारा उनके रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी को अनुज्ञात व्यापार चिह्न के उपयोग के लिए संदेय होंगे;

(ग) अनुज्ञात उपयोग को उस मामले में जिसमें कि पक्षकारों के बीच वाले संबंध या अनुज्ञात उपयोक्ता या रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी का नियंत्रण खत्म हो गया है, खत्म कराने के साधन उपबंधित होंगे;

(घ) यह शर्त अंतर्विष्ट होगी कि जब रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न का उपयोग प्रस्थापित रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता नियमित के लिए माल या सेवाओं से भिन्न अपने माल या सेवाओं के संबंध में करता है, तो चिह्न इस भांति वर्णित किया जाएगा जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि यह रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी का व्यापार चिह्न है और इसका उपयोग रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता केवल अनुज्ञात उपयोग के रूप में कर रहा है।

89. रजिस्ट्रार द्वारा विचार—धारा 49 की उप-धारा (2) के अधीन रजिस्ट्रार यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदन और उसके साथ के दस्तावेज अधिनियम और नियमों के सुसंगत उपबंधों और 49 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (i) से लेकर उपखंड (iv) में विनिर्दिष्ट बातों का अनुपालन करते हैं तो उन मालों या सेवाओं की बाबत जिसके संबंध में वह इस प्रकार संतुष्ट हो जाता है, प्रस्थापित रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता को रजिस्ट्रीकृत करेगा।

90. आवेदन को अस्वीकार करने या उसे सशर्त स्वीकार करने से पूर्व सुनवाई—(1) रजिस्ट्रार जहां वह आवेदन को किन्हीं शर्तों, निबंधनों या सीमाओं के अधीन स्वीकार करने की प्रस्थापना करता है वहां आवेदकों को लिखित में सूचना देगा। सूचना में वह आधार होंगे जिन पर रजिस्ट्रार ऐसे आदेश जारी करने की प्रस्थापना करता है और आवेदकों को सूचना देगा कि वे सुनवाई किए जाने के हकदार हैं।

(2) जब तक कि उपनियम (1) में उल्लिखित सूचना की प्राप्ति से एक मास के भीतर रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी और प्रस्थापित रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता सुनवाई के लिए आवेदन नहीं करते हैं रजिस्ट्रार आवेदन को यथास्थिति अस्वीकार या सशर्त स्वीकार कर सकेगा।

(3) यदि रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी और प्रस्थापित रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता सुनवाई के लिए आवेदन करता है तो रजिस्ट्रार दो मास के भीतर सुनवाई के लिए समय नियत करेगा और इस प्रकार उनको नियत किए गए उस समय के लिए उनको कम से कम एक मास की सूचना देगा।

(4) रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी और प्रस्थापित रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता सुनवाई के पश्चात् रजिस्ट्रार यह विनिश्चय करेगा कि आवेदन को स्वीकार किया जाए या उसे इंकार किया जाए या उसे सशर्त स्वीकार किया जाए।

(5) रजिस्ट्रार आवेदन पर अपना आदेश आवेदकों को और चिह्न के अन्य रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ताओं को, यदि कोई हो, लिखित रूप में संसूचित करेगा।

91. रजिस्ट्रार में प्रविष्टि—(1) जहां रजिस्ट्रार धारा 49 की उप-धारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी आवेदन को प्रतिग्रहण करता है वहां वह रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के रूप में प्रस्थापित रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता को रजिस्ट्रीकृत करेगा।

(2) रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता विषयक जो प्रविष्टि रजिस्ट्रार में है उसमें वह तारीख दी गई होगी जिसको रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया था और उस तारीख की बाबत यह समझा जायेगा कि वह रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के रूप में उस व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण की वह तारीख है जो कि प्रविष्टि में वर्णित है धारा 49 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (i) से उपखंड (iv) में वर्णित विशिष्टियों और कथनों के अतिरिक्त रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के नाम का वर्णन और उसके कारबार के भारत में स्थान का और यदि वह भारत में कारबार नहीं करता है, तो भारत में उसकी तामील के लिए उसका पता भी उस प्रविष्टि में दिया होगा।

92. **रजिस्ट्रीकरण से भारत के बाहर धन का पारेषण करने के लिए प्राधिकार विवक्षित नहीं है**—किसी व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण से उस करार का अनुमोदन विवेक्षित नहीं समझा जायेगा जहां तक उसका संबंध किसी धन के पारेषण से है जो भारत से बाहर किसी स्थान के लिए उक्त व्यापार चिह्न के उपयोग के लिए प्रतिफल के रूप में हो।

93. **रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण की अधिसूचना**—रजिस्ट्रीकरण उपयोक्ता के रजिस्ट्रीकरण की लिखित अधिसूचना रजिस्ट्रार व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी की रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता को और रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता को और प्रत्येक अन्य ऐसे रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता को जिसका नाम उसी व्यापार चिह्न के बारे में प्रविष्ट किया गया है, भेजेगा और रजिस्ट्रार में ऐसी प्रविष्टि के तीन मास के भीतर जनरल में भी उसी अंतःस्थापित किया जाएगा।

94. **प्रविष्टि में परिवर्तन कराने के लिए रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी का आवेदन**—व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के रजिस्ट्रीकरण के परिवर्तन के लिए जो आवेदन व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी द्वारा धारा 50 की उप-धारा (1) के खंड (क) के अधीन दिया जाता है वह प्ररूप **व्या. चि.-न्यू** में दिया जाएगा और जिन आधारों पर यह दिया गया है उनका कथन और जहां कि प्रश्नास्पद रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता सम्मति दे देता है, वहां रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता की लिखित सम्मति इसके साथ होगी।

95. **रजिस्ट्रीकरण उपयोक्ता के रजिस्ट्रकरण का रद्दकरण**—(1) धारा 50 की उप-धारा (1) के खंड (ख) से खंड (घ) तक के अधीन रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए आवेदन यथास्थिति प्ररूप **व्या. चि.-न्यू** या प्ररूप **व्या. चि.-न्यू** में होगा और जिन आधारों पर यह किया गया है उसका कथन इसके साथ होगा।

(2) धारा 49 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के पैरा (iv) के अनुसार एक कालावधि के लिए रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के रजिस्ट्रकरण की दशा में रजिस्ट्रार रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता की प्रविष्टि को उस कालावधि के अंत पर रद्द कर देगा जहां कि कुछ या सब माल या सेवाएं उनमें से छोड़ दी जाती हैं जिनके बारे में व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण हुआ है वहां रजिस्ट्रार व्यापार चिह्न के उन रजिस्ट्रीकृत उपयोगों के वृत्तों से, जिनमें कि वे समाविष्ट हैं, उन्हें छोड़ देगा। इस उपनियम के अधीन जिन रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ताओं का अनुज्ञात उपयोग उससे प्रभावित होता है उनका और उसी व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारियों का प्रत्येक छोड़ा जाना या अपखंडन रजिस्ट्रार अधिसूचित करेगा।

96. **रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता की बाबत जानकारी मांगने की रजिस्ट्रार की शक्ति**—(1) रजिस्ट्रार, किसी भी समय लिखित में सूचना द्वारा रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी से यह अपेक्षा कर सकेगा वह उसे 51 की उप-धारा (2) के अधीन जानकारी प्रस्तुत करे और उस धारा की उप-धारा (2) के अनुसार कार्रवाई करें।

97. **प्रविष्टि को परिवर्तित करने या रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने के आवेदन के संबंध में प्रक्रिया**—

(1) रजिस्ट्रार, व्यापार रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी और प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता को (जो किसी भी दशा में आवेदक नहीं है) धारा 50 के अधीन लिखित में आवेदनों को अधिसूचित करेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन अधिसूचित कोई व्यक्ति को कार्यवाहियों में भाग लेने का आशय रखता है वह रजिस्ट्रार को उस आशय की सूचना ऐसी अधिसूचना की प्राप्ति के एक मास के भीतर प्ररूप **व्या.चि.-न्यू** में देगा और उसके साथ अपने भाग लेने के आधारों का कथन भेजेगा। तदुपरि रजिस्ट्रार ऐसी सूचना और कथन की प्रतियों को तामील अन्य पक्षकारों, अर्थात् आवेदक पर रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी पर, उस रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता पर, जिसका रजिस्ट्रीकरण प्रश्नास्पद है कार्यवाही को विषयवस्तु है और अन्य किसी रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता या अनुज्ञाप्राप्त उपयोक्ता जो भाग लेता है, करेगा या करायेगा।

(3) धारा 50 के अधीन किए गए किसी आवेदन की दशा में आवेदन और उपनियम (1) के अधीन अधिसूचित कोई व्यक्ति ऐसे समय या समयों के भीतर जैसा या जैसे कि रजिस्ट्रार नियत करें, अपने मामले के समर्थन में साक्ष्य पेश कर सकेगा और रजिस्ट्रार पक्षकारों को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् आवेदन को प्रतिग्रहीत कर सकेगा या नामंजूर कर सकेगा या ऐसी किन्हीं शर्तों पर संशोधन, या रूपभेदों सहित या मर्यादाओं के अंतर्गत उसे प्रतिग्रहीत कर सकेगा जिन्हें यह अधिसूचित करना ठीक समझता है और तदनुसार वह पक्षकारों को लिखित में इत्तिला देगा।

(4) धारा 50 की उप-धारा (1) के खंड (क) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकरण में परिवर्तन करने के लिए या रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण धारा 50 की उप-धारा (1) के खंड (ग) की मद (i) से (iv) तक में वर्णित आधारों में से किसी पर किए गए आवेदन पर रजिस्ट्रार प्ररूप **व्या. चि.-न्यू** में की किसी सूचना और फाइल किए गए मामले के कथन सहित विचार करेगा और आवेदन का निपटारा करेगा और तदनुसार पक्षकारों को लिखित इत्तिला भी देगा।

98. **रजिस्ट्रीकरण उपयोक्ता आवेदन-धारा 58 की उप-धारा (2) के अधीन आवेदन व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता द्वारा या ऐसे व्यक्ति द्वारा जो, कि रजिस्ट्रार का यह समाधान कर दें कि वह रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के नाम से कार्य करने का हकदार है, प्ररूप व्या. चि.-पी में से जो भी समुचित हो प्ररूप में दिया जायेगा और शपथ पत्र द्वारा या अन्यथा ऐसा साक्ष्य देने की अपेक्षा रजिस्ट्रार कर सकेगा जैसा कि उन परिस्थितियों में ठीक समझता है जिनमें आवेदन किया गया है।**

अध्याय-7

रजिस्टर का परिशोधन तथा संशोधन, रजिस्टर का परिवर्तन या परिशोधन

99. **व्यापार चिह्न में परिशोधन या उसे रजिस्टर से हटाने के लिए आवेदन—**रजिस्टर में व्यापार चिह्न से संबोधित किसी प्रविष्टि के करने, विलुप्त करने या परिवर्तन करने के लिए धारा 47, 57, 68, या 77 के अधीन जो आवेदन रजिस्ट्रार को किया जाता है वह यथास्थिति प्ररूप व्या. चि.-ओ में तीन प्रतियों में किया जायेगा और आवेदक के हित का स्वरूप, वे तथ्य जिन पर उसका मामला धारित है, और वह अनुतोष जिसे वह चाहता है, को पूर्णतया उपवर्णित करने वाला तीन प्रतियों में एक कथन उसके साथ होगा। जहां कि आवेदन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो कि प्रश्नास्पद व्यापार चिह्न का रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी नहीं है, वहां वह आवेदन और पूर्वोक्त कथन तीन प्रतियों में व्यापार चिह्न रजिस्ट्री में दिया जाएगा। उस अवस्था में, जिसमें कि रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता है ऐसे आवेदन और कथन के साथ उनकी उतनी अतिरिक्त प्रतियां होंगी जितनी रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता है। प्रत्येक आवेदन और कथन की एक-एक प्रति रजिस्ट्रार द्वारा एक मास के भीतर रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी और रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ताओं और ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को जिसके बारे में रजिस्ट्रार को यह प्रतीत होता है कि उसका व्यापार चिह्न में हित है, साधारणतः एक मास के भीतर भेजेगा। आवेदन उसी रीति में सत्यापित किया जाएगा जो विरोध की सूचना के सत्यापन के लिए नियम 44 के उपनियम (ड) के खंड (i) के अधीन विहित है।

100. **और प्रक्रिया-नियम 99 में वर्णित आवेदन की प्रति रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी द्वारा प्राप्ति से दो मास के भीतर या कुल मिलाकर एक मास में अनधिक की ऐसी और अवधि के भीतर वह रजिस्ट्रार को प्ररूप व्या.चि.-ओ में तीन प्रतियों में उन आधारों का एक प्रतिकथन भेजेगा जिस पर आवेदन के बारे में प्रति विरोध किया गया है और यदि वह ऐसा करता है कि जो रजिस्ट्रार प्रतिकथन की एक प्रति की तामील आवेदन करने वाले व्यक्ति पर उसकी प्राप्ति के एक मास के भीतर करेगा। नियम 99 में उल्लिखित आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर यदि कोई प्रतिकथन फाइल नहीं किया जाता तो संशोधन हेतु आवेदक नियम 46(1) के प्रावधानों के तहत संशोधन हेतु अपने आवेदन के समर्थन में साक्ष्य फाइल करेगा। नियम 47 से नियम 52 तक के उपबंध इस आवेदन विषयक और कार्यवाहियों के संबंध में उसके पश्चात् यथा-परिवर्तित रूप में लागू हों।**

101. **पक्षकारों द्वारा मध्यक्षेप-रजिस्ट्रीकृत—**स्वत्वधारी से भिन्न कोई व्यक्ति जो व्यापार चिह्न के संबंध में अपने हित, जिसके बारे में नियम 99 के अधीन आवेदन किया गया है, वह मध्यक्षेप करने के लिए इजाजत के लिए अपने हित का स्वरूप का कथन करके प्ररूप व्या. चि.-ओ में आवेदन कर सकेगा और रजिस्ट्रार संबद्ध पक्षकारों की सुनवाई करने के पश्चात् (यदि ऐसा अपेक्षित हो) ऐसी शर्तों और निबंधनों पर दे जैसी कि वह लागत की सुरक्षा के लिए अधिरोपित करना ठीक समझे ऐसी इजाजत देने से इंकार कर सकेगा या ऐसी इजाजत दे सकेगा।

102. **रजिस्ट्रार द्वारा स्वप्रेरणा से रजिस्टर का परिशोधन—**(1) रजिस्ट्रार ऐसी सूचना की धारा 57 की उप-धारा (4) के अधीन देनी अपेक्षित है, रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी को प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता को, यदि कोई हो, और किसी अन्य व्यक्ति को, जिसकी बाबत यह प्रतीत होता है कि व्यापार चिह्न में उसका कोई हित है, लिखित रूप में भेजी जाएगी और इसमें उन आधारों का कथन करेगा जिन पर रजिस्ट्रार रजिस्टर का परिशोधन करने की प्रस्थापना करता है और उसमें ऐसी सूचना की तारीख से अन्यून एक मास का वह समय भी विनिर्दिष्ट किया जाएगा जिसके भीतर सुनवाई के लिए आवेदन किया जाएगा:

परन्तु कि रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी को कोई सूचना न भेजी गयी हो, रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी ने लिखित रूप में रजिस्ट्रीकरण के निरस्तीकरण हेतु अनुरोध या सहमति दी हो; और तदनु रूप रजिस्टर संशोधित किया जाएगा।

(2) जब कि पूर्वोक्त सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर, कोई व्यक्ति जिसे इस प्रकार अधिसूचित किया गया है, रजिस्ट्रार को उन तथ्यों को देते हुए, जिन पर वह सूचना में कथित आधारों को पूरा करने के लिए विश्वास करता है, लिखित में कथन नहीं भेजता है, या सुनवाई किए जाने के लिए आवेदन नहीं करता है, तो यह समझा जाएगा कि वह कार्यवाहियों में भाग नहीं लेना चाहता और रजिस्ट्रार तदनुसार कार्यवाई कर सकेगा।

(3) यदि रजिस्ट्रार रजिस्टर का परिशोधन करने या विनिश्चय करता है तो वह अपना विनिश्चय रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी को और प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत या अनुज्ञात उपयोक्ता को यदि कोई हो लिखित रूप में संसूचित करेगा।

पते में परिवर्तन

103. **रजिस्टर में पते का परिवर्तन—(1)** व्यापार चिह्न का वह रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता, जिसके यथास्थिति कारबार का भारत में मुख्य स्थान का या स्वदेश का पता, इस भांति परिवर्तित हो गया है, जिससे कि रजिस्टर में की प्रविष्टि अशुद्ध हो गई है, रजिस्ट्रार से यह निवेदन प्ररूप **व्या. चि.-पी** में तत्क्षण करेगा कि रजिस्टर में पते को समुचित रूप से बदल दे और यदि रजिस्ट्रार का समाधान इस बाबत हो जाता है तो वह रजिस्टर में तदनुसार परिवर्तित कर देगा।

(2) व्यापार चिह्न का रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता जिसका भारत में तामील के लिए वह पता जो रजिस्टर में प्रविष्टि है, चाहे तो इस कारण कि प्रविष्टि पता अमल में नहीं रहा है या किसी अन्य कारण से इस प्रकार बदल गया है कि रजिस्टर में वह प्रविष्टि अशुद्ध हो गई है, रजिस्ट्रार से प्ररूप **व्या. चि.-पी** में तत्क्षण यह निवेदन करेगा कि रजिस्टर में के पते को समुचित रूप से बदल दे और यदि रजिस्ट्रार का इस विषय में समाधान हो जाता है, जो वह तदनुसार रजिस्टर में परिवर्तन कर देगा।

(3) व्यापार चिह्न का रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या रजिस्ट्रीकृत अथवा अनुज्ञात उपयोक्ता जिसके कारबार का भारत में मुख्य स्थान का पता जिसके स्वदेश का पता या भारत में जिसकी तामील का पता लोक प्राधिकारी द्वारा ऐसे बदल दिया गया है कि परिवर्तित पते से भी वही परिसर अभिहित है जो कि रजिस्टर में प्रविष्टि है, रजिस्ट्रार से **व्या. चि.-पी** में पूर्वोक्त निवेदन करेगा और यदि वह ऐसा करता है, तो वह उसके साथ उक्त प्राधिकारी द्वारा दिए गए परिवर्तन का प्रमाणपत्र देगा। यदि रजिस्ट्रार का समाधान मामले में तथ्यों के संबंध में हो जाता है, तो वह रजिस्टर में तदनुसार परिवर्तन करेगा, किंतु प्ररूपों पर दी जाने वाली कोई फीस नियम 11 के उपनियम (2) या नियम 11 के उपनियम (2) के उपबंधों के होते हुए भी नहीं मांगेगा।

(4) (i) जहां कि रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी उपनियम (1), (2) या (3) के अधीन निवेदन करता है वहां यदि कोई रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता है या है तो वह निवेदन कि प्रति तामील उस या उन पर करेगा और तदनुसार रजिस्ट्रार को इतिला देगा।

(ii) जहां कि पूर्वोक्त निवेदन रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता द्वारा किया जाता है वहां वह निवेदन की प्रति की तामील रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी और प्रत्येक अन्य रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ताओं पर यदि कोई हो, करेगा और रजिस्ट्रार को इतिला देगा कि उससे यह बात कर दी है।

(5) व्यक्ति को जो पता व्यापार चिह्न के एक से अधिक रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के भारत में तामील के लिए पते के रूप में लिखा हुआ है, उसे परिवर्तित कराने के मामले में रजिस्ट्रार प्ररूप **व्या. चि.-50** में जिसे मामले के लिए उपयोज्य करने के लिए संशोधित कर लिया गया है उस व्यक्ति का वह आवेदन जो उस पते की बाबत है यह सिद्ध किए जाने पर कि उक्त पता आवेदक का पता है और उस दशा में जिसमें कि रजिस्ट्रार का समाधान हो जाता है कि वैसा करना ठीक होगा, आवेदक के पते की प्रविष्टियों में समुचित परिवर्तन उन विभिन्न रजिस्ट्रारकरणों में, जिनकी विशिष्टियां प्ररूप में दी जायेगी उसे तामील के पते के रूप में करने के वास्ते ले सकेगा और तदनुसार प्रविष्टियों में परिवर्तन कर सकेगा।

(6) जब तक कि अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में रजिस्ट्रार अन्यथा करने की अनुज्ञा नहीं देता है, प्ररूप **व्या. चि.-पी** इस नियम के अधीन किए जाने वाले आवेदन यथास्थिति रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता अथवा ऐसे आवेदन के प्रयोजन के लिए उसके द्वारा अभिव्यक्त रूपेण प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होंगे।

रजिस्टर की शुद्धि

104. **धारा 58(1) के अधीन आवेदन—**जहां कि धारा 58 की उप-धारा (1) के अधीन आवेदन शुद्धि परिवर्तन रद्दकरण या माल या सेवाओं को काट देने के प्रयोजन से या ज्ञापन की प्रविष्टि कराने की दृष्टि से रजिस्टर में परिवर्तन करने के लिए किया गया है, वहां रजिस्ट्रार आवेदक से अपेक्षा कर सकेगा कि आवेदक शपथ पत्र द्वारा या अन्यथा ऐसा साक्ष्य जैसा कि रजिस्ट्रार ठीक समझता है उन परिस्थितियों के बारे में जिन परिस्थितियों में आवेदन किया गया है। ऐसा आवेदन प्ररूप **व्या. चि.-पी** में किया जाएगा और उसकी एक प्रति की तामील प्रशास्य व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के अधीन रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता या उपयोक्ताओं पर और ऐसे किसी अन्य व्यक्ति पर जिसकी बाबत रजिस्टर से यह प्रतीत होता है कि वह व्यापार चिह्न में हित रखने वाला है, आवेदक द्वारा की जाएगी।

105. **रजिस्टर व्यापार चिह्न में परिवर्तन—**जहां कि कोई व्यक्ति धारा 59 के अधीन अपने रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न का परिवर्तन या परिवर्तन करने की इजाजत के लिए आवेदन करता है, वहां वह अपना आवेदन प्ररूप **व्या.चि.-पी** में लिखित रूप में करेगा और उस चिह्न की दो प्रतियां देगा जैसा कि वह ऐसा परिवर्धित किए जाने या परिवर्तित किए जाने के पश्चात् प्रतीत होगा। आवेदन और इस भांति संशोधित या परिवर्तित चिह्न की प्रति तामील आवेदक प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता पर, यदि कोई से, कराएगा।

106. विनिश्चय और विरोध आदि के पूर्व विज्ञापन—(1) रजिस्ट्रार आवेदन पर विचार करेगा और यदि उसे यह बात इष्टकर प्रतीत हो, तो आवेदन पर विनिश्चय करने के पूर्व उसे जनरल में विज्ञापित करायेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन विज्ञापन की तारीख से तीन मास के भीतर या कुल मिलाकर एक मास से अनधिक ऐसी और कालावधि के भीतर, वैसी कि रजिस्ट्रार समनुज्ञात करे, कोई व्यक्ति आवेदन का विरोध करने की सूचना प्ररूप ब्या.चि.-पी में दे सकेगा और उसके साथ अपनी आपत्तियों का कथन भी देगा। सूचना और यदि कोई कथन हो तो तीन प्रतियों में भेजे जाएंगे उस अवस्था में जिसमें प्रश्नास्पद पद व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता है वहां ऐसी सूचना और कथन के साथ उनकी अपनी प्रतियाँ भी होंगी जितने कि रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता है। सूचना और कथन प्रत्येक की एक-एक रजिस्ट्रार रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी को और प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत या अनुज्ञात उपयोक्ता को यदि कोई हो, तत्क्षण भेजेगा और रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी अपने को ऐसी प्रतियों के मिलने से दो मास के भीतर उन आधारों वाला एक प्रतिकथन जिन पर विरोध का प्रतिविरोध किया गया है, रजिस्ट्रार को प्ररूप ब्या. चि.-ओ में तीन प्रतियों में भेजेगा। यदि रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी ऐसा प्रतिकथन भेजता है तो रजिस्ट्रार उसकी एक प्रति तामील विरोध की सूचना देने वाले व्यक्ति पर एक मास के भीतर करायेगा और विरोध पर होने वाली और कार्यवाहियों के संबंध में नियम 46 से लेकर नियम 52 तक के उपबंध यथापरिवर्तित रूप में लागू होंगे। रजिस्ट्रार आवेदन को केवल इस कारण ही नामंजूर नहीं करेगा कि रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी ने प्रतिकथन फाइल नहीं किया है। जब कि उसका यह समाधान नहीं हो जाता है कि प्रतिकथन फाइल करने में विलंब स्वेच्छा से है और मामले की परिस्थितियों में न्याय संगत नहीं ठहरता है। कोई पत्रकार रजिस्ट्रार से निदेश प्राप्त करने के लिए आवेदन उस दशा में कर सकेगा जिसमें किसी बात विषयक कोई शंका है।

(3) यदि उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई विरोध नहीं किया जाता है तो रजिस्ट्रार आवेदक को उस दशा में सुनने के पश्चात् जिसमें कि आवेदक ऐसी इच्छा प्रकट करता है, आवेदक को मंजूर या नामंजूर कर सकेगा और आवेदक को अपने विनिश्चय को लिखित संसूचना देगा।

107. विनिश्चय-विज्ञापन-अधिसूचना—यदि रजिस्ट्रार आवेदन को अनुज्ञा करने का विनिश्चय करता है तो यह रजिस्टर में तदनुसार चिह्न परिवर्तित करेगा और जनरल में एक अधिसूचना निकलवाएगा कि चिह्न परिवर्तित कर दिया गया है।

108. वर्तमान रजिस्ट्रीकरण के लिए पुनर्वर्गीकरण—(1) माल और सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण (एनआईसीई वर्गीकरण) का संशोधन होने पर, व्यापार चिह्न का रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी प्ररूप ब्या. चि.-पी में आवेदन रजिस्ट्रार से अपने व्यापार चिह्न विषयक विनिर्देश का संपरिवर्तन करने के वास्ते कर सकेगा कि वह विनिर्देश संशोधित वर्गीकरण के अनुरूप हो जाए।

(2) रजिस्ट्रार माल और सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण (एनआईसीई वर्गीकरण) के अनुसरण में माल और सेवाओं के विवरण या वर्गीकरण, यथास्थिति में संशोधन करेगा।

(3) यदि अनुमोदित हो तो माल और सेवाओं का वर्णन या वर्गीकरण में संशोधन जर्नल में विज्ञापित किया जाएगा और उसके बाद उस रजिस्ट्रीकरण से संबंधित रजिस्ट्री की प्रविष्टि तदनुसार संशोधित की जाएगी।

अध्याय-8

प्रकीर्ण

109. भौगोलिक उपदर्शन का विरोध करने वाले व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण से इंकार करना और उसका अविधि मान्यताकरण—रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न से इंकार करने या उसको अविधिमान्य करने के लिए अनुरोध हितबद्ध पक्षकार द्वारा रजिस्ट्रार को मामले के कथन के साथ और एक शपथपत्र के साथ, ब्या.चि.-सी में किया जा सकेगा जिसमें—

(क) ऐसा माल या मालों के वर्ग या वर्गों की बाबत ऐसा भौगोलिक उपदर्शन अंतर्विष्ट या समाविष्ट होगा, जो किसी देश के राज्यक्षेत्र में या उस देश के किसी प्रदेश या स्थान में उत्पादित नहीं होते हैं, जिसमें ऐसे भौगोलिक उपदर्शन उपदर्शित होते हैं, यदि ऐसे मालों के लिए व्यापार चिह्न में ऐसे भौगोलिक उपदर्शन का उपयोग ऐसी प्रकृति का है, जो व्यक्तियों की वास्तविक उत्पादन के स्थान के बारे में ऐसे माल या माल के वर्ग या वर्गों के बारे में संदेह पैदा करता है या भ्रमित करता है।

(ख) माल का भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 (1999 का 48) की धारा 22 की उप-धारा (2) के अधीन अधिसूचित माल या माल के वर्ग या वर्गों की पहचान करने वाले भौगोलिक उपदर्शन अंतर्विष्ट या समाविष्ट हैं।

110. धारा 18 की उप-धारा (2) के अधीन एकल आवेदन—(1) जहां माल या सेवाओं की विभिन्न वर्गों के लिए किसी व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन धारा 18 की उप-धारा (2) के अधीन किया जाता है वहां उसमें अंतर्विष्ट माल या सेवाओं के विनिर्देश में न्यूनतम संख्या के साथ प्रारम्भ होने वाले लगातार संख्यात्मक क्रम में उन वर्गों को और माल या सेवाओं के प्रत्येक वर्ग के अधीन सूची जो उस वर्ग के लिए समुचित हो उपवर्णित होगी।

(2) यदि किसी व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए मूल आवेदन में अंतर्विष्ट माल या सेवाओं के विनिर्देश चौथी अनुसूची में किसी वर्ग या वर्गों के प्रतिनिर्देश करते हैं, जो उसके अंतर्गत नहीं आते हैं। रजिस्ट्रार आवेदक से अपेक्षा कर सकेगा कि वह **व्या. चि.-एम** में वर्गीकरण त्रुटि को ठीक करे:

परन्तु सभी माल और सेवाएं निर्दिष्ट वर्ग के अलावा अन्य वर्ग में आती हों, रजिस्ट्रार प्ररूप **व्या.चि.-एम** पर अनुरोध फाइल करने पर वर्ग में परिमार्जन की अनुज्ञा देगा।

(3) धारा 18 की उप-धारा (2) के अधीन फाइल किए गए आवेदनों को जब विज्ञापित करने के लिए आदेश दिया जाता है तब जनरल के पृथक खंड में उनको प्रकाशित किया जाएगा।

(4) रजिस्ट्रार धारा 18 की उप-धारा (2) के अधीन किसी ऐसे आवेदन की बाबत जिस पर रजिस्ट्रीकरण के लिए कार्यवाही की जा चुकी है, रजिस्ट्रीकरण का एकल प्रमाण पत्र जारी करेगा।

111. सम्भागीय आवेदन—(1) जहां किसी एकल लंबित आवेदन के विभाजन के लिए धारा 22 के परन्तुक के अधीन प्ररूप **व्या. चि.-एम** में कोई आवेदन किया जाता है, रजिस्ट्रार डिविजनल फीस के भुगतान पर उस आवेदन को दो या अधिक पृथक आवेदनों में विभाजित करेगा।

(2) आवेदन के विभाजन के मामले में रजिस्ट्रार प्रत्येक डिविजनल आवेदन को रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रारंभिक आवेदन के समान फाइलिंग तारीख के साथ पृथक आवेदन मानेगा।

(3) विभाजन के समय पर मूल आवेदन के संबंध में आवेदक द्वारा किसी कार्य के लिए कोई समय सीमा विभाजन की तारीख का विचार किए बिना विभाजन द्वारा सृजित प्रत्येक नए पृथक आवेदन को लागू होगी।

(4) आवेदन के विभाजन के मामले में जहां रजिस्ट्रार यथास्थिति अतिरिक्त पृथक नए क्रम संख्या या संख्यांक समनुदेशित करेगा और उसमें मूल आवेदन के साथ प्रतिनिर्देश करेगा।

(5) संदेह के निवारण के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि जब किसी एकल आवेदन को विभाजित किया जाता है कोई नया रजिस्ट्रीकरण नहीं किया जाता है। इसके विपरीत जो आवेदन पहले से ही फाइल किया जाता है उसको पृथक-पृथक फाइलों में केवल पृथक किया जाता है या विभाजित किया जाता है।

112. समय बढ़ाना—(1) धारा 131 के अधीन ऐसे समय के बढ़ाने के लिए (जो अधिनियम में अभिव्यक्ति रूपेण उपबंधित या नियम 86 या नियम 87 के उपनियम (4) द्वारा विहित समय नहीं है, या जो ऐसा समय नहीं है जिसके विस्तार के लिए नियमों में उपबंध किया गया है) प्ररूप **व्या. चि.-एम** में किया जायेगा।

113. रजिस्ट्रार की वैवेकिक शक्ति का प्रयोग—सुनवाई का अवसर पाने के लिए धारा 128 के अधीन हकदार व्यक्ति जिस समय के अंदर इस बात विषयक कि उसकी सुनवाई की जाए अपेक्षा करने की बाबत अपने विकल्प का प्रयोग करेगा, वह समय, अधिनियम या नियमों में अभिव्यक्त रूपेण अन्यथा उपबंधित के सिवाय उस सूचना की तारीख से एक मास का समय होगा जो सूचना कि रजिस्ट्रार उस विषय पर अपना अवधारण करने से पूर्व ऐसे व्यक्ति को देगा जिस विषय के प्रति निर्देश से सुनवाई के लिए ऐसा व्यक्ति हकदार है। यदि ऐसा व्यक्ति अपनी सुनवाई की जाने की अपेक्षा उस मास के अंदर कर देता है तो रजिस्ट्रार सुनवाई के लिए तारीख नियम करेगा और उसको उसके दस दिन की सूचना देगा।

114. विनिश्चय की अधिसूचना—अधिनियम या नियमों द्वारा जो कोई वैवेकिक शक्ति रजिस्ट्रार को दी गई है उसके प्रयोग में किया गया रजिस्ट्रार का विनिश्चय उस व्यक्ति को अधिसूचित किया जाएगा जिस पर प्रभाव पड़ता है।

115. प्रक्रिया विषयक अनियमितताओं का संशोधन और परिमार्जन—(1) व्यापार चिह्न के किसी दस्तावेज में या रेखाचित्र या अन्य समाकृति में संशोधन किया जा सकेगा और प्रक्रिया में हुई ऐसी किसी अनियमितता का, जो रजिस्ट्रार की यह राय में किसी व्यक्ति के हितों को हानि पहुंचाए बिना दूर की जा सकेगी, यदि रजिस्ट्रार ऐसा करना उचित समझता है, परिमार्जित की जा सकेगी, तो ऐसे निबंधनों पर, जैसा कि यह निदेश दे।

(2) रजिस्ट्रार किसी आवेदन या व्यापार चिह्न की समाकृति को या किसी अन्य दस्तावेज को अधिनियम को यथारूप अपेक्षाओं के अनुरूप करने के लिए उसे संशोधित करने की या परिवर्धित करने की अपेक्षा कर सकेगा।

116. अन्यथा विहित न किए गए निदेश—जहां कि रजिस्ट्रार की यह राय है कि अधिनियम या नियमों के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के उचित अभियोजन या उनकी समाप्ति के लिए यह बात किसी व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह ऐसा कार्य करे, ऐसी दस्तावेज फाइल करे या ऐसा साक्ष्य पेश करे जिसके विषय में कोई उपबंध अधिनियम या नियमों में नहीं हुआ है, तो रजिस्ट्रार लिखित सूचना द्वारा उस व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह व्यक्ति सूचना में विनिर्दिष्ट कार्य करे, दस्तावेज फाइल करे या साक्ष्य पेश करे।

117. धारा 115(4) के अधीन रजिस्ट्रार की राय—(1) जहां धारा 115 की उप-धारा (4) के परन्तुक के अधीन उसकी राय के लिए रजिस्ट्रार को कोई मामला निर्देशित कर दिया गया है वहां ऐसी राय को निर्देशित करने वाले प्राधिकारी को ऐसी लिखित संसूचना की प्राप्ति के कार्यकरण के सात दिन के भीतर सील बंद लिफाफे में अग्रेषित कर दिया जाएगा और रजिस्ट्रार इस प्रकार निर्देशित मामले में पूर्ण गोपनीयता सुनिश्चित करेगा।

(2) इस नियम के अधीन राय, रजिस्ट्रार या अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) के अधीन इस प्रयोजन के लिए विशिष्ट रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा दी जाएगी और अभिहित प्राधिकारी का नाम जनरल में प्रकाशित किया जाएगा।

118. सुनवाई—(1) उस व्यापार चिह्न के संबंध में जिसके रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन अधिसूचित तारीख को या तत्पश्चात् किया जाता है, उस आवेदन की सुनवाई और साथ ही अधिनियम या नियमों के अधीन तद्विषयक कोई कार्यवाही उस दशा में, जिसमें कि सुनवाई आवश्यक हो जाती है, उस व्यापार चिह्न रजिस्ट्रीकरण कार्यालय, जिसमें कि ऐसा आवेदन धारा 18 की उप-धारा (3) के अधीन किया गया था, या उस स्थान जो कि उस कार्यालय की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर है, में से वहाँ होगी जहां कि उसका होना रजिस्ट्रार उचित समझता है।

(2) उस व्यापार चिह्न के संबंध जिसके रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन रजिस्ट्रार के समक्ष अधिसूचित तारीख को लंबित है, उस आवेदन की सुनवाई या अधिनियम या नियमों के अधीन तद्विषयक कोई कार्यवाही, यदि कोई हो, समुचित व्यापार चिह्न रजिस्ट्रीकरण कार्यालय या उस स्थान, जो कि उक्त कार्यालय की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर है, में से वहाँ होगी जहां कि उसका होना रजिस्ट्रार उचित समझता है।

(3) व्यापार चिह्न रजिस्ट्रार में जो व्यापार चिह्न, अधिसूचित तारीख की चढ़ा हुआ है, अधिनियम और नियमों के अधीन तद्विषयक कार्यवाही के सिलसिले में सुनवाई, यदि कोई हो समुचित व्यापार चिह्न रजिस्ट्री कार्यालय या उस स्थान, जो कि उक्त कार्यालय की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर है, में से वहाँ होगी जहां कि उसका होना रजिस्ट्रार उचित समझता है।

(4) रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करने वाले जिस पदाधिकारी ने अधिनियम या नियमों के अधीन किसी मामले को सुन लिया है और उस पर आदेश बाद में देने के लिए उसे अपने पास रख लिया है, जहां कि उसकी बदली एक रजिस्ट्रीकरण कार्यालय से दूसरी रजिस्ट्रीकरण कार्यालय को हो जाती है या उस पर आदेश देने या विनिश्चय करने से पूर्व वह दूसरी नियुक्ति पर वापिस चला जाता है वहां यदि रजिस्ट्रार ऐसा निदेश देता है तो वह वैसे ही आदेश दे सकेगा या विनिश्चय कर सकेगा जैसे कि वह उस अवस्था में देता या करता जिसमें कि वह उस रजिस्ट्रीकरण कार्यालय पदाधिकारी बना रहता जहां कि मामले कि सुनवाई हुई थी।

रजिस्ट्रार द्वारा खर्चों का दिलवाना

119. जिन मामलों में प्रतिविरोध नहीं किया गया है, उनमें खर्च—जहां नियमों के अधीन सम्यकरूपेण संस्थित किसी विरोध का प्रतिविरोध आवेदक द्वारा नहीं किया गया है, वहाँ रजिस्ट्रार यह विनिश्चय करने में कि क्या खर्चा विरोधी को दिलवाया जाना चाहिए, इस बात पर विचार करेगा कि विरोध की सूचना से फाइल किये जाने के पूर्व यदि आवेदक को विरोधी युक्तियुक्त सूचना दे देता तो क्या कार्यवाहियां न होती।

120. नियम 119 का अपवाद—नियम 119 में किसी बात के होते हुए भी पहली अनुसूची की प्रविष्टियाँ 10, और 11 के अधीन विनिर्दिष्ट फीस और कार्यवाही में दिए गए शपथपत्रों पर लगे और चिपकाए गए सभी मुद्रांकों लेखें हुआ खर्च के अनुसार होगा।

121. खर्चों का मापमान—छठी अनुसूची में उसके लिए अनुज्ञेय रकम से अनधिक ऐसे खर्च रजिस्ट्रार, अपने समक्ष वाली सभी कार्यवाहियों में उस अवस्था के सिवाय जिसमें कि अधिनियम द्वारा अन्यथा अभिव्यक्त रूपेण उपबंधित है नियम 119 और 120 के उपबंधों के अधीन रहते हुए दिलवाएगा जिसे वह मामले की सभी परिस्थितियों पर विचार करके युक्तियुक्त समझता है।

रजिस्ट्रार द्वारा विनिश्चय का पुनर्विलोकन

122. **रजिस्ट्रार के विनिश्चय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन**—रजिस्ट्रार के विनिश्चय का पुनर्विलोकन करने के लिए धारा 127 के उप खण्ड (ग) के अधीन उससे आवेदन ऐसे विनिश्चय की तारीख से एक मास के अंदर या तत्पश्चात् एक मास से अनधिक इतनी अपर कालावधि के अंदर, जितनी कि रजिस्ट्रार अपने से की गई प्रार्थना पर समनुज्ञात करे, प्ररूप **ब्या. चि.-एम** में दिया जायेगा, और उन आधारों वाला, जिन पर पुनर्विलोकन चाहा गया है, एक कथन उसके साथ होगा। जहां कि प्रश्नास्पद विनिश्चय आवेदक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से भी समपृक्त है, वहां ऐसे आवेदन और कथन की तीन प्रतियां दी जाएंगी और रजिस्ट्रार आवेदन और कथन की एक-एक प्रति अन्य समपृक्त व्यक्ति को तत्क्षण भेजेगा। रजिस्ट्रार, पक्षकारों को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् आवेदन को या तो नामंजूर कर देगा या बिना शर्त के या ऐसी किन्हीं शर्तों या मर्यादाओं के अधीन जैसी कि वह ठीक समझता है, उसे मंजूर कर लेगा।

शपथ पत्र

123. **शपथ पत्रों के प्ररूप आदि—(1)** अधिनियम और नियमों के अधीन जिन शपथ पत्रों की बाबत यह अपेक्षित है कि वे व्यापार चिह्न रजिस्ट्री में फाइल किए जाए या रजिस्ट्रार को दिए जाएं, वे उस सूरत में के सिवाय, जिसमें कि द्वितीय अनुसूची में अन्यथा उपबंधित हैं, उस बात या बातों वाले शीर्षक से होंगे, जिससे या जिनसे कि वे संबद्ध है उत्तम पुरुष में लिखे होंगे क्रमवार संख्या वाले पैराओं में विभाजित होंगे और प्रत्येक पैरा यावत्साध्य एक बात तक परिसीमित होगा और प्रत्येक शपथ पत्र में उसे करने वाले व्यक्ति का अभिवर्णन और उसका सही निवास स्थान दिया होगा, उसे फाइल करने वाले व्यक्ति का नाम और पता उसमें दिया होगा और उसमें यह भी कथित होगा कि किसी ओर से वह फाइल किया गया है।

(2) जहां कि दो या दो से अधिक व्यक्ति शपथ पत्र में सम्मिलित होते हैं वहां उनमें से प्रत्येक पृथक्: ऐसे तथ्यों का अभिलक्ष्य देगा जो उसके निजि ज्ञान में हैं और वे तथ्य पृथक्-पृथक् पैराओं में दिए जाएंगे।

(3) शपथ पत्र—(क) भारत में ऐसे किसी न्यायालय के या व्यक्ति के समक्ष, जिसे साक्ष्य लेने या प्राधिकार विधि द्वारा प्राप्त है, या ऐसे किसी अधिकारी के समक्ष, जो उपर्युक्त जैसे न्यायालय द्वारा शपथ दिलाने के लिए या लेख्य प्रमाणक के समक्ष शपथ पत्र कराने के लिए सशक्त है कराए जाएंगे;

(ख) भारत के बाहर किसी देश या स्थान में राजनयिक और काउंसलीय आफिसर (शपथ और फीस) अधिनियम, 1948 (1948 का 41) के अर्थ में ऐसे देश या स्थान के राजनयिक या काउंसलीय आफिसर के समक्ष या देश या स्थान के लेख्य प्रमाणक के समक्ष या किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के समक्ष, किए जाएंगे।

(4) जिस व्यक्ति के सामने शपथ पत्र किया जाएगा, वह उस तारीख को, जिस पर, और उस स्थान को, जहां शपथ पत्र किया गया है, लिख देगा और यदि उसकी अपनी मुद्रा है, तो उसे उस पर लगाएगा या उस न्यायालय की मुद्रा लगाएगा जिससे वह संलग्न है और उसके अंत में अपना नाम और अभिवर्णन देकर हस्ताक्षर करेगा।

(5) उस शपथ पत्र को जिसकी बाबत यह प्रकटतः तात्पर्य है कि उस पर इस बात के परिसाक्ष्य स्वरूप कि वह उस व्यक्ति के समक्ष किया गया है, जो शपथ पत्र कराने के लिए उपनियम (3) द्वारा प्राधिकृत है, ऐसे व्यक्ति की मुद्रा लगी हुई या हस्ताक्षर किया हुआ है, रजिस्ट्रार उस मुद्रा या हस्ताक्षर के असल होने की या उस व्यक्ति की पदीय हैसियत की सिद्धि बिना ग्रहण कर सकेगा।

(6) परिवर्तन और पंक्तियों के बीच लिखी बातों को इससे पूर्व कि शपथ पत्र सौगंध लेकर या प्रतिज्ञान करके किया जाए, उस व्यक्ति के आद्याक्षरों द्वारा अभिप्रमाणित किया जाएगा, जिसके समक्ष शपथ पत्र किया गया है।

(7) जहां कि अभिसाक्ष्यकर्ता निरीक्षर, अंधा या उस भाषा से अपरिचित है जिसमें शपथ पत्र लिखा गया है, वहां शपथ कराने वाले व्यक्ति द्वारा या प्रमाणपत्र कि शपथ पत्र उसके समक्ष अभिसाक्ष्यकर्ता को पढ़कर सुनाया गया, उसके वास्ते उसका अनुवाद किया गया या उसकी व्याख्या की गई और यह प्रतीत हुआ कि अभिसाक्ष्यकर्ता उसे पूर्णतः समझता है और यह कि अभिसाक्ष्यकर्ता ने मेरी उपस्थिति में अपने हस्ताक्षर किए या चिह्न बनाया शपथ पत्र के निचले भाग में दिया होगा।

(8) अधिनियम या नियमों के अधीन वाली किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में जो शपथ पत्र रजिस्ट्रार के समक्ष फाइल किया जाता है वैसा प्रत्येक शपथ पत्र तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार लगाने वाले मुद्रांक पर होगा।

जनता द्वारा दस्तावेजों का निरीक्षण

124. **दस्तावेजों का निरीक्षण**—धारा 148 की उप-धारा (1) में वर्णित दस्तावेज निरीक्षण के लिए व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के उपयुक्त कार्यालय में रजिस्ट्रार द्वारा यथा नियत समय पर सभी कार्य दिवसों में प्रथम अनुसूची में उल्लिखित फीस के भुगतान पर उपलब्ध होंगे।

प्रमाणपत्र

125. **दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां**—रजिस्ट्रार में किसी प्रविष्टि की प्रमाणित प्रतियां या धारा 148 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी दस्तावेज की या रजिस्ट्रार के किसी विनिश्चय या आदेश की प्रमाणित प्रतियां या धारा 23 की उप-धारा (2) के अधीन वाले प्रमाण पत्र से भिन्न प्रमाण पत्र जो कि ऐसी किसी प्रविष्टि बात या चीज से सम्बद्ध है जिसे कि रजिस्ट्रार, अधिनियम या नियमों द्वारा करने के लिए प्राधिकृत या अपेक्षित है, रजिस्ट्रार विहित फीस सहित उसके लिए किसी व्यक्ति द्वारा प्ररूप **व्या.चि.-एम** में किए गए अनुरोध के साथ प्रथम अनुसूची में उल्लिखित फीस के भुगतान पर दे सकेगा:

परंतु रजिस्ट्रार उपर्युक्त वर्णित प्रमाणित प्रतियों को उसकी सामान्य फीस की पांच गुणी फीस के संदाय पर उस आशय के लिए प्राप्त प्ररूप **व्या.चि.-एम** में आवेदन पर तीस कार्य दिवस के भीतर शीघ्रता से दे देगा।

126. **अंतर्राष्ट्रीय अस्वत्वधारी नामों को अधिसूचित करने की रजिस्ट्रार की शक्ति**—रजिस्ट्रार धारा 13 की उप-धारा (ख) में निर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय अस्वत्वधारी नामों के रूप में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जो शब्द घोषित किए जाते हैं उन्हें जरनल में समय-समय पर प्रकाशित कर सकेगा।

127. **रजिस्ट्रार द्वारा सुज्ञात व्यापार चिह्न का निर्धारण**—(1) कोई व्यक्ति प्ररूप **व्या.चि.-एम** में किए गए आवेदन और प्रथम अनुसूची में उल्लिखित फीस के भुगतान के बाद रजिस्ट्रार के समक्ष किसी व्यापार चिह्न को सुज्ञात निर्धारित करने का अनुरोध कर सकता है। ऐसे अनुरोध के साथ संदर्भ का कथन सभी साक्ष्य और दस्तावेज सहित होने चाहिए जिसे आवेदक अपने दावे के समर्थन में सहायक समझे।

(2) निर्धारण के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रार इस विषयक सीमा निश्चित करेंगे और वैसे दस्तावेज की माँग करेंगे जो उन्हें उपयुक्त लगे।

(3) व्यापार चिह्न के सुज्ञात चिह्न के रूप में निर्धारित होने की स्थिति में उसे रजिस्ट्रार द्वारा सुज्ञात व्यापार चिह्न की सूची में शामिल किया जाना चाहिए।

(4) रजिस्ट्रार किसी भी समय यदि यह पाता है कि व्यापार चिह्न भूलवश या गैर इरादतन रूप से सुज्ञात व्यापार चिह्न की सूची में शामिल हो गया है तो वह उसे सूची से हटा देगा।

128. **अपील के लिए समय**—अधिनियम या शर्तों के अधीन रजिस्ट्रार के किसी विनिश्चय से बौद्धिक सम्पदा अपील बोर्ड को अपील ऐसे विनिश्चय की तारीख से तीन मास के भीतर की जाएगी।

129. **रजिस्ट्रार को तामील**—अधिनियम के अधीन बौद्धिक सम्पदा अपील बोर्ड को किए प्रत्येक आवेदन की एक प्रति की तामील रजिस्ट्रार पर की जाएगी।

विधि मान्यता का प्रमाण पत्र

130. **विधि मान्यता के प्रमाण पत्र का नोट लिया जाना**—(1) जहां कि बौद्धिक सम्पदा अपील बोर्ड ने रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न की विधि मान्यता के संबंध में, प्रमाण धारा 141 में यथा उपबंधित रूप में दिया है, वहां उसका रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी रजिस्ट्रार से प्ररूप **व्या.चि.-47** में यह निवेदन कर सकेगा कि रजिस्ट्रार में की प्रविष्टि में यह टिप्पण बढ़ाया जाए कि विधि मान्यता का प्रमाणपत्र, जिसकी विशिष्टियां निवेदन में दी जाएंगी, कार्यवाहियों के दौरान अनुदत्त किया गया है। प्रमाण पत्र की जो प्रति राजकीय रूप से प्रमाणित है वह इस निवेदन के साथ भेजी जाएगी और रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार में उस आशय का एक टिप्पण अभिलिखित करेगा और उस टिप्पण को जरनल में प्रकाशित करेगा।

अभिलेखों के संप्रदर्श और नष्ट को लौटाना

131. **प्रदर्श लौटाना**—जहां कि अधिनियम या नियमों के अधीन किसी मामले में या कार्यवाही में पेश किए गए प्रदर्श की व्यापार चिह्न रजिस्ट्री कार्यालय में आगे के लिए आवश्यकता नहीं रहती वहां रजिस्ट्रार संबद्ध पक्षकार को समाहृत कर सकेगा कि प्रदर्श रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर वापिस ले जाएं और यदि पक्षकार वैसा करने में असफल रहता है तो ऐसे प्रदर्श नष्ट कर दिए जाएंगे।

(2) जहां अधिसूचित तारीख के पूर्व कोई प्रदर्श किसी कार्यवाही में पेश किए जा चुके हैं वहां रजिस्ट्रार उस दशा में, जिसमें कि उसका यह समाधान हो जाता है कि उनका लंबे समय तक रखा जाना आवश्यक नहीं है रजिस्ट्रार संबद्ध पक्षकार से अपेक्षा कर सकेगा कि वह उसके द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदर्श को वापिस ले जायं और यदि पक्षकार वैसा करने में असफल रहता है तो ऐसे प्रदर्श नष्ट कर दिए जाएंगे।

132. **अभिलेखों का नष्ट किया जाना**—जहाँ कि व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्रत्याहृत/ईकार या खारिज कर दिया जाता है या कोई व्यापार चिह्न रजिस्टर से हटा दिया जाता है या विरोध या परिशोधन कार्यवाही में उस विषय को समाप्त कर दिया गया है और बौद्धिक सम्पदा अपील बोर्ड के समक्ष कोई अपील लंबित नहीं है वहाँ रजिस्ट्रार यथास्थिति आवेदन के प्रत्याहृत या परित्यक्त या खारिज किए जाने के पश्चात् या रजिस्टर से व्यापार चिह्न के हटाए जाने के पश्चात् या विरोध या परिशोधन कार्यवाही के बंद हो जाने के पश्चात् तीन वर्ष की समाप्ति पर आवेदन, विरोध या परिशोधन या उस संबद्ध व्यापार चिह्न से संबंधित सब अभिलेखों को या उनमें से किसी को नष्ट करा देगा।

भाग-2

सामूहिक चिह्नों के लिए विशेष उपबंध

133. **सामूहिक चिह्नों को लागू होने वाले नियम**—इन नियमों के भाग 1, के उपबंध सामूहिक चिह्नों को, वहाँ तक जहाँ तक कि उनके लागू होने का संबंध है, केवल इस भाग के उपबंधों के अधीन रहते हुए ही लागू होंगे।

(134) **रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन और तत्संबंधी कार्यवाहियाँ**—(1) माल और सेवाओं के लिए सामूहिक चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए धारा 63 की उप-धारा (1) के अधीन आवेदन रजिस्ट्रार से प्ररूप **व्या.चि.-ए** पर प्ररूप विनियमन के साथ द्वितियक रूप में दाखिल किया जाएगा।

(2) माल और सेवाओं के लिए व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन का प्रतिग्रहण करने विषयक जो निर्देश नियमों के भाग 1 में हैं उनके स्थान में वहाँ जहाँ तक कि सामूहिक चिह्न के संबंध में उनके लागू होने का सवाल है वे निर्देश रख दिए जाएंगे जो कि आवेदन के संबंध कार्यवाही करने के प्राधिकार विषयक हैं।

(3) सामूहिक चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदक का यदि कोई भारत में का पता है तो उन सब प्रयोजनों के लिए जिनके लिए ऐसा पता इन नियमों द्वारा अपेक्षित है, यह समझा जाएगा कि वह पता उसके कारबार का भारत में के मुख्य स्थान का पता है।

(4) सामूहिक चिह्नों को शासित करने वाले विनियमों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित विनिर्दिष्ट होगा:--

- (क) व्यक्तियों के संगम का नाम और उनके अपने कार्यालय के पते;
- (ख) संगम के उद्देश्य;
- (ग) सदस्यों के व्यौरे;
- (घ) सदस्यता के लिए शर्तें और उस समूह से प्रत्येक सदस्य का संबंध ;
- (ङ) चिह्न का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति और सामूहिक चिह्न के उपयोग पर आवेदक के निमंत्रण की प्रकृति;
- (च) सामूहिक चिह्न के उपयोग को शासित करने वाली शर्तें जिसके अंतर्गत मंजूरियां भी हैं;
- (छ) सामूहिक चिह्न के उपयोग के विरुद्ध अपीलों के लिए व्यवहार में लाई जाने वाली प्रक्रिया;
- (ज) ऐसी अन्य विशिष्टियां जो रजिस्ट्रार द्वारा मांगी जाएं।

135. **आवेदन के साथ मामले का कथन**—आवेदक अपने आवेदन के साथ उन आधारों वाला जिसका वह अपने आवेदन के समर्थन में सहारा लेता है मामले का कथन रजिस्ट्रार को भेजेगा। मामले का ऐसा कथन दो प्रतियों में दिया जाएगा।

136. **परीक्षा, सुनवाई, विरोध, रजिस्ट्रीकरण और नवीकरण**—(1) व्यापार चिह्न के परीक्षा, सुनवाई, विरोध, रजिस्ट्रीकरण और नवीकरण से संबंधित प्रावधान अपने आप सामूहिक व्यापार चिह्न के लिए लागू होंगे।

137. **सामूहिक चिह्नों और उनके नवीकरण से संबंधित विनियमों का संशोधन**—(क) धारा 66 के अधीन विनियम के किसी संशोधन के लिए सामूहिक चिह्नों के रजिस्ट्रार स्वत्वधारी द्वारा आवेदन प्ररूप **व्या. चि.-एम** में किया जाएगा और जहाँ रजिस्ट्रार ऐसे कोई संशोधन को अभिगृहीत करता है वहाँ वह ऐसे आवेदन को जरनल में विज्ञापित करेगा और मामले में आगे कार्यवाहियां नियम 43 से लेकर नियम 52 द्वारा शासित होंगी।

(ख) सामूहिक चिह्न समय-समय पर नवीकृत किए जा सकेंगे और नियम 58 से लेकर नियम 62 के उपबंध नवीकरण के लिए ऐसे निवेदन की बाबत यथा परिवर्तित लागू होंगे।

138. **सामूहिक चिह्न का हटाया जाना**—सामूहिक चिह्न के हटाए जाने के लिए आवेदन द्वारा प्ररूप **व्या.चि.-ओ** में किया जाएगा और उन आधारों की विशिष्टियां होंगी जिन पर आवेदन दिया जाता है। इन नियमों के नियम 99 से 102 तक के उपबंध मामले में आगे कार्यवाहियों के लिए यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

भाग-3

प्रमाणीकरण व्यापार चिह्नों के लिए विशेष उपबंध

139. **प्रमाणीकरण व्यापार चिह्नों पर लागू होने के लिए नियम**—इन नियमों के भाग 1, भाग 4 और भाग 7 के उपबंध प्रमाणीकरण व्यापार चिह्नों को, वहां तक जहां तक कि उनके लागू होने का संबंध है, केवल इस भाग के उपबंधों के अधीन रहते हुए ही लागू होंगे।

140. **रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन और तत्संबंधी कार्यवाहियां**—(1) प्रमाणीकरण व्यापार चिह्नों के माल और सेवाओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन द्वारा 71 की उप-धारा (1) के अधीन रजिस्ट्रार के प्ररूप **व्या. चि.-ए** में प्रारूप विनियमन के साथ द्वितियक रूप में किया जाएगा।

(2) व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन का प्रतिग्रहण करने विषयक जो निर्देश नियमों के भाग 1 में हैं उनके स्थान में वहां तक यहां तक कि प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न के संबंध में उनके लागू होने का सवाल है वे निर्देश रख दिए जाएंगे जो कि आवेदन के संबंध में कार्यवाही करने के प्राधिकार विषयक हैं।

(3) प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदक का यदि कोई भारत में का पता है तो उन सभी प्रयोजनों के लिए जिनके लिए ऐसा पता इन नियमों द्वारा अपेक्षित है, यह समझा जाएगा कि वह पता उसके कारबार के भारत में के मुख्य स्थान का पता है।

(4) प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न को शासित करने वाले विनियमों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित विनिर्दिष्ट होगा:-

- (क) आवेदक का वर्णन;
- (ख) आवेदक के कारबार की प्रकृति;
- (ग) आर एण्ड डी, तकनीकी मानव शक्ति समर्थन जैसी अवसंरचना की विशिष्टियां;
- (घ) प्रमाणन स्कीम की प्रशासित करने की आवेदकों की क्षमता;
- (ङ) आवेदकों की वित्तीय व्यवस्था;
- (च) आवेदक से वचनबद्धता कि यदि वे विनियमों में अधिकथित अपेक्षाओं का पूरा करते हैं तो पक्षकारों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा;
- (छ) चिह्न के लक्षण प्रमाणित माल में या प्रमाणित सेवा प्रदान करने के संबंध में संकेत देगा;
- (ज) भारत में चिह्न के उपयोग को मॉनीटर करने की रीति; और।
- (झ) ऐसी अन्य सुसंगत विशिष्टियां जो रजिस्ट्रार द्वारा मांगी जाएं।

141. **आवेदन के साथ मामले का कथन**—(1) आवेदक अपने आवेदन के साथ उप आधारों वाला, जिनका वह अपने आवेदन के समर्थन में सहारा लेता है, मामले का कथन रजिस्ट्रार को भेजेगा। मामले का ऐसा कथन दो प्रतियों में दिया जाएगा।

142. **परीक्षा, सुनवाई, विरोध, रजिस्ट्रीकरण और नवीकरण**—(1) व्यापार चिह्न के परीक्षा, सुनवाई, विरोध, रजिस्ट्रीकरण और नवीकरण से संबंधित उपबंध अपने आप प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न के लिए लागू होंगे।

143. **प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न का परिशोधन**—प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के उपखंडन या परिवर्तन के लिए आवेदन धारा 77 में वर्णित आधाराओं में से किसी पर प्ररूप **व्या.चि. -ओ** में किया जाएगा और उसमें उन आधाराओं की विशिष्टियां जिन पर आवेदन किया गया है, उपवर्णित होगी। नियम 99 से नियम 102 तक के उपबंध आवश्यक परिवर्तन सहित मामले की कार्यवाहियों में लागू होंगे।

144. **निक्षेपित विनियमों का परिवर्तन और प्रमाणीकरण व्यापार चिह्नों के समनुदेशन और संप्रदान के वास्तविक रजिस्ट्रार की सम्मति**—

(1) निक्षेपित विनियम के परिवर्तन के लिए धारा 74 की उप-धारा (2) के अधीन प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी द्वारा आवेदन प्ररूप **व्या. चि.ड** में किया जाएगा और जहां रजिस्ट्रार ऐसे परिवर्तन की आज्ञा देने का विनिश्चय करता है वहां यह आवेदन जनरल में विज्ञापित किया जाएगा और मामले में आगे कार्यवाहियां नियम 43 से लेकर नियम 52 द्वारा शासित होंगी।

(2) धारा 43 के अधीन प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न के समनुदेशन और संप्रदान के लिए रजिस्ट्रार की सम्मति के लिए आवेदन प्ररूप **व्या. चि.-पी** में किया जाएगा।

भाग-4

व्यापार चिह्न के अभिकर्ताओं का रजिस्ट्रीकरण

145. **व्यापार चिह्न अभिकर्ताओं का रजिस्टर**—व्यापार चिह्नों के अभिकर्ताओं का एक रजिस्टर रखेगा जिसमें प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न के अभिकर्ता का नाम, निवास स्थान का पता, कारबार का मुख्य स्थान का पता, राष्ट्रिकता, अर्हताएं और रजिस्ट्रीकरण की तारीख प्रविष्ट की जाएगी।

146. **विद्यमान रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न अभिकर्ताओं, आचार संहिता आदि रजिस्ट्रीकरण**—(1) नियम 150 में किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम पुरानी विधि के अधीन रखे जाने वाले व्यापार चिह्न अभिकर्ता रजिस्टर में लिखा है, यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के अधीन व्यापार चिह्न अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकृत है।

(2) रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न अभिकर्ता को उस रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हुए एक आचार संहिता जनरल में प्रकाशित कर सकेगा।

147. **रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्हताएं**—यदि कोई व्यक्ति-

- (i) भारत का नागरिक है;
- (ii) आयु में 21 वर्ष से कम का नहीं है;
- (iii) भारत के किसी विश्वविद्यालय का स्नातक है या तत्समान अर्हता रखता है नियम 151 में विहित परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुका है या अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) के अर्थान्तर्गत एक अधिवक्ता है;
- (iv) रजिस्ट्रार द्वारा व्यापार चिह्न अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने के लिए योग्य और उचित व्यक्ति अर्ह समझा जाएगा।

148. **वे व्यक्ति जिनका रजिस्ट्रीकरण विवर्जित है**—यदि कोई व्यक्ति-

- (i) सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्र का न्यायनिर्णीत कर दिया गया है, तो
- (ii) अनन्मुक्त दिवालिया है, तो
- (iii) उन्मुक्त दिवालिया होते हुए उसने न्यायालय से इस आशय का प्रमाणपत्र अभिप्राप्त नहीं किया है कि अपनी ओर से कोई अवचार किए बिना वह दुर्भाग्यवश दिवालिया हो गया था, तो
- (iv) भारत के अन्दर या बाहर सक्षम, न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है जो कि निर्वासन या कारावास से दंडनीय है तो जब तक कि वह जिस अपराध के लिए सिद्ध दोष हुआ है उसके लिए उसे क्षमा नहीं मिल गई या जब तक कि केन्द्रीय सरकार ने उस किए गए आवेदन पर उसकी निर्योग्यता इस निमित्त आदेश द्वारा हटा नहीं दी है,
- (v) विधि व्यवसायी होते हुए वृत्ति संबंधी अवचार का दोषी भारत में किसी उच्च न्यायालय द्वारा या भारत की सीमाओं से बाहर वाले किसी न्यायालय द्वारा ठहराया है तो, या

(vi) चार्टर प्राप्त लेखापाल होते हुए उपेक्षा या अवचार का दोषी उच्च न्यायालय द्वारा ठहराया गया है तो या

(vii) रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न अभिकर्ता होते हुए वृत्तिक अवचार का दोषी रजिस्ट्रार द्वारा ठहराया गया है तो वह व्यापार चिह्न अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए पात्र नहीं होगा।

149. **आवेदन करने की रीति**—इस भाग के उपबंधों के अधीन सभी आवेदन तीन प्रतियों में किए जायेंगे, और उस व्यापार चिह्न रजिस्ट्री को भेजे या उसमें उपस्थित किए जायेंगे जिसकी क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर आवेदक के कारबार का मुख्य स्थान अवस्थित है।

150. **व्यापार चिह्न अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन**—(1) व्यापार चिह्न अभिकर्ता के रूप में अपना रजिस्ट्रीकरण चाहने वाला प्रत्येक व्यक्ति प्ररूप **व्या. चि.-जी** में आवेदन करेगा।

(2) आवेदक, आवेदन पर वहन ऐसी और सूचना प्रस्तुत करेगा जो रजिस्ट्रार द्वारा किसी समय पर अपेक्षित हो।

151. **आवेदन पर प्रक्रिया और अर्हक अपेक्षाएं**—(1) रजिस्ट्रार व्यापार चिह्न अभिकर्ता के रूप में किसी व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति पर ऐसी तारीख नियत करेगा जिस पर अभ्यर्थी व्यापार चिह्न विधि और प्रणाली विषयक लिखित परीक्षा के लिए जिसके उपरांत साक्षात्कार होगा रजिस्ट्रार के समक्ष उपसंजात होगा यदि रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाता है कि आवेदक विहित अर्हताएं पूरी करता है। अभ्यर्थी से यह प्रत्याशा की जाएगी कि उसे अधिनियम और नियमों के उपबंधों का विस्तार से ज्ञान और व्यापार चिह्न विधि के तत्वों का ज्ञान हो।

(2) लिखित परीक्षा के लिए और साक्षात्कार के लिए अर्हक अंक क्रमशः पचहत्तर प्रतिशत और पच्चीस प्रतिशत होंगे और अभ्यर्थी को उस दशा में ही उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा यदि वह कुल अंकों का साठ प्रतिशत कुल मिलाकर प्राप्त कर लेता है।

152. **रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र**—किसी अभ्यर्थी के साक्षात्कार के पश्चात् और जो उसके आवेदन से संबंधित कोई ऐसी और जानकारी जो रजिस्ट्रार आवश्यक समझे अभिप्राप्त हो जाती है और यदि रजिस्ट्रार आवेदक को व्यापार चिह्न अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र और अर्हित समझता है तो वह आवेदक को इस आशय की एक प्रज्ञापना भेजेगा और इस प्रकार प्रज्ञापित कोई व्यक्ति व्यापार चिह्न अभिकर्ता के रूप में उसके रजिस्ट्रीकरण के लिए विहित फीस जमा कर सकेगा। विहित फीस की प्राप्ति पर रजिस्ट्रार आवेदक का नाम व्यापार चिह्न अभिकर्ताओं के रजिस्टर में प्रविष्ट कर देगा और व्यापार चिह्न अभिकर्ता के रूप में उसको रजिस्ट्रीकरण का **प्ररूप ओ-4** में उसको एक प्रमाण पत्र जारी करेगा।

153. **व्यापार चिह्न के अभिकर्ताओं के रजिस्टर में नाम बना रहना**—व्यापार चिह्न अभिकर्ताओं के रजिस्टर में व्यक्ति के नाम बने रहने की यह शर्त होगी कि वह प्रथम अनुसूची में विहित फीस देता रहे।

154. **व्यापार चिह्न अभिकर्ताओं के रजिस्टर से अभिकर्ता का नाम हटाया जाना**—(1) रजिस्ट्रार ऐसे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न अभिकर्ता के नाम को व्यापार चिह्न अभिकर्ताओं के रजिस्टर से हटा सकेगा।

(क) जिससे इस आशय की प्रार्थना मिली है, या

(ख) जिससे उस तारीख से, जिस पर वार्षिक फीस शोध्य होती है, तीन मास की समाप्ति पर वार्षिक फीस प्राप्त नहीं हुई है।

(2) रजिस्ट्रार रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्नों के ऐसे अभिकर्ता का नाम व्यापार चिह्न के अभिकर्ताओं के रजिस्टर से हटा देगा।

(क) जिसकी बाबत यह पाया जाता है कि वह अपने रजिस्ट्रीकरण के समय नियम 151 के खण्ड (i) से लेकर खंड (vii) तक में कथित नियोग्यताओं में से किसी के अधीन है या तत्पश्चात् हो गया है; या

(ख) जिसकी बाबत रजिस्ट्रार ने इस कारण कि उसने अपनी वृत्तिक हैसियत में उपेक्षापूर्ण अवचारपूर्ण, या बेईमानी का कोई काम किया है, यह घोषित किया है कि वह व्यक्ति रजिस्टर में बने रहने के लिए अयोग्य और अनुचित व्यक्ति है;

(ग) रजिस्टर में दुरुपपदेशन या तात्त्विक तथ्य को छुपाने के कारण प्रविष्ट कर दिया गया है;

परन्तु खंड (ख) और खंड (ग) के अधीन ऐसी घोषणा करने के पूर्व रजिस्ट्रार संबद्ध व्यक्ति को यह के लिए संदर्शित करने के लिए समाहृत करेगी कि उसके रजिस्ट्रीकरण को अपखंडित क्यों न कर दिया जाए और वह ऐसी अपर जांच भी, यदि कोई हो, करेगा, जैसा कि वह आवश्यक समझता है।

(3) रजिस्टर व्यापार चिह्न अभिकर्ताओं के रजिस्टर में से ऐसे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न अभिकर्ता का नाम हटा देगा जो मृत हो चुका है।

(4) वह बात कि व्यापार चिह्न अभिकर्ताओं के रजिस्टर में से किसी व्यक्ति का नाम हटा दिया गया है जरनल में अधिसूचित की जाएगी और जहां भी संभव हो उसकी संसूचना संबद्ध व्यक्ति को दी जाएगी।

155. कतिपय अभिकर्ताओं के साथ व्यवहार करने से इंकार करने की रजिस्ट्रार की शक्ति—

(1) रजिस्ट्रार-

(क) किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका नाम रजिस्टर से हटा दिया गया है और रजिस्टर में प्रत्यावर्तित नहीं किया गया है मान्यता देने से इंकार कर सकेगा;

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति की जो व्यापार चिह्न अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकृत नहीं है और जो रजिस्ट्रार की राय में उस व्यक्ति के नाम में या उसके फायदे के लिए जिसने उसे नियोजित कर रखा है भारत में या अन्यत्र व्यापार चिह्न के लिए लगाए जाने में अभिकर्ता के रूप में पूर्णतः या मुख्यतः कार्य करने में लगा हुआ है मान्यता देने से इंकार कर सकेगा;

(ग) किसी ऐसी कंपनी या फर्म और यदि किसी व्यक्ति जिसको इन नियमों के अधीन किसी कारबार की बाबत अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रार ने मान्यता देने से इंकार कर दिया है, वह कंपनी के निदेशक या प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहा है या वह फर्म में कोई भागीदार है, मान्यता देने से इंकार कर सकेगा।

(2) रजिस्ट्रार किसी ऐसे व्यक्ति जो न तो भारत में निवास करता है और न ही भारत में उसके कारबार का स्थान है को भी इस नियम के अधीन किसी कारबार की बाबत अभिकर्ता के रूप में मान्यता देने से इंकार कर सकेगा।

156. हटाये गए नामों का प्रत्यावर्तन—(1) जिस व्यक्ति का नाम नियम 154 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अधीन हटाया जा चुका है, व्यापार चिह्न अभिकर्ताओं के रजिस्टर में से उसका नाम हटाये जाने की तारीख से छः मास के भीतर उस व्यक्ति से प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस सहित आवेदन प्ररूप **व्या. चि. -जी** में प्राप्त होने पर उसका नाम रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न अभिकर्ताओं के रजिस्टर में प्रत्यावर्तित कर सकेगा और उस तारीख से, जिसको उसी अंतिम वार्षिक फीस शोधय हुई थी, एक वर्ष की कालावधि के लिए उसका नाम रजिस्टर में रहने दे सकेगा:

परन्तु रजिस्ट्रार प्रत्यावर्तन फीस के साथ अतिरिक्त फीस के भुगतान पर एजेंट का नाम छः महीने की अवधि के बाद भी किन्तु तीन वर्षों की अवधि के भीतर प्रत्यावर्तित कर सकेगा।

(2) व्यापार चिह्न अभिकर्ताओं के रजिस्टर में नाम का प्रत्यावर्तन जरनल में अधिसूचित किया जाएगा और संसूचना संबद्ध व्यक्ति को दी जाएगी।

157. व्यापार चिह्न अभिकर्ताओं के रजिस्टर में परिवर्तन—(1) रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न का अभिकर्ता व्यापार चिह्न अभिकर्ताओं के रजिस्टर में प्रविष्ट अपने नाम, निवास स्थान के पते, कारबार के मुख्य स्थान के पते, या अर्हताओं में परिवर्तन के लिए आवेदन प्ररूप **व्या. चि. अ.-3** में कर सकेगा। ऐसे आवेदन और उस निमित्त विहित फीस की प्राप्ति कर रजिस्ट्रार व्यापार चिह्न अभिकर्ताओं के रजिस्टर में आवश्यक परिवर्तन करायेंगी।

(2) व्यापार चिह्न अभिकर्ताओं के रजिस्टर में किया गया प्रत्येक परिवर्तन जरनल में अधिसूचित किया जाएगा।

158. व्यापार चिह्न अभिकर्ताओं के रजिस्टर का प्रकाशन—रजिस्ट्रार व्यापार चिह्न अभिकर्ताओं को रजिस्टर में सामान्यतया अभिकर्ताओं की सूची समय-समय पर जरनल में प्रकाशित करेगा और कम से कम दो वर्ष में एक बार उसके पते के साथ जो रजिस्टर में प्रविष्ट है रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न के अभिकर्ताओं के उपनाम की प्रविष्टियां वर्णानुक्रम अनुसार व्यवस्थित होंगी और उसकी प्रतियां विक्रय के लिए रखी जा सकेंगी।

159. अपील—इन नियमों के भाग-4 के अधीन व्यापार चिह्न अभिकर्ताओं के रजिस्ट्रीकरण या हटाए जाने के संबंध में रजिस्ट्रार के किसी आदेश या विनिश्चय से अपील बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड में होगी और अपील बोर्ड का विनिश्चय अंतिम होगा और आबद्धकर होगा।

भाग-5

निरसन

160. निरसन—व्यापार चिह्न नियम, 2002 नियमों के प्रभावी होने के पहले ऐसे नियम के अधीन की गई किसी कार्यवाही के प्रति प्रतिकूल के बिना निरसित किया जाता है।

प्रथम अनुसूची
(नियम 11 देखिए)

फीस

प्रविष्टि संख्या	किस पर देय	रकम भारतीय रूपए में		तत्सम्बन्धी प्ररूप संख्या
		ई-फाईलिंग के लिए	वास्तविक रूप से फाईलिंग के लिए	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	जो माल या सेवाएं एक वर्ग के अन्तर्गत हैं उसके विनिर्देश से सम्बद्ध व्यापार चिह्न का रजिस्ट्रीकरण करने के लिए आवेदन पर [(धारा 18 (1))]	8000	8800	व्या.चि.-ए
2	जो माल या सेवाएं धारा 18(1) और धारा 154(2) के अधीन किसी कन्वेंशन देश के किसी वर्ग के अन्तर्गत हैं, उनके विनिर्देश से संबद्ध व्यापार चिह्न का रजिस्ट्रीकरण करने के लिए आवेदन पर।	8000	8800	व्या.चि.-ए
3	जो माल या सेवाएं भिन्न वर्गों के अन्तर्गत हैं धारा 154(2) के अधीन किसी कन्वेंशन देश में उनके विनिर्देश से संबद्ध व्यापार चिह्न का रजिस्ट्रीकरण करने के लिए धारा 18(2) के अधीन एकल आवेदन पर।	प्रत्येक वर्ग के लिए 8000	प्रत्येक वर्ग के लिए 8800	व्या.चि.-ए
4	जो माल या सेवाएं भिन्न वर्गों के अन्तर्गत हैं से संबद्ध व्यापार चिह्न का रजिस्ट्रीकरण करने के लिए धारा 18(2) के अधीन एकल आवेदन पर।	प्रत्येक वर्ग के लिए 8000	प्रत्येक वर्ग के लिए 8800	व्या.चि.-ए
5	जो माल या सेवाएं एक वर्ग या वर्गों के अन्तर्गत हैं उनके विनिर्देश से संबद्ध व्यापार चिह्न की शृंखला की धारा 15 के अधीन रजिस्ट्रीकरण करने के लिए आवेदन पर।	(i) एक वर्ग में व्यापार चिह्न के लिए 8000 (ii) प्रत्येक अतिरिक्त व्यापार चिह्न के लिए 8000 (iii) प्रत्येक अतिरिक्त वर्ग के लिए 8000	(i) एक वर्ग में व्यापार चिह्न के लिए 8800 (ii) प्रत्येक अतिरिक्त व्यापार चिह्न के लिए 8800 (iii) प्रत्येक अतिरिक्त वर्ग के लिए 8800	व्या.चि.-ए
6	जो माल या सेवाएं एक वर्ग या वर्गों के अन्तर्गत हैं उनके विनिर्देश से संबद्ध धारा 154(2) के अधीन कन्वेंशन देश की व्यापार चिह्न की शृंखला का रजिस्ट्रीकरण करने के लिए आवेदन पर।	(i) एक वर्ग में व्यापार चिह्न के लिए 8000 (ii) प्रत्येक अतिरिक्त व्यापार चिह्न के लिए 8000 (iii) प्रत्येक अतिरिक्त वर्ग के लिए 8000	(i) एक वर्ग में व्यापार चिह्न के लिए 8800 (ii) प्रत्येक अतिरिक्त व्यापार चिह्न के लिए 8800 (iii) प्रत्येक अतिरिक्त वर्ग के लिए 8800	व्या.चि.-ए

7	जो माल या सेवाएं एक वर्ग के अन्तर्गत हैं उनके विनिर्देश से संबद्ध सामूहिक चिह्न का रजिस्ट्रीकरण करने के लिए धारा 63(1) के अधीन आवेदन पर।	20000	22000	व्या.चि.-ए
8	जो माल या सेवाएं एक वर्ग के अन्तर्गत हैं उनके विनिर्देश से संबद्ध प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न का रजिस्ट्रीकरण करने के लिए धारा 71(1) के अधीन आवेदन पर।	20000	22000	व्या.चि.-ए
9	विनिश्चय के लिए आधार कथित करने के लिए 37(1) के अधीन अनुरोध पर।	2000	2200	व्या.चि.-एम
10	विरोध की जो सूचना विरोध किए गए प्रत्येक वर्ग के लिए धारा 21(1), 64, 66 या 73 के विरोध की सूचना पर।	2500	2750	व्या.चि.-ओ
11	विरोध किए गए प्रत्येक आवेदन के लिए धारा 21 के अधीन विरोध की उस सूचना के उत्तर में या प्रत्येक व्यापार चिह्न के बारे में धारा 47 या 57 से किसी के अधीन किए गए आवेदन के उत्तर में या धारा 58 या नियम 108 के अधीन विरोध किए गए प्रत्येक आवेदन या संपरिवर्तन के विरोध की वैसी सूचना के उत्तर में प्रतिकथन पर।	2000	2200	व्या.चि.-ओ
12	रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्नों के बीच सम्बद्धता का विघटन करने के लिए 16(5) के अधीन किए गए आवेदन पर।	प्रत्येक विघटन के लिए 1000	प्रत्येक विघटन के लिए 1100	व्या.चि.-पी
13	किसी वर्ग में व्यापार चिह्न के पिछले रजिस्ट्रीकरण के अवसान पर धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण करने के लिए, जिस से अन्यथा प्रभार नहीं लिया गया है।	10000	11000	व्या.चि.-आर
14	पिछले रजिस्ट्रीकरण के अवसान पर व्यापार चिह्न श्रृंखला के रजिस्ट्रीकरण के प्रत्येक वर्ग के लिए धारा 25 के अधीन नवीकरण करने के लिए	10000	11000	व्या.चि.-आर
15	एक से अधिक वर्ग वाली वस्तुओं या सेवाओं संबंधी प्रत्येक वर्ग के लिए धारा 25 के अधीन व्यापार चिह्न के एकल आवेदन का नवीकरण करने के लिए	प्रत्येक वर्ग के लिए 10000	प्रत्येक वर्ग के लिए 11000	व्या.चि.-आर
16	सामूहिक व्यापार चिह्न/प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न का रजिस्ट्रीकरण करने के लिए धारा 25 के अधीन नवीकरण पर।	20000	22000	व्या.चि.-आर
17	रजिस्टर से हटाए गए व्यापार चिह्न के गत रजिस्ट्रीकरण के अवसान से छह मास और वर्ष के भीतर प्रत्यावर्तन और नवीकरण करने के लिए धारा 25(4) के अधीन दिए गए आवेदन पर।	10000 + प्रविष्टि 13 से 16 के अधीन नवीकरण के लिए अनुरोध फीस	11000 + प्रविष्टि 13 से 16 के अधीन नवीकरण के लिए अनुरोध फीस	व्या.चि.-आर
18	व्यापार चिह्न के पिछले रजिस्ट्रीकरण का अवसान होने के छह मास के भीतर धारा 25(3) के प्रावधान के अधीन नवीकरण के लिए आवेदन पर	अधिभार के रूप में 6000	अधिभार के रूप में 6600	व्या.चि.-आर

19	रजिस्ट्रार का प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए धारा 40(2) के अधीन किए गए आवेदन पर- जिस चिह्न के समनुदेशन की प्रस्थापना है वैसे प्रथम चिह्न पर। उसी स्वत्वधारी के प्रत्येक अतिरिक्त चिह्न के लिए जो कि उसी समनुदेशन के अन्तर्गत है।	5000 1000	5500 1100	व्या.चि.-पी
20	रजिस्ट्रार का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए धारा 41 के अधीन किए गए आवेदन पर- प्रथम व्यापार चिह्न के लिए। उसी स्वत्वधारी के प्रत्येक अतिरिक्त चिह्न के लिए जो कि उसी हस्तांतरण के अन्तर्गत है।	5000 1000	5500 1100	व्या.चि.-पी
21	जो व्यापार चिह्न उपयोग में है उनका बिना गुडविल के समनुदेशन का विज्ञापन करने के लिए रजिस्ट्रार के निदेश प्राप्त करने के लिए धारा 42 के अधीन किए गए आवेदन पर- प्रथम समनुदिष्ट चिह्न के लिए। हक के वैसे ही न्यागमन सहित समनुदिष्ट प्रत्येक अतिरिक्त चिह्न के लिए।	5000 1000	5500 1100	व्या.चि.-पी
22	जो व्यापार चिह्न उपयोग में है उनका बिना कीर्तिस्व के समनुदेशन का हक के एक न्यागमन के विषय में विज्ञापन करने के लिए निदेश प्राप्त करने के लिए धारा 42 के अधीन आवेदन करने के लिए समय का विस्तार करने के लिए किए गए आवेदन पर- जो एक मास से अधिक नहीं है जो दो मास से अधिक नहीं है जो तीन मास से अधिक नहीं है	1000 2000 3000	1100 2200 3300	व्या.चि.-पी
23	एकल व्यापार चिह्न के समनुदेशन या अन्तरण की दशा में पश्चात्पूर्वी स्वत्वधारी को रजिस्ट्रीकृत करने के लिए धारा 45 के अधीन किए गए आवेदन पर- यदि वह स्वधारिता के अर्जन की तारीख से छह मास के भीतर किया गया है यदि वह स्वधारिता के अर्जन की तारीख से छह मास के पश्चात् किन्तु बारह मास से पूर्व किया गया है। यदि वह स्वधारिता के अर्जन की तारीख से बारह मास के पश्चात् किया गया है।	10000 15000 20000	11000 16500 22000	व्या.चि.-पी
24	एक ही नाम में रजिस्ट्रीकृत एक से अधिक व्यापार चिह्न वाले पश्चात्पूर्वी स्वत्वधारी को उस दशा में, जिसमें हक का न्यागमन प्रत्येक मामले में एक सा ही रहा है, रजिस्ट्रीकृत करने के लिए धारा 45 के अधीन दिए गए आवेदन पर- यदि वह स्वधारिता अर्जन की तारीख से छह मास के भीतर किया गया है- प्रथम चिह्न हेतु प्रत्येक अतिरिक्त चिह्न हेतु	10000 2000	11000 2200	व्या.चि.-पी

	यदि वह स्वधारिता अर्जन की तारीख से छह मास के अवसान के पश्चात् किया गया है- प्रथम चिह्न हेतु प्रत्येक अतिरिक्त चिह्न हेतु यदि वह स्वधारिता अर्जन की तारीख से 12 मास के अवसान के पश्चात् किया गया है- प्रथम चिह्न हेतु प्रत्येक अतिरिक्त चिह्न हेतु	15000 3000 20000 4000	16500 3300 22000 4400	
25	कंपनी का एक समनुदेशन पर व्यापार चिह्न की पश्चात्पूर्ति स्वत्वधारी के रूप में रजिस्ट्रीकृत करने के लिए समय के ऐसे विस्तार के लिए धारा 46(4) के अधीन किए गए आवेदन पर- जो दो मास से अधिक का नहीं है जो चार मास से अधिक का नहीं है जो छः मास से अधिक का नहीं है	1000 2000 3000	1100 2200 3300	व्या.चि.-पी
26	रजिस्टर का परिशोधन करने या रजिस्टर से व्यापार चिह्न हटाने या किसी रजिस्ट्रीकृत सामूहिक चिह्न अथवा प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न के रद्दकरण के लिए धारा 47 से धारा 57 में से किसी के अधीन किए गए आवेदन पर।	6000	6600	व्या.चि.-ओ
27	रजिस्टर का परिशोधन करने के लिए धारा 47 या धारा 57 में से किसी के अधीन की गई कार्यवाहियों में या सामूहिक चिह्न अथवा प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न आवेदन की बाबत नियम 132 या 138 के अधीन रजिस्टर से व्यापार चिह्न हटाने के लिए कार्यवाही में मध्यक्षेप करने के लिए अनुमति के लिए नियम 101 के अधीन किए गए आवेदन पर।	1000	1100	व्या.चि.-ओ
28	वस्तुओं और सेवाओं की बाबत उनके विनिर्देशों के भीतर रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता का रजिस्ट्रीकरण करने के लिए धारा 49 के अधीन आवेदन पर।	10000	11000	व्या.चि.-यू
29	एक ही रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी के एक से अधिक ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्नों के उसी रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता को, जहां कि सभी व्यापार चिह्न वस्तुओं या सेवाओं की बाबत, उनके अपने-अपने विनिर्देशों की सीमा में और उन्हीं शर्तों तथा निबन्धनों के अधीन रहते हुए प्रत्येक दशा में उसी रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता करार के अन्तर्गत हैं, धारा 49 के अधीन रजिस्टर कराने के लिए आवेदन पर- प्रथम चिह्न के लिए स्वत्वधारी के प्रत्येक ऐसे अतिरिक्त चिह्न के लिए जिसे आवेदन और रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता करार में सम्मिलित किया गया है	10000 6000	11000 6600	व्या.चि.-यू

30	जहां के व्यापार चिह्न उसी रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के अधीन है एक व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता की प्रविष्टि में फेर बदल करने के लिए धारा 50 की उप-धारा (1) के खंड (क) के अधीन उनमें से प्रत्येक की बाबत आवेदन पर- प्रथम चिह्न के लिए प्रत्येक अतिरिक्त चिह्न के लिए जिसे आवेदन में सम्मिलित किया गया है	10000 5000	11000 5500	व्या.चि.-यू
31	एक व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता की प्रविष्टि रद्द करने के लिए धारा 50 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अधीन आवेदन पर- जहां कि आवेदन में एक से अधिक व्यापार चिह्न सम्मिलित है- प्रथम चिह्न के लिए प्रत्येक अतिरिक्त चिह्न के लिए जिसे आवेदन में सम्मिलित किया गया है	5000 5000 1000	5500 5500 1100	व्या.चि.-यू
32	एक व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता की प्रविष्टि रद्द करने के लिए धारा 50 की उप-धारा (1) के खंड (ग) या (घ) के अधीन आवेदन पर- जहां कि आवेदन में एक से अधिक व्यापार चिह्न सम्मिलित किए गए हैं- प्रथम चिह्न के लिए प्रत्येक अतिरिक्त चिह्न के लिए जिसे आवेदन में सम्मिलित किया गया है	10000 10000 4000	11000 11000 4400	व्या.चि.-यू
33	किसी व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता की प्रविष्टियों में फेरबदल या उनको रद्द करने के लिए की गई एक कार्यवाही में दखल देने के उद्देश्य से नियम 97(2) के अधीन सूचना पर।	1000	1100	व्या.चि.-यू
34	किसी व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता का नाम या विवरण बदलने के लिए धारा 58 के अधीन आवेदन पर जहां निम्नलिखित में परिवर्तन नहीं हुआ है- स्वत्वधारिता में या रजिस्ट्रीकृत उपभोक्ता की पहचान में ऐसे आवेदन को छोड़कर जो जन प्राधिकारी के किसी आदेश के परिणामस्वरूप या भारत के विधि के अनुसार किसी कानूनी अपेक्षा के परिणामस्वरूप किया है जहां आवेदन में एक से अधिक व्यापार चिह्न सम्मिलित है- प्रथम व्यापार चिह्न के लिए आवेदन में सम्मिलित प्रत्येक अतिरिक्त चिह्न के लिए	2000 2000 2000 1000	2200 2200 2200 1100	व्या.चि.-पी
35	किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के पते से संबंधित प्रविष्टि में परिवर्तन करने के लिए, जब	1000	1100	व्या.चि.-पी

	तक कि वह नियम 103(3) के अधीन छूट प्राप्त नहीं हो, धारा 58 के अधीन आवेदन पर- जब कि आवेदन में एक से अधिक व्यापार चिह्न सम्मिलित है और जब कि प्रत्येक मामले में पता वही है और उसी प्रकार वह परिवर्तित किया गया है प्रथम प्रविष्टि के लिए आवेदन में सम्मिलित प्रत्येक अन्य प्रविष्टि के लिए	1000 500	1100 550	
36	व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता को भारत में तामील के लिए पते की प्रविष्टि करने के लिए आवेदन पर। प्रथम प्रविष्टि के लिए आवेदन में सम्मिलित प्रत्येक अन्य प्रविष्टि के लिए	1000 1000 500	1100 1100 550	व्या.चि.-पी
37	रजिस्टर में, भारत में तामील के लिए पते संबंधी प्रविष्टि को, जब तक कि नियम 103(3) के अधीन उसे फीस से छूट प्राप्त नहीं है, परिवर्तन या प्रतिस्थापित करने के लिए आवेदन पर- जब कि आवेदन में एक से अधिक व्यापार चिह्न सम्मिलित है तथा प्रत्येक मामले में पता एक ही है और उसे उसी प्रकार परिवर्तित या प्रतिस्थापित किया गया है। प्रथम प्रविष्टि के लिए आवेदन में सम्मिलित प्रत्येक अन्य प्रविष्टि के लिए	1000 1000 500	1100 1100 550	व्या.चि.-पी
38	धारा 50 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के अधीन प्रविष्टि या प्रविष्टि के किसी भाग को रद्द करने या माल अथवा सेवाओं को रजिस्टर से निकाल देने के लिए खंड (घ) के अधीन किए गए आवेदन पर।	500	550	व्या.चि.-पी
39	रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न में (लोक प्राधिकारी के आदेश के फलस्वरूप या किसी कानूनी अपेक्षा के परिणामस्वरूप किए गए आवेदन को छोड़कर) परिवर्धन या परिवर्तन करने की इजाजत के लिए धारा 59(1) के अधीन किए गए आवेदन पर- जब कि आवेदन में एक से अधिक व्यापार चिह्न सम्मिलित हैं और प्रत्येक मामले में किए जाने वाले परिवर्धन या परिवर्तन भी वही हैं- प्रथम चिह्न के लिए प्रत्येक अन्य चिह्न के लिए या आवेदन में सम्मिलित किया गया है।	5000 5000 2000	5500 5500 2200	व्या.चि.-पी
40	रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न में परिवर्धन या परिवर्तन करने की इजाजत के लिए आवेदन पर धारा 59 की उप-धारा (2) के अधीन किए जाने वाले विरोध की सूचना के लिए प्रत्येक आवेदन पर।	3000	3300	व्या.चि.-पी
41	विनिर्देश के परिवर्तन के लिए धारा 60 के अधीन आवेदन पर	2000	2200	व्या.चि.-पी

42	रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न में विनिर्देश या विनिर्देशों में संपरिवर्तन के संबंध में धारा 60 की उप-धारा (2) के अधीन प्रत्येक पृथक वर्ग में विरोध की सूचना पर- प्रथम चिह्न के लिए प्रत्येक अतिरिक्त चिह्न के लिए जो विरोध की सूचना में सम्मिलित किया गया है।	3000 3000 1500	3300 3300 1650	व्या.चि.-पी
43	सामूहिक चिह्न के निक्षेप किए गए विनियमों धारा 66 के अधीन में संशोधन या धारा 74(2) के अधीन प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न के विनियमन के लिए परिवर्तन आवेदन पर जब कि चिह्नों की रजिस्टर में प्रविष्टि सहयुक्त व्यापार चिह्नों के रूप में की गई है- एक रजिस्ट्रीकरण के विनियमन के लिए प्रत्येक अतिरिक्त रजिस्ट्रीकरण के लिए वैसे ही या सारतः वैसे ही उन विनियमों के लिए जिन्हें एक ही रीति में परिवर्तित करने की प्रस्थापना है और जो एक ही आवेदन में सम्मिलित किए गए हैं।	2000 2000 500	2200 2200 550	व्या.चि.-एम
44	सामूहिक चिह्न के रजिस्ट्रीकरण को हटाने के लिए धारा 68 या प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न के रजिस्टर में किसी प्रविष्टि को निकालने या उसमें फेरबदल करने के लिए धारा 77 के अधीन आवेदन पर।	2000	2200	व्या.चि.-ओ
45	व्यापार चिह्न के एक वर्ग की बाबत धारा 133(1) के अधीन रजिस्ट्रार की प्रारंभिक सलाह के लिए किए गए अनुरोध पर	2000	2200	व्या.चि.-एम
46	रजिस्ट्रार का प्रमाण पत्र [धारा 23(2) के अधीन प्रमाणपत्र को छोड़कर] धारा 137 के अधीन प्राप्त करने के लिए अनुरोध पर	1000	1100	व्या.चि.-एम
47	रजिस्ट्रार का प्रमाण पत्र [धारा 15 के अधीन व्यापार चिह्नों की शृंखला के रजिस्ट्रीकरण की धारा 23(2) के अधीन प्रमाणपत्र को छोड़कर] प्रत्येक वर्ग के लिए अनुरोध पर	1000	1100	व्या.चि.-एम
48	रजिस्टर में किसी प्रविष्टि या किसी दस्तावेज की प्रमाणीकृत प्राप्ति के लिए धारा 148(2) के अधीन किए गए अनुरोध पर	1000	1100	व्या.चि.-एम
49	किसी वर्ग में एक चिह्न की बाबत विधि मान्यता के प्रमाणपत्र संबंधी टिप्पण रजिस्टर में प्रविष्टि करने और विज्ञापित करने के लिए नियम 130 के अधीन किए गए अनुरोध पर	500	550	व्या.चि.-एम
50	लोक प्राधिकारी के आदेश के फलस्वरूप या भारत में विधि के अनुसार कानूनी अपेक्षाओं के परिणामस्वरूप की गई प्रार्थना को छोड़कर धारा 18(4) धारा 22 और 58 के अधीन लिपिकीय त्रुटि को ठीक करने या उसके संशोधन के लिए की गई उस प्रार्थना पर जिस पर अन्यथा प्रभार नहीं लिया गया है।	1000	1100	व्या.चि.-एम
51	धारा 131 के अधीन एक मास का समय या उसके किसी भाग की वृद्धि करने के लिए [जो कि	1000	1100	व्या.चि.-एम

	अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से उपबंधित या नियम 86 या नियम 87(4) द्वारा विहित समय नहीं है] किए गए आवेदन पर			
52	रजिस्ट्रार के विनिश्चय का पुनर्विलोकन करने के लिए धारा 127(ग) के अधीन किए गए आवेदन पर।	4000	4400	व्या.चि.-एम
53	सविरोध कार्यवाही में किसी अन्तर्वर्ती मामले पर रजिस्ट्रार का आदेश प्राप्त करने के लिए याचिका (जिस पर अन्यथा प्रभार नहीं लिया गया है) पर	5000	5500	
54	रजिस्ट्रार से चिह्न के विज्ञापन की विशिष्टियां देने के लिए नियम 42 के अधीन किए गए अनुरोध पर	500	550	व्या.चि.-एम
55	धारा 148 (1) में वर्णित निम्नलिखित दस्तावेजों का निरीक्षण करने के लिए- (क) किसी विशिष्ट व्यापार चिह्न से संबंधित प्रत्येक घंटे या उसके किसी भाग से संबंधित (ख) धारा 148 में वर्णित अनुक्रमणिका से प्रत्येक घंटे या उसके किसी भाग के लिए तलाश	500 500	550 550	
56	दस्तावेजों की प्रतियों (फोटो-कापी या टाइप की गई) के आवेदन में एक पृष्ठ से अधिक के लिए प्रति पृष्ठ या उसके भाग के लिए	10 प्रति पृष्ठ (न्यूनतम 10 रु. के अधीन रखते हुए)	10 प्रति पृष्ठ (न्यूनतम 10 रु. के अधीन रखते हुए)	
57	प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति या एक और प्रति प्राप्त करने के लिए अनुरोध पर नियम 57(3)	1000	1100	व्या.चि.-एम
58	सामूहिक व्यापार चिह्न या प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न की बाबत धारा 64, 66, 73 और 77 के अधीन दी गई विरोध की सूचना के उत्तर में प्रतिकथन पर।	3000	3300	व्या.चि.-ओ
59	नियम 23(3) के अधीन प्रमाणपत्र तलाश करने और उसे जारी करने के लिए।	10000	11000	व्या.चि.-सी
60	माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 की धारा 22 की उप-धारा (2) के अधीन अधिसूचित माल या माल के वर्ग अथवा वर्गों की पहचान करने वाले किसी भौगोलिक उपदर्शन के अंतर्गत या उसमें अंतर्विष्ट या उससे मिलकर बनने वाले किसी व्यापार चिह्न का रजिस्ट्रीकरण उक्त अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (ख) के अधीन इन्कार किए जाने या अविधिमान्य बनने के लिए किए गए आवेदन पर।	6000	6600	व्या.चि.-ओ
61	माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 की धारा 25 की उप-धारा (क) के अधीन किसी व्यापार चिह्न का रजिस्ट्रीकरण से इन्कार करने या विधितः अमान्य बनाने के लिए, जिसमें ऐसा भौगोलिक उपदर्शन अंतर्विष्ट है या उससे मिलकर बना है जो उस देश के राज्य क्षेत्र में या उस राज्य क्षेत्र के किसी क्षेत्र	6000	6600	व्या.चि.-ओ

	या परिक्षेत्र में उद्भूत नहीं होता है जैसे कि भौगोलिक उपदर्शन उपदर्शित करता है, आवेदन पर।			
62	एक आवेदन को विभाजित करने या एकल आवेदन को विभाजित करने के लिए धारा 22 (2) के परन्तुक, के अधीन किए गए आवेदन पर।	2000 धन उपयुक्त वर्ग फीस	2200 धन उपयुक्त वर्ग फीस	व्या.चि.-एम
63	प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न के समनुदेशन या पारेषण या रजिस्ट्रार की सहमति के लिए धारा 43 नियम 143(2) के अधीन किए गए आवेदन पर।	2000	2200	व्या.चि.-पी
64	किसी व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण की त्वरित परीक्षा के लिए नियम 35 के अधीन किए गए आवेदन पर।	20000	44000	व्या.चि.-एम
65	किसी कन्वेंशन देश से धारा 154(2) के अधीन वर्ग में सम्मिलित माल या सेवाओं के विनिर्देश पर सामूहिक चिह्न का रजिस्ट्रीकरण धारा 63(1) के अधीन करने के लिए किए गए आवेदन पर।	20000	22000	व्या.चि.-ए
66	किसी कन्वेंशन देश से धारा 154(2) के अधीन वर्ग में सम्मिलित माल या सेवाओं के विनिर्देश पर प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न का रजिस्ट्रीकरण करने के लिए धारा 71 के अधीन करने के लिए किए गए आवेदन पर।	20000	22000	व्या.चि.-ए
67	रजिस्ट्रार का त्वरित प्रमाणपत्र (अधिनियम की धारा 23(2) के अधीन प्रमाणपत्र को छोड़कर) या दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां, नियम 125 के अधीन प्राप्त करने के लिए किए गए आवेदन पर।	5000	5500	व्या.चि.-एम
68	शीघ्रता से तलाश करने और प्रमाणपत्र जारी करने के लिए नियम 23(3) के अधीन अनुरोध पर।	35000	37500	व्या.चि.-सी
69	व्यापार चिह्न अभिकर्ता के रूप में नियम 146 के अधीन रजिस्ट्रीकरण पर।	2000	2200	व्या.चि.-जी
70	किसी व्यक्ति का व्यापार चिह्न अभिकर्ता के रूप में नियम 150 के अधीन रजिस्ट्रीकरण पर।	2000	2200	
71	किसी व्यक्ति का नाम व्यापार चिह्न अभिकर्ता रजिस्टर में नियम 155 के अधीन बनाए रखने पर- प्रत्येक वर्ष के लिए (प्रथम वर्ष को छोड़कर) जिसे प्रतिवर्ष पहली अप्रैल को संदत्त किया जाना है। किसी व्यक्ति को पहली अप्रैल और 30 सितम्बर के बीच रजिस्टर किए जाने की दशा में फीस या रजिस्ट्रीकरण के साथ प्रथम वर्ष के लिए संदत्त किए जाने के लिए। ध्यान दें: कि इस प्रयोजन के लिए प्रथम वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन आरम्भ होगा और पश्चात्पूर्ति मार्च के इकतीसवें दिन समाप्त होगा	2000 2000	2200 2200	
72	नियम 158 के अधीन किसी व्यक्ति का नाम व्यापार चिह्न अभिकर्ता रजिस्टर में प्रत्यावर्तित			व्या.चि.-जी

	कराने के लिए आवेदन पर। हटाए जाने की तारीख से छः महीने के भीतर छः महीने के बाद किन्तु एक वर्ष के भीतर एक वर्ष के बाद किन्तु दो वर्ष के भीतर दो वर्ष के बाद किन्तु तीन वर्ष के भीतर	2000 धन मद सं. 71 के अधीन बनाए रखने की फीस 5000 धन मद सं. 71 के अधीन बनाए रखने की फीस 10000 धन मद सं. 71 के अधीन बनाए रखने की फीस 15000 धन मद सं. 71 के अधीन बनाए रखने की फीस	2200 धन मद सं. 71 के अधीन बनाए रखने की फीस 5500 धन मद सं. 71 के अधीन बनाए रखने की फीस 11000 धन मद सं. 71 के अधीन बनाए रखने की फीस 16500 धन मद सं. 71 के अधीन बनाए रखने की फीस	
73	व्यापार चिह्न अभिकर्ता रजिस्टर में नियम 156 के अधीन किसी प्रविष्टि में परिवर्तन के लिए आवेदन पर।	500	550	व्या.चि.-जी
74	धारा 16(1) के अधीन नए रजिस्ट्रीकृत चिह्न के साथ सहयोजित किसी व्यापार चिह्न की रजिस्ट्रीकृत प्रविष्टि में प्रत्येक परिवर्धन पर।	1000	1100	
75	विभिन्न वर्गों की माल या सेवाओं के लिए सामूहिक चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए धारा 18(2) के अधीन एकल आवेदन पर।	10000 प्रत्येक वर्ग के लिए	11000 प्रत्येक वर्ग के लिए	व्या.चि.-ए
76	किसी कन्वेंशन देश से विभिन्न वर्गों की माल या सेवाओं के लिए सामूहिक चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए धारा 18(2) के अधीन एकल आवेदन पर।	20000 प्रत्येक वर्ग के लिए	22000 प्रत्येक वर्ग के लिए	व्या.चि.-ए
77	विभिन्न वर्गों की माल या सेवाओं के लिए प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए धारा 18(2) के अधीन एकल आवेदन पर।	20000 प्रत्येक वर्ग के लिए	22000 प्रत्येक वर्ग के लिए	व्या.चि.-ए
78	किसी कन्वेंशन देश से धारा 154(2) के अधीन विभिन्न वर्गों के माल या सेवाओं के लिए प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए धारा 18(2) के अधीन एकल आवेदन पर।	20000 प्रत्येक वर्ग के लिए	22000 प्रत्येक वर्ग के लिए	व्या.चि.-ए
79	अंतरराष्ट्रीय आवेदन के प्रमाणन और अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो को पारेषण हेतु हस्तांतरण फीस।	--	4000	--
80	सुज्ञात व्यापार चिह्न की सूची में किसी चिह्न के समायोजन का अनुरोध।	1,00,000	1,10,000	व्या.चि.-एम

द्वितीय अनुसूची
प्ररूप

प्ररूप सं.	अधिनियम और नियम की धारा और नियम	शीर्षक	प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि संख्या
व्या.चि.-ए	धारा: 15, 15(3), 18(1), 18(2), 63(1), 71, 71(1), 154(2).	माल या सेवाओं के व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 65, 66, 75, 76, 77, 78.
व्या.चि.-एम	धारा: 18(4), 22, परन्तुक 22 का 2, 23(2), 43, 58, 66, 74(2), 127(ग), 131, 133(1), 137, 148(2), नियम: 24, 37, 37(1), 42, 57(3), 125, 127, 130.	निर्णय का आधार प्राप्त करने, धारा 133(1) के अधीन रजिस्ट्रार प्रारंभिक सुझाव, सत्यापित प्रति, त्वरित परीक्षण, द्वितीयक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए व्यापार चिह्न में संशोधन हेतु अनुरोध, सुज्ञात व्यापार चिह्न की सूची में किसी चिह्न को शामिल किए जाने का अनुरोध और अन्य व्या.चि. प्ररूपों में शामिल नहीं किया गया कोई अन्य मामला।	9, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 62, 66, 80
व्या.चि.-आर	धारा: 25, परन्तुक धारा 25(2), 25(4) का 2.	नवीकरण, अधिभार सहित नवीकरण और व्यापार चिह्न के प्रत्यावर्तन हेतु आवेदन।	13, 14, 15, 16, 17, 18
व्या.चि.-सी	नियम 23(3), नियम 23(5)	नियम 23 के अधीन दाखिल खोज प्रमाणपत्र अनुरोध हेतु आवेदन।	59, 68
व्या.चि.-ओ	धारा: 21, 21(1), 47-57, 59, 64, 66, 68, 73, 77 और 25 के भौगोलिक उपदर्शन अधिनियम. नियम: 101, 108, 133, 139.	विरोध, परिमार्जन और उससे संबंधित प्रतिकथन की सूचना।	10, 11, 26, 27, 44, 58, 60, 61
व्या.चि.-पी		एशोसिएशन के विखंडन, समनुदेशन, पंजीकृत स्वत्वधारी के विवरण का संशोधन, माल या सेवाओं के विवरण के पंजीकृत व्यापार चिह्न के संशोधन संबंधी आवेदन।	12, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 63, 64
व्या.चि.-यू	धारा: 49, 50, 50(1)(क), 50(1)(ख), 50(1)(ग) या 50(1)(घ). नियम: 97.	पंजीकृत उपयोक्ता का आवेदन या तीसरे पक्ष द्वारा कार्यवाही में हस्तक्षेप करने का आवेदन।	28, 29, 30, 31, 32, 33
व्या.चि.-जी	नियम: 150, 156, 157.	व्यापार चिह्न अभिकर्ता, व्यापार चिह्न अभिकर्ता के नाम का प्रत्यावर्तन और रजिस्ट्रार में व्यापार चिह्न अभिकर्ता के विवरण संबंधी परिवर्तन का आवेदन।	69, 72, 73

प्ररूप का सूची

प्ररूप व्या.चि.-ए

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999

व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

[संगत सूचना प्रत्येक शीर्ष के समक्ष रंगीन खाने में अवश्य भरी जाय]

1	आवेदन की प्रकृति	
	[(क) आवेदक निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक का चयन करें-	
	1. मानक व्यापार चिह्न 2. सामूहिक चिह्न 3. प्रमाणीकरण चिह्न 4. श्रेणी चिह्न	
	यहाँ मानक चिह्न से सामान्य व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण हेतु किसी आवेदन का आशय है जो सामूहिक या प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न अथवा चिह्नों की शृंखला ना हो।	
	(ख) सामूहिक चिह्न या प्रमाणीकरण चिह्न के संदर्भ में प्ररूप व्या.चि.-एम के साथ प्रारूप विनियमन अवश्य दाखिल किया जाएगा।]	
	प्रदत्त फीस	(उपयुक्त फीस के लिए प्रथम अनुसूची देखें)
2	आवेदक	
	नाम:*	
	व्यापार नाम	
	पता:*	
	(राज्य) (देश)	
	[भारत में व्यवसाय का आवेदक का मुख्य पता ही पते के रूप में दर्शाया जाएगा]	
	सेवार्थ पता:	
	(राज्य) (देश)	
	[(क) अन्यथा विशिष्ट रूप से वर्णित ना होने पर आवेदक का पता वही होगा जो भारत में व्यवसाय के मुख्य स्थान के रूप में आवेदक का सेवार्थ पता है।	
	(ख) यदि आवेदक भारत में व्यवसाय ना करता हो तब भी भारत में सेवार्थ पता अवश्य दिया जाएगा।]	
	मोबाइल नं.:	
	ई-मेल का पता:*	
आवेदक की प्रकृति		
[आवेदक निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक का चयन करें-		
1. व्यक्ति, 2. साझेदारी फर्म, 3. प्राइवेट लिमिटेड/लिमिटेड कंपनी सहित निगमित निकाय, 4. सीमित देयता साझेदारी, 5. सोसाइटी, 6. न्यास, 7. सरकारी विभाग, 8. कानूनी संगठन, 9. व्यक्तियों का संगम, 10. हिन्दू अविभक्त कुटुंब]		
3	आवेदक के अभिकर्ता (यदि कोई हो)	
	नाम:	
	पता:	
	मोबाइल नं.	
	ई-मेल का पता:	
	अभिकर्ता की प्रकृति	
	[आवेदक निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक का चयन करें-	
	1.रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न अभिकर्ता, 2.अधिवक्ता, 3.मान्यता प्राप्त एटॉर्नी]	
	रजिस्ट्रीकरण नं.	
	अभिकर्ता को प्राधिकार दिए जाने की स्थिति में अभिकर्ता का पता आवेदक के सेवार्थ पते के रूप में उल्लिखित होगा।	

4	व्यापार चिह्न	
	चिह्न के प्रवर्ग	<i>व्यापार चिह्न का उल्लेख</i>
	[आवेदक निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक का चयन करें-	
	1. शब्द चिह्न (इसमें एक शब्द, अक्षर, संख्या या मानक रूप में लिखित सभी कुछ शामिल है), 2. यंत्र चिह्न (इसमें लेबल, स्टीकर, मोनोग्राम, लोगो या शब्द चिह्न के अतिरिक्त कोई अन्य ज्यामितीय आकृति शामिल है), 3. रंग (जब यंत्र के साथ या उसके बिना रंगों के संयोजन में पार्थक्य का दावा किया गया हो), 4. त्रिआयामी व्यापार चिह्न (इसमें वस्तुओं के आकार या पैकेजिंग शामिल है), 5. ध्वनि	
	चिह्न का विवरण	
	[(क) चिह्न का विवरण नियम 28 के अनुसार अवश्य दिया जाय।	
	(ख) श्वेत और श्याम के अतिरिक्त किसी अन्य निर्दिष्ट रंग समन्वय में प्रस्तुत व्यापार चिह्न के संदर्भ में यह माना जाएगा कि चिह्न का पार्थक्य का दावा उस रंग समन्वय में ही किया गया है और तदनुसार आवेदन पर विचार किया जाएगा।	
5	(ग) रंग चिह्न के संदर्भ में विवरण इस प्रकार होगा जैसे "इस व्यापार चिह्न में बैंगनी, हरे और पीले रंग की तीन खड़ी पट्टियाँ शामिल हैं जो मकानों और दरवाजों के सामने चिह्न की प्रदर्शित प्रस्तुति के अनुसार लगायी गई है।"	
	(घ) ध्वनि चिह्न के संदर्भ में निर्दिष्ट संगीत धुन की प्रस्तुति व्यापार चिह्न के लिए प्रदत्त स्थान पर अवश्य की जानी चाहिए। आवेदक को वह ध्वनि MP3 में भी दाखिल करनी होगी।]	
	हिन्दी या अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषा में चिह्न	
	भाषा	
	रोमन लिपि में चिह्न का लिप्यंतरण	
	[चिह्न के हिन्दी या अंग्रेजी के अलावा किस अन्य भाषा में होने की स्थिति में उस चिह्न का लिप्यंतरण रोमन लिपि में अवश्य उपलब्ध कराया जाए।	
	चिह्न का अंग्रेजी में अनुवाद	
6	[चिह्न के हिन्दी या अंग्रेजी के अलावा किस अन्य भाषा में होने की स्थिति में उस चिह्न का अंग्रेजी अनुवाद अवश्य उपलब्ध कराया जाए।	
	व्यापार चिह्न के प्रयोग की शर्त या सीमा, यदि कोई हो	
	माल या सेवा का वर्ग	माल और सेवा का विवरण
	चिह्न के प्रयोग संबंधी कथन	[] प्रयोग के लिए प्रस्तावित
		[] चिह्न का प्रयोग आवेदक या उसके पूर्ववर्ती द्वारा प्रयोग किया जा रहा है जिसका शीर्षक है
		आवेदन में उल्लिखित माल और सेवा की बाबत से
8	[(क) आवेदक को उपर्युक्त में से किसी एक का चयन करना होगा	
	(ख) प्रयोग की तारीख (दि/मा/वर्ष) रूप में की जाएगी और आवेदन में वर्णित सभी मदों को इंगित करेगी।	
	(ग) आवेदन की तारीख से पूर्व व्यापार चिह्न के प्रयोग का दावा करने की स्थिति में आवेदक एक शपथ पत्र दाखिल कर वैसे प्रयोग का सत्यापन करेगा और सहायक दस्तावेज दाखिल करेगा।	
	(घ) चिह्न के प्रयोग संबंधी एक बार दिया गया कथन अंतिम होगा।]	
	प्रायिकता दावा, यदि कोई हो	
	से प्रायिकता दावा	(दि/मा/वर्ष)
	कन्वेंशन देश या संगठन में दाखिल आवेदन के आधार पर प्रायिकता दावा	देश या संगठन का नाम
9	प्रायिकता आवेदन संख्या	
	[प्रायिकता का दावा आवेदन में उल्लिखित सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिए अवश्य किया जाएगा]	
	कोई अन्य महत्वपूर्ण सूचना या कथन	
	[आवेदक यहाँ अपने आवेदन से संबंधित कोई अन्य सूचना या कथन प्रदान कर सकता है]	

11	सत्यापन	मैं एतद् द्वारा सत्यापित करता हूँ कि ऊपर वर्णित तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के आधार पर सत्य हैं।
12	आवेदन दाखिल करने वाले व्यक्ति का ब्यौरा	
	हस्ताक्षर	
	नाम	
	प्राधिकार	

प्ररूप ब्या.चि.-एम

व्यापार चिह्न अधिनियम के अधीन व्यापार चिह्न आवेदन/विरोध/संशोधन के संबंध में प्रकीर्ण कार्यवाही हेतु आवेदन/अनुरोध

[(क) एक प्ररूप केवल एक अनुरोध के लिए है। पृथक अनुरोधों के लिए पृथक अनुरोध दाखिल किया जाएगा। एक प्ररूप में एक से अधिक अनुरोध का दावा करने की स्थिति में प्रथम स्वीकृत होगा और शेष अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। (ख) संगत सूचना प्रत्येक शीर्ष के समक्ष रंगीन खाने में अवश्य भरी जाय]	
1	प्रदत्त फीस (उपयुक्त फीस के लिए प्रथम अनुसूची देखें) आवेदक या रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी/विरोधकर्ता/आवेदन/अनुरोध करने वाला तृतीय पक्ष [(क) उपर्युक्त में से किसी एक का चयन अवश्य करना होगा जिनकी तरफ से आवेदन/अनुरोध दाखिल किया जा रहा है। (ख) "आवेदक" या "रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी" से उस व्यक्ति का आशय है जिसका उल्लेख संदर्भित आवेदन या पंजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न के संदर्भ में टीएमआर अभिलेख में है। "विरोधकर्ता" से उस विरोधकर्ता से अभिप्रेत है जिसका संदर्भ विरोध कार्यवाही में हो अथवा एक आवेदक जो किसी और के व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण को बदलने या निरस्त करने की इच्छा से संशोधन हेतु अनुरोध करता है। "तृतीय पक्षकार" से उस व्यक्ति का आशय है जो संदर्भित आवेदन/विरोध/संशोधन का कोई पक्षकार ना हो।] नाम:* व्यापार नाम पता:* (राज्य) (देश) सेवार्थ पता: (राज्य) (देश) [(क) अन्यथा विशिष्ट रूप से वर्णित ना होने पर आवेदक/ विरोधकर्ता/ तृतीय पक्ष का पता वही होगा जो भारत में व्यवसाय के मुख्य स्थान के रूप में आवेदक का सेवार्थ पता है। (ख) यदि आवेदक भारत में व्यवसाय ना करता हो तब भी भारत में सेवार्थ पता अवश्य दिया जाएगा।] मोबाइल न.: ई-मेल का पता:*
2	आवेदक या रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी/विरोधकर्ता/तृतीय पक्षकार के अभिकर्ता जैसा भी संदर्भ हो, (यदि कोई हो) नाम: पता मोबाइल न.: ई-मेल का पता: अभिकर्ता की प्रकृति [आवेदक निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक का चयन करें- 1. रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न अभिकर्ता, 2. अधिवक्ता, 3. मान्यता प्राप्त एटॉर्नी]

	रजिस्ट्रीकरण नं.	
	अभिकर्ता को प्राधिकार दिए जाने की स्थिति में अभिकर्ता का पता आवेदक के सेवार्थ पते के रूप में उल्लिखित होगा।	
3	के मामले में अनुरोध/आवेदन	
	आवेदन/विरोध/संशोधन संख्या	संदर्भ संख्या
	[उपर्युक्त में से एक का चयन अवश्य किया जाए]	
	अतिरिक्त संदर्भ, यदि अपेक्षित हो	
	अनुरोध का प्रयोज्य	
क	लिपिकीय त्रुटि में सुधार या नियम 41 के अधीन संशोधन के लिए	
	सुधार का विवरण	
ख	निर्णय के आधार/रजिस्ट्रार के निर्णय की समीक्षा का कथन	
	सुनवाई की तारीख	
	आदेश संख्या और तारीख	
ग	रजिस्ट्रार के प्रमाणपत्र या दस्तावेज की सत्यापित प्रति के लिए	
	यदि अनुरोध त्वरित प्रमाणपत्र के लिए है	हाँ या नहीं
	[त्वरित प्रमाणपत्र के लिए अनुरोध की स्थिति में फीस साधारणतया साधारण अनुरोध का पाँच गुणा होगी]	
	अपेक्षित सत्यापित प्रति के विवरण	
	अपेक्षित दस्तावेज की प्रतियों की संख्या	
घ	नियम 46 के अधीन व्यापार चिह्न के विज्ञापन के विवरण के लिए	
ङ	संगम फीस के भुगतान के लिए	
	[संबद्ध आवेदनों की संख्या/रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न संख्या और फीस रूप में यहाँ लिखा जाए]	
च	अभिकर्ता का प्राधिकार दाखिल करने के लिए	
	[मुख्तारनामा की प्रति अवश्य संलग्न की जाए]	
छ	समय विस्तार हेतु अनुरोध	
	समय अवधि के विस्तार का कारण	 से की अवधि के लिए समय विस्तार अनुरोध
ज	धारा 133 के अधीन व्यापार चिह्न के पार्श्वक के बारे में प्रारंभिक सुझाव	यहाँ चिह्न लिखे/चिपकाए जाये
झ	किसी आवेदन के त्वरित परीक्षण का अनुरोध	
	त्वरित परीक्षण हेतु कारण बताना	
ख	आवेदन का विभाजन	
	विभाजित किए जाने वाले वर्ग	
	विभाजित किए जाने वाले व्यापार चिह्न (शृंखला चिह्न के संदर्भ में)	
ट	द्वितीयक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र हेतु अनुरोध	
	रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न संख्या	
ठ	उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य प्रयोज्य के लिए प्रकीर्ण फीस के भुगतान के लिए	उद्देश्य फीस रूप में
ड	सुज्ञात व्यापार चिह्न पंजीकरण प्रमाण पत्र की सूची में व्यापार चिह्न को शामिल करने हेतु अनुरोध	चिह्न की प्रस्तुति (यहाँ चिपकाए) फीस रूप में
	क्या अनुरोध किया गया चिह्न व्यापार चिह्न रजिस्ट्री, भारत में रजिस्ट्रीकृत है -यदि हाँ (उसका विवरण)	

4	आवेदन दाखिल करने वाले व्यक्ति का ब्यौरा	
	हस्ताक्षर	
	नाम	
	प्राधिकार	
5	संलग्न दस्तावेजों की सूची (यदि कोई हो)	

प्ररूप व्या.चि.-आर
व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण/प्रत्यावर्तन
अथवा नवीकरण के लिए अधिभार के भुगतान हेतु आवेदन

[संगत सूचना प्रत्येक शीर्ष के समक्ष रंगीन खाने में अवश्य भरी जाए]

1	आवेदक	
	[यहाँ आवेदक से उस व्यक्ति का आशय है जो जिसकी ओर से अनुरोध दाखिल किया गया है। वह साधारणतया उस चिह्न का रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी होगा।]	
	प्रदत्त फीस	(उपयुक्त फीस के लिए प्रथम अनुसूची देखें)
	नाम:*	
	व्यापार नाम	
	पता:*	
		(राज्य) (देश)
	सेवार्थ पता:	
		(राज्य) (देश)
	[[क] अन्यथा विशिष्ट रूप से वर्णित ना होने पर आवेदक का पता वही होगा जो भारत में व्यवसाय के मुख्य स्थान के रूप में आवेदक का सेवार्थ पता है। [ख] यदि आवेदक भारत में व्यवसाय ना करता हो तब भी भारत में सेवार्थ पता अवश्य दिया जाएगा।]	
	मोबाइल नं.:	
	ई-मेल का पता:*	
2	आवेदक के अभिकर्ता (यदि कोई हो)	
	नाम:	
	पता	
	मोबाइल नं.:	
	ई-मेल का पता:	
	अभिकर्ता की प्रकृति	
	[आवेदक निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक का चयन करें- 1. रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न अभिकर्ता, 2. अधिवक्ता, 3. मान्यता प्राप्त एटॉर्नी]	
	रजिस्ट्रीकरण नं.	
	अभिकर्ता को प्राधिकार दिए जाने की स्थिति में अभिकर्ता का पता आवेदक के सेवार्थ पते के रूप में उल्लिखित होगा।	
	3	व्यापार चिह्न प्रकार
[[क] आवेदक निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक का चयन करें- 1. मानक व्यापार चिह्न 2. सामूहिक चिह्न 3. प्रमाणीकरण चिह्न 4. श्रेणी चिह्न [ख] यहाँ मानक चिह्न से सामान्य व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण हेतु किसी आवेदन का आशय है जो सामूहिक या प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न अथवा चिह्नों की श्रृंखला ना हो।		

4	व्यापार चिह्न संख्या:	
5	वर्ग	
	(बहुवर्ग के संदर्भ में वर्गों की संख्या का उल्लेख होगा)	
6	के लिए भुगतान (नीचे से चयन करें)	
	व्यापार चिह्न के अंतिम रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति के पूर्व नवीकरण	
	अंतिम रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति के बाद 6 महीने के भीतर यदि नवीकरण दाखिल हो	
	रजिस्टर से हटाए गए व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण का प्रत्यावर्तन और नवीकरण	
7	आवेदन दाखिल करने वाले व्यक्ति का ब्यौरा	
	हस्ताक्षर	
	नाम	
	प्राधिकार	
8	संलग्न दस्तावेज की सूची	

प्ररूप व्या.चि.-सी

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 45(1) के तहत खोज और प्रमाण पत्र हेतु आवेदन

[संगत सूचना प्रत्येक शीर्ष के समक्ष रंगीन खाने में अवश्य भरी जाए]

1	आवेदक	
	प्रदत्त फीस	(उपयुक्त फीस के लिए प्रथम अनुसूची देखें)
	नाम:*	
	व्यापार नाम	
	पता:*	
		(राज्य) (देश)
	[यदि आवेदक भारत में व्यवसाय न करता हो तब भी भारत में सेवार्थ पता अवश्य दिया जाएगा।]	
	सेवार्थ पता:	
		(राज्य) (देश)
	[(क) अन्यथा विशिष्ट रूप से वर्णित न होने पर आवेदक का पता वही होगा जो भारत में व्यवसाय के मुख्य स्थान के रूप में आवेदक का सेवार्थ पता है।	
	(ख) यदि आवेदक भारत में व्यवसाय ना करता हो तब भी भारत में सेवार्थ पता अवश्य दिया जाएगा।]	
	मोबाइल नं.:	
	ई-मेल का पता:*	
	आवेदक की प्रकृति	
	[आवेदक निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक का चयन करें-	
	1. प्रकृत व्यक्ति-एकल स्वत्वधारी, 2. प्रकृत व्यक्ति—भागीदारी फर्म, 3. प्राइवेट लिमिटेड/लिमिटेड कंपनी सहित निगम निकाय, 4. सीमित देयता भागीदारी, 5. सोसाइटी, 6. न्यास, 7. सरकारी विभाग, 8. कानूनी संगठन, 9. कोई अन्य]	
2	आवेदक के अभिकर्ता (यदि कोई हो)	
	नाम:	
	पता	
	मोबाइल नं.:	
	ई-मेल का पता:	
	अभिकर्ता की प्रकृति	

	[आवेदक निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक का चयन करें-	
	1. रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न अभिकर्ता, 2. अधिवक्ता, 3. मान्यता प्राप्त एटॉर्नी]	
	रजिस्ट्रीकरण नं.	
	अभिकर्ता को प्राधिकार दिए जाने की स्थिति में अभिकर्ता का पता आवेदक के सेवार्थ पते के रूप में उल्लिखित होगा।	
3	त्वरित (हाँ/नहीं)	
	चित्र/लेबल के लिए स्थान	
4	आवेदन दाखिल करने वाले व्यक्ति का ब्यौरा	
	हस्ताक्षर	
	नाम	
	प्राधिकार	
5	संलग्न दस्तावेज की सूची	

प्ररूप व्या.चि.-ओ

माल के भौगोलिक उपदर्शन(रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 की धारा 25(क)(ख) के तहत व्यापार चिह्न को अस्वीकृत या अमान्य करने हेतु प्रति कथन/अनुरोध/व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण को निरस्त या बदलकर रजिस्टर में संशोधन के लिए विरोध/आवेदन की सूचना

[संगत सूचना प्रत्येक शीर्ष के समक्ष रंगीन खाने में अवश्य भरी जाए]

1	आवेदक या रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी/विरोधकर्ता/आवेदन/अनुरोध करने वाला तृतीय पक्षकार	
	[(क) उपर्युक्त में से किसी एक का चयन अवश्य करना होगा जिनकी तरफ से आवेदन/अनुरोध दाखिल किया जा रहा है।	
	(ख) "आवेदक" या "रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी" से उस व्यक्ति से अभिप्रेत है जिसका उल्लेख संदर्भित आवेदन या रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न के संदर्भ में टीएमआर अभिलेख में है। "विरोधकर्ता" से उस विरोधकर्ता से अभिप्रेत है जिसका संदर्भ विरोध कार्यवाही में हो अथवा एक आवेदक जो किसी और के व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण को बदलने या निरस्त करने की इच्छा से संशोधन हेतु अनुरोध करता है। "तृतीय पक्षकार" से उस व्यक्ति का आशय है जो संदर्भित आवेदन/विरोध/संशोधन का कोई पक्षकार ना हो।]	
	प्रदत्त फीस	(उपयुक्त फीस के लिए प्रथम अनुसूची देखें)
	नाम:*	
	व्यापार नाम	
	पता:*	
		(राज्य) (देश)
	सेवार्थ पता:	
		(राज्य) (देश)
	[(क) अन्यथा विशिष्ट रूप से वर्णित ना होने पर आवेदक का पता वही होगा जो भारत में व्यवसाय के मुख्य स्थान के रूप में आवेदक का सेवार्थ पता है।	
	(ख) यदि आवेदक/ विरोधकर्ता/तृतीय पक्षकार भारत में व्यवसाय ना करता हो तब भी भारत में सेवार्थ पता अवश्य दिया जाएगा।]	
	मोबाइल नं.:	
	ई-मेल का पता:*	
2	आवेदक या रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी/विरोधकर्ता/तृतीय पक्षकार के अभिकर्ता जैसा भी संदर्भ हो, (यदि कोई हो)	
	नाम:	
	पता	

	मोबाइल नं.:	
	ई-मेल का पता:	
	अभिकर्ता की प्रकृति	
	[आवेदक निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक का चयन करें-	
	1. रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न अभिकर्ता, 2. अधिवक्ता, 3. मान्यता प्राप्त एटॉर्नी]	
	रजिस्ट्रेशन नं.	
	अभिकर्ता को प्राधिकार दिए जाने की स्थिति में अभिकर्ता का पता आवेदक के सेवार्थ पते के रूप में उल्लिखित होगा।	
3	प्रयोजन	
	के मामले में (विरोध/संशोधन दाखिल करने के लिए)	
	आवेदन/रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न संख्या	वर्ग
	व्यापार चिह्न	
	प्रकाशित आवेदन की जर्नल संख्या	
	[जर्नल प्रकाशन की एक प्रति संलग्न करें]	
	विरोध/संशोधन का आधार	
	[विरोध का आधार/संशोधन हेतु आवेदन का विस्तृत विवरण दिया जाय और विरोधकर्ता/संशोधन हेतु आवेदनकर्ता द्वारा सत्यापित हो तथा वह संलग्न किया जाए]	
	के मामले में (प्रतिकथन दाखिल करने के लिए)	
	विरोध/संशोधन संख्या	वर्ग
	आवेदन/रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न संख्या	
	प्रतिकथन का ब्यौरा	
	[प्रतिकथन का विस्तृत विवरण दिया जाय और विरोधकर्ता/संशोधन हेतु आवेदनकर्ता द्वारा सत्यापित हो तथा वह संलग्न किया जाए]	
	भौगोलिक उपदर्शन अधिनियम, 1999 की धारा 25(क)(ख) के तहत व्यापार चिह्न को अस्वीकृत या असम्य करने हेतु अनुरोध	
	आवेदन/रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न संख्या	वर्ग
	संदर्भ का कथन	
	[संदर्भ के कथन का विस्तृत विवरण दिया जाय और आवेदनकर्ता द्वारा सत्यापित हो तथा इसके समर्थन में आवेदक का शपथ पत्र संलग्न किया जाए]	
4	आवेदन दाखिल करने वाले व्यक्ति का ब्यौरा	
	हस्ताक्षर	
	नाम	
	प्राधिकार	
5	संलग्न दस्तावेज की सूची, यदि कोई हो	

प्ररूप व्या.चि.-पी**व्यापार चिह्न में रजिस्ट्रीकरण के बाद परिवर्तन के लिए आवेदन**

1	[(क) एक प्ररूप केवल एक परिवर्तन के अनुरोध के लिए है। पृथक परिवर्तनों के लिए पृथक अनुरोध दाखिल किया जाएगा (ख) संगत सूचना प्रत्येक शीर्ष के समक्ष रंगीन खाने में अवश्य भरी जाए]
	आवेदक
	[यहाँ आवेदक से उस व्यक्ति का आशय है जो जिसकी ओर से अनुरोध दाखिल किया गया है। वह साधारणतया उस चिह्न का रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या किसी समनुदेशन या हस्तांतरण के कारण चिह्न के परवर्ती स्वत्वधारी होने का दावा करने वाला व्यक्ति होगा।]

	प्रदत्त फीस	(उपयुक्त फीस के लिए प्रथम अनुसूची देखें)
	नाम:*	
	व्यापार नाम	
	पता:*	
		(राज्य) (देश)
	सेवार्थ पता:	
		(राज्य) (देश)
	[(क) अन्यथा विशिष्ट रूप से वर्णित ना होने पर आवेदक का पता वही होगा जो भारत में व्यवसाय के मुख्य स्थान के रूप में आवेदक का सेवार्थ पता है। (ख) यदि आवेदक भारत में व्यवसाय ना करता हो तब भी भारत में सेवार्थ पता अवश्य दिया जाएगा।]	
	मोबाइल नं.:	
	ई-मेल का पता:*	
2	आवेदक के अभिकर्ता (यदि कोई हो)	
	नाम:	
	पता	
	मोबाइल नं.:	
	ई-मेल का पता:	
	अभिकर्ता की प्रकृति	
	[आवेदक निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक का चयन करें- 1. रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न अभिकर्ता, 2. अधिवक्ता, 3. मान्यता प्राप्त एटॉर्नी]	
	रजिस्ट्रेशन नं.	
3	व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के संशोधन के लिए विस्तृत अनुरोध/आवेदन	
	रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न संख्या	
	[एक से अधिक व्यापार चिह्न के लिए अनुरोध किए जाने की स्थिति में प्रथम व्यापार चिह्न संख्या लिखी जाएगी]	
	अतिरिक्त संख्या, यदि कोई हो	
	चिह्न के प्रकार	
	[(क) आवेदक निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक का चयन करें- 1. मानक व्यापार चिह्न 2. सामूहिक चिह्न 3. प्रमाणीकरण चिह्न 4. श्रेणी चिह्न (ख) यहाँ मानक चिह्न से सामान्य व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण हेतु किसी आवेदन का आशय है जो सामूहिक या प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न अथवा चिह्नों की श्रृंखला ना हो।]	
	अनुरोध किया गया संशोधन	
	स्वत्वधारी में परिवर्तन का ब्यौरा	
	[इस खंड का प्रयोग केवल तब ही किया जाएगा जब समनुदेशन या हस्तांतरण द्वारा चिह्न की स्वत्वधारिता में कोई परिवर्तन ना हो]	
	में अनुरोध किया गया संशोधन	
4	स्वत्वधारी का नाम	
	पता	
	सेवा का पता	
	अभिकर्ता/एटॉर्नी का ब्यौरा	

[उपर्युक्त में से किसी एक का चयन किया जाय और उनके सम्मुख स्तंभ में अनुरोध किए गए परिवर्तन का स्पष्ट उल्लेख हो]	
व्यापार चिह्न में संशोधन	प्रस्तावित व्यापार चिह्न की प्रविष्टि करें या चिपकाए
रजिस्टर से माल या सेवाओं को हटाना	[अनुरोध किए गए परिवर्तन का स्पष्ट उल्लेख हो]
माल और सेवाओं के निर्देश का बदलाव	[अनुरोध किए गए परिवर्तन का स्पष्ट उल्लेख हो]
रजिस्ट्रीकरण का निरस्तीकरण	[अनुरोध किए गए रजिस्ट्रीकरण के निरस्तीकरण का स्पष्ट उल्लेख हो]
संशोधन का कारण	
एक रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न और अन्य व्यापार चिह्न के बीच एसोसिएशन का विघटन	
रजिस्ट्रीकृत व्यापार संख्या	
	[वह व्यापार चिह्न संख्या लिखे जिसका संबंध संदर्भित रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न से है जिसके विघटन का अनुरोध किया गया है]
रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न के समनुदेशन या हस्तांतरण उसके गुडविल के साथ	
गुडविल के साथ या गुडविल रहित समनुदेशन	
समनुदेशन प्रलेख या हस्तांतरण की तारीख	
अधिग्रहण की तारीख से अवधि के भीतर दाखिल अनुरोध	6 महीने के भीतर
	12 महीने के भीतर
	12 महीने के बाद
	[उपर्युक्त में से किसी एक का चयन अवश्य किया जाए]
भारत के विभिन्न भाग के लिए विभिन्न लोगों को समनुदेशन	
प्रस्तावित समनुदेशी का नाम	
प्रस्तावित समनुदेशी का पता	
[(क) यदि एक से अधिक समनुदेशी हों तो समनुदेशियों के विवरण उनके सम्मुख खाने में किया जाए]	
[(ख) प्रस्तावित समनुदेशी के साथ क्षेत्र निर्दिष्ट किया जाए]	
5	धारा 40(2) के अधीन रजिस्ट्रार का प्रमाण पत्र
प्रमाण पत्र हेतु अनुरोध	
[धारा 40(2) के अनुसार अनुरोध के विवरण का उल्लेख यहाँ किया जाएगा और समनुदेशन की प्रति के साथ संदर्भ का कथन अवश्य दाखिल किया जाए]	
6	धारा 41 के अधीन रजिस्ट्रार का अनुमोदन
अनुमोदन हेतु अनुरोध	
[धारा 41 के अनुसार अनुरोध के विवरण का उल्लेख यहाँ किया जाएगा और समनुदेशन या हस्तांतरण की प्रति के साथ संदर्भ का कथन अवश्य दाखिल किया जाए]	
7	व्यापार चिह्न की साख के बिना समनुदेशन के विज्ञापन हेतु रजिस्ट्रार के निर्देश के लिए धारा 42 के अधीन आवेदन
निर्देश हेतु अनुरोध	
[धारा 42 के अनुसार अनुरोध के विवरण का उल्लेख यहाँ किया जाएगा और समनुदेशन या हस्तांतरण की प्रति के साथ संदर्भ का कथन अवश्य दाखिल किया जाए]	
8	व्यापार चिह्न की गुडविल के बिना समनुदेशन के विज्ञापन हेतु रजिस्ट्रार के निर्देश के लिए धारा 42 के अधीन समय के विस्तार हेतु आवेदन
समय विस्तार हेतु आवेदन	
[धारा 42 के अनुसार विवरण का उल्लेख यहाँ अवश्य किया जाए]	
अधिग्रहण या विघटन की तारीख से अवधि के भीतर दाखिल आवेदन	एक माह से अधिक नहीं
	दो माह से अधिक नहीं
	तीन माह से अधिक नहीं

9	कंपनी को व्यापार चिह्न के परवर्ती स्वत्वधारी के रूप में रजिस्ट्रीकृत करने के लिए धारा 46(4) के तहत समय विस्तार हेतु आवेदन	
	समय विस्तार हेतु आवेदन	
	[धारा 46(4) के अनुसार विवरण का उल्लेख यहाँ अवश्य किया जाए]	
	अवधि के भीतर दाखिल आवेदन	दो माह से अधिक नहीं चार माह से अधिक नहीं छः माह से अधिक नहीं
		[उपर्युक्त में से किसी एक का चयन करें]
10	आवेदन दाखिल करने वाले व्यक्ति का ब्यौरा	
	हस्ताक्षर	
	नाम	
	प्राधिकार	
11	संलग्न दस्तावेज की सूची	

प्ररूप व्या.चि.-यू

निरस्तीकरण/बदलाव की कार्यवाही में हस्तक्षेप के उद्देश्य की सूचना और रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता/ आर यू के बदलाव/ आर यू के निरस्तीकरण रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन

[संगत सूचना प्रत्येक शीर्ष के समक्ष रंगीन खाने में अवश्य भरी जाए]	
1	आवेदन की प्रकृति
	[(क) आवेदक निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक का चयन करें-
	1. मानक व्यापार चिह्न 2. सामूहिक चिह्न 3. प्रमाणीकरण चिह्न 4. श्रेणी चिह्न
	(ख) सामूहिक चिह्न या प्रमाणीकरण चिह्न के संदर्भ में प्ररूप व्या.चि.-एम के साथ प्रारूप विनियमन अवश्य दाखिल किया जाएगा।]
	प्रदत्त फीस
	(उपयुक्त फीस के लिए प्रथम अनुसूची देखें)
2	आवेदक
	नाम:*
	व्यापार नाम
	पता:*
	(राज्य) (देश)
	[भारत में व्यवसाय का आवेदक का मुख्य पता ही पते के रूप में दर्शाया जाएगा]
	सेवार्थ पता:
	(राज्य) (देश)
	[[क) अन्यथा विशिष्ट रूप से वर्णित ना होने पर आवेदक का पता वही होगा जो भारत में व्यवसाय के मुख्य स्थान के रूप में आवेदक का सेवार्थ पता है।
	(ख) यदि आवेदक भारत में व्यवसाय ना करता हो तब भी भारत में सेवार्थ पता अवश्य दिया जाएगा।]
	मोबाइल न.:
	ई-मेल का पता:*
	आवेदक की प्रकृति
	[आवेदक निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक का चयन करें-
	1. प्रकृत व्यक्ति-एकल स्वत्वधारी, 2. प्रकृत व्यक्ति — भागीदारी फर्म, 3. प्राइवेट लिमिटेड/लिमिटेड कंपनी सहित निगम निकाय, 4. सीमित देयता भागीदारी, 5. सोसाइटी, 6. न्यास, 7. सरकारी विभाग, 8. कानूनी संगठन, 9. कोई अन्य]

3	आवेदक के अभिकर्ता (यदि कोई हो)	
	नाम:	
	पता	
	मोबाइल नं.:	
	ई-मेल का पता:	
	अभिकर्ता की प्रकृति	
	/आवेदक निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक का चयन करें-	
	1.रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न अभिकर्ता, 2.अधिवक्ता, 3.मान्यता प्राप्त एटॉर्नी]	
	रजिस्ट्रेशन नं.	
अभिकर्ता को प्राधिकार दिए जाने की स्थिति में अभिकर्ता का पता आवेदक के सेवार्थ पते के रूप में उल्लिखित होगा।		
4	के मामले में अनुरोध/आवेदन	
	रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न संख्या/रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता संख्या	वर्ग
		रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के रजिस्ट्रीकरण हेतु
	प्रस्तावित रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता का विवरण	
	अवधि	
	माल/सेवा	
	शर्तें	
5	माल/सेवा या शर्त/बाधा से संबंधित रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के बदलाव हेतु	
	रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता में	
	माल/सेवा में	
	शर्त/बाधा में	
6	रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता और उनकी प्रविष्टि का निरस्तीकरण	
	स्वत्वधारी द्वारा (विवरण)	
	रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता द्वारा (विवरण)	
	निरस्तीकरण का आधार	
		इसकी कार्यवाही में हस्तक्षेप के अवाम की सूचना
	निरस्तीकरण	
7	रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या अभिकर्ता का ब्यौरा	
	हस्ताक्षर	
	नाम	
	प्राधिकार	
	रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता या अभिकर्ता का ब्यौरा	
	हस्ताक्षर	
	नाम	
	प्राधिकार	

प्ररूप व्या.चि.-जी
व्यापार चिह्न अधिनियम
व्यापार चिह्न अभिकर्ता रजिस्ट्रीकरण/नवीकरण/प्रत्यावर्तन/परिवर्तन

[संगत सूचना प्रत्येक शीर्ष के समक्ष रंगीन खाने में अवश्य भरी जाए]	
1	व्यापार चिह्न अभिकर्ता के रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन प्रदत्त फीस (उपयुक्त फीस के लिए प्रथम अनुसूची देखें) आवेदक का ब्यौरा उपनाम से शुरू करते हुए पूरा नाम आवास का पता (राज्य) (देश) व्यवसाय का मूल स्थान (राज्य) (देश) राष्ट्रियता जन्म स्थान और तारीख व्यवसाय का पूर्ण विवरण व्यापार चिह्न अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण हेतु अर्हता का विवरण क्या किसी समय व्यापार चिह्न अभिकर्ता के रजिस्टर से हटाए गए और यदि ऐसा हो तो उसका विवरण दें मोबाइल न.: ई-मेल का पता:
2	व्यापार चिह्न अभिकर्ता के रजिस्टर में किसी व्यक्ति के नाम के नवीकरण/प्रत्यावर्तन हेतु आवेदन व्यापार चिह्न अभिकर्ता संख्या नाम: पता मोबाइल न.: ई-मेल का पता:
3	व्यापार चिह्न अभिकर्ता के रजिस्टर में परिवर्तन हेतु आवेदन व्यापार चिह्न अभिकर्ता संख्या नाम: पता मोबाइल न.: ई-मेल का पता: निम्न प्रकार से विवरणों को परिवर्तित किया जाय नाम: निवास स्थान का पता व्यवसाय के मूल स्थान का पता शैक्षणिक अर्हता मोबाइल न.: ई-मेल का पता:
4	हस्ताक्षर नाम प्राधिकार
5	संलग्न दस्तावेज की सूची

तृतीय अनुसूची
रजिस्ट्रार के उपयोग के लिए प्ररूप
प्ररूपों की सूची

प्ररूप सं.	धारा	शीर्षक
O-1	23(3)	रजिस्ट्रीकरण के पूरा न होने की सूचना
O-2	23(2)	व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र
O-3	25(3)	अंतिम रजिस्ट्रीकरण के अवसान की सूचना
O-4	नियम 152	व्यापार चिह्न अभिकर्ता के रूप में किसी व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र

प्ररूप O-1

भारत सरकार व्यापार चिह्न रजिस्ट्री
रजिस्ट्रीकरण के पूरा न होने की सूचना धारा 23(3) नियम 53

सं.-----

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 23(3) द्वारा यथा अपेक्षित सूचना दी जाती है, कि उस व्यापार चिह्न का रजिस्ट्रीकरण, जिसकी, बाबत-----20-----को उपरोक्तानुसार संख्याकित आवेदन किया गया था, आवेदक की चूक के कारण पूरा नहीं हुआ है। यदि इस सूचना की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण पूरा नहीं कर दिया जाता, तो आवेदन को परित्यक्त मान लिया जाएगा।

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेगी:-

तारीख-----20-----

रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न

सेवा में,

प्ररूप O-2

भारत सरकार व्यापार चिह्न रजिस्ट्री
व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र (धारा 23(2), नियम 57(1))

व्यापार चिह्न सं.-----

तारीख-----

प्रमाणित किया जाता है कि व्यापार चिह्न जिसकी समाकृति इसके साथ संलग्न है-----की बाबत-----

तारीख-----के सं. के अधीन -----वर्ग में -----के नाम में रजिस्ट्रार में रजिस्ट्रीकृत किया गया है।

तारीख-----20-----को मेरे निदेशानुसार मुद्रांकित किया गया।

रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न

रजिस्ट्रीकरण, ऊपर उल्लिखित पहली तारीख से 10 वर्ष के लिए है और तब इसे 10 वर्ष की अवधि के लिए और उसके पश्चात् प्रत्येक 10 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी नवीकरण किया जा सकेगा [व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 25 और व्यापार चिह्न नियम, 2015 के नियम 58 से 61 देखें]

यह प्रमाणपत्र विधिक कार्यवाही में या विदेश में रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्ति के उपयोग के लिए नहीं है।

टिप्पण—इस व्यापार चिह्न के स्वामित्व में कोई परिवर्तन, या भारत में कारबार के प्रधान स्थान के पता या सेवा के लिए पते में परिवर्तन होने पर तुरंत परिवर्तन को रजिस्ट्रार करने के लिए आवेदन किया जाना चाहिए।

प्ररूप O-3

भारत सरकार व्यापार चिह्न रजिस्ट्री

व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र (धारा 23(2), नियम 59(1))

रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न सं.-----

वर्ग -----

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 25(3) द्वारा यथा अपेक्षित सूचना दी जाती है, कि पूर्वोक्त व्यापार चिह्न का रजिस्ट्रीकरण -----को समाप्त होगा और यह कि तारीख -----को यह उससे पहले -----रुपए की विहित फीस सहित संलग्न व्या.चि.-12 पर आवेदन के व्यापार चिह्न रजिस्ट्री में प्राप्त होने पर 10 वर्ष की और अवधि के लिए रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण किया जा सकेगा।

तारीख-----20-----

रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न

प्ररूप O-4

भारत सरकार व्यापार चिह्न रजिस्ट्री व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999

व्यापार चिह्न अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र (नियम 152)

सं.-----

प्रमाणित किया जाता है कि -----के -----को तारीख -----20-----को, व्यापार चिह्न नियम, 2015 के नियम 145 के अधीन रखे गए व्यापार चिह्न अभिकर्ताओं के रजिस्ट्रार में रजिस्ट्रीकरण किया गया था।

रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न

छठी अनुसूची

रजिस्ट्रार के सामने नियम 122 की कार्यवाहियों के समनुज्ञेय खर्चों का मापमान

प्रविष्टि संख्या	यह मामला जिसके लिए खर्च अधिनिर्णीत किया जाना है	राशि (रुपए में)
1	एक दिन की ऐसी सुनवाई के लिए जिसके अन्तर्गत साक्षियों से परीक्षा की जाती है	1000
2	जहां साक्षियों से कोई परीक्षा नहीं हुई है वहां एक दिन की सुनवाई के लिए	500
3	किसी पक्षकार की याचना पर सुनवाई का स्थगन मंजूर करने के लिए	500 रुपए और उस दिन जिनकी परीक्षा होनी थी उन्हें पुनः आहूत करने का खर्च।
4	शपथपत्र से विवादित विषय निकाल देने के लिए	200
5	साक्षियों की हाजिरी के लिए ----- जीवन निर्वाह भत्ता----- यात्रा भत्ता-----	500 रुपए (निम्नलिखित टिप्पण देखिए) प्रत्येक तरफ का प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग का रेलगाड़ी या स्टीमर का भाड़ा और यदि रेलगाड़ी या स्टीमर वहां न चलता हो तो साक्षी के ओहदे या हैसियत के हिसाब में 20 रुपए या 10 रुपए प्रति किलोमीटर होगा।
टिप्पण—साक्षियों के लिए जीवन निर्वाह भत्ते और यात्रा भत्ते की दरों में परिवर्तन उपर्युक्त निर्दिष्ट अधिकतम राशि के अध्यक्षीन साक्षियों की हैसियत के अनुसार होगा।		

भाग VI

व्यापार चिह्न रजिस्ट्री की भाषा:—(1) (क) व्यापार चिह्न रजिस्ट्री की भाषा अंग्रेजी होगी:

परन्तु कार्यवाही के पक्षकार, व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के समक्ष में हिन्दी में प्ररूपित दस्तावेजों को फाइल कर सकते हैं, यदि उन्होंने ऐसी वांछा की हो:

परन्तु जहां-

(क) रजिस्ट्रार अधिकरण की कार्यवाहियों में हिन्दी के प्रयोग की अनुज्ञा देता है और ऐसी कार्यवाहियों में सुनवाई को वह स्वविवेकानुसार अभिवाचनों और फाइल किए जाने वाले दस्तावेजों के अंग्रेजी अनुवाद के लिए निदेश दे सकेगा।

(ख) राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 2 के खंड (च) में यथापरिभाषित "क" क्षेत्र में स्थित व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के कार्यालय के बारे में रजिस्ट्रार स्वविवेकानुसार अंतिम आदेश हिन्दी या अंग्रेजी में दे सकेगा।

(2) पैरा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां अंतिम आदेश हिन्दी में किया जाता है वहां उसका अधिप्रमाणित अंग्रेजी अनुवाद साथ ही साथ तैयार किया जाएगा और अभिलेख में रखा जाएगा।

[सं. 8/16/2015-आईपीआर-IV]

राजीव अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November, 2015

G.S.R. 879(E).—The following draft of certain rules to replace the Trade Marks Rules, 2002 which the Central Government proposes to do in exercise of the powers conferred by section 157 of the Trade Marks Act, 1999 (47 of 1999), is hereby published, as required by sub-section (4) of the said section, for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the Gazette of India, in which this notification is published, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be sent to the Additional Secretary to the Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Industrial Policy and Promotion, Udyog Bhavan, New Delhi-110 011 or a copy can be mailed at sahni.palka@nic.in.

Any objections or suggestions received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government;

Draft Rules

PART I

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Trade Marks Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. Definitions. — (1) In these rules, unless the context otherwise requires, —

(a) "Act" means the Trade Marks Act, 1999 (47 of 1999);

(b) "agent" means a person authorised to act under section 145 of the Act;

(c) "application for registration of a trade mark" includes the trade mark for goods or services contained in it;

(d) "appropriate office of the Trade Marks Registry" means the relevant office of the Trade Marks Registry as specified in rule 4;

(e) "Authenticated" means authentication of any electronic record by means of "digital signature" as defined in the Information Technology Act, 2000;

(f) "class fee" means the fee prescribed for the filing of an application for registration of a trade mark in a particular class;

- (g) "convention country" means a country or group of countries or union of countries or Inter-Governmental organisations of countries declared as such under sub-section (1) of section 154;
- (h) "convention application" means an application for registration of a trade mark made by virtue of Section 154;
- (i) "divisional application" means an application containing a request for the division of an application made under sub-section (2) of section 18 for the registration of a Trademark;
- (j) "divisional fee" means fee prescribed against entry number 62 in the First Schedule;
- (k) "Form" means a form set forth in either the Second or the Third Schedule;
- (l) "graphical representation" means the representation of a trade mark for goods or services represented or capable of being represented in paper form and includes representation in digitized form;
- (m) "Journal" means the Trade Marks Journal made available at official website of Controller General of Patents, Designs and Trade Marks;
- (n) "notified date" means the date on which these rules come into force;
- (o) "old law" means the Trade and Merchandise Marks Act, 1958 and rules made thereunder existing immediately before the commencement of the Act;
- (p) "opposition" includes an opposition to the registration of a trade mark or a collective mark or a certification trade mark, as the case may be;
- (q) "principal place of business in India" means the relevant place in India as specified in rule 3;
- (r) "publish" means publish in the Trade Marks Journal or to make available on the official web site of Controller General of Patents, Designs and Trademarks;
- (s) "registered trade mark agent" means a trade marks agent whose name is actually on the register of Trade Marks agents maintained under rule 145;
- (t) "renewal" means and includes renewal of registration of a trade mark, certification trade mark or collective mark, as the case may be;
- (u) "schedule" means a Schedule to the rules;
- (v) "section" means a section of the Act;
- (w) "specification" means the designation of goods or services in respect of which a trade mark or a registered user of a trade mark is registered or proposed to be registered;
- (x) All other words and expressions used but not defined in these rules but defined in the Act or in the Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999 (48 of 1999), the Copyright Act, 1957 (14 of 1957) shall have the meanings assigned to them in those Acts.

(2) In these rules, except as otherwise indicated, a reference to a section is a reference to that section in the Act, a reference to a rule is a reference to that rule in these rules, a reference to a Schedule is a reference to that Schedule to these rules and a reference to a Form is a reference to that Form contained in the Second Schedule or the Third Schedule, as the case may be, to these rules.

3. Principal place of business in India.— "Principal place of business in India" means—

- (i) where a person carries on business in the goods or services concerned in a trade mark —
 - (a) if the business is carried on in India at only one place, that place;
 - (b) if the business is carried on in India at more places than one, the place mentioned by him as the principal place of business in India;
- (ii) where a person is not carrying on a business in the goods or services concerned in a trade mark—
 - (a) if he is carrying on any other business in India at only one place, that place;
 - (b) if he is carrying on any other business in India at more places than one, the place mentioned by him as the principal place of business in India; and
- (iii) where a person does not carry on any business in India but has a place of residence in India, then such place of residence in India.

4. Appropriate office of the Trade Marks Registry.—The appropriate office of the Trade Marks Registry for the purposes of making an application for registration of a trade mark under section 18 or for giving notice of opposition under section 21 or for making an application for removal of a trade mark under section 47 or cancelling or varying the registration of a trade mark under section 57 or for any other proceedings under the Act and the rules shall be —

- a) in relation to a trade mark on the Register of Trade Marks at the notified date, the office of the Trade Marks Registry within whose territorial limits—
 - (i) the principal place of business in India of the registered proprietor of the trade mark as entered in the register at such date is situate;
 - (ii) where there is no entry in the register as to the principal place of business in India of the registered proprietor, the place mentioned in the address for service in India as entered in the register at such date is situate;
 - (iii) in the case of jointly registered proprietors, the principal place of business in India of the proprietor whose name is entered first in the register as having such place of business in India at such date is situate;

(iv) where none of the jointly registered proprietors is shown in the register as having a principal place of business in India, the place mentioned in the address for service in India of the joint proprietors as entered in the register at such date, is situate;

(v) if no principal place of business in India of the registered proprietor of the mark or in the case of joint registration, of any of the joint proprietors of the mark, is entered in the register, and the register does not contain any address for service in India, the place of the office of the Trade Marks Registry where the application for registration of the trade mark was made, is situate, and

b) in relation to a trade mark for which an application for registration is pending at the notified date or is made on or after the notified date, the office of the Trade Marks Registry within whose territorial limits—

(i) the principal place of business in India of the applicant as disclosed in the application or, in the case of joint applicants, the principal place of business in India of the applicant whose name is first mentioned in the application, as having such place of business is situate;

(ii) where neither the applicant nor any of the joint applicants, as the case may be, has a principal place of business in India, the place mentioned in the address for service in India as specified in the application is situate.

5. Jurisdiction of appropriate office not altered by change in the principal place of business or address for service.— No change in the principal place of business in India or in the address for service in India, as the case may be,—

a) of a registered proprietor or of any of the jointly registered proprietors in relation to any trade mark on the register at the notified date, made or effected subsequent to that date; or

b) of an applicant for registration or of any of the joint applicants for registration in relation to any trade mark for which an application for registration is either pending at the notified date or is made on or after that date, made or effected subsequent to that date or to the date of filing of such application, as the case may be,

shall affect the jurisdiction of the appropriate office of the Trade Marks Registry.

6. Entry of the appropriate office in the Register. — In respect of every trade mark on the register at the notified date or registered thereafter the Registrar shall cause to be entered in the register, the appropriate office of the trade marks registry and the Registrar may, at any time, correct any error in the entry so made.

7. Transfer of pending applications and proceedings to appropriate offices of the trade marks registry. — Every application and proceeding pending before the Registrar at the notified date in relation to a trade mark shall be deemed to have been transferred to the appropriate office of the trade marks registry.

8. Leaving of documents, etc.—All applications, notices, statements or other documents or any fees authorised or required by the Act or the rules to be made, served, left or sent or paid at or to the trade marks registry in relation to a trade mark on the Register of Trade Marks on the notified date or for which an application for registration is pending on, or is made on or after the notified date, shall be made, served, left or sent or paid to the appropriate office of the trade marks registry:

Provided that the Registrar may, by notification in the journal, permit the filing of certain forms or documents, other than the application for the registration of a trademark in any other office of the Trade Marks Registry.

9. Issue of notices etc.—Any notice or communication relating to an application, matter or proceeding under the Act or the rules may be issued by the Head of Office or any officer authorised by the Registrar.

10. Fees. — (1) The fees to be paid in respect of applications, oppositions, registration, renewal, expedited examination or reports or any other matters under the Act and the rules shall be those specified in the First Schedule, hereinafter referred to as the prescribed fees.

(2) Where in respect of any matter, a fee is required to be paid under the rules, the form or the application or the request of the petition thereof, it shall be accompanied by the prescribed fee.

(3) Fees may be paid in cash or sent by money order addressed to the Registrar or by a bank draft issued or by a Banker's cheque drawn on a scheduled bank at the place where the appropriate office of the Trade Marks Registry is situated and if sent through post, shall be deemed to have been paid at the time when the money order or the properly addressed bank draft or Banker's cheque is received in the office.

(4) Bank drafts and Banker's Cheque shall be crossed and made payable to the Registrar at the appropriate office of the Trade Marks Registry and they shall be drawn on a scheduled bank at the place where the appropriate office of the Trade Marks Registry is situate.

(5) Where a fee is payable in respect of filing of a document and where the document is filed without fee or with insufficient fee, such document shall be deemed not to have been filed for the purposes of any proceedings under these rules.

(6) The Registrar may, after informing the public in the Journal or through public notice on official website, make available electronic fee transfer facilities, subject to guidelines and instructions as may be specified on that behalf.

11. Forms. — (1) The Forms set forth in the Second and the Third Schedules shall be used in all cases to which they are applicable and may be modified as directed by the Registrar to meet other cases.

(2) Any Form, when filed at the Trade Marks Registry, shall be accompanied by the prescribed fee.

(3) A requirement under this rule to use a Form as set forth in the Schedules is satisfied by the use of a replica of that Form and contains the information required by the Form as set forth and complies with any direction as to the use of such a Form.

(4) The Registrar may after informing the public in the Journal or through public notice on official website specify such Forms as are required to be submitted in electronic mode. Thereafter, such Forms shall be completed in such manner as may be specified so as to permit an automated input of the content into a computer by character recognition or scanning.

12. Size, etc of documents.—(1) Subject to any other directions that may be given by the Registrar, all applications, notices, statements or other documents except trademarks, authorised or required by the Act or the rules to be made, served, left or sent, at or to the Trade Marks Registry or with or to the Registrar shall be typewritten or computer printout in Hindi or in English in legible characters with deep permanent ink upon strong paper of A-4 or legal size on one side only, and shall have on the left hand thereof a margin of not less than four centimeters.

(2) Duplicate documents including copies of trademarks shall be filed at the Trade Marks Registry if at any time required by the Registrar.

(3) The Registrar may after informing the public in the Journal alter the size, of all applications, notices, statements or other document and forms required under the rules to make it compatible in electronic mode.

(4) The Registrar may, after informing the public in the Journal, permit the filing of applications, statements, notices or other documents by electronic mode subject to such guidelines and instructions as he may specify in the Journal.

13. Signing of documents. — (1) A document purporting to be signed by a partnership firm shall be signed by at least one of the partners stating that he signs on behalf of the firm and a document purporting to be signed by a body corporate shall be signed by a director or by the secretary or other principal officer of the body corporate. The capacity in which an individual signs a document on behalf of a partnership or a body corporate shall be stated below his signature.

(2) Signatures to any documents shall be accompanied by the name of the signatory in Hindi or in capitals letters if signed in English.

(3) In case of online filing of the document, the expression 'Signing' includes digital signature.

14. Service of documents.—(1) All applications, notices, statements, papers having representations affixed thereto, or other documents authorised or required by the Act or the rules to be made, served, left or sent, at or to the Trade Marks Registry or with or to the Registrar or any other person may be delivered by hand or sent through the post by a prepaid letter or may be submitted electronically in the manner specified by the Registrar.

(2) An application or any document so sent shall be deemed to have been made, served, left or sent at the time when the letter containing the same would be delivered in the ordinary course of post.

(3) In proving such sending, it shall be sufficient to prove that the letter was properly addressed and put into the post.

(4) After the filing of an application in the Trade Marks Registry, any person while making any correspondence relating thereto shall furnish the following particulars, namely:—

- (a) the application number or numbers, if any;
- (b) the date and place of filing;
- (c) the appropriate class or classes, as the case may be, in relation to which the application is filed;
- (d) an address for communication; and
- (e) the concerned agent's code, if any, and the concerned Proprietor's code, if allotted.

(5) The Registrar may, after informing the public in the Journal or through public notice on official website accept applications, statements, notices or other documents online through the gateway provided for this purpose, or in case of documents not requiring the payment of a fee, through designated e-mail for the purpose.

15. Particulars of address etc. of applicants and other persons.—(1) Names and addresses of the applicants and other persons shall be given in full, together with their nationality, calling and such other particulars as may be necessary for identification.

(2) In the case of a firm, the full name and nationality of every partner thereof shall be stated.

(3) In the case of an application from a convention country and persons having no principal place of business in India, their addresses in their home country shall be given in addition to their address for service in India.

(4) In the case of a body corporate or firm, the country of incorporation or the nature of registration, if any, as the case may be, shall be given.

16. Statement of principal place of business in India in the application.—(1) Every application for registration of a trade mark shall state the principal place of business in India, if any, of the applicant or in the case of joint applicants, of such of the joint applicants, a principal place of business in India and the same shall be the address of the applicants.

(2) Subject to the provisions of rules 17, 18 and 20, any written communication addressed to an applicant, or in the case of joint applicants to a joint applicant, in connection with the registration of a trade mark, at the address of his principal place of business in India given by him in the application shall be deemed to be properly addressed.

17. Address for service.—(1) An address for service in India shall be given—

- (a) by every applicant for registration of a trade mark who has no principal place of business in India;
- (b) in the case of joint applicants for registration of a trade mark, if none of them has a principal place of business in India;
- (c) by the proprietor of a trade mark who had his principal place of business in India at the date of making the application for registration but has subsequently ceased to have such place;
- (d) by every applicant in any proceeding under the Act or the rules and every person filing a notice of opposition, who does not have a principal place of business in India.
- (e) by every person granted leave to intervene under rule 101.

(2) Any written communication addressed to a person as aforesaid at an address for service in India given by him shall be deemed to be properly addressed.

(3) Unless an address for service in India as required in sub-rule (1) is given, the Registrar shall be under no obligation to send any notice that may be required by the Act or the rules and no subsequent order or decision in the proceedings shall be called in question on the ground of any lack or non-service of notice.

18. Address for service in application and opposition proceedings.—An applicant for registration of a trade mark or an opponent filing a notice of opposition may notwithstanding that he has a principal place of business in India, if he so desires, may specifically request in writing, the Registrar with an address in India to which communications in relation to the application or opposition proceedings only may be sent. Such address of the applicant or the opponent shall be deemed, unless subsequently cancelled, to be the actual address of the applicant or the opponent, as the case may be, and all communications and documents in relation to the application or notice of opposition may be served by leaving them at, or sending them by post to such address of the applicant or the opponent, as the case may be.

19. Service of Documents by the Registrar.— (1) All communications and documents in relation to application or opposition matter or registered trademark may be served by the Registrar by leaving them at, or sending them by post to the address of the party concerned or by e-mail communication.

(2) Any communication or document so sent shall be deemed to have been served, at the time when the letter containing the same would be delivered in the ordinary course of post or at the time of sending the e-mail.

(3) To prove such service, it shall be sufficient to prove that the letter was properly addressed and put into the post or the e-mail communication was sent to the e-mail-id provided by the party concerned.

20. Agency.—(1) The authorisation of an agent for the purpose of section 145 shall be executed in Form TM-M.

(2) In the case of such authorisation, service upon the agent of any document relating to the proceeding or matter shall be deemed to be service upon the person so authorising him; all communications directed to be made to such person in respect of the proceeding or matter may be addressed to such agent, and all appearances before Registrar relating thereto may be made by or through such agent.

(3) In any particular case, the Registrar may require the personal signature or presence of an applicant, opponent, proprietor, registered user or other person.

(4) In case of withdrawal by the agent from the proceedings or from doing any act for which he has been authorised, in respect of an application or opposition wherein no principle place of business in India is mentioned, the applicant or opponent shall, within a period of two months from the date of such withdrawal, provide an address for service in India. If he fails to provide address for service in India within such period, he shall be deemed to have abandoned the application or opposition, as the case may be.

(5) In case of revocation of authorisation by the applicant or opponent in respect of an application or opposition wherein no principle place of business in India is mentioned, the applicant or opponent, as the case may be, shall provide the address for service in India within a period of two months from the revocation. If he fails to provide address for service in India within such period, he shall be deemed to have abandoned the application or opposition, as the case may be.

21. Classification of goods and service.— (1) Classification of goods and service for the purpose of registration of trade mark, the goods and services shall be classified as per current edition of “the International Classification of goods and services (NICE classification)” published by the World Intellectual Property Organization (WIPO).

(2) The Registrar shall publish a class wise and an alphabetical index of such goods and services, including goods and services of Indian origin.

22. Preliminary advice by Registrar as to distinctiveness.—An application for preliminary advice by the Registrar under sub-section (1) of Section 133 shall be made in Form TM-M in respect of any goods or services comprised as published by the Registrar under sub-rule (2) of rule 21, along with the fees specified in entry number 45 of the First Schedule and accompanied by one representation of the trade mark.

23. Request to Registrar for Search.—(1) Any person may request the Registrar, in Form TM-C to cause a search to be made and for issue of certificate under sub-section (1) of section 45 of Copyright Act, 1957 (14 of 1957) to the effect that no trade mark identical with or deceptively similar to such artistic work, as sought to be registered as copyright under the Copyright Act, 1957 (14 of 1957) has been registered as a trade mark under the Trade Marks Act, 1999 (47 of 1999) in the name of, or that no application has been made under that Act for such re-registration by any

person other than the applicant. The certificate shall ordinarily be issued within thirty working days of the date of request:

Provided, however, the Registrar may call for a statement of requirements from the applicant and if the requirements are not complied within two months from the date of such calling of the statement, the request on Form TM-C shall be treated as abandoned.

(2) The Registrar may cancel the certificate issued under sub-rule (1) after giving notice and stating the grounds on which the Registrar proposes to cancel the certificate and after providing reasonable opportunity of being heard.

(3) Subject to proviso to sub-rule (1) or sub-rule (2), the Registrar shall ordinarily within seven working days issue an expedited search certificate under sub-section (1) of section 45 of the Copyright Act, 1957 (14 of 1957) on a request received in Form TM-C on payment of five times of the ordinary fee for such search.

(4) Before abandoning the request in Form TM-C, as the case may be, for non-compliance of the statement of requirements when called for, the Registrar shall offer an opportunity of being heard in the matter.

CHAPTER II

PROCEDURE FOR REGISTRATION OF TRADE MARKS APPLICATION

24. Form and signing of application.—(1) An application for the registration of a trade mark in respect of specification of goods or services shall be signed by the applicant or his agent and shall be submitted in Form TM-A in duplicate; alternatively the application may also be filed online, in form TM-A through the gateway provided for this purpose.

(2) An application for the registration of a trade mark, for goods or services shall—

(a) explain with sufficient precision, a description by words, of the trade mark, if necessary, to determine the right of the applicant;

(b) be able to depict the graphical representation of the trade mark;

(c) be considered as a three dimensional trade mark only if the application contains a statement to that effect;

(d) be considered as a trade mark consisting of a combination of colours only if the application contains a statement to that effect.

(3) An amendment to divide an application under proviso to section 22 shall be made in Form TM-M.

(4) An application, not being a series trade mark shall be in respect of one trade mark only, for as many class or classes of goods or services as may be made.

(5) In the case of an application for registration in respect of all the goods or services included in a class or of a large variety of goods or services in a class, the Registrar may refuse to accept the application unless he is satisfied that the specification is justified by the use of the mark which the applicant has made or intends to make if and when it is registered:

Provided that while making an application for registration of a trade marks, the names of goods and services stated in the application shall, as far as may be, correspond to those given in the classification of the goods and services published by the registrar under sub-rule (2) of rule 21.

(6) Where an applicant files a single application for more classes than one and the Registrar determines that the goods or services applied for falls in class or classes in addition to those applied for, the applicant shall restrict the specification of goods or services to the class or classes already applied for.

25. Application under convention arrangement. – (1) Where a right to priority is claimed by reason of an application for registration of a trade mark duly filed in a convention country under section 154, a certificate by the Registrar or competent authority of that Trade Marks Office shall be submitted with the application for registration of trademark and it shall include the particulars of the mark, the country or countries and the date or dates of filing of application and such other relevant particulars as may be required by the Registrar.

(2) Unless such certificate has been filed at the time of the filing of the application for registration, there shall be filed, within two months of the filing of such application certifying or verifying to the satisfaction of the Registrar, the date of the filing of the application, the country or countries, the representation of the mark, and the goods or services covered by the application.

(3) The application shall include a statement indicating the filing date in the convention application, the name of the convention country where it was filed, the serial number, if any, and a statement indicating that priority is claimed:

Provided that where the applicant files more priority claims than one under section 154 in respect of the same trade mark, the Registrar shall take the date of the earlier application in a convention country, as the priority date:

Provided further that such priority date shall not be allowed for the goods and services not covered in the convention application:

Provided further that only a single priority shall be claimed in respect of all the goods or services mentioned in the application for registration of a trademark filed under sub-rule (1) of rule 24.

26. Statement of user in applications.—(1) An application to register a trade mark shall, unless the trade mark is proposed to be used, contain a statement of the period during which, and the person by whom it has been used in respect of all the goods or services mentioned in the application.

(2) In case, the use of the trade mark is claimed prior to the date of application, the applicant shall file an affidavit testifying to such use along with supporting documents.

27. Representation of mark.—(1) Every application for the registration of a trade mark, and where additional copies of the application are required, every such copy, shall contain a clear and legible representation of the mark of size not exceeding 8 cm x 8 cm.

(2) Where an application contains a statement to the effect that the applicant wishes to claim combination of colours as a distinctive feature of the mark, the application shall be accompanied with reproduction of the mark in that combination of colours.

(3) Where the application contains a statement to the effect that the trade mark is a three dimensional mark, the reproduction of the mark shall consist of a two dimensional graphic or photographic reproduction as follows, namely:—

(i) the reproduction furnished shall consist of three different view of the trade mark;

(ii) where, the Registrar considers that the reproduction of the mark furnished by the applicant does not sufficiently show the particulars of the three dimensional mark, he may call upon the applicant to furnish within two months, up to five further different views of the mark and a description by words of the mark;

(iii) where the Registrar considers the different views or description of the mark referred to in clause (ii), still do not sufficiently show the particulars of the three dimensional mark, he may call upon the applicant to furnish a specimen of the trade mark.

(4) (i) Where an application for the registration of a trade mark consists of shape of goods or its packaging, the reproduction furnished shall consist of at least five different views of the trade mark and a description by word of the mark.

(ii) If the Registrar considers the different views or description of the mark referred to in clause (i) do not sufficiently show the particulars of the shape of goods or its packaging, he may call upon the applicant to furnish a specimen of the goods or packaging, as the case may be.

(5) Where an application for the registration of a trade mark consists of a sound as a trade mark, the reproduction of the same shall be submitted in the MP3 format not exceeding thirty seconds' length recorded on a medium which allows for easy and clearly audible replaying accompanied with a graphical representation of its notations.

(6) If the Registrar is not satisfied with any representation of a mark, he may at any time require another representation satisfactory to him to be substituted before proceedings with the application.

28. Series Trade Marks. – (1) Where an application is made for the registration of trademarks as a series under sub-section (3) of section 15, copies of representation of each trade mark of the series shall accompany the application in the manner set forth in rule 27. The Registrar shall, if satisfied that the marks constitute a series, proceed further with the applications.

(2) At any time before the publication of the application in the Journal, the applicant applying under sub-rule (1) may request in Form TM-M, for the division of the application into separate application or applications, as the case may be, in respect of one or more marks in that series and the Registrar shall, if he is satisfied that the division requested conforms with sub-section (3) of section 15, divide the application or applications accordingly on payment of divisional fees.

29. Transliteration and translation.—Where a trade mark contains a word or words in scripts other than Hindi or English, the applicant shall provide in the application, a precise transliteration and translation of each such word in English or in Hindi and state the language to which the word belongs.

30. Names and representations of living persons or persons recently dead.—Where the name or representation of any person appears on a trademark, the applicant shall, if the Registrar so requires, furnish him with the consent in writing of such person in case he is living or, in case his death took place within twenty years prior to the date of the application for registration of the trade mark, of his legal representative, as the case may be, to the use of the name or representation and in default of such consent the Registrar may refuse to proceed with the application for registration of the trade mark.

31. Name or description of goods or services on a trade mark.—(1) Where the name or description of any goods or services appears on a trade mark, the Registrar may refuse to register such mark in respect of any goods or services other than the goods or services so named or described.

(2) Where the name or description of any goods or services appear on a trade mark, which name or description in use varies, the Registrar may permit the registration of the trade mark for those and other goods or services on the applicant giving an undertaking that the name or description will be varied when the trade mark is used upon goods or services covered by the specification other than the named or described goods or services. The undertaking so given shall be included in the advertisement of the application in the Journal under section 20.

32. Deficiencies.— Subject to sub-rule (2) of rule 10, where an application for registration of a trade mark does not satisfy the requirement of any of the provisions of the Act or rules, the Registrar shall send notice thereof to the applicant to remedy the deficiencies and if within one month of the date of the notice, the applicant fails to remedy any deficiency so notified to him, the application shall be treated as abandoned.

33. Acknowledgement of the Application.— Every application for the registration of a trade mark in respect of any goods or services shall on receipt, be acknowledged by the Registrar. The acknowledgement shall be by way of return of duplicate of the application filed by the applicant, with the official number of the application duly entered thereon.

34. Examination, Objection to acceptance, hearing.—(1) The Registrar shall cause the application to be examined as per provisions of the Act, wherein a search shall also be conducted amongst the earlier trademarks, registered or applied for registration, for the purpose of ascertaining whether there are on record in respect of the same goods or services or similar goods or services any mark identical with or deceptively similar to the trademark applied for. The Registrar may cause the re-examination of the application including re-search of earlier marks at any time before the acceptance of the application but shall not be bound to do so.

(2) If, on consideration of the application for registration of a trade mark and any evidence of use or of distinctiveness or of any other matter which the applicant may or may be required to furnish, the Registrar has any objection to the acceptance of the application or proposes to accept it subject to such conditions, amendments, modifications or limitations as he may think fit to impose under sub-section (4) of section 18, the Registrar shall communicate such objection or proposal in writing to the applicant in the form of an examination report.

(3) If, on consideration of the application for registration of a trade mark and any evidence of use or of distinctiveness or of any other matter which the applicant may or may be required to furnish, the Registrar accepts the application for registration absolutely, he shall communicate such acceptance to the applicant and cause the application to be advertised as accepted under sub-section (1) of section 20.

(4) If, within one month from the date of receipt of the examination report, the applicant fails to respond to the communication or apply for hearing, the Registrar may treat the application as abandoned.

(5) In case the response to the examination report is received within the aforesaid time, the same shall be duly considered and if the Registrar accepts the application for registration, he shall communicate such acceptance to the applicant and cause the application to be advertised as accepted under sub-section (1) of section 20.

(6) If the response to the examination report is not satisfactory or where the applicant has requested for hearing, the registrar shall provide an opportunity of hearing to the applicant and the same shall be conducted as per rule 118.

(7) In case the applicant fails to appear at the scheduled date of hearing and no reply to the office objection has been submitted by the applicant, the Registrar may treat the application as abandoned.

(8) Where the applicant has submitted his reply to the examination report within the aforesaid period or has appeared in the hearing and made his submissions, the Registrar shall pass an appropriate order.

35. Expedited Processing of Application.—The applicant may, after the receipt of the official number of the application, request for expedited processing of application made for the registration of a trade mark in Form TM—M on payment of five times of the application fee specified in First Schedule. Such application shall be examined expeditiously and ordinarily within three months from the date of submission of the application. Thereafter, the following proceedings viz. the consideration of response to the examination report, scheduling of show cause hearing, if required, the publication of the application and the opposition thereto, if any, till final disposal of the application shall also be dealt with expeditiously. Modalities for expedited processing of trademark application shall be determined by the Registrar.

36. Notice of withdrawal of application for registration.—A notice of withdrawal of an application for the registration of a trade mark under sub-section (2) of section 133, for the purpose of obtaining repayment of any fee paid on the filing of the application, shall be given in writing within one month from the date of the receipt of communication mentioned in sub-rule (2) of rule 34.

37. Decision of Registrar.—(1) The decision of the Registrar under rules 34, 35 or rule 39, shall be communicated to the applicant in writing and if the applicant intends to appeal from such decision, he may within thirty days from the date of such communication apply in Form TM-M to the Registrar requiring him to state in writing the grounds of, and the materials used by him in arriving at, his decision.

(2) In a case where the Registrar makes any requirements to which the applicant does not object the applicant shall comply therewith before the Registrar issues a statement in writing under sub-rule (1).

(3) The date when the statement in writing under sub-rule (1) is received by the applicant, shall be deemed to be the date of the Registrar's decision for the purpose of appeal.

38. Correction and amendment of application.—An applicant for registration of a trade mark may, whether before or after acceptance of his application but before the registration of the mark, apply in Form TM-M accompanied by the prescribed fee for the correction of any error in or in connection with his application or any amendment of his application:

Provided, however, no such amendment shall be permitted which shall have the effect of substantially altering the trade mark applied for or substitute a new specification of goods or services not included in the application as filed.

39. Withdrawal of acceptance by the Registrar.—(1) If, after the acceptance of an application but before the registration of the trade mark, the Registrar has any objection to the acceptance of the application on the ground that it was accepted in error, or that the mark ought not to have been accepted in the circumstances of the case, or proposes that the mark should be registered only subject to conditions, limitations, divisions or to conditions additional to or different from the conditions, or limitations, subject to which the application has been accepted, the Registrar shall communicate such objection in writing to the applicant.

(2) Unless within thirty days from the date of receipt of the communication mentioned in sub-rule (1), the applicant amends his application to comply with the requirements of the Registrar or applies for a hearing, the acceptance of the application shall be deemed to be withdrawn by the Registrar, and the application shall proceed as if it had not been accepted.

(3) Where the applicant intimates the Registrar within the period mentioned in sub-rule (2) that he desires to be heard, the Registrar shall give notice to the applicant of a date when he will hear him. Such appointment shall be for a date at least fifteen days after the date of the notice, unless the applicant consents to a shorter notice. The applicant may state that he does not desire to be heard and submit such submissions, as he may consider desirable.

(4) The Registrar may, after hearing the applicant, on considering the submissions, if any, of the applicant, pass such orders as he may deem fit.

Advertisement of Application

40. Manner of Advertisement.—(1) Every application for the registration of a trade mark required to be advertised by sub-section (1) of section 20 or to be re-advertised by sub-section (2) of that section shall be advertised in the Journal.

41. Notification of correction or amendment of application.— In the case of an application to which clause (b) of sub-section (2) of section 20 applies, the Registrar may, if he so decides, instead of causing the application to be advertised again, insert in the Journal a notification setting out the number of the application, the class or classes in which it was made, the name and address of the principal place of business in India, if any, of the applicant or where the applicant has no principal place of business in India, his address for service in India, the Journal number in which it was advertised and the correction or amendment made in the application:

Provided that in case of errors in the advertisement in respect of the trademark, specification of goods except trivial spelling mistakes, class, statement of use of the trademark or in any other case as the registrar thinks fit, he shall advertise the trademark again cancelling the earlier advertisement.

42. Request to Registrar for particulars of advertisement of a mark.—Any person may request the Registrar in Form TM-M to be informed of the number, and date of the Journal in which a trade mark which is sought to be registered specified in the Form was advertised and the Registrar shall furnish such particulars to the person making the request.

Opposition to Registration

43. Notice of Opposition.—(1) A notice of opposition to the registration of a trade mark under sub-section (1) of section 21, with such particulars as specified in rule 44, shall be given in duplicate in form TM-O within four months from the date of publication of the Trade Mark Journal in which the application for registration of the trade mark was advertised or re-advertised.

(2) Where a notice of opposition has been filed in respect of a single application for the registration of a trade mark for different classes of goods and services, it shall bear the fee in respect of each class in relation to which the opposition is filed.

(3) Where an opposition is filed only for a particular class or classes in respect of a single application made under sub-section (2) of section 18, the application for remaining class or classes shall not proceed to registration until a request in Form TM-M for division of the application together with the divisional fee is made by the applicant.

(4) Where in respect of a single application for the registration of a trade mark no notice of opposition is filed in a class or classes, the application in respect of such class or classes shall, subject to section 19 and sub-section (1) of section 23, proceed to registration after the division of the application in the class or classes in respect of which an opposition is pending.

(5) A copy of notice of opposition shall be ordinarily served by the Registrar to the applicants within three months of the receipt of the same by the appropriate office:

Provided that where the applicant has already filed the counter statement on the basis of the copy of notice of opposition available on the official web-site, the requirement of service of copy of the notice of opposition to the applicant shall be dispensed with.

44. Requirements of Notice of Opposition.—(1) A notice of opposition shall contain,—

- (a) in respect of an application against which opposition is entered—
 - (i) the application number against which opposition is entered;
 - (ii) an indication of the goods or services listed in the trade mark application against which opposition is entered; and
 - (iii) the name of the applicant for the trade mark.
 - (b) in respect of the earlier mark or the earlier right on which the opposition is based,—
 - (i) where the opposition is based on an earlier mark, a statement to that effect and an indication of the status of earlier mark;
 - (ii) where available, the application number or registration number and the filing date, including the priority date of the earlier mark;
 - (iii) where the opposition is based on an earlier mark which is alleged to be a well-known trade mark within the meaning of sub-section 2 of section 11, an indication to that effect and an indication of the country or countries in which the earlier mark is recognised to be well known;
 - (iv) where the opposition is based on an earlier trade mark having a reputation within the meaning of paragraph (b) of sub-clause (2) of section 11 of the Act, an indication to that effect and an indication of whether the earlier mark is registered or applied for;
 - (v) a representation of the mark of the opponent and where appropriate, a description of the mark or earlier right; and
 - (vi) Where the goods or services in respect of which earlier mark has been registered or applied for or in respect of which the earlier mark is well known within the meaning of sub-section (2) of section 11 or has a reputation within the meaning of that section, the opponent shall when indicating all the goods or services for which the earlier mark is protected, also indicate those goods or services on which the opposition is based.
 - (c) in respect of the opposing party—
 - (i) where the opposition is entered by the proprietor of the earlier mark or of the earlier right, his name and address and an indication that he is the proprietor of such mark or right;
 - (ii) where opposition is entered by a licensee not being a registered user, the name of the licensee and his address and an indication that he has been authorised to enter the opposition;
 - (iii) where the opposition is entered by the successor in title to the registered proprietor of a trade mark who has not yet been registered as new proprietor, an indication to that effect, the name and address of the opposing party and an indication of the date on which the application for registration of the new proprietor was received by the appropriate office or, where this information is not available, was sent to the appropriate office; and
 - (iv) where the opposing party has no place of business in India, the name of the opponents and his address for service in India.
 - (d) The grounds on which the opposition is based.
- (2) A notice of opposition shall be verified at the foot by the opponent or by his duly authorised agent.
- (3) The person verifying shall state specifically by reference to the numbered paragraphs of the notice of opposition, what he verifies of his own knowledge and what he verifies upon information received and believed to be true.

(4) The verification shall be signed by the person making it and shall state the date on which and the place at which it was signed.

45. Counterstatement.—(1) The counterstatement required by sub-section (2) of section 21 shall be sent in triplicate on Form TM-O within two months from the receipt by the applicant of the copy of the notice of opposition from the Registrar and shall set out what facts, if any, alleged in the notice of opposition, are admitted by the applicant. A copy of the counterstatement shall be ordinarily served by the Registrar to the opponent within two months from the date of receipt of the same.

(2) The counterstatement shall be verified in the manner as provided in sub-rules (2), (3) and (4) of rule 44.

46. Evidence in support of opposition.—(1) Within two months from service of a copy of the counterstatement or within such further period not exceeding one month in the aggregate thereafter as the Registrar may on request allow, the opponent shall either leave with the Registrar, such evidence by way of affidavit as he may desire to adduce in support of his opposition or shall intimate to the Registrar and to the applicant in writing that he does not desire to adduce evidence in support of his opposition but intends to rely on the facts stated in the notice of opposition. He shall deliver to the applicant copies of any evidence including exhibits, if any, that he leaves with the Registrar under this sub-rule and intimate the Registrar in writing of such delivery.

(2) If an opponent takes no action under sub-rule (1) within the time mentioned therein, he shall be deemed to have abandoned his opposition.

(3) An application for the extension of the period of one month mentioned in sub-rule (1) shall be made in Form TM-M accompanied by the prescribed fee before the expiry of the period of two months mentioned therein.

47. Evidence in support of application.—(1) Within two months or within such further period not exceeding one month in the aggregate thereafter as the Registrar may on request allow, on the receipt by the applicant of the copies of affidavits in support of opposition or of the intimation that the opponent does not desire to adduce any evidence in support of his opposition, the applicant shall leave with the Registrar such evidence by way of affidavit as he desires to adduce in support of his application and shall deliver to the opponent copies thereof or shall intimate to the Registrar and the opponent that he does not desire to adduce any evidence but intends to rely on the facts stated in the counterstatement and or on the evidence already left by him in connection with the application in question. In case the applicant adduces any evidence or relies on any evidence already left by him in connection with the application, he shall deliver to the opponent copies of the same including exhibits, if any, and shall intimate the Registrar in writing of such delivery.

(2) An application for the extension of the period of one month mentioned in sub-rule (1) shall be made in Form TM-M accompanied by the prescribed fee before the expiry of the period of two months mentioned therein.

48. Evidence in reply by opponent.—Within one month from the receipt by the opponent of the copies of the applicant's affidavit or within such further period not exceeding one month in the aggregate thereafter as the Registrar may on request in Form TM-M allow, the opponent may leave with the Registrar evidence by affidavit in reply and shall deliver to the applicant copies of the same including exhibits, if any, and shall intimate the Registrar in writing of such delivery.

49. Further evidence.—No further evidence shall be left on either side, but in any proceedings before the Registrar, he may at any time, if he thinks fit, give leave to either the applicant or the opponent to leave any evidence upon such terms as to costs or otherwise as he may think fit.

50. Translation of documents.—Where a document is in a language other than Hindi or English and is referred to in the notice of opposition, counterstatement or an affidavit filed in an opposition proceeding, an attested translation thereof in Hindi or English shall be submitted before the registrar and a copy thereof shall be provided to opposite party.

51. Hearing and decision.—(1) Upon completion of the evidence if any, the Registrar shall give notice to the parties of the first date of hearing. Such notice shall be ordinarily given within three months of completion of the evidence. The date of hearing shall be for a date at least one month after the date of the first notice.

(2) If sufficient cause for adjournment is not shown by either of the parties, the Registrar may proceed with the matter forthwith.

(3) If the applicant is not present at the adjourned date of hearing at the time mentioned in the notice, the application may be treated as abandoned.

(4) If the opponent is not present at the adjourned date of hearing at time mentioned in the notice, the opposition may be dismissed for want of prosecution and the application may proceed to registration subject to section 19.

(5) In every case of adjournment, the Registrar shall fix a day for further hearing of the case and shall make such order as to cost occasioned by the adjournment or such higher costs as the Registrar deems fit.

(6) The fact that the agent or advocate on record of a party is engaged in another Court, shall not be a ground for adjournment.

(7) Where illness of legal practitioner or an agent or his inability to conduct the case for any reason is put forward as a ground for adjournment, the Registrar may refuse to grant the adjournment unless he is satisfied that the legal practitioner or an agent, as the case may be, could not have engaged another agent or legal practitioner in time.

(8) The Registrar shall take on record written arguments if submitted by a party to the proceeding.

(9) The decision of the Registrar shall be notified to the parties in writing.

52. Security for costs.—The security for costs which the Registrar may require under sub-section (6) of section 21 may be fixed at any amount which he may consider proper, and such amount may be further enhanced by him at any stage in the opposition proceedings.

Notice of Non-Completion of Registration

53. Procedure for giving notice.—The notice which the Registrar is required by sub-section (3) of section 23 to give to an applicant, shall be sent in Form O-1 to the applicant at the address of his principal place of business in India or if he has no principal place of business in India at the address for service in India stated in the application but if the applicant has authorised an agent for the purpose of the application, the notice shall be sent to the agent. The notice shall specify twenty one days time from the date thereof or such further time not exceeding one month as the Registrar may allow on a request made in form TM-M for completion of the registration.

Registration

54. Entry in the Register.—(1) Where no notice of opposition to an application advertised or re-advertised in the Journal is filed within the period specified in sub-section (1) of section 21, or where an opposition is filed and it is dismissed, the Registrar shall, subject to the provisions of sub-section (1) of section 23 or section 19, enter the trade mark on the register.

(2) The entry of a trade mark in the register shall specify the date of filing of application, the actual date of the registration, the goods or services and the class or classes in respect of which it is registered, and all particulars required by sub-section (1) of section 6 including—

(a) the address of the principal place of business in India, if any, of the proprietor of the trade mark or in the case of a jointly owned trade mark, of such of the joint proprietors of the trade mark as have a principal place of business in India;

(b) where the proprietor of the trade mark has no place of business in India, his address for service in India as entered in the application for registration together with his address in his home country;

(c) in the case of a jointly owned trade mark, where none of the joint proprietors has a principal place of business in India, the address for service in India as given in the application together with the address of each of the joint proprietors in his home country;

(d) the particulars of the trade, business, profession, occupation or other description of the proprietor or, in the case of a jointly owned trade mark, of the joint proprietors of the trade mark as entered in the application for registration;

(e) particulars affecting the scope of the registration or the rights conferred by the registration;

(f) the convention application date (if any), to be accorded pursuant to an application from applicants of a convention country made under section 154;

(g) where the mark is a collective or certification mark, that fact;

(h) where the mark is registered pursuant to sub-section 4 of section 11 with the consent of the proprietor of an earlier trade mark or other earlier right, that fact; and

(i) the appropriate office of the Trade Marks Registry in relation to the trade mark.

(3) The Registrar may from time to time, in consultation with computer experts, formulate guidelines for keeping official records in electronic form.

55. Associated marks.—(1) Where a trade mark is registered as associated with any other marks, the Registrar shall note in the register in connection with the first mentioned mark the registration numbers of the marks with which it is associated and shall also note in the register in connection with each of the associated marks, the registration number of the first mentioned mark as being a mark associated therewith.

(2) An application under sub-section (5) of section 16 to dissolve the association as respects any of the trade marks registered as associated Trade Marks shall be made in Form TM-P and shall include statement of the grounds of the application.

56. Death of applicant before registration.—In case of death of any applicant for the registration of a trade mark after the date of his application and before the trade mark has been entered in the register, the Registrar may, on request on form TM-M and on proof of the applicant's death and on proof of the transmission of the interest of the deceased person, substitute in the application, the name of successor(s) in interest in place of the name of such deceased applicant, and the application may proceed thereafter as so amended.

57. Certificate of registration.—(1) The certificate of registration to be issued by the Registrar under sub-section 2 of section 23 shall be on Form O-2 and shall include the trademark. It shall bear the seal of the trade marks registry.

(2) The certificate of registration referred to in sub-rule (1) shall not be used in legal proceedings or for obtaining registration abroad.

(3) The Registrar may issue duplicate or further copies of the certificate of registration on request by the registered proprietor in Form TM-M accompanied by the prescribed fee:

Provided that, no such duplicate or copy of certification of registration shall be issued where such request is received after the expiry of time limit for renewal of registration and restoration of registered trademark.

CHAPTER III RENEWAL OF REGISTRATION AND RESTORATION

58. Renewal of registration.—(1) An application for the renewal of the registration of a trade mark shall be made on Form TM-R and may be made at any time not more than six months before the expiration of the last registration of the trade mark.

(2) Such application for renewal may be filed by the person who is the proprietor of the registered trade mark or his agent.

(3) If the proprietor, as set forth in the application for renewal is not the same person or the same legal entity as the registered proprietor, continuity of title from the registered proprietor in whose name the last renewal was effected to the present owner shall be shown in the first instance by way of affidavit along with supporting chain of documents.

(4) The Registrar may accept an application for renewal from the managing trustee, executors, administrators and the like, when supported by court order or other evidence of authority to act on behalf of the present proprietor.

59. Notice before removal of trade mark from register.—(1) At a date not less than one month and not more than three months before the expiration of the last registration of a trade mark, if no application in Form TM-R for renewal of the registration together with the prescribed fee has been received, the Registrar shall notify the registered proprietor or in the case of a jointly registered trade mark each of the joint registered proprietors and each registered user, if any, in writing in Form O-3 of the approaching expiration at the address of their respective principal places of business in India as entered in the register or where such registered proprietor or registered user has no principal place of business in India at his address for service in India entered in the Register.

(2) Where, in the case of a mark the registration of which (by reference to the date of application for registration) becomes due for renewal, the mark is registered at any time within six months before the date on which renewal is due, the registration may be renewed by the payment of the renewal fee within six months after the actual date of registration and where the renewal fee is not paid within that period, the Registrar shall subject to rule 61, remove the mark from the register.

(3) Where, in the case of a mark the registration of which (by reference to the date of application for registration) becomes due for renewal, the mark is registered after the date of renewal, the registration may be renewed by the payment of the renewal fee within six months of the actual date of registration and where the renewal fee is not paid within that period the Registrar shall, subject to rule 61, remove the mark from the register.

(4) The renewal of registration of a collective mark or a certification trade mark shall be in Form TM-R along with the prescribed fee specified in the First Schedule.

60. Advertisement of removal of trade mark from the register.—If at the expiration of last registration of a trade mark, the renewal fees has not been paid, the Registrar may remove the trade mark from the register and advertise the fact forthwith in the Journal:

Provided that the Registrar shall not remove the trade mark from the register if an application for payment of surcharge is made under proviso to sub-section(3) of section 25 in Form TM-R within six months from the completion of the last registration of the trade mark.

61. Restoration and renewal of registration.—An application for the restoration of a trade mark to the register and renewal of its registration under sub-section (4) of section 25, shall be made in Form TM-R after six months and within one year from the expiration of the last registration of the trade mark accompanied by the prescribed fee. The Registrar shall, while considering the request for such restoration and renewal have regard to the interest of other affected persons.

62. Notice and advertisement of renewal and restoration.—Upon the renewal or restoration and renewal of registration, a notice to that effect shall be sent to the registered proprietor and every registered user and the renewal or restoration and renewal shall be advertised in the Journal.

CHAPTER IV

SPECIAL PROVISIONS RELATING TO PROTECTION OF TRADEMARKS THROUGH THE INTERNATIONAL REGISTRATION UNDER MADRID PROTOCOL

63. Definitions.—(1) For the purpose of this Chapter, unless the context otherwise requires,—

(a) 'Article' means article referred to in Madrid Protocol;

(b) "electronic form" shall have the meaning as is assigned to it in clause (r) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);

(2) Words and expressions used in these rules, in the context of international application or international registration under Chapter IVA of the Act, but not defined shall have the same meaning and respectively assigned to them in the Madrid Protocol or the Common Regulations.

64. Language.—An International Application or any communication relating thereto for transmission to International Bureau or any advice by way of notification of extension of protection to India resulting from the international registration shall be in English.

65. Issue of notices or communications etc. and response thereto.—Any notice or communication relating to both an international application under section 36D and international registration where India has been designated, under section 36E, shall be issued by the Registrar only in electronic form, and any response thereto shall also be received likewise.

66. International application in respect of which India is the country of origin.—International application originating from India, or any communication relating thereto in accordance with the Common Regulations shall be filed electronically through the Trade Marks International Application System.

67. Verification and Certification of international application in respect of which India is the country of origin.—(1) Where an international application is filed under section 36D for transmission to the International Bureau, the Registrar shall certify the contents of the application in Form MM2(E) as provided by International Bureau subject to the payment of fees as specified in Entry Number 79 of the First Schedule.

(2) Where the international application complies with the requirements, the Registrar shall so certify in the international application indicating also the date on which the said international application was received; and shall forward the same to the International Bureau within two months from the date of receipt of the said application.

(3) Where the international application does not meet the requirements, the Registrar shall not forward it to the International Bureau, and shall require the applicant by notice to comply with the requirement as specified therein, and shall forward the International Application only after such compliance within the period specified in the notice.

68. Handling fee.—A handling fee as specified in First Schedule shall be payable to the Registrar for certification and transmittal of international application to the International Bureau and such fee shall be paid in Indian rupees electronically along with the application.

69. Manner of keeping the record of international registrations where India has been designated.—(1) On receipt of advice from the International Bureau about an international registration designating India and notification about the extension of protection resulting from such international registration, the Registrar shall enter all the particulars thereof electronically in a record called the 'Record of Particulars of International Registration'. Any change in the particulars as and when received from the International Bureau shall be entered in the said record.

(2) Any entry made in such record shall, to the extent that it applies to India as a designated contracting party, have the same effect as if it had been recorded by the Registrar in the Register of Trade Marks.

70. Examination of application under section 36E.—(1) The advice referred to in rule 69 shall be examined ordinarily within two months from the date of receipt of such advice.

(2) Where, the Registrar finds that the mark which is the subject of an international registration designating India, cannot be protected, he shall, before the expiry of refusal period applicable under article 5 of the Madrid Protocol, notify to the International Bureau a provisional refusal of protection.

(3) Where there are no grounds for refusal to grant protection, the Registrar shall advertise the particulars concerning international registration under section 20 of the Act in a separate part of the Trade Marks Journal ordinarily within a period of six months from the date of receipt of advice.

(4) Where an opposition is filed under section 21 of the Act, the Registrar shall, notify that fact to the International Bureau as a provisional refusal based on the opposition in accordance with the Protocol and Common Regulation.

(5) The international registration, on receipt of an opposition thereto, shall be processed in accordance with the provisions contained in rules 43 to 52 of the Trade Marks Rules, 2015.

(6) Where the procedure mentioned under sub-rules (1) to (5) have been completed with and the Registrar has decided to confirm such refusal of protection of the mark for all the goods or services for which the protection has been requested, the Registrar shall send to the International Bureau a statement to that effect.

(7) Where, the provisional refusal has been either totally or partially withdrawn, the Registrar shall send to the International Bureau (a) a statement to the effect that the provisional refusal is withdrawn and the protection of the mark is granted for all the goods or services for which the protection has been requested; or (b) a statement indicating conditions or limitations subject to which, and the goods or services in respect of which the protection is granted.

(8) Where there is no ground to refuse protection, the Registrar shall notify the International Bureau to the effect that protection is granted to the mark in India.

(9) Where there is further decision affecting the protection of mark in India, the Registrar shall send further statement to the International Bureau to that effect.

71. Invalidation of protection.—Where the protection resulting from an international registration has ceased to have effect, or varied, in India, as a result of legal proceedings under the Act, the Registrar shall notify the International Bureau accordingly.

72. Effect of cancellation of international registration.—Where an international registration is cancelled at the request of office of origin, the provisions of article 9 *quinquies* of the Protocol shall apply to such international registration in so far as it designates India.

73. Collective and Certification Marks.—Where an international registration designating India is in respect of a collective mark or a certification mark, the regulations governing the use of such collective mark or certification mark shall be submitted directly, by the holder of that international registration to the registrar within the period of one month from the date of advice by the International Bureau.

74. Replacement of national registration.—Where an international registration is deemed to replace the registration held in India under sub-section (6) of section 36E of the Act, the registrar shall, upon request of the holder of international registration take note of the international registration and make necessary entry in the Register maintained under sub-section (1) of section 6 of the Act. Thereafter, the Registrar shall notify the International Bureau accordingly under rule 21 of the Common Regulations.

75. Subject to provisions of the Act, the provisions of the Madrid Protocol, Common Regulations and Administrative Instructions shall apply in relation to international applications originating from India and international registrations where India has been designated.

CHAPTER V
ASSIGNMENT AND TRANSMISSION

76. Application for entry of assignment or transmission.—An application to register the title of a person who becomes entitled by assignment or transmission to a registered trade mark shall be made in Form TM-P.

77. Case accompanying application.—(1) A person applying for registration of his title under rule 76, shall, along with his request on form TM-P, file original document, duly stamped original instrument or deed, as the case may be, purporting to transfer the title in the trade mark and a statement of case in support of his request. If the Registrar so requires, the statement of case shall be verified by an affidavit in Form TM-P and an affidavit from the applicant to the effect that no litigation relating to the proprietorship of the trademark is pending in any court of law or tribunal:

Provided that the Registrar may permit the applicant to submit the duly certified copy of the instrument or deed, in case the applicant justifies that original instrument of deed cannot be submitted.

(2) The Registrar shall dispose of an application made under rule 76 ordinarily within three month from the date of application and intimate the same to the applicant.

(3) After entry of the transfer of title, the registrar shall return the original document, instrument or deed to the applicant applying under rule 76, along with the intimation of recordal and retain duly certified copy of the instrument or deed for records:

Provided that the Registrar shall not return any affidavit filed in support of the request filed under rule 76.

78. Proof of title.—The Registrar may call upon any person who applies to be registered as proprietor of a registered trade mark to furnish such proof or additional proof of title as he may require for his satisfaction:

Provided that the registrar may call such proof only where there is a reasonable doubt about the veracity of any statement or any document furnished.

79. Impounding of Instruments.—If in the opinion of the Registrar any instrument produced in proof of title of a person is not properly or sufficiently stamped, the Registrar shall impound and deal with it in the manner provided by Chapter IV of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899).

80. Assignments involving transmission of moneys outside India.—If there is in force any law regulating the transmission of moneys outside India, the Registrar shall not register the title of a person who becomes entitled to a trade mark by an assignment which involves such transmission except on production of the permission of the authority specified in such law for such transmission.

81. Application for Registrar's direction as to advertisement of an assignment of a trade mark without goodwill of the business.—(1) An application for directions under section 42 shall be made in Form TM-P and shall state the date on which the assignment was made. The application shall give particulars of the registration in the case of a registered trade mark, and in the case of an unregistered mark shall show the mark and give particulars including user of the unregistered trade mark that has been assigned therewith. The Registrar may call for any evidence or further information and if he is satisfied with regard to the various matters he shall issue directions in writing with respect to the advertisement of the assignment.

(2) The Registrar may refuse to consider such an application in a case to which section 41 applies, unless his approval has been obtained under the said section and a reference identifying the Registrar's notification of approval is included in the application.

(3) A request for an extension of the period within which the application mentioned in sub-rule (1) shall be made shall be in Form TM-P

82. Application for entry of assignment without goodwill.—An application under rule 76 relating to an assignment of a trade mark in respect of any goods or services shall state—

(a) whether the trade mark had been or was used in the business in any of those goods or services, and

(b) whether the assignment was made otherwise than in connection with the goodwill of that business,

and if both those circumstances subsisted, then the applicant shall leave at the Trade Marks Registry a copy of the directions to advertise the assignment, obtained upon application under rule 81, and such proof, including copies of advertisements or otherwise, as the Registrar may require, to show that his directions have been fulfilled and if the Registrar is not satisfied that the directions have been fulfilled, he shall not proceed with the application.

83. Separate registration.—Where pursuant to an application under rule 76, and as the result of a division and separation of the goods or services of a registration or a division and separation of places or markets, different persons become registered separately under the same registration number as subsequent proprietors of a trade mark, each of the resulting separate registrations in the names of those different persons shall be deemed to be a separate registration for all the purposes of the Act.

84. Registrar's certificate or approval as to certain assignment and transmissions.—Any person who desires to obtain the Registrar's certificate under sub-section 2 of section 40 or his notification of approval under section 41 shall send to the Registrar with his application in Form TM-P, a statement of case in duplicate setting out the circumstances and a copy of any instrument or proposed instrument effecting the assignment or transmission. The Registrar may call for any evidence or further information that he may consider necessary and the statement of case shall be amended if required to include all the relevant circumstances and shall, if required, be verified by an affidavit. The Registrar, after hearing (if so required) the applicant and any other person whom the Registrar may consider to be interested in the

transfer, shall consider the matter and issue a certificate thereon or a notification in writing of approval or disapproval thereof, as the case may be, to the applicant and shall also inform such other person accordingly. Where a statement of case is amended, three copies thereof in its final form shall be left at the Trade Marks Registry. The Registrar shall seal a copy of the statement of case in its final form to the certificate or notification.

85. Entry in register, of particulars of assignment.—Where the Registrar has allowed the assignment of a trade mark under this Act, there shall be entered in the register the following particulars of assignment, namely:—

- (i) the name and address of the assignee;
- (ii) the date of the assignment;
- (iii) where the assignment is in respect of any right in the mark, a description of the right assigned;
- (iv) the basis under which the assignment is made; and
- (v) the date on which the entry is made in the register.

86. Registration of assignment to a company under section 46.—For the purposes of sub-section (4) of section 46, the period within which a company may be registered as the subsequent proprietor of a registered trade mark upon application made under rule 76 shall be six months from the date of advertisement in the Journal of the registration of the trade mark or such further period not exceeding six months as the Registrar may allow on application being made in Form TM-P by the applicant for registration of title or the registered proprietor, as the case may be, at any time before or during the period for which the extension can be allowed.

CHAPTER VI REGISTERED USER

87. Application for registration as registered user.—(1) An application to the Registrar for the registration under section 49, of a person as a registered user of a registered trade mark, shall be made jointly by that person and the registered proprietor of the trade mark in Form TM-U and shall be accompanied by the following:—

- (a) the agreement in writing or a duly authenticated copy thereof, entered into between the registered proprietor and the proposed registered user with respect to the permitted use of the trade mark,
- (b) the documents and correspondence, if any mentioned in the agreement referred to in clause (a) entered into between the registered proprietor and the proposed registered user with respect to the permitted use of the trade mark or duly authenticated copies thereof.

(2) There shall be filed along with the application, an affidavit by the registered proprietor or by some person authorised, to the satisfaction of the Registrar, to act on his behalf testifying to the genuineness of the documents accompanying the application and containing:—

- (a) the particulars and statements required by clause (b) of sub-section (1) of section 49;
- (b) the precise relationship between the registered proprietor and the proposed registered user, if any; for instance, whether their relationship is as principal and subsidiary company or whether there is common control between their business;
- (c) a statement as to the goods or services in which the registered proprietor is dealing, together with details as to whether the trade mark which is the subject of the application has been used by him in the course of trade before the date of the application and if so the amount and duration of such user.

(3) The registered proprietor and the proposed registered user shall also produce and file such other documents and furnish such other evidence and information as may be required in that behalf by the Registrar.

(4) No application shall be entertained unless the same has been filed within six months from the date of the agreement referred to in clause (a) of sub-rule (1).

(5) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), where more than one application for registration as registered user is made by the same registered proprietor and the same proposed registered user in respect of Trade Marks covered by the same agreement, the documents mentioned in sub-rule (1) may be filed with any one of the applications and a cross reference to such documents given in the other application or applications.

88. Particulars to be stated in the agreement.—The agreement referred to in clause (a) of sub-rule (1) of rule 87 shall—

- (a) set out the particulars specified in sub-clauses (i) to (iv) of clause (b) of sub-section (1) of section 49;
- (b) disclose the terms as to royalty and other remuneration payable to the registered proprietor by the proposed registered user for the permitted use of the trade mark;
- (c) provide means for bringing the permitted use to an end when the relationship between the parties or the control by the registered proprietor over the permitted use ceases; and
- (d) contain a condition that when the registered trade mark is used by the proposed registered user in relation to his goods or services, other than goods or services for export, the mark shall be so described as clearly to indicate that it is being used only by way of permitted use.

89. Consideration by the Registrar.—The Registrar under sub-section (2) of section 49, shall, if satisfied that the application and the accompanying documents comply with the relevant provisions of the Act and the rules, and the matters specified in sub-clause (i) to (iv) of clause (b) of sub-section 1 of section 49, register the proposed registered user in respect of the goods or services as to which he is so satisfied.

90. Hearing before refusing an application or to accept it conditionally.—(1) The Registrar shall give a notice in writing to the applicants where he proposes to accept the application subject to any conditions, restrictions or limitations. The notice shall state the grounds on which the Registrar proposes to issue such orders and shall inform the applicants that they are entitled to be heard.

(2) Unless within one month from the receipt of the notice mentioned in sub-rule (1), the registered proprietor and the proposed registered user apply for a hearing, the Registrar may refuse the application or to accept it conditionally, as the case may be.

(3) If the registered proprietor and the proposed registered user apply for a hearing, the Registrar shall appoint a time for the hearing within two months and shall give them not less than a month's notice of the time so appointed.

(4) After hearing the registered proprietor and the proposed registered user, the Registrar shall decide whether to accept the application or to refuse it or to accept it conditionally.

(5) The Registrar shall, communicate in writing his order on the application to the applicants and to other registered users of the mark, if any.

91. Entry in the register.—(1) Where the Registrar under sub-section (2) of section 49 accepts an application for registration as registered user, he shall register the proposed registered user as registered user.

(2) The entry of a registered user in the register shall state the date on which the application for registration of registered user was made, which date shall be deemed to be the date of registration as registered user of the person mentioned in the entry. The entry shall also state, in addition to the particulars and statements mentioned in paragraphs (i) to (iv) of sub-clause (b) of clause (1) of section 49, the name, description and principal place of business in India of the registered user and if he does not carry on business in India his address for service in India.

92. Registration not to imply authorisation to transmit money outside India.—The registration as registered user of a trademark shall not be deemed to imply an approval, of the agreement in so far as it relates to the transmission of any money, as consideration for the use of the said trade mark, to any place outside India.

93. Notification of registration as registered user.—A notification in writing of the registration of a registered user shall be sent by the Registrar to the registered proprietor of the trade mark, to the registered user and to every other registered user whose name is entered in relation to the same trade mark and shall also be inserted in the Journal within three months of such entry in the register.

94. Registered proprietor's application to vary entry.—An application by the registered proprietor of a trade mark for the variation of the registration of a registered user of that trade mark under clause (a) of sub-section (1) of section 50 shall be made in Form TM-U and shall be accompanied by a statement of the grounds on which it is made, and where the registered user in question consents, by the written consent of the registered user.

95. Cancellation of registration of registered user.—(1) An application for the cancellation of the registration of a registered user under sub-clause (b) to sub-clause (d) of sub-section (1) of section 50 shall be made on Form TM-U and shall be accompanied by a statement of the grounds on which it is made.

(2) In case of the registration of a registered user for a period, in accordance with paragraph (iv) of sub-clause (b) of sub-section (1) of section 49, the Registrar shall cancel the entry of the registered user at the end of that period. Where some or all the goods or services are omitted from those in respect of which a trade mark is registered, the Registrar shall at the same time omit them from those specifications of registered users of the trade mark in which they are comprised. The Registrar shall notify every cancellation or omission under this sub-rule to the registered users whose permitted use is affected thereby and to the registered proprietor of the trade mark.

96. Power of the Registrar to call for information with respect to registered user.—The Registrar may at any time, by notice in writing, require the registered proprietor to furnish him information under sub-section (1) of section 51 and take action in accordance with sub-section (2) of that section.

97. Procedure on application to vary entry or cancel registration.—(1) The Registrar shall notify in writing applications under section 50 to the registered proprietor and each registered user (not being the applicant in either case) of the trade mark.

(2) Any person notified under sub-rule (1) who intends to intervene in the proceedings, shall within one month of the receipt of such notification give notice to the Registrar in Form TM-U to the effect and shall send therewith a statement of the grounds of his intervention. The Registrar shall thereupon serve or cause to be served copies of such notice and statement on the other parties, namely, the applicant, the registered proprietor, the registered user whose registration is the subject matter of the proceeding in question and any other registered user who intervenes.

(3) In the case of any application made under section 50, the applicant and any person notified under sub-rule (1), may, within such time or times as the Registrar may appoint, leave evidence in support of his case, and the Registrar after giving the parties an opportunity of being heard, may accept or refuse the application or accept it subject to any conditions, amendments, modifications or limitations he may think right to impose and shall inform the parties in writing accordingly.

(4) In the case of an application for varying any registration under paragraph (a) of sub-section (1) of section 50 or cancelling any registration on any of the grounds mentioned in items (i) to (iv) of sub-clause (c) of sub-section (1) of section 50, the Registrar shall consider the application together with any notice in Form TM-U and statement of case filed and shall dispose of the application and also inform the parties in writing accordingly.

98. Registered user's application.—An Application under sub-section (2) of section 58 shall be made in Form TM-P by a registered user of a trade mark or by such person as may satisfy the Registrar that he is entitled to act in the name of a registered user; and the Registrar may require such evidence by affidavit or otherwise as he may think fit as to the circumstances in which the application is made.

CHAPTER VII

RECTIFICATION AND CORRECTION OF REGISTER ALTERATION OR RECTIFICATION OF REGISTER

99. Application to rectify or remove a trade mark from the register.—An application to the Registrar under section 47, 57, 68 or 77 for the making, expunging or varying of any entry relating to a trade mark or a collective mark or certification trade mark in the register shall be made in triplicate in Form TM-O, as the case may be, and shall be accompanied by a statement in triplicate setting out fully the nature of the applicant's interest, the facts upon which he bases his case and the relief which he seeks. Where the application is made by a person who is not the registered proprietor of the trademark in question, the application and the aforesaid statement shall be submitted at the Trade Marks Registry in triplicate. In case there are registered users, such application and statements shall be accompanied by as many copies thereof as there are registered users. A copy each of the application and statement shall be ordinarily transmitted within one month by the Registrar to the registered proprietor and to each of the registered user and to any other person who appears from the register to have an interest in the trade mark. The application shall be verified in the manner prescribed under clause (i) of sub-rule (e) of rule 44 for verification of a notice of opposition.

100. Further procedure.—Within two months from the receipt by a registered proprietor of the copy of the application mentioned in rule 99 or within such further period not exceeding one month in the aggregate, he shall send to the Registrar in Form TM-O a counterstatement in triplicate of the grounds on which the application is contested and if he does so, the Registrar shall serve a copy of the counterstatement on the person making the application within one month of the receipt of the same. In case no counter statement has been filed within the period of three months from the date of receipt of the application mentioned in rule 99, the applicant for rectification shall file evidence in support of his application for rectification under the provisions of sub-rule (1) of rule 46. The provision under rule 47 to 52 shall thereafter apply *mutatis mutandis* to the further proceedings on the application.

101. Intervention by third parties.—Any person, other than the registered proprietor, alleging interest in a registered trade mark in respect of which an application is made under rule 99 may apply in Form TM-O for leave to intervene, stating the nature of his interest, and the Registrar may refuse or grant such leave after hearing (if so required) the parties concerned, upon such conditions and terms including undertakings or conditions as to security for cost as he may deem fit to impose.

102. Rectification of the register by the Registrar of his own motion.—(1) The Notice, which the Registrar is required to issue under sub-section (4) of section 57, shall be sent in writing to the registered proprietor, to each registered user, if any, and to any other person who appears from the register to have any interest in the trade mark, and shall state the grounds on which the Registrar proposes to rectify the register and shall also specify the time, not being less than one month from the date of such notice, within which an application for a hearing shall be made:

Provided no notice shall be sent to the registered proprietor, in case the registered proprietor has requested or agreed in writing for cancellation of the registration; and thereupon Register shall be rectified accordingly.

(2) Unless within the time specified in the notice aforesaid, any person so notified sends to the Registrar a statement in writing setting out fully the facts upon which he relies to meet the grounds stated in the notice or applies for a hearing, he may be treated as not desiring to take part in the proceedings and the Registrar may act accordingly.

(3) If the Registrar decides to rectify the register he shall communicate his decision in writing to the registered proprietor and to each registered user, if any.

Alteration of Address

103. Alteration of address in register.—(1) A registered proprietor or a registered user of a trade mark, the address of whose principal place of business in India or whose address in his home country, as the case may be, is changed so that the entry in the register is rendered incorrect, shall forthwith request the Registrar in Form TM-P to make the appropriate alteration of the address in the register, and the Registrar shall alter the register accordingly if he is satisfied in the matter.

(2) A registered proprietor or a registered user of a trade mark, whose address for service in India entered in the register is changed, whether by discontinuance of the entered address or otherwise, so that the entry in the register is

rendered incorrect, shall forthwith request the Registrar in Form TM-P to make the appropriate alteration of the address in the register, and the Registrar shall alter the register accordingly if he is satisfied in the matter.

(3) A registered proprietor or a registered user of a trade mark the address of whose principal place of business in India or whose address for service in India is altered by a public authority, so that the changed address designates the same premises as entered in the register, may make the aforesaid request to the Registrar in Form TM-P, and if he does so he shall leave therewith a certificate of the alteration given by the said authority. If the Registrar is satisfied as to the facts of the case, he shall alter the register accordingly but shall not require any fees to be paid on the forms, notwithstanding the provisions of sub-rule (2) of rule 10 or sub-rule (2) of rule 11.

(4) (i) Where a registered proprietor makes a request under sub-rule (1), (2) or (3), he shall serve a copy of the request on the registered user or users, if any, and inform the Registrar accordingly.

(ii) where the request aforesaid is made by a registered user, he shall serve a copy thereof on the registered proprietor and every other registered users, if any, and inform the Registrar that he had done so.

(5) In case of the alteration of the address of a person entered in the register as the address for service in India of more than one registered proprietor or registered user of Trade Marks, the Registrar may, on proof that the said address is the address of the applicant and if satisfied that it is just to do so, accept an application from the person in Form TM-P so as to suit the case, for the appropriate alteration of the entries of his address as the address for service in the several registrations, particulars of which shall be given in the Form and may alter the entries accordingly.

(6) All applications under this rule in Form TM-P shall be signed by the registered proprietor or the registered user, as the case may be, or by an agent expressly authorised by him for the purpose of such an application, unless in exceptional circumstances the Registrar otherwise allows.

Correction of Register

104. Application for correction of register.—Where an application has been made under sub-section (1) of section 58 for the alteration of the register by correction, change, cancellation or striking out of goods or services or for the entry of a memorandum, the Registrar may require the applicant to furnish such evidence by affidavit or otherwise as the Registrar may think fit, as to the circumstances in which the application is made. Such application shall be made in Form TM-P and a copy thereof shall be served by the applicant on the registered user or users, if any, under the registration of the trade mark in question and to any other person who appears from the register to have an interest in the trade mark.

105. Alteration of registered trade mark.—Where a person applies under section 59 for leave to add to or alter his registered trade mark, he shall make the application in writing in Form TM-P and shall furnish two copies of the mark as it will appear when so added to or altered. A copy of the application and of the trade mark so amended or altered shall be served by the applicant on every registered user, if any.

106. Advertisement before decision and opposition etc.—(1) The Registrar shall consider the application and shall, if it appears to him expedient, advertise the application in the Journal before deciding it.

(2) Within three months from the date of advertisement under sub-rule (1), or within such further period not exceeding one month in the aggregate as the Registrar may allow, any person may give notice of opposition to the application in Form TM-P and may also send therewith a statement of his objections. The notice and the statement, if any, shall be sent in triplicate. In case there are any registered users under the registration of the trade mark in question, such notice and statement shall also be accompanied by as many copies thereof as there are registered users. A copy of each of the notice and statement shall be transmitted forthwith by the Registrar to the registered proprietor and each registered user, if any, and within two months from the receipt by the registered proprietor of such copies he shall send to the Registrar in Form TM-O, a counter statement in triplicate of the grounds on which the opposition is contested. If the registered proprietor sends such a counterstatement, the Registrar shall ordinarily serve a copy thereof on the person giving notice of opposition within one month and the provisions of rules 46 to 52 shall apply *mutatis mutandis* to the further proceedings on the opposition. The Registrar shall not, however, refuse the application merely because the registered proprietor has not filed a counterstatement unless he is satisfied that the delay in filing the counterstatement is willful and is not justified by the circumstance of the case. In case of any doubt any party may apply to the Registrar for directions.

(3) If there is no opposition, within the time specified in sub-rule (2), the Registrar shall, after hearing the applicant if he so desires, allow or refuse the application and shall communicate his decision in writing to the applicant.

107. Decision, Advertisement, Notification.—If the Registrar decides to allow the application he shall alter the mark in the register accordingly and insert in the Journal a notification that the mark has been altered along with trademark as altered.

Re-classification of Goods in Respect of Existing Registration

108. Re-classification in respect of existing registration.—(1) On the amendment in international classification of goods and services (NICE Classification), the registered proprietor of a trade mark may apply to the Registrar in Form TM-P for the conversion of the specification of goods and services relating to the trade mark, so as to bring that specification in conformity with the amended classification.

(2) The Registrar may, thereupon, amend the description of goods and services or the classification as the case may be in accordance with international classification of goods and services (NICE Classification).

(3) The amendment in the specification of goods or services or in the classification, if approved shall be advertised in the Journal; thereafter the entry in the register in respect of that registration shall be modified accordingly.

CHAPTER VIII MISCELLANEOUS

109. Refusal or invalidation of registration of a trade mark conflicting with a geographical indication.—A request in Form TM-C, may be made to the Registrar for the refusal or invalidation of a registered trade mark by an interested party along with a statement of case together with an affidavit and which—

(a) contains or consists of a geographical indication with respect to goods or class or classes of goods not originating in the territory of a country, or a region or locality in that territory which such geographical indication indicates, if the use of such geographical indication in the trade mark for such goods, is of such nature as to confuse or mislead the persons as to the true place of origin of such goods or class or classes of goods;

(b) contains or consists of geographical indication identifying goods or class or classes of goods notified under sub-section (2) of section 22 of the Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999 (48 of 1999).

110. Single application under sub-section (2) of section 18.—(1) Where an application for the registration of a trade mark for different classes of goods or services is made under sub-section (2) of section 18, the specification of goods or services contained in it shall set out the classes in consecutive numerical order beginning with the lowest number and indicate in each class the goods or services appropriate to that class.

(2) If an item in the specification of goods or services contained in the initial application for registration of a trade mark does not fall in the class specified, the Registrar shall require the applicant to delete that item by filing an application in Form TM-M:

Provided that in case all the goods or services fall in a class other than the class specified, the registrar may permit the correction of class by filing the request on Form TM-M.

(3) Applications filed under sub-section (2) of section 18 when ordered to be advertised shall be published in a separate section of the Journal.

(4) The Registrar shall issue a single certificate of registration in respect of an application made under sub-section (2) of section 18, which has proceeded to registration.

111. Divisional Application.—(1) Where an application is made in Form TM-M under proviso to section 22 for the division of a single pending application, the registrar may, on payment of a divisional fee, divide such application into two or more separate applications.

(2) In case of division of application, the Registrar shall treat each divisional application as a separate application for registration with the same filing date as the initial application.

(3) Any time limit for any action by the applicant in relation to the initial application at the time of division shall be applicable to each new separate application created by division irrespective of the date of the division.

(4) In case of division of application, the Registrar shall assign an additional separate new serial number or numbers, as the case may be, and it shall be cross-referenced with the initial application.

(5) For the removal of doubt, it is clarified that no new registration is effected when a single application is divided. On the contrary, application already filed are merely separated or divided into individual files.

112. Extension of time.—(1) An application for extension of time under section 131 (not being a time expressly provided in the Act or prescribed by rule 86 or by sub-rule (4) of rule 87 or a time for the extension of which provision is made in the rules) shall be made in Form TM-M.

(2) Upon an application made under sub-rule (1) the Registrar, if satisfied that the circumstances are such as to justify the extension of the time applied for, may, subject to the provisions of the rules where a maximum time limit is prescribed and subject to such conditions as he may think fit to impose, extend the time and notify the parties accordingly and the extension may be granted though the time for doing the act or taking the proceeding for which it is applied for has already expired.

113. Exercise of discretionary power of Registrar.—The time within which a person entitled under section 128 to an opportunity of being heard shall exercise his option of requiring to be heard shall, save as otherwise expressly provided in the Act or the rules, be one month from the date of a notice which the Registrar shall give to such person before determining the matter with reference to which such person is entitled to be heard. If within that one month such person is required to be heard, the Registrar shall appoint a date for the hearing and shall give ten day's notice thereof.

114. Notification of decision.—The decision of the Registrar in the exercise of any discretionary power given to him by the Act or the rules shall be notified to the person affected.

115. Amendments and correction of irregularity in procedure.—(1) Any document or drawing or other representation of a trade mark may be amended, and any irregularity in procedure which, in the opinion of the Registrar,

may be obviated without detriment to the interests of any person, may be corrected, if the Registrar thinks fit and on such terms as he may direct.

(2) The Registrar may require the amendment of any application or representation of a trade mark or any other document or the addition of any matter thereto in order to bring it in accordance with the formal requirements of the Act.

116. Directions not otherwise prescribed.—Where in the opinion of the Registrar, it is necessary for the proper prosecution or completion of any proceedings under the Act or rules for a person to perform an act, file a document or produce evidence, which is not provided for by the Act or the rules, the Registrar may by notice in writing require the person to perform the Act, file the document or produce the evidence, specified in the notice.

117. Opinion of the Registrar under section 115(4).—(1) Where a matter has been referred to the Registrar for his opinion under proviso to sub-section (4) of section 115 such opinion shall be forwarded under a sealed cover within seven working days of the receipt of such written intimation to the referring authority and the Registrar shall ensure complete confidentiality in the matter so referred.

(2) The opinion under this rule shall be given by the Registrar or an officer specially authorised for this purpose under sub-section (2) of section 3 and the name of the designated officer shall be published in the journal.

Hearings

118. Hearings.—(1) In relation to a trade mark for which an application for registration is made on or after the notified date, the application as well as any proceeding under the Act and the rules shall, in the event of a hearing becoming necessary, be heard at the office of the Trade Marks Registry at which such application was made under sub-section (3) of section 18, or at such place within the territorial jurisdiction of that office as the Registrar may deem proper.

(2) In relation to a trade mark for which an application for registration is pending before the Registrar, at the notified date, the hearing, if any, in respect of such application or any proceeding under the Act and the rules shall be taken at the appropriate office of the Trade Marks Registry or at such place within the territorial jurisdiction of that office as the Registrar may deem proper.

(3) In relation to a trade mark on the register of trade marks at the notified date, the hearing, if any, in respect of any proceeding under the Act and the rules shall take place at the appropriate office of the Trade Marks Registry or at such place within the territorial jurisdiction of that office as the Registrar may deem proper.

(4) Where an officer exercising the powers of the Registrar who has heard any matter under the Act or the rules, has reserved orders therein, is transferred from one office of the Registry to another or reverts to another appointment before passing an order or rendering decision therein, he may, if the Registrar so directs, pass the order or render the decision as if he had continued to be the officer in the office of the Trade Marks Registry where the matter was heard.

Awards of Costs by Registrar

119. Costs in uncontested cases.—Where any opposition duly instituted under the rules is not contested by the applicant, the Registrar in deciding whether costs should be awarded to the opponent shall consider whether the proceedings might have been avoided if reasonable notice had been given by the opponent to the applicant before the notice of opposition was filed.

120. Exception to rule 119.—Notwithstanding anything in rule 119, costs in respect of fees specified under entries 10 and 11 of the First Schedule and of all stamps used on and affixed to affidavits used in the proceedings shall follow the event.

121. Scale of costs.—Subject to the provisions of rules 119 and 120, in all proceedings before the Registrar, he may, save as otherwise expressly provided by the Act, award such costs, not exceeding the amount admissible thereof under the Sixth Schedule, as he considers reasonable having regard to all the circumstances of the case.

Review of Decisions of the Registrar

122. Application for review of Registrar's decision.—An application to the Registrar for the review of his decision under sub-section (c) of section 127 shall be made in Form TM-M within one month from the date of such decision or within such further period not exceeding one month thereafter as the Registrar may on request allow, and shall be accompanied by a statement setting forth the grounds on which the review is sought. Where the decision in question concerns any other person in addition to the applicant, such application and statement shall be left in triplicate and the Registrar shall forthwith transmit a copy each of the application and statement to the other person concerned. The Registrar may, after giving the parties an opportunity of being heard, reject or grant the application, either unconditionally or subject to any conditions or limitations, as he thinks fit.

Affidavit

123. Form, etc; of Affidavits.—(1) The Affidavits required by the Act and the rules to be filed at the Trade Marks Registry or furnished to the Registrar, unless otherwise provided in the Second Schedule, shall be headed in the matter

or matters to which they relate, shall be drawn up in the first person, and shall be divided into paragraphs consecutively numbered; and each paragraph shall, as far as practicable, be confined to one subject. Every affidavit shall state the description and the true place of abode of the person making the same and shall bear the name and address of the person filing it and shall state on whose behalf it is filed.

(2) Where two or more persons join in an affidavit, each of them shall depose separately to such facts which are within his personal knowledge and those facts shall be stated in separate paragraphs.

(3) Affidavits shall be taken – (a) in India, before any court or person having authority by law to receive evidence, or before any officer empowered by such court as aforesaid to administer oaths or to take affidavits or before the Notary Public.

(b) In any country or place outside India, before a diplomatic or consular officer, within the meaning of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Fee) Act, 1948 (41 of 1948), of such country or place or before a notary public or before a Judge or Magistrate, of the country or place.

(4) The person before whom an affidavit is taken shall state the date on which and the place where the same is taken and shall affix his seal, if any, or the seal of the court to which he is attached thereto and sign his name and description at the end thereof.

(5) Any affidavit purporting to have affixed, impressed or subscribed thereto or thereon the seal or signature of any person authorised by sub-rule (3) to take an affidavit, in testimony of the affidavit having been taken before him, may be admitted by the Registrar without proof of the genuineness of the seal or signature or of the official character of that person.

(6) Alterations and interlineations shall, before an affidavit is sworn or affirmed, be authenticated by the initials of the person before whom the affidavit is taken.

(7) Where the deponent is illiterate, blind or unacquainted with the language in which the affidavit is written, a certificate by the person taking the affidavit that the affidavit was read, translated or explained in his presence to the deponent, that the deponent seemed perfectly to understand it and that the deponent made his signature or mark in his presence, shall appear in the jurat.

(8) Every affidavit filed before the Registrar in connection with any of the proceedings under the Act or the rules shall be duly stamped under the law for the time being in force.

Inspection of Documents by Public

124. Inspection of documents.— The documents mentioned in sub-section (1) of section 148 shall be available for inspection at the appropriate office of the Trade Mark Registry on payment of the fee mentioned in First Schedule on all working days and at such times as may be fixed by the Registrar.

Certificates

125. Certified copies of documents.—The Registrar may, on request being made in Form TM-M along with fees mentioned in First Schedule, furnish certified copies of any entry in the register or of any documents referred to in sub-section (1) of section 148 or of any decision or order of the Registrar, or of a certificate other than a certificate under sub-section (2) of section 23 as to any entry, matter or thing which he is authorised or required by the Act or the rules to make or do:

Provided that the Registrar may furnish an expedited certified copies of the documents aforementioned within thirty seven working days on a request in Form TM-M received to that effect on payment of five times the ordinary fees for such request.

126. Power of Registrar to notify International Non-proprietary names.—The Registrar shall from time to time publish in the Journal, the words which are declared by the World Health Organization as international non-proprietary names referred to in sub-section (b) of section 13.

Well-Known Trademarks

127. Determination of Well Known Trade Mark by Registrar.— (1) Any person may, on an application in Form TM-M and after payment of fee as mentioned in First Schedule, request the Registrar for determination of a Trade Mark as Well Known. Such request shall be accompanied by a statement of case along with all the evidence and documents relied by the applicant in support of his claim.

(2) For the purpose of determination, the Registrar may stipulate criteria in this regard, and also call for such document as he think fit.

(3) In case the Trade Mark is determined as well-known, the same shall be included in the list of Well Known trademarks maintained by the Registrar.

(4) The Registrar may, at any time, if it is found that a trademark has been erroneously or inadvertently included in the list of well-known trademarks, remove the same from the list.

Appeal of the Intellectual Property Appellate Board

128. Time for appeal.—An appeal to the Intellectual Property Appellate Board from any decision of the Registrar under the Act or the rules shall be made within three months from the date of such decision.

129. Service to the Registrar.—A copy of every application to Intellectual Property Appellate Board under the Act shall be served on the Registrar.

Certificate of Validity

130. Certificate of validity to be noted.—Where the Intellectual Property Appellate Board has certified as provided in section 141 with regard to the validity of a registered trade mark the registered proprietor thereof may request the Registrar in Form TM-M to add to the entry in the register a note that the certificate of validity has been granted in the course of the proceedings, particulars of which shall be given in the request. An officially certified copy of the certificate shall be sent with the request, and the Registrar shall record a note to that effect in the register and publish the note in the Journal.

Return of Exhibits and Destruction of Records

131. Return of exhibits.—(1) Where the exhibits produced in any matter or proceeding under the Act or the rules are no longer required in the Trade Marks Registry, the Registrar may call upon the party concerned to take back the exhibits within a time specified by him and if the party fails to do so, such exhibits shall be destroyed.

(2) Where, before the notified date any exhibits have been produced in any proceeding, the Registrar may, if satisfied that it is no longer necessary to retain them call upon the party concerned to take back the exhibits within a time specified by him and if the party fails to do so, such exhibit shall be destroyed.

132. Destruction of records.—Where an application for the registration of a trade mark has been withdrawn or abandoned or refused or a trade mark has been removed from the register or in an opposition or rectification proceeding the matter has been concluded and no appeal is pending before the Intellectual Property Appellate Board, the Registrar may, at the expiration of three years after the application is withdrawn or is abandoned or is refused or after the trade mark is removed from the register or the opposition or rectification proceeding is closed, as the case may be, destroy all or any of the records relating to the application, opposition or rectification or the trade mark concerned.

PART II

SPECIAL PROVISIONS FOR COLLECTIVE MARKS

133. Rules to apply to collective marks.—The provisions of Part I of the rules shall, in their application to collective marks, apply only subject to the provisions of this Part.

134. Application for registration and proceedings relating thereto.—(1) An application for the registration of a collective mark for goods or services under sub-section (1) of section 63 shall be made to the Registrar in Form TM-A along with the draft regulations, in duplicate.

(2) References in Part I of the rules to the acceptance of an application for the registration of a trade mark for goods or services, shall, in their application to collective mark, be substituted by references to authorisation to proceed with the application.

(3) The address in India, if any, of an applicant to register a collective mark shall be deemed to be the address of his principal place of business in India for all the purposes for which such an address is required by the rules.

(4) The regulations governing collective marks shall specify, *inter alia*—

- (a) the name of the association of persons and their respective office addresses;
- (b) the object of the association;
- (c) the details of members;
- (d) the conditions for membership and relation of each member with the group;
- (e) the persons authorised to use the mark and the nature of control the applicant exercise over the use of the collective mark;
- (f) the conditions governing use of the collective mark, including sanctions;
- (g) the procedure for dealing with appeals against the use of the collective mark;
- (h) such other relevant particulars as may be called for by the Registrar.

135. Case accompanying application.—The applicant shall submit to the Registrar along with his application a statement of case setting out the grounds on which he relies in support of his application. Such case shall be furnished in duplicate.

136. Examination, Hearing, Opposition, Registration, and Renewal.—The provisions related to examination, hearing, opposition, registration and renewal of trademarks shall apply *mutatis mutandis* in respect of collective trademarks.

137. Amendment of regulations relating to collective marks and renewal.—(a) An application by the registered proprietor of a collective mark for any amendment to the regulation under section 66 shall be made in Form TM-M and where the Registrar accepts any such amendment he shall advertise, such application in the Journal and further proceedings in the matter shall be governed by rules 43 to 52,

(b) A collective mark may be renewed from time to time and the provision of rule 58 to 62 shall apply *mutatis mutandis* in respect of such request for renewal.

138. Removal of collective mark.—An application for removal of a collective mark from the register shall be made in Form TM-O and shall set forth particulars of the grounds on which the application is made. The provisions of rule 99 to 102 of these rules shall apply *mutatis mutandis* for further proceeding in the matter.

PART III SPECIAL PROVISION FOR CERTIFICATION TRADE MARKS

139. Rules to apply to certification Trade Marks.—The provisions of Part I of the rules shall, in their application to certification Trade Marks, apply only subject to the provisions of this Part.

140. Application for registration and proceedings relating thereto. — (1) An application for the registration of a certification mark for goods or services under sub-section (1) of section 71 shall be made to the Registrar in Form TM-A along with the draft regulations, in duplicate.

(2) References in Part I of the rules to the acceptance of an application for the registration of a trade mark, shall, in their application to certification trade mark, be substituted by references to authorisation to proceed with the application.

(3) The address in India, if any, of an applicant to register a certification trade mark shall be deemed to be the address of his principal place of business in India for all the purposes for which such an address is required by the rules.

(4) The regulation governing a certification trade mark shall specify, *inter alia*—

- (a) a description of the applicant;
- (b) the nature of the applicant's business;
- (c) the particulars of infrastructure like Research and Development, technical manpower support;
- (d) the applicant's competence to administer the certification scheme;
- (e) the applicant's financial arrangement;
- (f) an undertaking from the applicant that there will be no discrimination of any party if they meet the requirements set down in the regulations;
- (g) the characteristic, which the mark will indicate in the certified goods or in relation to the rendering of certified services;
- (h) the manner of monitoring the use of the mark in India; and
- (i) such other relevant particulars as may be called for by the Registrar.

141. Statement of case accompanying application.—The applicant shall submit to the Registrar along with his application a statement of case setting out the grounds on which he relies in support of his application. Such case shall be furnished in duplicate.

142. Examination, Hearing, Opposition, Registration, and Renewal.—The provisions related to examination, hearing, opposition, registration and renewal of trademarks shall apply *mutatis mutandis* in respect of certification trademarks.

143. Cancellation or variation of registration of certification trade mark.—An application for cancellation or variation of registration of a certification trade mark on any of the grounds mentioned in section 77 shall be made in Form TM-O and shall set forth particulars of the grounds on which the application is made. The provisions of rule 99 to 102 shall apply *mutatis mutandis* to further proceedings in the matter.

144. Alteration of deposited regulations and consent of the Registrar for assignment or transmission of certification Trade Marks.—(1) An application by the registered proprietor of a certification trade mark under sub-section (2) of section 74 to alter the deposited regulation shall be made in Form TM-M and where the Registrar decides to permit such alteration it shall be advertised in the Journal and further proceeding in the matter shall be governed by rules 43 to 52.

(2) An application for the consent of the Registrar to the assignment or transmission of a certification trade mark under section 43 shall be made in Form TM-P.

PART IV
REGISTRATION OF TRADE MARKS AGENTS

145. Register of Trade Marks Agents.—The Registrar of Trade Marks shall maintain a Register of Trade Marks Agents wherein shall be entered the name, address of the place of residence, address of the principal place of business, the nationality, qualifications and date of registration of every registered Trade Marks agent.

146. Registration of existing registered Trade Marks agents, code of conduct, etc.—(1) Notwithstanding anything contained in rule 147, every person whose name has been entered in the register of Trade Marks agents maintained under the old law shall be deemed to be registered as a trade marks agent under these rules.

(2) The Registrar may publish in the Journal a code of conduct for the registered Trade Marks agent authorising them to act as such.

147. Qualifications for registration.—Subject to the provisions of rule 148, a person shall be qualified to be registered as a trade marks agent if he—

- (i) is a citizen of India,
- (ii) is not less than 21 years of age;
- (iii) is a graduate of any university in India or possesses an equivalent qualification and has passed the examination prescribed in rule 151 or is an Advocate within the meaning of the Advocates Act, 1961 (25 of 1961),
- (iv) is considered by the Registrar as a fit and proper person to be registered as a trade mark agent.

148. Persons debarred from registration.—A person shall not be eligible for registration as a trade marks agent if he—

- (i) has been adjudged by a competent Court to be of unsound mind;
- (ii) is an undischarged insolvent;
- (iii) being a discharged insolvent has not obtained from the court a certificate to the effect that his insolvency was caused by misfortune without any misconduct on his part;
- (iv) has been convicted by a competent court, whether within or without India of an offence punishable with transportation or imprisonment, unless the offence of which he has been convicted has been pardoned or unless on an application made by him, the Central Government by order in this behalf, has removed the disability;
- (v) being a legal practitioner has been held guilty of professional misconduct by any High Court in India or by any Court beyond the limits of India;
- (vi) being a chartered accountant, has been held guilty of negligence or misconduct by a High Court; or
- (vii) being a registered Trade Marks agent has been held guilty of professional misconduct by the Registrar.

149. Manner of making application.—All applications under the provisions of this Part shall be made in triplicate and shall be sent to or submitted at that office of the Trade Marks Registry within whose territorial limits the principal place of business of the applicant is situate.

150. Application for registration as a trade marks agent.—(1) Every person desiring to be registered as a trade marks agent shall make an application in Form TM-G.

(2) The applicant shall furnish such further information bearing on his application as may be required of him at any time by the Registrar.

151. Procedure on application and qualifying requirements.—(1) On receipt of an application for the registration of a person as a trade marks agent, the Registrar, if satisfied that the applicant fulfils the prescribed qualifications, shall appoint a date in due course on which the candidate will appear before him for a written examination in Trade Marks Law and practice followed by an interview. The candidate will be expected to possess a detailed knowledge of the provisions of the Act and the rules and knowledge of the elements of Trade Marks Law.

(2) The qualifying marks for the written examination and for interview shall be Seventy Five percent and Twenty Five percent, respectively and a candidate shall be declared to have passed the examination only if he obtained an aggregate of Sixty percent, of the total marks.

152. Certificate of registration.—After a candidate has been interviewed and any further information bearing on his application, which the Registrar may consider necessary has been obtained and if the Registrar considers the applicant eligible and qualified for registration as a trade marks agent, he shall send an intimation to that effect to the applicant and any person so intimated may pay the prescribed fee for his registration as a trade marks agent. Upon receipt of the prescribed fee the Registrar shall cause the applicant's name to be entered in the register of Trade Marks agents and shall issue to him a certificate in Form O-4 of his registration as a trade marks agents.

153. Continuance of the name in the register of Trade Marks Agents.—The continuance of a person's name in the register of Trade Marks agents shall be subject to his payment of the fees prescribed in First Schedule.

154. Removal of agent's name from the register of Trade Marks agents.—(1) The Registrar shall remove from the register of Trade Marks agents the name of any registered Trade Marks agent—

- (a) from whom a request has been received to that effect; or
- (b) from whom the annual fee has not been received on the expiry of three months from the date on which it became due.

(2) The Registrar shall remove from the register of Trade Marks agents, the name of any registered Trade Marks agent—

(a) who is found to have been subject at the time of his registration, or thereafter has become subject, to any of the disabilities stated in clauses (i) to(vii) of rule 148;or

(b) whom the Registrar has declared not to be a fit and proper person to remain in the Register by reason of any act of negligence, misconduct or dishonesty committed in his professional capacity;

(c) whose name has been entered in the register by an error or on account of misrepresentation or suppression of material fact:

Provided that before making such declaration under clauses (b) and (c) the Registrar shall call upon the person concerned to show-cause why his registration should not be cancelled and shall make such further enquiry, if any, as may be consider necessary.

(3) The Registrar shall remove from the register of Trade Marks agents the name of any registered Trade Marks agent who is dead.

(4) The removal of the name of any person from the register of Trade Marks agents shall be notified in the Journal and shall, wherever possible, be communicated to the person concerned.

155. Power of Registrar to refuse to deal with certain agents.—(1) The Registrar may refuse to recognize—

(a) any individual whose name has been removed from, and not restored to the register;

(b) any person, not being registered as a trade marks agent, who in the opinion of the Registrar is engaged wholly or mainly in acting as agent in applying for trade marks in India or elsewhere in the name or for the benefit of the person by whom he is employed;

(c) any company or firm, if any person whom the Registrar could refuse to recognise as agent in respect of any business under these rules, is acting as a director or manager of the company or is a partner in the firm.

(2) The Registrar shall refuse to recognise as agent in respect of any business under this rule any person who neither resides nor has a place of business in India.

156. Restoration of removed names.—(1) The registrar may, on an application made in Form TM-G with fee specified in the First Schedule, within six months from the date of removal of the name of a person from the Register of Trade Marks agents, whose name has been removed under clause (b) of sub-rule (1) of rule 154 , restore his name to the register of Trade Marks agents and continue his name therein for a period of one year from the date on which his last annual fee became due:

Provided that the Registrar may, on payment of additional fee along with the restoration fee, restore the name of the agent even after the period of six months but within a period of three years.

(2) The restoration of a name to the register of Trade Marks agent shall be notified in the Journal and shall be communicated to the person concerned.

157. Alteration in the register of Trade Marks Agents.—(1) A registered Trade Marks agent may apply in Form TM-G for alteration of his name, address of the place of residence, address of the principal place of business or qualifications entered in the register of Trade Marks agents. On receipt of such application and the fee prescribed in that behalf, the Registrar shall cause the necessary alteration to be made in the register of Trade Marks agents.

(2) Every alteration made in the register of Trade Marks agents shall be notified in the Journal.

158. Publication of the register of Trade Marks agents.—The Registrar shall ordinarily publish the list of agents in the register of Trade Marks agents shall be published in the Journal from time to time, and at least once in two years together with their addresses as entered in the register, the entries being arranged in the alphabetical order of the surnames of the registered Trade Marks agents and copies thereof may be placed for sale.

159. Appeal.—An appeal shall lie to Intellectual Property Appellate Board from any order or decision of the Registrar in regard to the registration or removal of Trade Marks agents under Part IV of these rules, and the decision of the Appellate Board shall be final and binding.

PART V REPEAL

160. Repeal.—The Trade Marks Rules, 2002, are hereby repealed without prejudice to anything done under such rules before the coming in to force of the rules.

THE FIRST SCHEDULE
(See Rule 11)
FEES

Entry No.	On what payable	Amount in INR.		Corresponding Form Number
		For E-filing	For Physical filing	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	On application to register a trade mark for a specification of goods or services included in one class [section 18(1)]	8000	8800	TM-A
2	On application to register a trade mark for goods or services included in a class from a convention country under sections 18(1) and 154(2)	8000	8800	TM-A
3	On a single application under section 18(2) for the registration of a trade mark for different classes of goods or services from a convention country under section 154(2)	8000 for each class	8800 for each class	TM-A
4	On a single application under section 18(2) for the registration of a trade mark for different classes of goods or services	8000 for each class	8800 for each class	TM-A
5	On application to register a series of trade marks under section 15 for a specification of goods or services included in a class or classes	(i) For one trade mark in one class 8000 (ii) For each additional trade mark 8000 (iii) For each additional class 8000	(i) For one trade mark in one class 8800 (ii) For each additional trade mark 8800 (iii) For each additional class 8800	TM-A
6	On application to register a series of trade marks from a convention country under section 154 (2) for a specification of goods or services included in a class or classes	(i) For one trade mark in one class 8000 (ii) For each additional trade mark 8000 (iii) For each additional class 8000	(i) For one trade mark in one class 8800 (ii) For each additional trade mark 8800 (iii) For each additional class 8800	TM-A
7	On application under section 63(1) to register a collective mark for a specification of goods or services included in a class	20000	22000	TM-A
8	On application under section 71(1) to register a certification trade mark for a specification of goods or services included in a class	20000	22000	TM-A
9	On request under rule 37(1) to state grounds of decision	2000	2200	TM-M
10	On a notice of opposition under section 21(1), 64, 66 or 73 for each class opposed	2500	2750	TM-O
11	On a counter-statement in answer to a notice of opposition under Section 21, for each application opposed, or in answer to an application under any of	2000	2200	TM-O

	the section 47 or section 57 in respect of each trade mark or in answer to a notice of opposition under section 58 or rule 108 for each application or conversion opposed			
12	On application under section 16(5) to dissolve the association between registered trade marks	1000 for each dissolution	1100 for each dissolution	TM-P
13	For renewal under section 25 of registration of trade mark in a class at the expiration of the last registration not otherwise charged	10000	11000	TM-R
14	For renewal under section 25 of the registration of a series of trade marks for each class at the expiration of the last registration	10000	11000	TM-R
15	For renewal under section 25 of a single application of a trade mark for goods or services in more than one class	10000 for each class	11000 for each class	TM-R
16	For renewal under section 25 of the registration of a collective trade mark/certification trade mark	20000	22000	TM-R
17	On application under section 25(4) for restoration and renewal after six months and within one year from the expiration of the last registration of a trade mark removed from the register	10000 plus fee applicable for renewal under entries 13 to 16	11000 plus fee applicable for renewal under entries 13 to 16	TM-R
18	On application for renewal under proviso to section 25(3) within six months from the expiration of last registration of the trade mark	6000 as surcharge	6600 as surcharge	TM-R
19	On application for certificate of the Registrar under section 40(2) - For the first mark proposed to be assigned For every additional mark of the same proprietor included in that assignment	5000 1000	5500 1100	TM-P
20	On application for approval of the Registrar under section 41 - For the first trade mark For every additional mark of the same proprietor included in the same transfer	5000 1000	5500 1100	TM-P
21	On application under section 42 for direction of the Registrar for advertisement of assignment without goodwill of a trade mark in use - For the first mark assigned For every additional mark assigned with the same devolution of title	5000 1000	5500 1100	TM-P
22	On application for extension of time for applying for direction under section 42 for advertisement of assignment without goodwill of trade mark in use in respect of devolution of title - Not exceeding one month Not exceeding two months Not exceeding three months	1000 2000 3000	1100 2200 3300	TM-P
23	On application under section 45 to register a subsequent proprietor in case of assignment or transfer of a single trade mark -			TM-P

	If made within six months from the date of acquisition of partnership If made after expiration of six months but before twelve months from the date of acquisition of partnership If made after twelve months from the date of acquisition of proprietorship	10000 15000 20000	11000 16500 22000	
24	On application under section 45 to register a subsequent proprietor of more than one trade mark registered in the same name, the devolution to tile being the same in each case – If made within six months from the date of acquisition of proprietorship— For the first mark For every additional mark If made after expiration of six months from the date of acquisition of proprietorship – For the first mark For every additional mark If made after expiration of twelve months from the date of acquisition of proprietorship – For the first mark For every additional mark	 10000 2000 15000 3000 20000 4000	 11000 2200 16500 3300 22000 4400	TM-P
25	On application under section 46(4) for extension of time for registering a company as subsequent proprietor of trade marks on one assignment – Not exceeding two months Not exceeding four months Not exceeding six months	 1000 2000 3000	 1100 2200 3300	TM-P
26	On application under any of the section 47 to 57 for rectification of the register or removal of a trade mark from the register or cancellation of a registered collective mark or a certification trade mark	6000	6600	TM-O
27	On application under rule 101 for leave to intervene in the proceedings under any of the section 47 or section 57 for rectification of the register or removal of trade mark from the register or under rule 132 or rule 138 in respect of a collective mark or certification trade mark	1000	1100	TM-O
28	On application under section 49 to a registered user of a registered trade mark in respect of goods or services within the specification thereof	10000	11000	TM-U
29	On application under section 49 to register the same registered user of more than one registered trade mark of the same registered proprietor, where all the trade marks are covered by the same registered user agreement in respect of goods or services within the respective specification thereof and subject to the same condition and restriction in each case – For the first mark For every additional mark of the proprietor included in the application, and in the registered user agreement	 10000 6000	 11000 6600	TM-U
30	On application under clause(a) of sub-section (1) of section 50 to vary the entry of a registered user of one trademark where the trademarks are covered by the same registered user in respect of each of them – For the first mark For every additional mark included in the application	 10000 5000	 11000 5500	TM-U

31	On application under clause(b) of sub-section (1) of section 50 for cancellation of entry of a registered user of one trade mark – Where the application includes more than one trade mark – For the first mark For every additional mark included in the application-	5000 5000 1000	5500 5500 1100	TM-U
32	On application under clause(c) or (d) of the sub-section(1) of section 50 to cancel the entry of a registered user of one trade mark – Where the application includes more than one trade mark – For the first mark For every additional mark included in the application	10000 10000 4000	11000 11000 4400	TM-U
33	On notice under rule 97(2) of intention to intervene in one proceeding for the variation or cancellation of entries of a registered user of a trade mark	1000	1100	TM-U
34	On application of section 58 to change a name or description of a registered proprietor or a registered user of a trade mark- Where there has been no change in the proprietorship or in the identity of registered user except where the application is made as a result of an order of a public authority or in consequence of a statutory requirement as per law in India Where the application includes more than one trade mark – For the first trade mark For every additional mark included in the application	2000 2000 2000 1000	2200 2200 2200 1100	TM-P
35	On application under section 58 to alter an entry of the address of the registered proprietor or registered user of a trade mark unless exempted from fee under rule 103(3)- Where the application includes more than one trade mark – and where the address in each case is the same and is altered in the same way – For the first entry For every other entry included in the application	1000 1000 500	1100 1100 550	TM-P
36	On application to make an entry of an address for service in India of a registered proprietor or a registered user of a trade mark – Where the application includes more than one trade mark and the address for service to be entered is the same in each case – For the first entry For every other entry included in the application	1000 1000 500	1100 1100 550	TM-P
37	On application to alter or substitute an entry of an address for service in India in the register unless exempted from fee under rule 103(3) Where the application includes more than one trade mark and the address in each cases is the same and is altered or substituted in the same way – For the first entry For every other entry included in the application	1000 1000 500	1100 1100 550	TM-P
38	On application under clause (c) of sub-section (1) of section 58 for cancelling the entry or part thereof or under clause (d) to strike out goods or services from the register	500	550	TM-P
39	On application under section 59 (1) for leave to add or alter a registered trade mark (except where the application is made as a result of an order of public	5000	5500	TM-P

	authority or in consequence of statutory requirement) – Where the application includes more than one trade mark and the addition or alteration to be made in each case being the same – For the first mark For every other mark included in the application	5000 2000	5500 2200	
40	On notice of opposition under sub-section (2) of section 59 to an application for leave to add or to alter a registered trade mark for each application opposed	3000	3300	TM-P
41	On application under Section 60 for conversion of specification	2000	2200	TM-P
42	On notice of opposition in each separate class under sub-section (2) of section 60 to a conversion of the specification or specifications of a registered trade mark – For the first mark For every additional mark included in the notice of opposition	3000 3000 1500	3300 3300 1650	TM-P
43	On application under section 66 for amendment of the deposited regulations of a collective mark or alteration under section 74(2) of the regulation of a certification trade mark – Where the mark are entered in the register as associated trade marks – For the regulation of one registration For the same or substantially same regulation of each additional registration proposed to be altered in the same way and included in the same application	2000 2000 500	2200 2200 550	TM-M
44	On application under section 68 to remove the registration of collective mark or cancel or vary the registration of a certification trade mark under section 77	2000	2200	TM-O
45	On request for the Registrar's preliminary advice under section 133 (1) for a trade mark in respect of one class	2000	2200	TM-M
46	On request for certificate of the Registrar under section 137 (other than the certificate under section 23(2))	1000	1100	TM-M
47	On request for certificate of the Registrar (other than certificate under section 23(2) of the Registration of a series of the trade mark under section 15 for each class)	1000	1100	TM-M
48	On request for a certified copy of any entry in the register or any document under section 148 (2)	1000	1100	TM-M
49	On request to enter in the register and advertise a note of certificate of validity, under rule 130 in respect of one mark in a class	500	550	TM-M
50	On request, not otherwise charged for correction of a clerical error or for amendment under section 18(4), 22 and 58 except where the request is made as a result of an order of a public authority or in consequence of a statutory requirement as per law in India	1000	1100	TM-M
51	On application for extension of time for a month or part thereof under section 131 (not being a time expressly provided in the Act or prescribed by rule 86 or by rule 87 (4))	1000	1100	TM-M
52	On application for review of the Registrar's decision under Section 127 (c)	4000	4400	TM-M
53	On Petition (not otherwise charged) for obtaining	5000	5500	

	Registrar's order for any interlocutory matter in a contesting proceeding			
54	On a request to Registrar for particulars of advertisement of a mark under rule 42	500	500	TM-M
55	For inspecting the documents mentioned in section 148(1) – (a) relating to any particular trade mark for every hour or part thereof (c) search of index mentioned in section 148 for every hour or part thereof	500 500	550 550	
56	For applying of documents, (photocopy or typed) for every page of part thereof in excess of one page	10 per page (subject to a minimum of Rs.10)	10 per page (subject to a minimum of Rs.10)	
57	On request for a duplicate or further copy of certificate under rule 57(3)	1000	1100	TM-M
58	On a counter-statement in an answer to notice of opposition in respect of collective trade mark or certification trade mark under sections 64, 66, 73 or 77	3000	3300	TM-O
59	For search and issue of certificate under rule 23(3)	10000	11000	TM-C
60	On application under sub-section (b) of section 25 of Geographical Indication of Goods (Regulations and Protection) Act, 1999 to refuse or invalidate the registration of a trade mark which conflicts with or which contains or consists of a Geographical Indication identifying goods or class or classes of goods notified under sub-section (2) of section 22 of the said Act.	6000	6600	TM-O
61	On applications made under sub-section (a) of section 25 of Geographical Indication of Goods (Regulations and Protection) Act, 1999 to refuse or invalidate the registration of a trade mark containing or consisting of a Geographical Indication not originating in the territory of a country or region or locality in that territory which the geographical indication indicates .	6000	6600	TM-O
62	On a request to divide an application or to divide a single application under proviso to section 22	2000 plus appropriate class fee	2200 plus appropriate class fee	TM-M
63	On application under section 43, rule 143 (2) for consent of Registrar to the assignment or transmission of a certification trade mark	2000	2200	TM-P
64	On application under rule 35 for expedited examination of an application for the registration of a trade mark	20000	44000	TM-M
65	On application under section 63(1) to register a collective mark of a specification of goods or services included in a class from a convention country under section 154 (2)	20000	22000	TM-A
66	On application under section 71 to register a certification trade mark for a specification of goods or services included in a class from a convention country under section 154(2)	20000	22000	TM-A
67	On request for an expedited certificate of the Registrar (other than a certificate under section 23(2) of the Act) or certified copies of the documents under proviso to rule 125	5000	5500	TM-M

68	On request for an expedited search and issuance of certificate under rule 23(3)	35000	37500	TM-C
69	On application for registration as a trade mark agent under rule 148	2000	2200	TM-G
70	For registration of a person as a Trade Mark Agent under rule 150	2000	2200	
71	For continuance of the name of a person in the Register of a Trade Mark Agents under rule 155 – For every year (excluding the first year) to be paid on the 1 st April of each year For the first year to be paid along with the fee or registration in the case of a person registered at any time between the 1 st April and 30 th September NB: A year for this purpose will commence on 1 st day of April and end on the 31 st day of March following.	2000 2000	2200 2200	
72	On application for restoration of the name of a person to the Register of trade marks agents under rule 158 within Six months from the date of removal After Six months but within one year from the date of removal After one year but within two years from the date of removal After two years but within three years from the date of removal	2000 plus continuance fee under entry number 71 5000 plus continuance fee under entry number 71 10000 plus continuance fee under entry number 71 15000 plus continuance fee under entry number 71	2200 plus continuance fee under entry number 71 5500 plus continuance fee under entry number 71 11000 plus continuance fee under entry number 71 16500 plus continuance fee under entry number 71	TM-G
73	On application for an alteration of any entry in the Register of Trade Marks Agent under rule 156	500	550	TM-G
74	For each addition to the registered entry of a trade mark that may be associated with a newly registered mark under section 16(1)	1000	1100	
75	On a single application under section 18(2) for the registration of collective mark for different classes of goods or services	10000 for each class	11000 for each class	TM-A
76	On a single application under section 18(2) for the registration of a collective mark for different classes of goods or services from a convention country	20000 for each class	22000 for each class	TM-A
77	On a single application under section 18(2) for the registration of a certification trade mark for different classes of goods or services	20000 for each class	22000 for each class	TM-A

78	On a single application under section 18(2) for the registration of a certification trade mark for different classes of goods or services from a convention country under section 154(2)	20000 for each class	22000 for each class	TM-A
79	Handling fee for certification and transmission of international application to International Bureau	--	4000	--
80.	Request to include a mark in the list of well known trademark	1,00,000	1,10,000	TM-M

**THE SECOND SCHEDULE
FORMS**

Form No.	Section and Rules of the Act & Rules	Title	Entry number of first Schedule
1	2	3	4
TM-A	Sections 15, 15(3), 18(1), 18(2), 63(1), 71, 71(1), 154(2).	Application for registration of a trade mark for goods or services	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 65, 66, 75, 76, 77, 78.
TM-M	Sections 18(4), 22, proviso to 22, 23(2), 43, 58, 66, 74(2), 127(c), 131, 133(1), 137, 148(2), Rules: 24, 37, 37(1), 42, 57(3), 125, 127, 130.	Request for amendment in Trade Mark application, seeking grounds of decision, seeking Registrar preliminary advice under Section 133(1), Certified copy, Expedite Examination, Duplicate Registration Certificate, request to inclusion of a mark in list of well-known trademarks and any other matters not covered in other TM forms.	9, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 62, 66, 80
TM-R	Section: 25, Proviso to Section 25(3), 25(4).	Application of Renewal, Renewal with surcharge and for restoration of a Trade Marks.	13, 14, 15, 16, 17, 18,
TM-C	rule 23(3), rule 23(5)	Application for Search certificate request filed under rule 23.	59, 68,
TM-O	Sections 21, 21(1), 47-57, 59, 64, 66, 68, 73, 77 and 25 of Geographical Indication of Goods (Regulation and Protection) Act, 1999 Rules: 101, 108, 133, 139.	Notice of opposition, rectification and counterstatement related thereto.	10, 11, 26, 27, 44, 58, 60, 61,
TM-P		Application related to dissolve of association, Assignment, amendment of details of registered proprietors, amendment of registered Trademarks of description of goods or services.	12, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 63, 64,
TM-U	Sections 49, 50, 50(1)(a), 50(1)(b), 50(1)(c) or (d). Rule: 97.	Application of Registered Users or application to intervene in the proceedings by third party	28, 29, 30, 31, 32, 33,
TM-G	Rules 150, 156, 157.	Application of Trade Mark Agent, restoration of the Trade Mark agent name and alteration related to details of Trademarks Agents in the register.	69, 72, 73.

List of Forms**FORM TM-A**

The Trade Marks Act, 1999

Application for registration of a trade mark

[The relevant information must be filled up in coloured box against the respective head]

1	NATURE OF THE APPLICATION	
	<i>[(a) The applicant must choose either of the following categories-</i>	
	<i>1. Standard trademark, 2. Collective Mark, 3. Certification Mark, 4. Series Marks</i>	
	<i>Standard mark' here means an application for registration of a normal trademark not being Collective or Certification trademarks or Series of marks</i>	
	<i>(b) In case of Collective Mark or Certification Mark the draft regulations with form TM-M must be submitted.]</i>	
	FEE PAID	(See First Schedule for Appropriate Fee)
2	APPLICANT	
	Name: *	
	Trading as	
	Address:*	
		(State) (Country)
	<i>[This address should be the address of the applicant's principal place of business in India]</i>	
	Address for service:	
		(State) (Country)
	<i>[(a) Unless otherwise specifically stated, the applicant's address shall be the address for service of the applicant who has principal place of business in India.</i>	
	<i>(b) The address for service in India must be provided, in case the applicant does not carry business in India]</i>	
	Mobile No :	
	E-mail address: *	
	Nature of the applicant	
	<i>[The applicant must choose either of the following categories-</i>	
	<i>1. Individual, 2. Partnership Firm, 3. Body-incorporate including Private Limited/limited Company, 4. Limited Liability Partnership, 5. Society 6. Trust 7. Government Department 8. Statutory Organization. 9. Association of persons 10. Hindu Undivided Family</i>	
3	APPLICANT'S AGENT (if any)	
	Name:	
	address	
	Mobile No :	
	E-mail address:	
	Nature of the Agent	
	<i>[The applicant must choose either of the following categories-</i>	
	<i>1. Registered Trade Marks Agent, 2. Advocate 3. Constituted Attorney]</i>	
	Registration No	
	<i>[In case of authorisation of agent, the address of the agent may be mentioned as the applicant's address for service</i>	
4	TRADEMARK	(trademark to be mentioned here)
	Category of mark	
	<i>[The applicant must choose either of the following categories-</i>	
	<i>1. Word mark (it includes one or more words, letters, numerals or anything written in standard character),</i>	
	<i>2. Device mark (it includes any label, sticker, monogram, logo or any geometrical figure other than word mark),</i>	
	<i>3. Colour (when the distinctiveness is claimed in the combination of colours with or without device), 4. Three dimensional trademark (it includes shape or packaging of goods), 4. Sound</i>	
	Description of the mark	
	<i>[(a) Description of mark must be provided in terms of Rule 28.</i>	
	<i>(b) In case of trademarks submitted in specific combination of colours other than black and white, it shall be presumed that the distinctiveness of the mark is claimed in that combination of colours and application will be</i>	

	<i>considered accordingly.</i>	
	<i>(c) In case of colour marks the description may be like "The trade mark consists of three vertical stripes in the colours PURPLE, GREEN and YELLOW applied to the fascias of buildings and to doors as shown in the representation of the mark."</i>	
	<i>(d) In case of sound marks representation of specific musical notes must be submitted at the place provided for the trademark. The applicant is also required to submit sound clipping in MP3]</i>	
5	MARK IN A LANGUAGE OTHER THAN HINDI OR ENGLISH	
	Language	
	Transliteration of the mark in roman script	
	<i>[Transliteration of the mark in roman script must be provided in case the mark is in a language other than Hindi or English</i>	
	Translation of the mark in English	
	<i>[Translation of the mark in English must be provided in case the mark is in a language other than Hindi or English</i>	
6	CONDITIONS OR LIMITATIONS TO USE THE TRADEMARK, IF ANY	
7	CLASS OF GOODS OR SERVICE	DESCRIPTION OF GOODS AND SERVICE
8	STATEMENT AS TO USE OF MARK	☐ Proposed to be used
		☐ The mark is used by the applicant or its predecessor in title
		Since..... in respect of the goods and service mentioned in the application.
	<i>[(a) The applicant must select either of the above</i>	
	<i>(b) The date of use must be given in the format (DD/MM/YYYY) and shall refer to all items mentioned in the application.</i>	
<i>(c) In case the use of the Trade Mark is claimed prior to the date of application, the applicant shall file an affidavit testifying to such use along with supporting documents</i>		
<i>(d) The statement as to use of the mark once made shall be final]</i>		
9	PRIORITY CLAIM, IF ANY	
	Priority claimed since	DD/MM/YYYY
	Priority claim based on application filed in the Convention Country or organization	Name of the country or organisation
	Priority Application No.	
	<i>[The priority must be claimed in respect of all goods and services mentioned in the application]</i>	
10	ANY OTHER IMPORTANT INFORMATION OR STATEMENT	
	<i>[Applicant may provide here any other information or statement in relation to his application]</i>	
11	VERIFICATION	I hereby verify that above mentioned facts are true to best of my knowledge and belief.
12	DETAIL OF THE PERSON SUBMITTING THE APPLICATION	
	Signature	
	Name	
	Authority	

FORM TM-M

The Trade Marks Act, 1999

Application/Request for any miscellaneous function in respect of a trademark Application/
Opposition/Rectification under the Trade Marks Act

[(a) One form is meant for one request only. Different forms should be submitted for different requests. In case more than one request is claimed in one form the first one will be entertained and rest of the requests will be ignored.]

[(b) The relevant information must be filled up in coloured box against the respective head]

1	FEE PAID		(See First Schedule for Appropriate Fee)
	APPLICANT OR REGISTERED PROPRIETOR/OPPONENT/THIRD PARTY MAKING THE APPLICATION/REQUEST		
	[(a) Anyone from the above, must be chosen on whose behalf the application/request is being submitted.]		
	[(b) 'Applicant' or 'Registered Proprietor' here means the person who is recorded as such in TMR records in respect of the referred application or registered trademark. The 'Opponent' here means the Opponent in the referred opposition proceeding or an Applicant for Rectification desiring to cancel or vary the registration of the trademark of someone else. 'Third Party' means the person who is not a party to the application/opposition/Rectification referred to.]]		
	Name: *		
	Trading as		
	Address:*		
			(State) (Country)
	Address for service:		
			(State) (Country)
[(a) Unless otherwise specifically stated, the applicant's/opponent's/third party's address shall be the address for service of the applicant who has principal place of business in India.]			
[(b) The address for service in India must be provided, in case the above person does not carry on business in India]			
Mobile No. :			
E-mail address: *			
2	AGENT OF THE APPLICANT OR REGISTERED PROPRIETOR/OPPONENT/THIRD PARTY, AS THE CASE MAY BE, (if any)		
	Name:		
	address		
	Mobile No. :		
	E-mail address:		
	Nature of the Agent		
	[One of the following categories must be chosen -		
	1. Registered Trade Marks Agent, 2. Advocate 3. Constituted Attorney]		
	Registration No.		
	[In case of authorisation of agent, the address of the agent may be mentioned as the address for service of the Applicant or Registered Proprietor/Opponent/Third Party as the case may be.]		
3	REQUEST/APPLICATION IN THE MATTER OF		
	Application/Opposition/ Rectification No.	Reference No.	
	[Anyone of the above must be chosen]		
	Additional Reference, if required		
PURPOSE OF REQUEST			
A	For correction of clerical error or for amendment under rule 41		
	Details of corrections		
B	Statement of grounds of decision/Review of Registrar's decision		
	Hearing Date		
	Order No. and date		
C	For certificate of the Registrar or certified copy of a document		

	If request is for EXPEDITED certificate	YES or NO	
<i>[In case of request for expedited certificate, the fee will be ordinarily five times of normal request]</i>			
	Details of certified copy required		
	No of copies of document required		
D	For particulars of advertisement of a trade mark under rule 46		
E	For payment of Association Fees		
<i>[Number of associated applications/registered trademark numbers and fee in Rs are to be entered here]</i>			
F	For submitting Authorisation of Agent		
<i>[The copy of the Power of Attorney must be attached]</i>			
G	Request for extension of time		
	Reason for extension of time period	Extension of time requested for the period of From	
H	Preliminary Advice about the distinctiveness of the trademark, U/S 133	mark to be entered/pasted here	
I	Request of expedited examination of an application		
	Declaration of reason for expedited examination		
J	Division of an Application		
	Class to be divided		
	Trademark(s) (in case of series marks) to be divided		
K	Request for duplicate Registration Certificate		
	Registered trade mark No.		
L	For payment of Misc. fee(s) for other purpose(s) apart from above	Purpose	fee in Rs.
M	Request for Inclusion of Trademark in the list of Well—Known Trademarks Registration Certificate	Representation of the Mark (paste here)	Fee in Rs.
	Is requested mark is registered with Trademark Registry, India – if Yes (details there off)		
4	DETAILS OF THE PERSON SUBMITTING THE APPLICATION		
	Signature		
	Name		
	Authority		
5	LIST OF DOCUMENTS ATTACHED, IF ANY		

FORM TM-R
The Trade Marks Act, 1999
Application for Renewal/Restoration of registration of a trademark
or for payment of surcharge towards the renewal

<i>[The relevant information must be filled up in colored box against the respective head]</i>	
1	APPLICANT
<i>[The Applicant here means the person on whose behalf the request is being submitted. He will ordinarily be the registered proprietor of the mark]</i>	
FEE PAID	(See First Schedule for Appropriate Fee)
Name: *	
trading as	
Address:*	
	(State) (Country)
Address for service:	
	(State) (Country)
<i>[(a) Unless otherwise specifically stated, the applicant's address shall be the address for service of the applicant who has principal place of business in India.]</i>	

	<i>(b) The address for service in India must be provided, in case the applicant does not carry business in India]</i>	
	Mobile No. :	
	E-mail address: *	
2	APPLICANT'S AGENT (if any)	
	Name:	
	address	
	Mobile No. :	
	E-mail address:	
	Nature of the Agent	
	<i>[The applicant must choose either of the following categories-</i>	
	<i>1. Registered Trade Marks Agent 2. Advocate 3. Constituted Attorney]</i>	
	Registration No	
	<i>[In case of authorisation of agent, the address of the agent may be mentioned as the applicant's address for service]</i>	
	TRADE MARK TYPE	
3	<i>[(a) one of the following categories must be choosen-</i>	
	<i>1. Standard trademark, 2. Collective Mark, 3. Certification Mark, 4. Series Marks</i>	
	<i>(b) 'Standard mark' here refers to registration of a normal trademark not being Collective or Certification trademarks or Series of marks]</i>	
4	Trade Mark No:	
5	Class	
	<i>(In case of multiclass number of classes to be mentioned)</i>	
6	Payment for (Select from below)	
	Renewal before expiry of last registration of trade mark	
	Renewal if filed within 6 months after expiry of last registration.	
	Restoration and renewal of registration of the trade mark removed from the register	
7	DETAIL OF THE PERSON SUBMITTING THE APPLICATION	
	Signature	
	Name	
	Authority	
8	List of Documents attached	

FORM TM-C**The Trade Marks Act, 1999****Application for Search and certificate under section 45(1) of the Copyright Act, 1957***[The relevant information must be filled up in coloured box against the respective head]*

1	APPLICANT	
	FEE PAID	(See First Schedule for Appropriate Fee)
	Name: *	
	trading as	
	Address:*	
		(State) (Country)
	<i>[This address should be the address of the applicant's principal place of business in India]</i>	
	Address for service:	
		(State) (Country)
	<i>[(a) Unless otherwise specifically stated, the applicant's address shall be the address for service of the applicant who has principal place of business in India.</i>	
	<i>(b) The address for service in India must be provided, in case the applicant does not carry business in India]</i>	
	Mobile No. :	
	E-mail address: *	

	Nature of the applicant <i>[The applicant must choose either of the following categories- 1. Natural person-Single Proprietor, 2. Natural person-Partnership Firm, 3. Body-incorporate including Private Limited/limited Company, 4. Limited Liability Partnership, 5. Society 6. Trust 7. Government Department 8. Statutory Organization. 9. any other]</i>	
2	APPLICANT'S AGENT (if any) Name: address Mobile No. : E-mail address: Nature of the Agent	
	<i>[The applicant must choose either of the following categories- 1. Registered Trade Marks Agent, 2. Advocate 3. Constituted Attorney]</i> Registration No	
	<i>[In case of authorisation of agent, the address of the agent may be mentioned as the applicant's address for service]</i>	
3	Expedited (Y/N)	
	Space of label/image	
4	DETAIL OF THE PERSON SUBMITTING THE APPLICATION Signature Name Authority	
5	DETAILS OF DOCUMENTS ATTACHED	

FORM TM-O**The Trade Marks Act, 1999**

Notice of Opposition/Application for Rectification of the Register by cancelling or varying registration of a trade mark/Counter statement/Request to refuse or invalidate a trade mark under Section 25(a), (b) of Geographical Indication of Goods (Regulation and Protection) Act, 1999

The relevant information must be filled up in coloured box against the respective head]

1	APPLICANT OR REGISTERED PROPRIETOR/OPPONENT/THIRD PARTY MAKING THE APPLICATION/REQUEST	
	<i>[(a) Anyone from the above, must be choosen on whose behalf the Notice/Application/Request is being submitted.</i>	
	<i>(b) 'Applicant' or 'Registered Proprietor' here means the person who is recorded as such in TMR records in respect of the referred application or registered trademark. The 'Opponent' here means the Opponent in the referred opposition proceeding or an Applicant for Rectification desiring to cancel or vary the registration of the trademark of someone else . 'Third Party' means the person who is not a party to the application/opposition/Rectification referred to.]</i>	
	FEE PAID	(See First Schedule for Appropriate Fee)
	Name*	
	trading as	
	Address:*	
		(State) (Country)
	Address for service:	
		(State) (Country)
	<i>[(a) Unless otherwise specifically stated, the applicant's/opponent's/third party's address shall be the address for service of the applicant who has principal place of business in India.</i>	
	<i>(b) The address for service in India must be provided, in case the applicant/opponent/third party as the case may be, does not carry on business in India]</i>	

	Mobile No. :	
	E-mail address: *	
2	AGENT OF THE APPLICANT OR REGISTERED PROPRIETOR/OPPONENT/THIRD PARTY, AS THE CASE MAY BE, (if any)	
	Name:	
	address	
	Mobile No. :	
	E-mail address:	
	Nature of the Agent	
	<i>[The applicant must choose either of the following categories-</i>	
	<i>1. Registered Trade Marks Agent, 2. Advocate 3. Constituted Attorney]</i>	
	Registration No	
	<i>[In case of authorisation of agent, the address of the agent may be mentioned as the address for service of the applicant/opponent/third party as the case may be]</i>	
3	PURPOSE	
	IN THE MATTER OF (for filing opposition/rectification)	
	Application/Registered Trade Mark No	Class
	Trade Mark	
	Application published in Journal No.	
	<i>[The copy of the journal publication needs to be attached]</i>	
	GROUND OF OPPOSITION/RECTIFICATION	
	<i>[Grounds of Opposition/Application for Rectification needs to be drafted in detail and verified by the Opponent/Applicant for Rectification and the same should be attached]</i>	
	IN THE MATTER OF (for filing Counter Statement)	
	Opposition/Rectification No.	Class
	Application/Registered Trade Mark No.	
	Details of Counter statement	
	<i>[Counter Statement needs to be drafted in detail and verified by the Applicant/Registered Proprietor for Rectification and the same needs to be attached]</i>	
	Request to refuse or invalidate a trade mark u/s 25(a) (b) of GI Act, 1999	
	Application/Registered Trade Mark No	Class
	Statement of case	
	<i>[Statement of Case needs to be drafted in detail and verified by the Applicant; and an affidavit of the applicant in support, needs to be attached.]</i>	
4	DETAIL OF THE PERSON SUBMITTING THE APPLICATION	
	Signature	
	Name	
	Authority	
5	LIST OF DOCUMENTS ATTACHED, IF ANY	

FORM TM-P
The Trade Marks Act, 1999
Application for Post registration changes in the trademarks

	<i>[(a) One form is meant for request of one change only. Different forms should be filed up for different changes</i>	
	<i>(b) The relevant information must be filled up in colored box against the respective head.]</i>	
1	APPLICANT	
	<i>[The Applicant here means the person on whose behalf the request is being submitted. He will ordinarily be the registered proprietor of the mark or a person claiming to be subsequent proprietor of the mark by virtue of any assignment or transmission]</i>	

	FEE PAID	(See First Schedule for Appropriate Fee)
	Name: *	
	trading as	
	Address:*	
		(State) (Country)
	Address for service:	
		(State) (Country)
	[(a) Unless otherwise specifically stated, the applicant's address shall be the address for service of the applicant who has principal place of business in India.	
	(b) The address for service in India must be provided, in case the applicant does not carry business in India]	
	Mobile No. :	
	E-mail address: *	
2	APPLICANT'S AGENT (if any)	
	Name:	
	address	
	Mobile No. :	
	E-mail address:	
	Nature of the Agent	
	[The applicant must choose either of the following categories-	
	1. Registered Trade Marks Agent, 2. Advocate 3. Constituted Attorney]	
	Registration No	
	[In case of authorisation of agent, the address of the agent may be mentioned as the applicant's address for service]	
3	REQUEST/ APPLICATION FOR AMENDMENTS IN THE DETAILS OF REGISTRATION OF A TRADEMARK	
	Registered TM NO.	
	[In case of request made for more than one trademarks, the first trademark number should be written.]	
	Additional Nos, if any	
	TYPE OF MARK	
	[(a) The applicant must choose either of the following categories-	
	1. Standard trademark, 2. Collective Mark, 3. Certification Mark, 4. Series Marks	
	Standard mark' here means an application for registration of a normal trademark not being Collective or Certification trademarks or Series of marks]	
4	AMENDMENT REQUESTED	
	AMENDMENT IN PROPRIETOR DETAIL	
	[This block should be used only when there is No. change in the proprietorship of the mark by virtue of assignment or transmission]	
	AMENDMENT REQUESTED IN	
	PRIPRIETOR NAME	
	ADDRESS	
	ADDRESS FOR SERVICE	
	AGENT/ATTORNEY DETAILS	
	[Any of the above may be chosen and the change requested should be clearly mentioned against relevant column.]	
	AMENDMENT IN THE TRADE MARK	Enter or paste proposed trade mark here
	STRIKING OUT GOODS OR SERVICES FROM THE REGISTER	[change requested should be clearly mentioned here.]
	CONVERSION OF SPECIFICATION OF GOODS AND SERVICES	[change requested should be clearly mentioned here]
	CANCELLATION OF THE REGISTRATION	[cancellation of the registration requested should be clearly mentioned here.]
	REASON FOR AMENDMENT	

	DISSOLUTION OF THE ASSOCIATION BETWEEN A REGISTERED TRADE MARKS AND OTHER TRADE MARKS	
	REGISTERED TRADE MARK No(s)	
		<i>[Enter the trade marks numbers whose association with the referred registered trademark is requested to be dissolved]</i>
	ASSIGNMENT OR TRANSMISSION OF REGISTERED TRADE MARK(S) ALONG WITH THE GOODWILL	
	Assignment along with goodwill or without goodwill	
	Date of assignment deed or the date of transmission	
	Request submitted within the period from the date of acquisition	Within 6 months
		within 12 months
		after 12 months
		<i>[Any of the above must be chosen]</i>
	ASSIGNMENT TO DIFFERENT PEOPLE FOR DIFFERENT PARTS OF INDIA	
	Name of proposed assignee	
	Address of proposed assignee	
	<i>[(a) Add details of assignees if there are more than one assignees, against relevant row.]</i>	
	<i>[(b) Please mention the region specifically with the proposed assignee]</i>	
5	CERTIFICATE OF THE REGISTRAR UNDER SECTION 40(2)	
	Request for the certificate	
	<i>[The details of the request in terms of Section 40(2) must be mentioned here and the statement of case with copy of the assignment must be submitted.]</i>	
6	Approval of the Registrar under section 41	
	Request for the approval	
	<i>[The details of the request in terms of Section 41 must be mentioned here and the statement of case with copy of the assignment or transmission must be submitted.]</i>	
7	Application under Section 42 for direction of the Registrar for advertisement of assignment without goodwill of a trademark	
	Request for the direction	
	<i>[The details of the request in terms of Section 42 must be mentioned here and the statement of case with copy of the assignment or transmission must be submitted.]</i>	
8	Application for extension of time under Section 42 for direction of the Registrar for advertisement of assignment without goodwill of a trademark	
	Application for extension of time	
	<i>[The details in terms of Section 42 must be mentioned here.]</i>	
	Application submitted within the period from the date of acquisition or devolution	Not exceeding one month
		Not exceeding two month
		Not exceeding three month
9	Application for extension of time under Section 46(4) for registering a company as subsequent proprietor of a trademark	
	Application for extension of time	
	<i>[The details in terms of Section 46(4) must be mentioned here.]</i>	
	Application submitted within the period	Not exceeding two months
		Not exceeding four months
		Not exceeding six month
		<i>[Any one of the above should be selected]</i>
10	DETAIL OF THE PERSON SUBMITTING THE APPLICATION	

	Signature	
	Name	
	Authority	
11	List of documents attached	

FORM TM-U**The Trade Marks Act, 1999**

Application for registration Registered User/Variation of Registered User/Cancellation of Registered Users and Notice of intention to intervene in proceeding in cancellation/variation

<i>[The relevant information must be filled up in coloured box against the respective head]</i>		
1	NATURE OF THE APPLICATION	
	<i>[(a) The applicant must choose either of the following categories-</i>	
	<i>1. Standard trademark, 2. Collective Mark, 3. Certification Mark, 4. Series Marks</i>	
	<i>(b) In case of Collective Mark or Certification Mark the draft regulations with form TM-M must be submitted.]</i>	
	FEE PAID	(See First Schedule for Appropriate Fee)
2	APPLICANT	
	Name: *	
	trading as	
	Address:*	
		(State) (Country)
	<i>[This address should be the address of the applicant's principal place of business in India]</i>	
	Address for service:	
		(State) (Country)
	<i>[(a) Unless otherwise specifically stated, the applicant's address shall be the address for service of the applicant who has principal place of business in India.</i>	
	<i>(b) The address for service in India must be provided, in case the applicant does not carry business in India]</i>	
	Mobile No. :	
	E-mail address: *	
	Nature of the applicant	
	<i>[The applicant must choose either of the following categories-</i>	
<i>1. Natural person-Single Proprietor, 2. Natural person-Partnership Firm, 3. Body-incorporate including Private Limited/limited Company, 4. Limited Liability Partnership, 5. Society 6. Trust 7. Government Department 8. Statutory Organization. 9. any other]</i>		
3	APPLICANT'S AGENT (if any)	
	Name:	
	address	
	Mobile No. :	
	E-mail address:	
	Nature of the Agent	
	<i>[The applicant must choose either of the following categories-</i>	
	<i>1. Registered Trade Marks Agent, 2. Advocate 3. Constituted Attorney]</i>	
	Registration No	
	<i>[In case of authorisation of agent, the address of the agent may be mentioned as the applicant's address for service</i>	
	4	REQUEST/ APPLICATION IN THE MATTER OF
Regd. TM No. / Registered User No.		CLASS:
		For Registration of Registered User

	Details of proposed registered User	
	Period	
	Goods/Services	
	Condition	
5	For variation of the registered user there with regard to goods/service or the condition/restriction	
	In Registered User	
	In goods/service	
	in condition/restriction	
6		Cancellation of entry of registered user thereof
	By the proprietor (details)	
	By the registered user (details)	
	Grounds for cancellation	
		Notice of intention to intervene in proceedings for
	Cancellation	
	Variation	
7	DETAIL OF THE REGISTERED PROPRIETOR OR AGENT	
	Signature	
	Name	
	Authority	
	DETAIL OF THE REGISTERED USER OR AGENT	
	Signature	
	Name	
	Authority	

FORM TM-G

The Trade Marks Act, 1999

Trade Marks Agent Registration/Renewal/Restoration/Alteration

<i>[The relevant information must be filled up in colored box against the respective head]</i>		
1	<i>Application for Registration of Trade Marks Agent</i>	
	FEE PAID	(See First Schedule for Appropriate Fee)
	DETAILS OF THE APPLICANT	
	Name in full beginning with surname (in capital letters)	
	Address of residence	
		(State) (Country)
	Principle place of business	
		(State) (Country)
	Nationality	
	Date of Place of Birth	
	Occupation in full	
	Particulars of qualification for registration as a trade mark agent	
	Whether at any time removed from the Register of Trade Marks Agents and if so the details thereof	
	Mobile No. :	
	E-mail address: *	

2	Application for renewal/restoration of the name of a person in the Register of Trade Marks Agents	
	Trade Mark Agent No.	
	Name:	
	address	
	Mobile No. :	
	E-mail address:	
3	Application for alteration in the Register of Trade Marks Agents	
	Trade Mark Agent No.	
	Name:	
	address	
	Mobile No. :	
	E-mail address:	
	Details to be altered in and as	
	Name:	
	Address of place of residence	
	Address of principle place of business	
	Educational Qualification	
	Mobile No. :	
	E-mail address:	
4	Signature	
	Name	
	Authority	
5	List of documents attached	

THE THIRD SCHEDULE
Forms to be used by the Registrar
LIST OF FORMS

Form No.	Section	Title
O-1	23(3)	Notice of non-completion of registration
O-2	23(2)	Certificate of registration of trade mark
O-3	25(3)	Notice of expiration of last registration.
O-4	Rule 152	Certificate of registration of a person as a trade marks Agent

FORM 0-1

GOVERNMENT OF INDIA, TRADE MARKS REGISTRY, Trade Marks Act, 1999

Notice of non-completion of registration Section 23(3) Rule 53.

No.

Notice is hereby given as required by section 23(3) of the Trade Marks Act, 1999, that the registration of the trade mark, in respect of which application numbered as above was made on the day of 20 has not been completed by reason of default on the part of the applicant. Unless registration is completed within twenty-one days from the date of this notice the application will be treated as abandoned.

All communications relating to this application may be sent to the following address in India:-

Dated this.....day of 20

Registrar of Trade Marks

To,

FORM 0-2

GOVERNMENT OF INDIA, TRADE MARKS REGISTRY, Trade Marks Act, 1999

Certificate of registration of trade mark [section 23(2), rule 57(1)]

Trade Marks No.....

Date.....

Certified that the Trade Mark, of which a representation is annexed hereto, has been registered in the register in the name ofin Class..... under No.....as of the date in respect of

Sealed at my direction this:day of20.....

Registrar of Trade marks.

Registration is for 10 years from the date first above-mentioned and may then be renewed for a period of 10 years, and also at the expiration of each period of 10 years thereafter. (See section 25 of the Trade Marks Act, 1999 and Rules 58 to 61 of the Trade Marks Rules, 2015).

This certificate is not for use in legal proceedings or for obtaining registration abroad.

Note—Upon any change of ownership of this trade mark, or change in address of the principal place of business or address for service in India, application should AT ONCE be made to register the change.

FORM 0-3

GOVERNMENT OF INDIA, TRADE MARKS REGISTRY, Trade Marks Act, 1999

Certificate of registration of trade mark [section 23(2); rule 59 (1)]

Registered Trade Marks No.....

Class.....

Notice is hereby given as required in section 25(3) of the Trade Marks Act, 1999 that the registration of the aforesaid trade mark will expire on..... and that the registration can be renewed for a further period of 10 years on receipt in the Trade Marks Registry of an application on the enclosed Form TM-12 accompanied by the prescribed fee of Rs..... on or before the said date.....

Dated this..... day of 20

Registrar of Trade marks.

To,

FORM 0-4

GOVERNMENT OF INDIA, TRADE MARKS REGISTRY, Trade Marks Act, 1999

Certificate of registration as Trade Marks Agent (rule 152)

No.

This is to certify that.....

..... of

was registered on thisday of 20 in the Register of Trade Marks Agents maintained under rule 145 of the Trade Marks Rules, 2015.

Registrar of Trade Marks

THE SIXTH SCHEDULE

Scale costs allowable of in rule 122 proceedings before the Registrar

Entry No.	Matter in respect of which costs to be awarded	Amount (In Rupees)
1	For one day's hearing involving examination of witnesses	1000
2	For one day's hearing when there is no examination of witnesses	500
3	For adjournment of hearing granted on the petition of any party	Rs.500 plus cost for re—summoning were due to be examined on the day
4	For striking out scandalous matter from an affidavit.	200
5	For attendance of witnesses..... Subsistence allowance..... Travelling allowance...	500 (vide note below) The fare by rail or steamer for the first class or the second class each way and if there is no rail or steamer communication Rs. 20 or Rs. 10 per km. depending upon the rank and status of the witness.
Note: the rates of subsistence allowance and travelling allowance for witness shall vary according to the status of the witness subject to the maximum prescribed above		

Part VI

Language of the Trade Marks Registry.—(1) (a) The language of the Trade Marks Registry shall be English:

Provided that the parties to a proceedings before the Trade Marks Registry may file documents drawn up in Hindi, if they so desire:

Provided that where-

(a) the Registrar permits the use of Hindi in the proceedings of the Tribunal and hearing in such proceedings, he may in his discretion direct English translation of pleadings and documents to be filed;

(b) the Trade Marks Registry located in "Region A" as defined in clause (f) of rule 2 of the Official Languages (Use for Official Purposes of the Union) Rules, 1976, the Registrar may, in his discretion, make final orders either in Hindi or in English.

(2) Notwithstanding anything contained in paragraph (1), where a final order is made in Hindi, an authenticated English translation thereof shall simultaneously be prepared and kept on record.

[F. No. 8/16/2015-IPR-IV]

RAJIV AGGARWAL, Jt. Secy.